खण्ड–525, अंक–05
बुधवार, 18 माघ, शक संवत् 1945
(दिनांक 07 फरवरी, 2024 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2024)

(खण्ड 525 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-156
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	156-159
जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159
जनपद बलिया के फेफना के आईटी बन्धे पर पुल का निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	160
जनपद जालौन में कतिपय सड़क के निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	160
जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	160
जनपद सन्तकबीरनगर के धनघटा में निरीक्षण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद श्रावस्ती के नगर पंचायत इकौना में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद लखनऊ के देवपुरी कालोनी में घर के ऊपर से निकल रहे विद्युत तारों को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	161-162
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वर्षापुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162-163
जनपद फतेहपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	163
जनपद देवरिया के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर देवरिया विकास प्राधिकरण बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163-164

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत हिंदनगर मोहल्ले में सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटरी-दुबई सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	164-165
जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में नूरपुर गढ़िया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	165
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जगत खेड़ा कल्ली पश्चिम में विद्युत कटौती के दोषियों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	165-166
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में कतिपय सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	166
जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	166-167
जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	167
जनपद आजमगढ़ के जाफरपुर में कतिपय स्थान पर सब-स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	167-168
जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज में कतिपय सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	168-169
जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	169
मेरठ के सरधना नगर के लिए बस परिवहन सेवा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	169-170
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	170
जनपद चित्रकूट के तहसील राजापुर में डिफेन्स कॉरिडोर हेतु भूमि का मूल्य बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	170
जनपद भदोही के अन्तर्गत निर्मित अस्पताल को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	171

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	171
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत सरसेना मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	171-172
जनपद गोरखपुर के जनता इण्टर कालेज चरगावां में अवैध विनियमितीकरण को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	172
ग्राम ससना बहादुरपुर जनपद बलिया में खेती न करने देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	172-173
जनपद मुरादाबाद में हुए सीवरेज योजना के अन्तर्गत हुए मानक विरुद्ध कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	173
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत नगर पंचायत रामपुर में एक 132 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	173-174
जनपद कासगंज के अमाँपुर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174
जनपद कासगंज के सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174-175
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद में कतिपय मार्ग को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	175
जनपद एटा के अलीगंज में कतिपय बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175
जनपद हरदोई की विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के विकास खण्ड कोथावाँ में कतिपय पौराणिक स्थल हत्याहरण तीर्थ के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175-176
जनपद बुन्देलखण्ड में चीनी मिल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू गाँव में मेडिकल कॉलेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	176
जनपद गोरखपुर के सहजनवां विधान सभा क्षेत्र में पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	177

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	177
जनपद गोण्डा में राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177
जनपद बुलन्दशहर के जहांगीराबाद में कतिपय पुलिया का पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	177-178
जनपद कुशीनगर के कुबेरस्थान को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	178
जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में स्थित महिला अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	179
जनपद जालौन के काल्पी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम छानी अहीर में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	179
ग्राम सभा अदारी में यादव बस्ती के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	179-180
क्रिश्चियन कालेज सोसायटी लखनऊ में आवश्यक कार्य हेतु प्रशासक तथा अन्य की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180-181
जनपद गोण्डा के करनैलगंज में कतिपय मार्ग पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181
जनपद सुल्तानपुर की तहसील लम्भुआ के ब्लॉक प्रतापपुर में सदरपुर मार्ग को लोक निर्माण विभाग में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181
जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बान नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	181-182
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (जारी)	182
औचित्य के प्रश्न की सूचना	182

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	182-185
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (क्रमागत)	185-198
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2022-2023) का ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग के वर्ष 1998 से 2023 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 152वां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	198
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	198
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	198-199
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का बारहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	199
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	199
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	199
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	200
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	200
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022–2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	200
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	200-201
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का अष्टम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	201
मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा ...	201-265
मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का पारण ...	265-267

विषय	पृष्ठ-संख्या
भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम किये जाने विषयक संकल्प (प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत)	267-271
वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय व्ययक पर चर्चा अगले दिन से आरम्भ कराये जाने का अनुरोध	271-273
याचिकाओं का उपस्थापन	273
इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	273
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद तहसील जसराना से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	273
श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	273
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	273-274
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	274
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के सिराथू तहसील से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	274
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	274
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	274
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	274-275
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	275

विषय	पृष्ठ-संख्या
डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	275
मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	275
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के नगर क्षेत्र शिकोहाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	275
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	276
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	276
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	276
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	276
श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	276
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	277
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	277
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	277
श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	277
श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत दिलदार नगर भक्सी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	277-278

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री कमलाकान्त राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	278
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	278
श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	278
श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	278
श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवालखास से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	279
श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	279
श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	279
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	279
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	279
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	280
श्री जय मंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	280
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ब्लाक बामौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	280
श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	280

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	280
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	281
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	281
श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर मनिहारन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	281
श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	281
श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की पी0एन0बी0 मैटलाइफ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	281-282
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	282
श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के ब्लाक फरह से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	282
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	282
श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)...	282
श्री प्रदीप कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	282
श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	283
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	283
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	283

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	283
श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	283
श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	284
श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	284
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	284
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	284
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)...	284
श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	285
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	285
श्री मेघश्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के ब्लाक मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	285
श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	285
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	285
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	286
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	286

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	286
श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	286
श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	286
श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	287
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रुधौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	287
श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा-चण्डिका से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	287
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लाक देवमई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	287
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	287
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	288
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	288
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	288
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	288
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	288

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)...	289
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	289
श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	289
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड विलसण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	289
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	289
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	290
श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	290
श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	290
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर की विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	290
श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	290
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)...	291
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत) ...	291
श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	291
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	291

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	291
श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मैथा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	292
श्रीमती मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के ब्लाक रजापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	292
श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी) ...	292
श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	292
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	292
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	293
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	293-296
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत गनीपुर के निकट लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर टूटे पुल के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	296-297
जनपद रायबरेली के ग्राम परवनपुर, थाना महाराजगंज, रायबरेली में महिला चिकित्सालय की डा0 रेनू चौधरी द्वारा प्रसूता की डिलीवरी के ऑपरेशन में लापरवाही बरते जाने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य	297-298
प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान/के0जी0एम0यू0 के विभिन्न भर्तियों में आरक्षण नियमों की अवहेलना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	298-301

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर के बघरा के तिरपड़ी-बुडीना खुर्द मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	301-302
जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम झपारा में अधिग्रहीत भूमि पर अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	302-304
जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	304-305
विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा मूलभूत संरचनात्मक कार्य के साथ घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल के समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य ...	305-308
जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन में ब्लॉक सलोन के अन्तर्गत धरई-कमालपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा कोटीला तक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	308
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	309
बजट पर चर्चा के दौरान अगले दिन भोजन एवं चाय की कैफेटेरिया में व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	309-310
नत्थियाँ	311-335

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 07 फरवरी, 2024 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-353

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
12. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
13. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
14. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
15. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
16. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
17. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
18. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
19. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
20. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
24. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
25. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
26. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
27. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
29. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
30. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
31. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
32. अरमान खान, श्री — लखनऊ
33. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
34. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
35. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
36. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
37. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
38. अशरफ अली खान, श्री — शामली
39. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
42. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
43. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
44. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
45. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
46. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
47. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
48. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
49. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
50. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
51. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

52. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
54. उमर अली खान, श्री — सहारनपुर
55. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
56. ऊषा मौर्या, श्रीमती — फतेहपुर
57. ऋषि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
58. एम0पी0 आर्य, डॉ0 — बरेली
59. ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
60. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
61. ओममणी वर्मा, श्रीमती — बांदा
62. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
63. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री — आजमगढ़
64. कमाल अख्तर, श्री — मुरादाबाद
65. कविन्द्र चौधरी, श्री — बस्ती
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
67. केतकी सिंह, श्रीमती — बलिया
68. कैलाश, श्री — चन्दौली
69. कैलाश नाथ, श्री — बलरामपुर
70. कैलाश राजपूत, श्री — कन्नौज
71. गणेश चन्द्र, श्री — सन्तकबीरनगर
72. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती — प्रयागराज
73. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती — औरैया
74. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री — प्रयागराज
75. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
76. गुलाम मौहम्मद, श्री — मेरठ
77. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री — जालौन
78. चंदन चौहान, श्री — मुजफ्फरनगर
79. चन्द्रपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
80. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री — फतेहपुर
81. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
82. छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
83. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
84. जय कुमार सिंह जैकी, श्री — फतेहपुर
85. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
86. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री — पीलीभीत
87. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
88. जयप्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
90. जयमंगल, श्री — महराजगंज
91. जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
93. जाहीद, श्री — भदोही
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
95. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 — आगरा
96. जीत लाल पटेल, श्री — प्रतापगढ़
97. जै किशन साहू, श्री — गाजीपुर
98. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
99. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
100. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
101. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
102. तुफानी सरोज, श्री — जौनपुर
103. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्धनगर
104. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
105. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
106. दयाशंकर सिंह, श्री — बलिया
107. दिनेश कुमार, श्री — मेरठ
108. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री — देवरिया
109. दुधराम, श्री — बस्ती
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री — सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
113. देवेन्द्र सिंह, श्री — कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री — बुलन्दशहर
115. धर्मराज सिंह यादव, श्री — बाराबंकी
116. धर्मेश सिंह तोमर, श्री — हापुड़

117. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
118. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
119. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
120. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
121. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
122. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
123. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
126. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
127. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
128. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
129. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
130. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
131. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
132. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
133. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
134. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
135. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
136. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
137. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
138. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
139. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
140. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
143. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
144. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
145. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
146. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
147. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
148. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
149. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
150. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
151. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
152. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
153. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
154. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
155. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
156. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
157. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
158. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
159. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
160. बाबूराम, श्री पीलीभीत
161. बाबूलाल, श्री आगरा
162. बावन सिंह, श्री गोण्डा
163. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
164. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
165. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
166. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
167. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
168. बेदी, श्री गाजीपुर
169. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
170. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
171. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
172. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
173. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
174. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
175. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
176. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
177. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
178. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
179. मनीष रावत, श्री सीतापुर
180. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
181. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
182. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर

183. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
184. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
185. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
186. महबूब अली, श्री अमरोहा
187. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
188. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
189. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
190. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
191. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
192. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
193. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
194. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
195. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
196. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
197. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
198. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
199. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
200. मेघश्याम, श्री मथुरा
201. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
202. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
203. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
204. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
205. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
206. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
207. योगेश धामा, श्री बागपत
208. योगेश वर्मा, श्री खीरी
209. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
210. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
211. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
212. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
213. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
214. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
215. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
216. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
217. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
218. रवि शर्मा, श्री झांसी
219. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
220. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
221. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
222. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
223. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
224. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
225. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
226. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
227. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
228. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
229. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
230. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
231. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
232. राजमणि, श्री प्रयागराज
233. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
234. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
235. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
236. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
237. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
238. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
239. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
240. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
241. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
242. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
243. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
244. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
245. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
246. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
247. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
248. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
249. रामकेश निषाद, श्री बांदा

250. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
251. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
252. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
253. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
254. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
255. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
256. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
257. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
258. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
259. राम सिंह पटेल, श्री प्रतापगढ़
260. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
261. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
262. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
263. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
264. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
265. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
266. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
267. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
268. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
269. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
270. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
271. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
272. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
273. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
274. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
275. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
276. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
277. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
278. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
279. विपुल दुबे, श्री भदोही
280. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
281. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
282. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
283. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
284. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
285. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
286. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
287. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
288. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
289. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
290. शशांक वर्मा, श्री खीरी
291. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
292. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
293. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
294. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
295. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
296. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
297. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
298. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
299. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
300. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
301. संग्राम सिंह, श्री बलिया
302. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
303. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
304. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
305. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
306. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
307. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
308. संदीप सिंह, श्री प्रयागराज
309. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
310. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
311. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
312. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
313. सभाकुंवर, श्री देवरिया
314. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
315. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर

316. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
317. सरोज कुरील, श्रीमती — कानपुर नगर
318. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
319. सलोना कुशवाहा, श्रीमती — शाहजहांपुर
320. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
321. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — प्रयागराज
322. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
323. सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
324. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
325. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
326. सुनील पटेल, डॉ0 — वाराणसी
327. सुभाष त्रिपाठी, श्री — बहराइच
328. सुरभी, डॉ0 — फर्रुखाबाद
329. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री — कुशीनगर
330. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री — देवरिया
331. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
332. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
333. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
334. सुरेश राही, श्री — सीतापुर
335. सुशान्त सिंह, कुँवर — बिजनौर
336. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
337. सुशील सिंह, श्री — चन्दौली
338. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री — गाजीपुर
339. सैय्यदा खातून, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
340. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 — मेरठ
341. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
342. सौरभ सिंह सोनू, श्री — खीरी
343. स्वामी ओउ्मवेश, श्री — बिजनौर
344. हंसु राम, श्री — बलिया
345. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
346. हरिओम, श्री — कासगंज
347. हरिप्रकाश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
348. हरीश चन्द्र, श्री — बदायूं
349. हरेन्द्र सिंह, श्री — हापुड़
350. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री — प्रयागराज
351. हाकिम लाल बिन्द, श्री — प्रयागराज
352. हिमान्शु यादव, श्री — बदायूं
353. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़

नोट :- ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), सहकारिता मंत्री (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद), आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी), पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

***1-श्री अभय सिंह-**

[मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न श्री अभय सिंह जी का था, यह प्रश्न माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त है।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ अगर आप कहेंगे तो मैं पत्रावली दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं आपका प्रश्न मा0 न्यायालय पर लम्बित है, ऐसी सूचना है।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, वहां पर पाइप लाइन बिछाने के लिए एन0जी0टी0 का निर्देश है।

श्री अध्यक्ष-

आप अलग से लिख कर दे दीजिए, मैं मा0 मंत्री जी का संज्ञान दिलवा दूंगा।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के बिजली बिल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में

***2-श्री अनिल प्रधान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को गलत एवं बढ़ा हुआ बिल देकर उनसे अधिक विद्युत बिल की वसूली की जा रही है ? क्या सरकार विद्युत बिल की पारदर्शी प्रक्रिया बनाकर उपभोक्ताओं के गलत/अधिक बिल की समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

जी नहीं।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर रीडिंग आधारित बिल उपलब्ध कराये जाने हेतु मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये जाते हैं।

समय पर सही विद्युत बिल उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है। बिल जारी होने पर उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर बिल सम्बन्धी सूचना एस0एम0 एस0 के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। बिल जमा होने तक यह एस0एम0एस0 7 बार भेजा जाता है।

उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित बिल निर्गत कराये जाने हेतु वर्तमान में विद्युत वितरण निगमों के अन्तर्गत 'विद्युत परिवार-आपके द्वार' अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत बिलिंग एजेंसियों के मीटर रीडरों के साथ विभागीय कार्मिक उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर मीटर रीडिंग का कार्य करा रहे हैं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को वास्तविक रीडिंग आधारित बिल निर्गत किया जाता है।

कतिपय प्रकरणों में गलत/अधिक बिल सृजित हो जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं द्वारा बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत पंजीकृत करने की निम्नवत् व्यवस्था लागू है :-

1-उपभोक्ता द्वारा बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत के निराकरण हेतु निकटतम विभागीय कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराये जाने की व्यवस्था है।

2-उपभोक्ता द्वारा स्वयं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत वेबसाइट (www.uppcl.org) पर त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

3-उपभोक्ता स्वयं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत मोबाइल ऐप (यू0पी0पी0सी0एल0 कन्ज्यूमर ऐप) के माध्यम से त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं।

4-उपभोक्ताओं द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1912 पर भी बिल सम्बन्धी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

बिल न मिलने एवं त्रुटिपूर्ण बिल की समस्या के निवारण हेतु उपभोक्ता पर विश्वास रखते हुए ट्रस्ट बिलिंग की व्यवस्था है। इसके तहत यह व्यवस्था है कि घरेलू एवं वाणिज्यिक विधा के 9 किलोवाट भार तक के उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की अधिकृत वेबसाइट (www.uppcl.org) पर लॉगइन कर अपने मीटर की रीडिंग अंकित कर अपना बिल स्वयं बना सकते हैं।

उपभोक्ता को त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत होने से रोकने के लिए एक व्यवस्था यह भी है कि यदि कोई वर्तमान बिल प्रति किलोवाट रु0 10,000 प्रतिमाह से अधिक है अथवा बकाया सहित कुल बिल रु0 1,00,000 प्रति किलोवाट से अधिक है, तो ऐसे बिलों को बिलिंग प्रणाली में रोक कर विशेष जाँच की जाती है। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा बिल संशोधन के उपरान्त ही त्रुटिरहित बिल निर्गत किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री अनिल प्रधान जी, आप बोलिए। श्री अनिल जी स्पेसिफिक पूछिएगा।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका मैं हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो मेरा प्रश्न था, उसके इतर मा0 मंत्री जी का जवाब आया है। क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो तमाम तरह के आरोप लगाये जाते थे और विगत समय और इस समय वर्तमान में जो विद्युत बिल है, वह गलत तरीके से कन्ज्यूमर को भेजे जा रहे हैं। हम लोग भी अपने क्षेत्र के तमाम सारे लोग हमारे क्षेत्र की जनता हमारे बीच में आती है और सैकड़ों बार हम लोग विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र भी लिखते हैं और निवेदन भी करते हैं बिल सुधारने का, लेकिन लगभग 99 प्रतिशत मामलों में जो बिल है वह सुधार होने के स्थिति में उनका जवाब हमारे पास नहीं आता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार में अड़सठ प्रतिशत की छूट विद्युत बिल के कनेक्शन में निजी ट्यूबवेल किसानों को दी जाती थी। हमारे बुन्देलखण्ड में चार साल से किसानों का पैसा जमा है। अभी कुछ दिन पूर्व से ही विभाग उनको पैसा वापस कर रहा है, तो मेरा यह कहना है कि जब पैसा लिया जाता है, तो पूरा लिया जाता है और जब विद्युत बिल लिया जाता है, तो ब्याज सहित लिया जाता है, तो अगर सरकार उनका पैसा वापस करे, तो ब्याज सहित उनको पैसा वापस करना चाहिए। मेरा यह कहना है कि जो आज प्रदेश में जो विद्युत थाने खुल गये हैं आज जो जनता है वह उतना सिविल पुलिस से नहीं डरती है, जितना सिविल थाने से डरती है। बिजली विभाग के कर्मचारी, अधिकारी जाते हैं और विद्युत चोरी का वीडियो बना करके ले आते हैं और उनके जो कर्मचारी वह इस प्रकार से जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं, तो जो विद्युत थाने हैं इन पर रोक लगाने की जरूरत है और तमाम सारे ऐसे मजरे हैं जहां पर वन विभाग होने के कारण मेरे क्षेत्र में भी एक गांव पड़ता है कोलहुआ माफी खमरिया का है चार दिन तक हम लोग धरने पर बैठे थे और जब वहां पर विद्युत पोल गाड़ने की बारी आई तो वन विभाग ने इस पर रोक लगा दिया।

इन तमाम विषयों पर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पहला मेरा अनुपूरक है कि मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करें कि विगत अप्रैल माह 2023 में सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि जो निजी ट्यूबवेल किसान हैं उनका विद्युत बिल माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक उस घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाया गया। आज तक किसानों का बिल माफ नहीं किया गया, आज भी किसानों का बिल आ रहा है, तो मेरा पहला अनुपूरक यह है। दूसरा मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुपूरक है कि जो दस घरों के ऊपर के पुरवे हैं फेज वन और फेज टू के विद्युतीकरण के बाद बहुत से ऐसे हर क्षेत्र में

फिर उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे गांव हैं जो दस घर के ऊपर है और उन पर जब विद्युतीकरण का कार्य हो रहा था, तो लोग नहीं जानते थे उनसे आधार कार्ड ले करके वहां पर मीटर लगा दिये गये। सैकड़ों ऐसी जगह हैं हर विधान सभा क्षेत्र में जहां पर बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन बिजली बिल आ रहा है, तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पुरवे दस घर के ऊपर हैं या पुरवे कम हों, लेकिन जहां पर मीटर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है वहां पर आप बिजली पहुंचायेंगे कि नहीं पहुंचायेंगे और अगर पहुंचायेंगे तो कब तक पहुंचायेंगे। एक और प्रश्न आपके माध्यम से पूछना है कि मेरे क्षेत्र में कई जगह घुरतनपुर, गड़ीघाट, चिलिमल, बछल इन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की बहुत समस्या है क्या इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण कराने का काम करेंगे और आखिरी कहना चाहता हूँ कि जो विजिलेन्स थाने हैं मेरा फोकस विजिलेन्स थाना है क्या जो आपने विजिलेन्स थाने खोल रखे हैं, जो लगातार जनता का शोषण करने का काम करते हैं हम लोग भी कई बार बिजली के अधिकारियों से कहते हैं और एक बल्ब और एक पंखे की अगर चोरी पकड़ते हैं, दो-दो ढाई-ढाई लाख रुपये उसका हरजाना भरने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको प्रश्न करते-करते साढ़े तीन मिनट हो गया है।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, इन विषयों पर मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जवाब जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। चूँकि आज सारे प्रश्न आपके विभागों से ही सम्बन्धित हैं चाहे वह नगर विकास विभाग हो, चाहे वह ऊर्जा विभाग हो तो इसमें मेरा यह रिक्वेस्ट है कि जो प्रश्न पूछा गया है अगर आप स्पेसिफिकली उसका उत्तर देंगे तो सब आ जायेंगे। मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है, बाकी आप जैसा उचित समझें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न तो गलत विद्युत बिल पर था, लेकिन मा0 सदस्य ने बिजली से सम्बन्धित तमाम बातों को अपने प्रवचन में जोड़ा है। मेरा आपसे निवेदन है कि चूँकि आपने यह निर्देश भी दिया है तो उन बातों के जवाब अन्य प्रश्नों के जवाब में आ जायेंगे। इसलिये मा0 सदस्य थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। जहाँ तक गलत विद्युत बिल की बात है और यह प्रश्न गलत विद्युत बिल के बारे में था तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि विद्युत बिल गलत जाने की समस्या थी और है, लेकिन रहेगी नहीं, इतना मैं आपसे कहे देता हूँ। यह पुरानी समस्या है, बड़ी समस्या है, इस बात से मैं सहमत हूँ। एक बात यह भी है कि जिन

गाँवों में पहले बिजली जाती थी, लेकिन बिल नहीं जाता था वहाँ भी अब बिल जाने लगा है, तो उससे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। उधर के कुछ गाँव थे जो आपको मालूम है। अब रही बात गलत बिल की तो हमने मानवीय और तकनीकी दोनों ही प्रकार से इस समस्या के समाधान का प्रयास किया है। मानवीय रूप में हमने यह किया है कि जो हमारी आउटसोर्स एजेंसी के लोग मीटर रीडिंग के लिये जाते हैं, अब हमनें यह कहा है कि वह असिस्टेंड रीडिंग करेंगे अर्थात् हमारे विभाग का कोई कर्मचारी उनके साथ अवश्य जायेगा। दूसरा, आप लोगों के संज्ञान में आया होगा कि पिछले कई महीनों से हमने 'विद्युत परिवार आपके द्वार' नाम से एक अभियान चलाया है, जिसमें आपकी शिकायत हम सुनते हैं और अगर हमारी तरफ से आपको कुछ कहा जाना है तो हम भी अपनी बात कहते हैं। यह तो मानवीय व्यवस्था की बात हो गयी। इसके साथ ही हमने जवाब में लिखा है कि टेक्नालॉजी एप पर शिकायत करने से सम्बन्धित सारे उपाय हैं और वह सारी शिकायतें हम लोग मुस्तैदी से दूर कर रहे हैं। दूसरा उपाय जो मैं विशेष रूप से समझाना चाहता हूँ कि हमने तकनीक या टेक्नालॉजी आधारित उपाय भी किये हैं, उसमें सबसे पहला उपाय मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है कि हमने ट्रस्ट बिलिंग की शुरुआत की है। हमने पिछले सदन में भी बताया था कि आप अपने मीटर की रीडिंग देख करके हमारे एप पर जाकर अपना बिल स्वयं जेनरेट कर सकते हैं, हम उस बिल को मान करके आपकी बिजली आपूर्ति आगे जारी रखेंगे।

आप सबकी जानकारी के लिये मैं बता दूँ कि हमारे एप को लगभग 3 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है और लगभग 31 हजार लोगों ने ट्रस्ट बिलिंग की सुविधा के तहत् अपना बिल जेनरेट किया है और 7 करोड़ 24 लाख रुपये उस ट्रस्ट बिलिंग के तहत् सरकार को प्राप्त हुये हैं। नागरिकों और उपभोक्ताओं पर विश्वास करने की हमारी जो प्रक्रिया है वह निरन्तर आगे बढ़ रही है और भविष्य में हम इस समस्या से निकल जायेंगे। तकनीक आधारित दूसरा उपाय हमने यह किया है कि हमारा जो रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात् आर0एम0एस0 है, जैसा अभी बताया जा रहा था कि एक बल्ब जलता है और लाख रुपये का बिल आ जाता है, तो उसमें हमने यह किया है कि जो बिल अनर्गल दिख रहा है, उसकी टेक्निकल परिभाषा यह है कि प्रति किलोवॉट प्रतिमाह अगर 10 हजार रुपये से ज्यादा का बिल जेनरेट होता है या बकाया को लेकर प्रतिमाह अगर 01 लाख रुपये से ज्यादा होता है, तो हमारे रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में उस बिल को रोक लिया जाता है और इस प्रकार हम उस बिल को रोक कर हम स्वयं उसकी छानबीन करते हैं। कहा जाता है कि सब बिल गलत है, तो सब बिल गलत नहीं होते हैं। आप सबकी जानकारी के लिये बता दूँ कि 3 करोड़ 29 लाख बिल हम हर महीने जेनरेट करते हैं और गलत बिल की जो हमें शिकायतें मिली हैं उसका प्रतिशत आधे प्रतिशत से भी कम है, लेकिन उसके प्रति भी हम संवेदनशील हैं। एक व्यक्ति का भी अगर गलत बिल जाता है तो हम उसके प्रति भी संवेदनशील हैं। आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि ऐसे बिलों को हम अपने कम्प्यूटराइज्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में रोक लेते हैं। नवम्बर में इस प्रकार के

लगभग 3 प्रतिशत बिल हमने रोके थे जिन्हें सुधार कर हमने भेजा है। उसी प्रकार दिसम्बर में हमने लगभग ढाई परसेंट बिल रोक करके उनको सुधार करके भेजा है।

मान्यवर, आप सबको जानकर खुशी होगी कि जो जनवरी का डेटा आया है उसमें इस तरह के गलत बने हुए बिलों का प्रतिशत 0.5 प्रतिशत से भी कम हो गया है।

प्रदेश में बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति के लिए विद्युत उत्पादन हेतु नये पावर स्टेशन की स्थापना के सम्बन्ध में

***3-श्री स्वामी ओउ्मवेश, डॉ0 संग्राम यादव तथा श्री अखिलेश-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति के लिये विद्युत उत्पादन हेतु नये पावर स्टेशन की स्थापना कर विद्युत उत्पादन बढ़ाकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं अतिभारित बिजली घरों कों उच्चीकृत करने की कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में बढ़ते विद्युत उपभोग की आपूर्ति को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

(1) वर्तमान में उ0प्र0 राज्य को सभी स्रोतों से कुल 30,600 मे0वा0 विद्युत की उपलब्धता है।

(2) प्रदेश की बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति के दृष्टिगत पारम्परिक स्रोतों की निर्माणाधीन परियोजनाओं से कुल 9,080 मे0वा0 के अनुबन्ध किए गए हैं जिनसे निम्नानुसार बिजली प्राप्त होगी :-

वर्ष	प्रदेश को प्राप्त होने वाली विद्युत (मे0वा0)
2023-24	2949
2024-25	3131
2025-26	400
2029-30	2600

(3) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु निर्माणाधीन परियोजनाओं से कुल 3,149 मे0वा0 के अनुबन्ध किए गए हैं।

(4) इसके अतिरिक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 में ओबरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) एवं अनपरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) में तापीय परियोजना स्थापित किए जाने हेतु एन0टी0पी0सी0 के साथ एम0 ओ0 यू0 हस्ताक्षरित किए गए हैं। उक्त में से 2x800 मे0वा0 ओबरा 'डी' तापीय परियोजना को शासन द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है।

(5) सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को शासन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

वितरण एवं पारेषण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण

प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 (माह मार्च, 2022) तक कुल 705 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये जा चुके हैं एवं 1413 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जा चुकी है। वर्ष 2022-23 से अब तक कुल 35 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत किये गये एवं 176 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि की गयी।

2017 से अब तक पारेषण क्षेत्र में 176 नये सब-स्टेशन एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुजारी, उत्तर प्रदेश की विधान सभा को देश के सभी प्रदेशों की सभी विधान सभाओं से अधिक शानदार, सुन्दर, आकर्षक व आलीशान, सभी माननीय सदस्यों का सम्मान बढ़ाने वाले आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का चित्र विधान सभा में लगाने का वायदा पूरा न करने वाले माननीय अध्यक्ष महोदय अगर विधान सभा को और आकर्षक बनाकर सारी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, तो पूज्य स्वामी विवेकानन्द के साथ ही महर्षि दयानन्द जी का भी चित्र लगाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

आपका चित्र लगा हुआ है या नहीं लगा है ?

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे प्रश्न पर आइये, स्वामी जी आज बहुत सारे प्रश्न हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सीधे प्रश्न पर आयें।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

ठीक है, मान्यवर मैं सीधे प्रश्न पर आ रहा हूँ। आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं ऊर्जावान, ऊर्जा मंत्री जी से विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने का गोल्डेन चांस दिया है। मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बहुत ही विद्वान मंत्री हैं मैं इनकी बहुत कदर करता हूँ, कर्मठ भी हैं और लगनशील भी हैं। परन्तु मा0 मंत्री जी की तेजस्वी कर्मठता बिजली उत्पादन में कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो

रही है। हमारे यशस्वी, तेजस्वी पी0डी0ए0 के संस्थापक माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जितना बिजली उत्पादन मिला था उसको दोगुना कर दिया था। मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से पहला अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका टेलीफोन वाइब्रेट हो रहा है, क्या आपका टेलीफोन वहां पर रखा है ?

इनका फोन ले लिया जाए।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, साइलेंट है।

श्री अध्यक्ष-

साइलेंट के कारण ही वाइब्रेट हो रहा है जिसके कारण परेशानी हो रही है। इनका फोन जब्त करके मेरे ऑफिस में रख दिया जाए।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री जी से पहला अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मैंने जिन 4 बिजलीघरों, मनोटा, त्रिपुरी, बास्टा चांदपुर व शादीपुर बनवाने के प्रस्ताव शासन को भिजवाये थे, यह प्रस्ताव मैंने स्वयं चेयरमैन विद्युत विभाग लखनऊ को दिए थे, जो बिजलीघर बनने के नॉर्म्स पूरे करते हैं। क्या यदि मा0 ऊर्जा मंत्री महोदय उन चारों बिजलीघरों को बनवायेंगे, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ? दूसरा प्रश्न मेरा है कि क्या मा0 ऊर्जा मंत्री मेरे क्षेत्र में जहां भी विद्युत लाइनें जर्जर होकर लटक रही हैं उन गांवों में लाइनें बदलवाने की प्रभावी कार्यवाही करवायेंगे ? मेरी विधान सभा क्षेत्र-23, चांदपुर में बिजलीघर बागड़पुर, बास्टा, जलीलपुर, लगुपुरा व सिसोना ओवरलोड चल रहे हैं। आए दिन इन बिजलीघरों पर किसान धरना-प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या मा0 ऊर्जा मंत्री इन पाँचों बिजलीघरों को उच्चीकृत कर किसानों की समस्या को दूर करने का कार्य करेंगे ?

डा0 संग्राम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने की इजाज़त दी। मान्यवर, हम सीधे-सीधे बिजली मंत्री जी से जानना चाह रहे थे कि क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती विद्युत माँग की अपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन हेतु नये पावर स्टेशन की स्थापना कर विद्युत उत्पादन बढ़ाकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं अतिभारित बिजली घरों को उच्चीकृत करने की कार्य योजना सरकार ने बना ली है। बिजली मंत्री जी ने बड़े विस्तार से अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेकिन हम जो सीधा प्रश्न पूछना चाह रहे थे कि क्या सरकार नये पावर स्टेशन की स्थापना करने पर विचार कर ही है ?

जो अतिभारित क्षमता वाले हैं क्या उसकी क्षमता बढ़ाकर सही तरीके से बिजली देने का प्रयास कर रही है। तो माननीय बिजली मंत्री जी ने पूरा डीटेल दिया कि हमने एम0ओ0यू0 कर लिया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2023 में ओबरा, जितना भी हो सकता था उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हम सीधा प्रश्न कर रहे हैं और मंत्री जी अगर सीधा उत्तर दें तो हमें दायें-बायें जाने की क्या जरूरत है ? मंत्री जी को उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों से बड़ी दिक्कत है। मंत्री जी अपना गांव संभाल नहीं पा रहे हैं। जो लोग पचासों साल से अपना गांव संभालें हैं। उन गांव के बारे में इनको ज्यादा चिन्ता रहती है। मैं तो प्रार्थना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, मंत्री जी को भी निर्देशित करें कि अपना गांव तो ठीक कर लें। ताकि गांव के लोग भी इनका उसी तरह से सम्मान करें जैसे हम लोगों के गांव के लोग बहुत दिनों से हम लोगों का सम्मान करते हैं। मान्यवर, सीधा उत्तर दिला दें। अपना तो बुरी तरह से हारे हैं, जमानत जब्त है।

श्री अध्यक्ष-

जो पूछा है उसी का उत्तर दीजिए। अखिलेश जी आप पूछिये।

श्री अखिलेश-

धन्यवाद अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से कई बार विधान सभा के अन्दर भी और विभाग को भी लिखित तौर पर आपने निर्देशित किया है। जो बिजली सप्लाई का शिड्यूल है। जिला केन्द्रों पर 24 घण्टे, तहसील पर 20 घण्टे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके लिखित निर्देशों के बावजूद शिड्यूल के अनुसार आज भी बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आपूर्ति अधिक होने के कारण, उत्पादन कम होने के कारण अगर यह संकट पैदा हुआ है, तो क्या माननीय मंत्री जी नये पावर स्टेशन बनाने का कष्ट करेंगे ? दूसरा प्रश्न बुनकर समाज के लोगों का इसी बिजली से सम्बन्धित है। पहले पावरलूम पर 72 रुपये प्रति पावरलूम बिजली की बिलिंग होती थी। नये ऊर्जा मंत्री जी ने 400 रुपये प्रति पावर लूम के हिसाब से बिलिंग बना दिया। हालत यह है कि आज बुनकरों का कारोबार, पावर लूम का कारोबार पूरी तरीके से घाटे में चल रहा है। जिसकी वजह से उनके कारखाने बन्द हो गये और तमाम लोग अपना कारखाना बन्द करना चाहते हैं। पी0डी0 कराना चाहते हैं, लेकिन विभाग के लोग उनकी पी0डी0 नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते बुनकर समाज को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से हमारा अनुपूरक है कि क्या अपने विभाग को बुनकरों की सुविधाओं के लिए सरल भाव से पी0डी0 कराने के लिए निर्देशित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, सबका जवाब एक साथ दे दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मूल बात पर थोड़ी देर में आता हूँ। माननीय सदस्य ने जिन विद्युत केन्द्रों की बात की अगर वह स्पेसिफिक लिखित में हमें मिल जायेगा तो हम उनको दिखवा लेंगे, उसे स्वीकृत करने का और नया बनाने का जो भी आपका सुझाव था। आपने हमको इतना सम्मान दिया है मेरा कर्तव्य है कि आपकी मदद करूं।

श्री अध्यक्ष-

आप स्वामी जी के लिए कह रहे हैं। बाकी के लिए तो नहीं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

हां जी। माननीय अध्यक्ष जी, यहां कहा गया कि ये लोग अपने गांव का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम अपने गांव का ध्यान नहीं रखते हैं। यह बात तो सही है, क्योंकि मुफ्त बिजली सप्लाई हम अपने गांव में नहीं करते हैं।

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने बोला तब मंत्री जी खड़े नहीं हुए थे। जो भी बैठकर बोलेंगे वह माइक पर सुनाई देगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ समान व्यवहार करने वाली पार्टी है। चाहे वह बिजली मंत्री हो, चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। गोरखपुर में भी उसी भाव में जाती है बनारस में भी उसी भाव में जाती है और मऊ में भी उसी भाव में जाती है। हम भेद-भाव नहीं करते।

हम भेद-भाव नहीं करते हैं। दूसरी बात अगर आप अपने जिले अपने गांव का बहुत अच्छा ध्यान रख लेते हैं तो मा0 शिवपाल जी को वहां क्यों जाना पड़ता इलेक्शन लड़ने के लिए आप उनको क्यों बुलाते हैं ? आप ऐसी बातें मत कहा करिये। दूसरा एक असत्य बात कही जाती है, मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब कहना पड़ेगा। मैं जबसे विद्युत मंत्री बना हूँ तबसे यह असत्य भाषण सुन रहा हूँ कि मा0 अखिलेश जी के जमाने में बहुत सारे पावर प्लाण्ट बने, इस सरकार ने एक भी नहीं बनाया, यह आपका मूल प्रश्न है, आपका मुख्य मुद्दा है।

मैं आपको बताऊं मा0 अखिलेश जी ने जवाहरपुर और ओबरा-सी का शिलान्यास वर्ष 2017 के चुनाव के मात्र एक महीने पहले हेलीकाप्टर से जाकर पत्थर रखा था और एक ही

जगह से दो-दो बड़ी प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया। इनके पास इतना टाइम नहीं था कि एक बार जवाहरपुर में रख लेते और एक बार ओबरा-सी में जाकर रख लेते। जवाहरपुर में 22 दिसम्बर, 2016 को आचार संहिता लगने में एक महीना बचा था तब जाकर उन्होंने आधारशिला रखी थी। जिस पावर प्लाण्ट की आप रोज बातें करते हैं कि हमने बनाया। आपने तो आधारशिला रखी थी वैसे ही आचार संहिता लग गयी और चुनाव लड़े और हार गये। मा0 योगी जी की सरकार ने फिर उसको बनाया और आपने खाली बस दिखाने व जनता को गुमराह करने के लिए ही किया। मैं उस समय पी0एम0ओ0 में नौकरी करता था और मैं रोज सुनता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी इतना सारा शिलान्यास क्यों कर रहे हैं, क्योकि उनको मालूम था कि बनाना तो हमको है नहीं सरकार तो वापिस आनी ही नहीं है। हमने जो काम किया है मैं उसको आपको बता देता हूँ। आपने जो खाली पत्थर रखकर अपना पीछा छुड़ा लिया था उस जवाहरपुर को हम इस महीनें जा करके फुल कमीशन करने की स्थिति में आ गये हैं। सात साल की मशक्कत के बाद ओबरा-सी 660 मेगावाट का पांच दिन पहले ही फुली कामर्शियली आपरेशन हो गया है। उसके अलावा पनकी में 660 मेगावाट का हम लोग बहुत जल्दी 2024 में कमीशन करने वाले हैं।

घाटमपुर में 660 मेगावाट का कमीशन करने वाले है और उसके उपरान्त आप कह रहे थे कि नया आपने क्या किया है ? तो नया हमने यह किया है कि ओबरा में ओबरा-डी नाम का थर्मल पावर प्लाण्ट की 800 मेगावाट की दो यूनिटें कुल 1600 मेगावाट हम एन0टी0पी0सी0 की सहायता से लगाने के लिए मंत्रि-मण्डल की मंजूरी ले चुके हैं। उसी प्रकार से दो यूनिट अनपरा में लगाने के लिए एन0टी0पी0सी0 के सहयोग से सर्वे तैयार है और सर्वे करके बहुत जल्दी हम उसकी भी मंत्रि-मण्डल से मंजूरी ले लेंगे और धरातल पर उसका काम करना शुरू कर देंगे। आपका पूरा जो 70 साल का बिजली उत्पादन था। यह हम जो योग बता रहे हैं उसमें पूरा हो जायेगा और उससे ज्यादा ही हो जायेगा। मेजा में 800 की तीन यूनिट लगाने के लिए हम प्रक्रिया कर रहे हैं। उसके उपरान्त 6800 मेगावाट की सोलर पावर की हमारी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और 1200 हजार मेगावाट का पम्प स्टोरेज का प्रोजेक्ट जो है वह भी पाइपलाइन में है। वर्तमान में बिजली की माँग बढ़ रही है हम उसके प्रति संवेदनशील हैं और जब आपने जितने पैसे पर बिजली खरीदने का एम0ओ0यू0 अपनी सरकार में किया था। मैंने कहा था कि जो बबूल बोया है उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, उसमें से एक बबूल यही था कि आपने बहुत ही ऊँची कीमतों पर कम्पनियों से करार किये थे। उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने के लिए हमने उससे आधी कीमतो पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए हमने 500 मेगावाट का अनुबन्ध कर लिया है, 3000 मेगावाट टोटल खरीदना है और 2000 मेगावाट और खरीदेंगे।

प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित नगरों में विकास कार्यों के विवरण विषयक

***4-ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत चयनित नगरों में विकास कार्यों हेतु वर्तमान तक नगरवार कितनी धनराशि स्वीकृत हुयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त नगरों में अभी तक इस योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा इसके सापेक्ष कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2015 से कार्यान्वित स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 04 चरणों में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। चयनित शहरों में विकास कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि की नगरवार प्रगति रिपोर्ट निम्नवत् है :-

(रु0 करोड़ में)

क्र0 सं0	शहर	अवमुक्त धनराशि (ए0 एण्ड ओ0ई0 सहित)	व्यय धनराशि	कुल स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लखनऊ	980.00	877.42	76	51	67.11%	89.53%
2	वाराणसी	980.00	903.90	58	57	98.28%	92.23%
3	आगरा	980.00	930.12	38	37	97.37%	94.91%
4	कानपुर	980.00	896.67	72	68	94.44%	91.50%
5	प्रयागराज	980.00	852.87	119	100	84.03%	87.03%
6	अलीगढ़	980.00	830.38	37	29	78.38%	84.73%
7	झांसी	980.00	900.84	66	59	89.39%	91.92%
8	बरेली	980.00	879.02	65	64	98.46%	89.70%
9	सहारनपुर	857.50	687.43	102	35	34.31%	80.17%
10	मुरादाबाद	869.75	798.75	37	27	72.97%	91.84%
योग :		**9567.25**	**8557.40**	**670**	**527**	**78.66%**	**89.44%**

उक्त के अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर उ0प्र0 सरकार द्वारा सितम्बर, 2019 में राज्य के शेष 7 शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है। चयनित शहरों में विकास कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि की नगरवार प्रगति रिपोर्ट निम्नवत् है :-

(रु0 करोड़ में)

क्र0 सं0	शहर	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि	पूर्ण कार्य	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	वित्तीय प्रगति का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अयोध्या	163.81	116.73	50.71	13	1	8%	43.44%
2	फिरोजाबाद	88.57	61.31	36.66	7	1	14%	59.79%
3	गोरखपुर	106.96	68.43	38.92	8	1	13%	56.88%
4	गाजियाबाद	145.71	72.63	27.33	10	3	30%	37.63%
5	मथुरा-वृन्दावन	136.52	94.94	53.74	11	1	9%	56.60%
6	मेरठ	104.65	57.02	27.00	7	1	14%	47.35%
7	शाहजहाँपुर	77.86	62.36	42.36	8	2	25%	67.93%
योग :		**824.07**	**533.42**	**276.72**	**64**	**10**	**16%**	**51.88%**

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर पूछने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी डेवलप की जा रही हैं उसका बेसिक कान्सेप्ट और टेक्नोलॉजी है कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे कि उस सिटी का हेल्थ सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम, स्कूल, हास्पिटल, अरबन फारेस्ट्री और इन्वायरमेण्ट को कैसे बेहतर करेंगे। मैं जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिशन की वेबसाइट पर गया तो विभाग ने वह सारी चीजें अपनी वेबसाइट पर दिखा रखी हैं, लेकिन मैं जब इसकी हकीकत देखने गया तो अलग स्थिति है। हर दिन न्यूज पेपर में इसकी असलियत खुलती हुई नजर आती है। इन न्यूज पेपर्स की हेडिंग है कि स्मार्ट सिटी में पानी भरा है, सात साल में स्मार्ट नहीं हो पाये प्रदेश के दस शहर, चार माह में टूटी सड़कें, करोड़ों खर्च करके भी

परफार्मेन्स पार्क बनना शुरू नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम पर घटिया काम कैसे बहेगा नाली में पानी, तो इस तरह ऐसी अनेक खबरों से न्यूज पेपर में बदनामी हो रही है। लोक सभा में 21 दिसम्बर, 2023 को 299 नम्बर का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आदरणीय केन्द्रीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि यू0पी0 की स्मार्ट सिटीज पर 21000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आज पूछे गये मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या-81 में जवाब दिया गया है कि सिर्फ जलभराव पर 1000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। मेरे इस तारांकित प्रश्न में जो उत्तर आया है उसमें वित्तीय प्रगति और भौतिक प्रगति में काफी अन्तर है। फाइनेन्सियल प्रगति बहुत आगे बढ़ गई है। शायद उसमें एडवान्स पेमेण्ट करना पड़ा होगा, हो सकता है कि एडवान्स पेमेण्ट जरूरी हो, क्योंकि प्रगति तेज करनी पड़ी होगी, लेकिन एडवान्स पेमेण्ट करने के बावजूद यह 07 साल में कम्प्लीट नहीं हो पाया। लखनऊ में 90 परसेण्ट वित्तीय प्रगति है, लेकिन भौतिक प्रगति सिर्फ 67 परसेण्ट है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक पर इतना समय देना सम्भव नहीं है। तीन मिनट होने जा रहे हैं।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक मिनट में समाप्त कर दूँगा। अयोध्या में 43 परसेण्ट वित्तीय प्रगति है और भौतिक प्रगति सिर्फ 08 परसेण्ट है। मैं फिरोजाबाद से आता हूँ वहां पर 60 परसेण्ट वित्तीय प्रगति और भौतिक प्रगति सिर्फ 14 परसेण्ट है। गोरखपुर में यह 60 परसेण्ट के मुकाबले सिर्फ 13 परसेण्ट है। ऐसी प्रगति के साथ हमारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पर हमने 21000 करोड़ रुपये सेण्ट्रल से लिये हैं। आदरणीय मंत्री जी, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। वह इसलिये सौभाग्यशाली हैं कि इतना पैसा कभी सेण्ट्रल ने स्टेट को सिटीज के सुधार के लिए नहीं दिया है। मेरे तीन अनुपूरक हैं। जहां पर वित्तीय प्रगति और भौतिक प्रगति में काफी ज्यादा अन्तर हैं, तो क्या सरकार वहां की जाँच बैठाकर उसकी सही स्थिति पता करेगी और अगर पता करेगी तो कब तक और नहीं करेगी तो क्यों नहीं ? मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है इनकी वेबसाइट पर वेस्ट मैनेजमेण्ट, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई को लेकर जो मानक दिये गये हैं, तो क्या सरकार विधान सभा की किसी कमेटी से टाप-3 सिटी की किसी भी एक मानक में ऑडिट कराने का कष्ट करेगी और अगर करेगी तो कब तक और नहीं करेगी तो क्यों नहीं ? तीसरा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने की जो नई डेडलाइन जून, 2024 की आई है तो यदि इस डेडलाइन तक स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं होते हैं, तो जो बड़े अधिकारी हैं और जो नगर आयुक्त हैं, जो इसको हेड कर रहे हैं तो क्या सरकार उनका सस्पेंशन लेटर जारी करेगी, अगर करेगी तो कब तक और अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सामने बैठे लोगों को क्या हो गया है ? समझ में नहीं आता है। यह अयोध्या गये और अयोध्या में भगवान राम को देखा होता, चौड़ी सड़कें देखी होती, अच्छी लाइटें देखी होती, स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है, वह देखा होता। आपको भौतिक प्रगति वहां पर नहीं दिखाई दी।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

मैंने अयोध्या जाकर मेडिकल कालेज देखा। वहां पर शौचालय चोक पड़े थे और लोग बोतल लेकर खेतों में जा रहे थे। वहां पर आपके मेडिकल कालेज की यह स्थिति थी।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आपको वही दिखाई दे रहा है। बाकी जिसको राम दिखाई दे रहा है, उसको राम दिखाई दे रहा है। वहां पर राममय है। आपने अगर निर्णय कर लिया है कि हमको वही देखना है तो आप देखते रहिये।

ई0 सचिन यादव उर्फ जखई-

मान्यवर, मैं वहां पर मेडिकल कालेज गया हूँ। आप बतायें कि क्या आपके हिसाब से किसी मेडिकल कालेज जाना गलत बात है ?

श्री अध्यक्ष-

आपस में डिबेट मत करिये। यह मेडिकल कालेज से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। सचिन जी आप सेन्सबल हैं, प्लीज बैठिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आपको अन्धकार में ही रहना है, प्रकाश नहीं देखना है, तो देखते रहिये। यह आपकी मर्जी है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जहां तक भौतिक और वित्तीय प्रगति की बात की है, तो सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि काम चलता रहता है। जैसे अयोध्या की ही बात करें तो सभी लोग कामों में इतना व्यस्त थे कि उसका लेखा-जोखा काउण्ट करना बाद में होता रहेगा।

दूसरी बात अयोध्या केन्द्र की सिटी में नहीं है वह 10 सिटी में नहीं आता है। अयोध्या दूसरी टेबल में आता है। आप देखेंगे तो हमने उसमें लिखा भी है कि केन्द्र के दस महानगरों की घोषणा वर्ष 2015 में हुई थी जिनकी लिस्ट हमने दिया है और अयोध्या की घोषणा वर्ष 2019 में हुई थी वह राज्य सेक्टर की स्मार्ट सिटी है और इसमें बहुत अच्छे से काम चल रहा है। जहां तक भौतिक और वित्तीय सामंजस्य की बात है, स्वाभाविक बात है जब काम हो जाता है तो उसका बिल और वाउचर बनना शुरू होता है। कुछ काम अधूरे में भी जैसा कि आपने कहा है कि स्टार्ट करने के लिए कुछ एडवांस मनी दी जाती है यह सारी की

सारी चीजें और सरकार का जो पैसा है उसे बहुत जिम्मेदारी के साथ खर्च किया जाता है। इसे ऑडिट करने की व्यवस्थाएं हैं, जिसे कॉम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल ऑडिट करते हैं फिर इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार स्मार्ट सिटी के सारे कार्यक्रम पर नजर रखती है तथा ध्यान रखती है, इसलिए एक टेबल देखकर कहीं भी यह मानना कि यहां गड़बड़ हुआ है वह उचित नहीं है। दूसरी बात जून, 2024 तक जो टाइम लिमिट है उसमें सारे काम पूरे करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद अगर काम नहीं होता है तो सीधा सस्पेंशन नहीं होता है। भारत सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनीटर कर रही है। कहीं किसी कारण से अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसको हम लोग देखेंगे और आपको मैं निश्चिन्त करता हूँ कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश जी-20 के आयोजन के समय पूरी दूनिया ने उत्तर प्रदेश के नगरों की प्रशंसा किया है तथा जिस प्रकार अयोध्या में देश और दुनिया से आये हुए लोगों ने अयोध्या की प्रशंसा की है, उसमें उत्तर प्रदेश के सभी नगरों को, सभी शहरों को हम लोग स्मार्ट बनाकर जनता के चरणों में रख देंगे।

प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में

***5-डॉ0 अजय कुमार-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली के स्मार्ट मीटर के तेज चलने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं से मनमानी बिल वसूली की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में कितने स्मार्ट मीटर लगाये गए एवं मीटरों के तेज चलने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? क्या सरकार उक्त शिकायतों के निराकरण हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आधुनिक युग में तकनीकी विकास के फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में कार्य करने में सुविधा उत्पन्न हुई है। स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ता एवं सेवाप्रदात्ता दोनों को ही अनेक प्रकार की सुविधायें मिलती हैं। स्मार्ट मीटर के तेज चलने की शिकायत अपवाद स्वरूप है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 23,439 स्मार्ट मीटर लगाये गये हैं तथा अद्यतन कुल 12,04,049 स्मार्ट मीटर स्थापित हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्मार्ट मीटर तेज चलने की कुल 777 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से जाँच के उपरान्त मात्र 28 शिकायतें ही सही पायी गयीं, जोकि कुल स्थापित स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष नगण्य हैं। उक्त 28 शिकायतों में मीटर को बदलकर बिलों को ठीक करा दिया गया।

यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर संदेह होता है तो उपभोक्ता द्वारा अनुरोध करने पर चेक मीटर लगाकर स्थापित स्मार्ट मीटर की जाँच की जाती है। किसी कमी के परिलक्षित होने पर मीटर को 15 दिनों के भीतर नये मीटर से बदलते

हुए उस माह के, जिसमें शिकायत प्राप्त हुई, से पूर्व तीन माह का बिल अन्तिम परिणाम के अनुसार पश्चात्वर्ती बिल में समायोजित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, विद्युत विभाग के जो मीटर हैं यह बहुत तेज चलते हुए पाये जाते हैं, इस सवाल पर आपने सवाल उठाने का मुझे मौका दिया है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, विद्युत विभाग जन-जन से जुड़ा विभाग है, लेकिन उपभोक्ता विद्युत विभाग की कारगुजारियों से पूरी तरह से त्रस्त हैं। आये दिन भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं और हम लोगों के पास कोई न कोई उपभोक्ता आये दिन शिकायत लेकर मिलते रहते हैं। इससे मैं ही नहीं सभी साथीगण भी सहमत होंगे। बिजली बिलों से बहुत परेशानी होती है। बिजली की कितनी समस्याएं हैं चाहे जर्जर तार हों, टूटे खम्भे हों, चाहे फुंके ट्रांसफार्मर हों वह कई-कई दिन बाद बदले जाते हैं। तेज मीटर पर जहां तक मैं अपने मूल प्रश्न पर आऊँ तो तेज मीटर चलने की माननीय मंत्री जी ने अपने आँकड़े बताये हैं। मेरे पास कुछ आँकड़े उपलब्ध हैं जिसे मैं देखकर बताना चाहता हूँ वह सरकारी आँकड़े हैं, जिसमें वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक के आँकड़े हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र की बात आपको बता रहा हूँ। वाराणसी में कुल शिकायतों के 1512 आवेदन प्राप्त हुए और 1457 आवेदनों की जाँच की गई। उनमें से 1238 मीटर सामान्य चलते हुए मिले और 16 मीटर धीमे चलते मिले तथा 158 तेज चलते हुए पाये गये। पूर्वांचल डिस्कॉम के अगर मैं 21 जिलों के आँकड़े प्रस्तुत करूं।

श्री अध्यक्ष-

आप तो पश्चिम से हैं।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। इसमें 9761 आवेदन प्राप्त हुए और इसमें 8975 आवेदनों की जाँच की गई। उसमें से 6934 मीटर समान्य रूप से चलते हुए मिले। 74 मीटर धीमे चलते हुए मिले। आश्चर्यजनक रूप से मैं इस सदन को बताना चाहता हूँ कि 1967 मीटर तेज चलते हुए पाये गये हैं। यानि कि 8900 मीटरों में से जिनकी जाँच की गई उसमें 1900 मीटर पाये गये यह तो 20 प्रतिशत से भी अधिक हुआ। आप कहते हैं कि यह नगण्य है।

मा0 मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या तेज मीटर चलने के फलस्वरूप त्रुटिरहित बिल निर्गत कराने के समुचित प्रयास करेंगे। यदि हाँ तो वह कब से करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो मीटर तेज चलते पाये जाते हैं आप जो चेक मीटर लगाते हैं उसमें एक शुल्क लगाते हैं, क्योंकि गलती उपभोक्ता की नहीं है वह परेशान होता है। वह विभाग के

दस-दस चक्कर लगाता है और फिर उसका मीटर गलत चलता पाया जाता है, तो क्या उसका शुल्क वापस किया जायेगा ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की चिन्ता वाजिब है, लेकिन इन्होंने जो आँकड़े बोले हैं, वह ठीक नहीं हैं ?

डॉ0 अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकारी आँकड़े हैं। मैं इसको सदन के पटल पर रख दूँगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मैं आश्वासन समिति का चेयरमैन हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने पटल पर रखा है। आप आँकड़े मुझे दे दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जब मुझे यह आँकड़े मिल जायेंगे तो मैं दिखवा लूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 सदस्य ने प्रश्न किया है अगर इस समस्या का वास्तव में कोई सॉल्यूशन है तो वह स्मार्ट मीटर ही है। लेकिन स्मार्ट मीटर में कहीं तेज चलने या धीमा चलने की शिकायत है तो उसे हम दिखवा लेंगे और उसको ठीक करने की मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ। स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य हम लोग इसी अप्रैल से शुरू कर रहे हैं और तीन साल के अन्दर बिलिंग की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जायेगी। तीन साल के अन्दर हम सारे स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा देंगे और इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जायेगा। मान्यवर, जहाँ शिकायत आती है उनकी हम चेकिंग कराते हैं। स्मार्ट मीटर के तेज चलने की जो मेरे पास फिगर है उसमें 2022-23 में 23439 स्मार्ट मीटर लगाये गये हैं तथा आज तक कुल 1204049 स्मार्ट मीटर लगाये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्मार्ट मीटर तेज चलने की कुल 777 शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। इनमें से जाँच के उपरान्त मात्र 28 शिकायतें ही सही पायी गयीं, जिसको मैंने कहा है कि नगण्य हैं, क्योंकि प्वाइंट जीरो, जीरो लिखना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने नगण्य शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी अगर मा0 सदस्य के संज्ञान में कोई समस्या है तो हमारे ध्यान में लायेंगे तो उसका निराकरण हो जायेगा।

प्रदेश में विद्युत वितरण निगम में संविदा कर्मचारियों के वेतन एवं विभागीय कार्य के दौरान मृत्यु होने की दशा में अनुग्रह राशि में वृद्धि के सम्बन्ध में

***6-श्री राम सिंह पटेल-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण निगम में लाइनमैन व अन्य तकनीकी पदों पर संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने एवं

विभागीय कार्य के दौरान मृत्यु होने की दशा में मिलने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि आउटसोर्स कार्मिकों को मजदूरी का भुगतान श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। श्रमायुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षित किये जाने पर तद्नुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भी पुनरीक्षित दरें लागू कर दी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कारपोरेशन के आदेश सं0-951/एस0इ0ए0सी0/पाकालि/2023, दिनांक 08-11-2023 द्वारा राजस्व (थ्रू-रेट) में वृद्धि के आधार पर आउटसोर्स कार्मिकों को परफार्मेन्स इन्सेन्टिव देने की व्यवस्था (प्रोत्साहन योजना) लागू की गयी है।

प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पात्र पाये गये उपकेन्द्रों के संविदा कार्मिकों को परफार्मेन्स इन्सेन्टिव के तौर पर माह में मिलने वाले पारिश्रमिक पर वर्ष 2024-25 में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की राशि दी जायेगी। पुनः यदि उन्हीं उपकेन्द्रों पर वर्ष 2024-25 के सापेक्ष आपूर्ति की गयी विद्युत के सापेक्ष राजस्व (थ्रू-रेट) में वृद्धि होती है तो वर्ष 2025-26 में प्रतिमाह 10 प्रतिशत की राशि अतिरिक्त (अर्थात् कुल 20% इन्सेन्टिव) दी जायेगी।

विभागीय कार्य के दौरान मृत्यु होने की दशा में मिलने वाली अनुग्रह राशि को कारपोरेशन के आदेश सं0-3000-औ0सं0/2023-19 (125) ए0एस0/01, दिनांक 30-06-2023 द्वारा रुपया 05 लाख से बढ़ाकर रुपया 7.50 लाख कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री राम सिंह पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से दो छोटे-छोटे अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि विभाग में लाइनमैन व अन्य संविदा कर्मियों की नियुक्ति प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा शत-प्रतिशत देने की पारदर्शी व्यवस्था करेंगे ? दूसरा अनुपूरक यह है कि क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि ड्यूटी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु की दशा में परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को दस लाख करने पर विचार करेंगे ? मा0 अध्यक्ष जी, एक छोटी सी जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में सुनाही विद्युत उपकेन्द्र है। अभी दिनांक 14-12-2023 को एक लाइनमैन जो विगत 3-4 महीने से कार्यरत था, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और विद्युत विभाग उससे कार्य तो ले रहा था लेकिन मृत्यु के उपरान्त विद्युत विभाग ने यह कहते हुये पल्ला झाड़ लिया कि यह लाइनमैन हमारे सुनाही विद्युत उपकेन्द्र में तैनात ही नहीं था।

जबकि पूरे क्षेत्र में सबको पता है कि वह लाइनमेन सुनाही विद्युत उपकेन्द्र में तैनात था और उससे लगातार काम लिया जा रहा था। वह गरीब परिवार से था। आज उसका पूरा परिवार भूखों मरने की दशा में है। मैं मा0 मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि वह इस प्रकरण की जानकारी कर लें और उस परिवार की कुछ आर्थिक सहायता हो जाये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैं स्वयं इस विषय को लेकर बहुत संवेदनशील हूँ। हमारा कर्मचारी खम्भे पर चढ़कर तार बनाता है, लेकिन पीछे से सब-स्टेशन से लाइन चालू कर दी जाती है और वह कर्मचारी वहीं पर ही झुलस जाता है। मेरे कार्यकाल में ऐसा दृश्य 2-3 जगह पर आया है। यह बहुत ही दर्दनाक एवं कष्टप्रद मामला है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने इस समस्या को पिछले डेढ़ वर्षों में मानवीय एवं तकनीकी दोनों उपाय करके थोड़ा कम करने की कोशिश की है, लेकिन अभी समस्या दूर नहीं हुई है, यह समस्या अभी है। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस समस्या को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मा0 सदस्य ने स्पेसिफिक लाइनमैन की बात की है। इस सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं देखूंगा और हम उनकी मानवीय आधार पर क्या मदद कर सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर आप सबके संज्ञान में कहीं पर यह आता है कि हमारे सरकारी कर्मचारी गैर-सरकारी लोगों से काम करा रहे हैं, तो आप हमारे संज्ञान में लाएं और मैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है और कई जगहों पर हमारे संज्ञान में आ रहा है कि जो व्यक्ति पगार ले रहा है उसने अपने नीचे एक सामान्य व्यक्ति को रखा हुआ है और उसको लाइन पर चढ़ा देता है। स्वाभाविक रूप से यह गलत बात है और ऐसा कहीं संज्ञान में आए तो हमारी संज्ञान में जरूर लाया जाए। मा0 सदस्य ने मुआवजा बढ़ाने की बात कही है। मैं इसके सम्बन्ध में बताना चाहूँगा कि मैंने अपने कार्यकाल में पिछले 30 जून, 2023 को जो 5 लाख रुपये मुआवजा मिलता था उसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया है।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने एवं प्रदेश में जैविक ऊर्जा उद्यम को स्थापित किये जाने विषयक

***7-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सरकारी क्षेत्र में स्थापित इकाइयों एवं निजी क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की उत्पादन क्षमता कितनी है ? क्या सरकार ने इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा प्रदेश में जैविक ऊर्जा उद्यम स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु सरकारी क्षेत्र में स्थापित इकाइयों एवं निजी क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों की उत्पादन क्षमता निम्नवत् है :-

सौर ऊर्जा परियोजना (कमिशन्ड) (क्षमता मेगावाट में)

	कुल क्षमता	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
यूटिलिटी स्केल	2258	586	1672
रूफटॉप	339	145	194

इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता निम्नवत् है :-

सौर ऊर्जा परियोजना निर्माणाधीन (क्षमता मेगावाट में)

	कुल क्षमता	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
यूटिलिटी स्केल	6713	5223	1490
रूफटॉप	221	5	216

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति-2022 के अनुसार पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक 7 पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनकी क्षमता 10830 मेगावाट है।

जी हां।

प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 एवं जैव ऊर्जा उद्यम स्थापित करने एवं क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 प्रख्यापित की गई है। दोनों नीतियाँ यूपीनेडा की वेबसाइट यूपीनेडा डॉट ओआरजी डॉट इन पर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, मेरा प्रश्न वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी के सम्बन्ध में था। मेरे प्रश्न के उत्तर से पता चलता है कि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अभी तक सरकारी क्षेत्र का उत्पादन निजी क्षेत्र से बहुत कम है। इसलिए सरकारी क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन बढ़ाये जाने की बहुत आवश्यकता है। मेरे उत्तर के द्वितीय भाग में सरकारी क्षेत्र में सम्भावित उत्पादन निजी क्षेत्र से अधिक रहने की सम्भावना जताई गयी है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला अनुपूरक करना चाहता हूँ कि मेरे उत्तर के द्वितीय भाग में वर्ष 2022 से शुरू बताई गयी परियोजनाएं कब तक ऊर्जा उत्पादन करने लगेंगी ? इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत

से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के गरीब ई-वाहन चालकों के लिए सरकार वैकल्पिक ऊर्जा संचालित चार्जिंग स्टेशन बनायेगी ? क्योंकि दिक्कत बहुत हैं, उनके पास रिक्शे हैं, लेकिन चार्जिंग की बहुत दिक्कत है। क्या सरकार चरणबद्ध तरीके से समस्त सरकारी कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुरूप क्षमता वाले सोलर प्लाण्ट से आच्छादित करेगी ? माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार वैकल्पिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य के अलावा जल, पवन, भू-ताप, जैव ईंधन आदि से भी बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगी ? माननीय मंत्री जी, आप काबिले एहतराम हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार प्रदेश में प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ बस्तियों को सौर ऊर्जा ग्राम घोषित कर उन्हें सौर ऊर्जा से आच्छादित करेगी ? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार सौर ऊर्जा चलित ट्रैक्टर, कार या रिक्शा आदि के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की योजना बनायेगी ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आपके समय में सौर ऊर्जा का उत्पादन निल होता था, कुछ था ही नहीं। आपने सूरज देखा ही नहीं है, क्योंकि आप रोशनी देखना ही नहीं चाहते हैं। अब जो भी उत्पादन हुआ है, वह इधर के हाल ही के सालों में हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत जल्द सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश में एक अग्रणी राज्य बनकर खड़ा हो जायेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपके प्रश्नों में से इस प्रश्न के साथ शुरुआत करता हूँ कि क्या सौर ऊर्जा ग्राम बनाये जायेंगे। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने अयोध्या सोलर सिटी बना दिया है। हमने शुरुआत भगवान श्रीराम के चरणों से की है, तो स्वाभाविक बात है और बेहतर सफलता मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आप कभी अयोध्या के सर्किट हाउस जाइयेगा, अगर आपको इस बात में रुचि हो। सर्किट हाउस, अयोध्या के ऊपर जो सरकारी भवन है। उनके ऊपर सौर ऊर्जा संयंत्र लगने चाहिए और उसके लगने की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या के सर्किट हाउस में आप जाकर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, 14 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन अयोध्या में होने लगा है, 40 मेगावाट का प्लाण्ट लग चुका है बाकी 40 तक पहुंचने में थोड़ा-सा समय लगेगा। अयोध्या में और सोलर सिटी में हमने जो काम किये हैं उसमें लगभग 2500 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें सौर ऊर्जा से संचालित होने लगी हैं। आपने ट्रैक्टर की बात की है, अयोध्या में ऑलरेडी सोलर बोट के संचालन का शुभारम्भ मा0 मुख्य मंत्री ने करा दिया है। अयोध्या में कई जगह वाटर एटीएम संचालित हैं। आप अयोध्या विशेषकर शाम के वक्त जाएंगे तो लगभग

40 चौराहे ऐसे हैं जहां सोलर ट्री लगाये गये हैं और उनका प्रकाश सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। इस प्रकार अयोध्या को हमने ग्राम सोलर सिटी बना दिया है। आपने पूछा है कि क्या रूफटॉप पर ध्यान दिया जायेगा ? यस, बिल्कुल दिया जायेगा। राम का हो गया तो महादेव का भी होना चाहिए, वाराणसी में 25 हजार रूफटॉप लगाने का मा0 प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिया। जिस दिन वे अयोध्या से वापस गये, दिल्ली से तुरन्त हमको निर्देश मिला कि भगवान राम के ईष्ट शिव हैं, उनकी याद में सोलर का काम करना है, इसलिए बनारस में 25000 रूफटॉप लगना चाहिए, वहां भी इसकी शुरुआत हो गयी है। स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, देखिए, अयोध्या केवल पौराणिक नगर ही नहीं, दुनिया का एक सबसे आधुनिक नगर भी बनकर उभर रहा है, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उसी लाइन पर राज्य के पहले हम 17 महानगरों को लेंगे और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे। दूसरा सवाल आपने चार्जिंग स्टेशन का किया है, चार्जिंग स्टेशन हमारे ध्यान में है, यह समस्या है कि जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं बनेंगे तब तक चार्जिंग नहीं होगी और लोग वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम उसका भी रोडमैप बताएंगे।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मा0 अध्यक्ष जी, धर्म तो आस्था का विषय है, भगवान राम हम सबके हैं जैसे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, बस कोई हाथ जोड़कर पूजता है, कोई हाथ फैलाकर पूजता है और हम सबके दिल में हैं, हम सबको फॉलो भी करना चाहिए। हमें खुशी है इस बात की कि भगवान राम के बारे में बताया, अयोध्या के बारे में बताया, उसी क्रम में मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा क्या गांवों को सौर ऊर्जा से आच्छादित करेंगे ? मा0 मंत्री जी एक छोटी-सी बात गांवों के बारे में बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

गांवों के विषय में वे बता चुके हैं, आपने सुना नहीं होगा, पूरा उत्तर आ गया है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

***8-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नगर विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे आवास योजनाओं के तहत पात्रों को आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक

***9-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब आवास विहीन लोगों हेतु नगर विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही आवास योजनाओं में आवास आवंटित होने के

बावजूद भी बड़ी संख्या में गरीब आवास विहीन लोगों को वर्तमान तक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पात्रों को आवास आवंटन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 17,65,771 आवास स्वीकृत/आवंटित हैं। जिसमें से 17,39,490 आवासों (98.51%) का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। उपरोक्त में से 14,39,721 (81.53%) आवास पूर्ण कराकर लाभार्थियों को आवंटित कर दिये गये हैं।

शेष 2,99,769 आवास विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन आवासों में से 2,73,703 (91.20%) आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एक माँग आधारित योजना है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शहरी क्षेत्र के गरीब आवासहीन व्यक्तियों से आवेदन लिये गये थे। उनकी पात्रता की जाँच के बाद नियमानुसार लाभान्वित किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्तमान में जनपदों से प्राप्त अपात्रों की अभ्यर्पण (करटेलमेन्ट) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) के सापेक्ष नए लाभार्थियों को आवास दिये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

श्री पंकज कुमार मलिक-

धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने नगर विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही आवासीय योजनाओं के सम्बन्ध में एक सवाल किया था। मान्यवर, उत्तर मैंने पढ़ लिया है, पूरा आंकड़ों सहित उत्तर इन्होंने दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया है जिसमें इन्हें जानकारी मिली हो कि कितने ऐसे आवासहीन लोग हैं जिन्हें पात्रता के बाद भी शामिल नहीं किया गया है। एक दूसरा सवाल है, जिन पात्रों का किन्हीं कारणों से अभी तक चयन नहीं किया गया है क्या सरकार, भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर प्राथमिकता पर सर्वे कराकर इन्हें शामिल करने की कोई योजना बना रही है ? मान्यवर, गरीब आदमी के लिए बड़ी दिक्कत है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर यह सब किया जाता है, कितना समय हो गया है। जो उस समय बच्चे थे वे बड़े हो गये हैं, बड़ी दिक्कतें हैं लोग सभासदों और अधिकारियों के चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें आवास नहीं मिलते हैं। बहुत सारी शिकायतें ये हैं कि पैसे देकर लोग गलत रास्ते से मकान हासिल करते हैं उसमें रहते नहीं हैं और गरीबों को किराये पर देते हैं, इससे डबल तरीके से गरीबों के शोषण का काम किया जा रहा है। क्या इस सन्दर्भ में कोई जाँच आपने करायी है ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जहां तक गलत ढंग से मकान लेने की, मकान किराये पर देने की बात मा0 सदस्य ने बताई है तो अगर आपकी जानकारी में कोई स्पेसिफिक मामला हो तो हमारे संज्ञान में लाइएगा तो हम कार्रवाई करेंगे और इस दिशा में निरन्तर सतर्क हैं कि प्रधानमंत्री आवास देने में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, कहीं पैसे का लेन-देन न हो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ऐसा करते हुए जो लोग पाए गए, ऐसे 14 इंजीनियरों को हमने बर्खास्त किया है, हमने बर्खास्त ही नहीं किया, बल्कि उन पर एफ0आई0आर0 भी लॉज किया है और ऐसे लगभग 1200 कर्मचारियों की हमने सेवाएँ भी समाप्त की हैं। रही बात जिन लोगों को मकान नहीं मिला, जो पात्र हैं, आपने जिस समस्या के बारे में कहा है, वह समस्या हम सबके ध्यान में है, अभी भी कुछ पात्र लोग रह गये हैं। लेकिन भारत सरकार ने जब इस योजना की शुरूआत की थी तो उन्होंने जो सर्वे कराया, उस समय एक फीगर उन्होंने फ्रीज कर दिया था और उसी के अन्दर जो अपात्र निकलते हैं, जिन लोगों को किसी कारण से मकान नहीं देने लायक होता है, वह कहीं और चले गये या किसी और कारण से पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, उसमें जो संख्या बचती है, उसमें हम नीचे की लिस्ट से ऊपर ले लिया करते हैं। ऐसे लगभग 2,54,631 मकानों को हमने रद्द किया है। सामान्य रूप से भारत सरकार की सूचना इतनी ही है कि जितना आप रद्द करते हैं, उतने ही नए लोगों को आप दे सकते हैं, जिससे कि टोटल संख्या बढ़े नहीं। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार से निवेदन करके उससे भी ज्यादा पात्रों को मकान देने की कोशिश की है। 2,61,711 पात्रों को हमने अपात्रों के सामने एडजेस्ट करने की कोशिश की है। इस प्रकार हम संवेदनशील हैं और भारत सरकार से हम लगातार इस विषय के लिए सम्पर्क में हैं कि अभी भी बहुत से लोग रह गये हैं, जिनको किन्हीं कारणों से मकान नहीं मिला है, उनको भी इस योजना में शामिल कर लेना चाहिए।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके पास जनपदवार अपात्रों की सूचना है कि इतने लोग अपात्र हैं। चूँकि गलत माध्यम से पात्रों को अपात्र और अपात्र को पात्र किया जाता है। इसके लिए भी कोई जाँच समिति बना करके, जो गरीब है, जिसका हक बनता है, उसे मकान मिलना चाहिए। मैं जानता हूँ, अकेले जनपद मुजफ्फरनगर में ही हजार- बारह सौ लोग हमारे शहर में हैं, जिनको मकान नहीं मिला, वह दर-दर की ठोकरें खाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, आप गरीब की सुनने का काम करें, कोई सूची हो तो बता दें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जैसा मैंने बताया है कि जो भारत सरकार ने तय किया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय पंकज जी को बताऊँगा कि आपकी जब सरकार थी, मैं इस बात का

व्यक्तिगत रूप से साक्षी हूँ, जब भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से आँकड़े मँगाये गये कि कुल कितने लोग उत्तर प्रदेश में आवास विहीन हैं तो आपकी सरकार ने जो फीगर भेजा था, वह मात्र 17 हजार लोगों का फीगर भेजा गया था और यहाँ मैं खाली नगरीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हमने 17,65,000 लोगों को मकान देने की पात्रता के चयन में रखा था। उसमें से 17,39,000 मकानों यानी 98.5 प्रतिशत मकानों का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 14,39,000 मकान, लगभग 81 प्रतिशत मकान आवंटियों को आवंटित किए जा चुके हैं। जो 3 लाख के आसपास बचे हैं, उसमें से ज्यादातर मकान लाभार्थियों को स्वयं बनाने हैं, हम लोग उसको फॉलोअप कर रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया था कि जो पात्र हैं, वह अपात्र कैसे हो जाते हैं, जो अपात्र हैं, पात्र कैसे हो जाते हैं, उसके बारे में मैंने यही कहा कि भारत सरकार की इसके लिए बहुत विस्तृत गाइडलाइन आयी हुई है, उस गाइडलाइन के आधार पर पात्र को अपात्र या अपात्र को पात्र किया जाता है और जो लोग उसमें गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं, मैंने पहले ही बताया, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है।

प्रदेश में विद्युत बकाया वसूली में वृद्धि हेतु सरचार्ज में छूट देने एवं एनर्जी सेवर पम्प का प्रयोग अनिवार्य करने पर विचार विषयक

***10-श्रीमती पिंकी सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत बकाया वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से विगत पांच वर्षों में सरचार्ज में छूट देने की योजना कब-कब लागू की गई ? क्या सरकार बिजली खपत को कम करने के दृष्टिगत परम्परागत पम्पों के स्थान पर एनर्जी सेवर पम्प का प्रयोग अनिवार्य करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में विद्युत बकाया वसूली बढ़ाने के उद्देश्य से विगत 5 वर्षों में सरचार्ज में छूट देने हेतु लागू की गई योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने की योजना दो अवधि में की गयी थी-

प्रथम अवधि- दिनांक 11-11-2019 से दिनांक 31-03-2020 तक उक्त योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 04 किलोवाट भार तक के घरेलू (एल0एम0वी0-1) श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु लागू की गयी थी।

द्वितीय अवधि- दिनांक 01-02-2020 से दिनांक 31-07-2020 तक उक्त योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी भार के निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु लागू की गयी थी।

कुल 18,84,958 उपभोक्ताओं नें उक्त योजनाओं का लाभ लिया जिनसे रु0 2,548.56 करोड़ की राजस्व वसूली हुई एवं रु0 1,083.77 करोड़ ब्याज की धनराशि माफ की गयी।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने हेतु योजना दो अवधि में लागू की गयी थी-

प्रथम अवधि-दिनांक 15-12-2020 से दिनांक 31-01-2021 तक उक्त योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2), निजी संस्थान (एल0एम0वी0-4बी), औद्योगिक (एल0एम0वी0-6) श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 'कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गयी थी।

द्वितीय अवधि-दिनांक 01-03-2021 से दिनांक 15-04-2021 तक उक्त योजना ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गयी थी।

कुल 23,17,227 उपभोक्ताओं ने उक्त योजनाओं का लाभ लिया जिनसे रु0 4,878.23 करोड़ की राजस्व वसूली हुई एवं रु0 1,048.35 करोड़ ब्याज की धनराशि माफ की गयी।

(3) वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने हेतु दिनांक 21-10-2021 से दिनांक 31-01-2022 तक योजना लागू रही है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में घरेलू (एल0एम0वी0 1 के 2 किलोवाट भार तक), वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2 के 2 किलोवाट भार तक) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5 के समस्त भार) के उपभोक्ताओं हेतु 100 प्रतिशत अधिभार तथा घरेलू (एल0एम0वी0-1 के 2 किलोवाट से अधिक) एवं वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2 के 2 किलोवाट से 5 किलोवाट विद्युत भार तक) श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 50 प्रतिशत अधिभार में छूट हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गयी थी।

कुल 31,45,518 उपभोक्ताओं नें इस योजना का लाभ लिया जिनसे रु0 2,621.47 करोड़ की राजस्व वसूली हुई एवं रु0 735.00 करोड़ ब्याज की धनराशि माफ की गयी।

(4) वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने हेतु दिनांक 01-06-2022 से दिनांक 15-07-2022 तक योजना लागू रही है, जिसमें समस्त विद्युत भार के घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) तथा 5 किलोवाट विद्युत भार तक के वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2) श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गयी थी। उक्त योजना में उपभोक्ताओं के लिए 100 प्रतिशत विलम्बित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान की गयी थी।

कुल 38,30,747 उपभोक्ताओं नें इस योजना का लाभ लिया जिनसे रु0 2,909.64 करोड़ की राजस्व वसूली हुई एवं रु0 854.47 करोड़ ब्याज की धनराशि माफ की गयी।

(5) वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट देने हेतु दिनांक 08-11-2023 से दिनांक 16-01-2024 तक योजना लागू रही है, जिसमें समस्त विद्युत भार के घरेलू (एल0एम0वी0-1) एवं निजी नलकूप (एल0एम0वी0-5) श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को सरचार्ज मे अधिकतम 100 प्रतिशत, वाणिज्यिक (एल0एम0वी0-2) हेतु सरचार्ज में अधिकतम 80 प्रतिशत तथा निजी संस्थान (एल0एम0वी0-4बी0) एवं औद्योगिक (एल0एम0वी0-6) हेतु सरचार्ज में अधिकतम 50 प्रतिशत की छूट हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' लागू की गयी थी एवं साथ ही विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट हेतु 'एकमुश्त समाधान योजना' की सुविधा प्रदान की गयी थी।

अभी तक की सबसे सफल इस योजना में कुल 51,94,503 उपभोक्ताओं नें लाभ लिया जिनसे रु0 5,626.15 करोड़ की राजस्व वसूली हुई एवं रु0 1,830.17 करोड़ की धनराशि माफ की गयी।

प्रदेश में ऊर्जा दक्ष पम्प को प्रोत्साहित करने हेतु लागू टैरिफ के अनुसार रु0 740 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह की दर है जिसमें रु0 600 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह की सब्सिडी (छूट) किसानों को दी जा रही है जिसमें पाँच एच0पी0 के पम्प पर प्रति माह रु0 3000 की बचत किसानों को प्राप्त हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती पिंकी सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक बहुत ही गम्भीर विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर काफी हद तक काफी मँहगी बिजली की दरें है और लगभग 65 से 70 प्रतिशत हमारे लोग ग्रामीण अंचल से, खेत-खलिहानों से जुड़े हुए हैं। आज जहाँ पर बिजली के बिलों की उगाही के लिए, सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स की बिजली मुफ्त देंगे तो वहीं कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो उनके विभागीय लोग हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ट्रान्सफार्मर के बदलने के नाम पर उगाही कर रहे है, तो कहीं तारों के बदलने के नाम पर उगाही की जा रही है। कहीं अगर किसी का 5000 रुपये का बिल भी बकाया है तो उस बकाये बिल के 5000 रुपये के मात्र भुगतान न होने पर उसके घर की बिजली को काट दिया जा रहा है जिससे उस किसान परिवार को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। जब बजट पास हुआ तो हमारे सामने एक और विडम्बना आती है कि कई बार ऐसा हुआ जब बिल पास हुआ तो कहा गया था कि अप्रैल से आगे के समय हेतु वर्ष 2023 में जो निजी ट्यूबवेल, नलकूप वगैरह है, उनके बिलों का 50 प्रतिशत तक माफ कर दिया जाएगा। हमारे क्षेत्र में जब यह बात आती है तो किसान अपने आपको असमंजस्य की स्थिति में पा रहा है। यदि कोई स्पष्ट आदेश आता 50 प्रतिशत या 100 प्रतिशत माफ करने का तो अच्छा होता क्योंकि आप के जो उच्च अधिकारी हैं, जब

उनसे बात की जाती है तो वह कहते हैं कि हमारे पास अभी तक कोई आदेश नहीं है जबकि आपके यहाँ से एक ऐसा आदेश पारित हो चुका है ऐसा मेरे संज्ञान में है तो कृपया इस चीज को भी देखें और दूसरा जैसा मा0 अध्यक्ष जी मेरा प्रश्न था कि सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को उनके बिल के बकाया धनराशि पर लगाए जाने वाले अधिभार में प्रतिवर्ष दी जानी वाली छूट के विषय में था जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने बिल का भुगतान करने के लिए एक तरह से प्रेरित करना भी था लेकिन मैं मा0 मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूँ कि पहले से एक तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दर से भी किसान और उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ रही मार के बाद यह दूसरी मार पड़ रही है। दूसरी तरफ गरीब किसान परिवारों से साहूकार के ब्याज से अधिक अधिभार लिया जा रहा है। क्या मा0 मंत्री जी बताएंगे कि बकाये बिल पर लगाये जाने वाले अधिभार की दरों को सरकार कम करने का काम करेगी ? दूसरा क्या प्रतिवर्ष सरचार्ज जो लगता है उस पर छूट देने वाली योजना जो आपके द्वारा चलाई जा रही है उसकी समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। खासतौर से चूँकि मेरा पूरा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर कोई नगर पंचायत या नगर पालिका नहीं है। वहाँ पर किसान की जब फसल हो जाती है तब कहीं अपना भुगतान कर पाने में सक्षम होता है तो क्या सरकार उस सरचार्ज पर छूट देने वाली योजना में समय सीमा को बढ़ाने का काम करेगी और मेरा इस प्रश्न का जो दूसरा भाग था जिसमें मैंने मा0 अध्यक्ष जी यह पूछा था कि क्या विद्युत खपत घटाने के उद्देश्य से.....

श्री अध्यक्ष-

पिंकी जी, लगभग पाँच मिनट आपको हो गए है सिर्फ प्रश्न पूछते हुए। अब आप सीधे प्रश्न पर आइये।

श्रीमती पिंकी सिंह-

इसी का दूसरा भाग है मान्यवर। मेरा दूसरा प्रश्न है कि विद्युत खपत घटाने के उद्देश्य से जो एनर्जी सेवर पम्प विकसित करने की सरकारी मदद देने से सम्बन्धित था, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार विद्युत की खपत कम करने के दृष्टिगत एनर्जी सेवर पम्प विकसित करने की योजना बनाएगी।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्या अनुपूरक प्रश्न का जो पहला भाग है उसके बारे में कहना है कि हमारी जो ओ0टी0एस0 योजना चल रही थी, वह अभी तक की सबसे सफल और सबसे ज्यादा लाभकारी योजना हमने अभी पूरी की है जो कि 8 नवम्बर से शुरू होकर 31 दिसम्बर तक हमने चलाई थी। उसमें घरेलू कनेक्शन वाले किसान यहाँ तक कि जिनके ऊपर एफ0आई0आर0 हुई है लाखों ऐसे केस थे जिनके ऊपर अपराधिक मामले लगे हुए थे ऐसे तमाम केसों जिनकी संख्या लगभग 52 लाख के आस-पास है ऐसे उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया और उसमें लगभग 6600 करोड़ रुपया हमें प्राप्त हुआ है और साथ ही

1830 करोड़ रुपये का उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं उसमें से एक प्रकार का किस्सा अवश्य सभी मा0 सदस्यों और सदन को बताना चाहूँगा कि जिनके ऊपर एफ0आई0आर0 हुई पड़ी थी, आर0सी0 कटी हुई थी। वर्षों से लोग परेशान थे पुलिस और बिजली विभाग के चक्कर में, ऐसे 107126 केसों का हमने इस ब्याज माफी की योजना में निपटारा किया है। और 100 प्रतिशत तक जो आपने कहा है कि अधिभार, सरचार्ज माफ करने की कोई योजना लाएंगे और यह उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि जो एफ0आई0आर0 वाले केस थे, उसमें सरकार को सिर्फ 352 करोड़ रुपये मिले और जो छूट हमने दी, वह 328 करोड़ रुपये है। मतलब जितना सरकार को मिला, उतनी ही लगभग लोगों को छूट भी मिली है। यह बहुत ही अच्छी योजना थी। आपका जो प्रश्न था जिसमें समय-सीमा बढ़ाने की बात थी, उसको हमने 8 नवम्बर से शुरू किया तो 31 दिसम्बर तक उसकी मूल समय-सीमा थी लेकिन आप जैसे मा0 जनप्रतिनिधिगण की तरफ से सुझाव आया कि इसकी सीमा थोड़ी बढ़ानी चाहिए चूंकि मकर संक्रांति आदि त्यौहार आ रहे हैं तो हमने उसको 16 जनवरी तक बढ़ाया। 16 जनवरी तक बढ़ाने के बाद भी मुझे उसका कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला, जो उसका बढ़ा हुआ पीरियड था, इसलिए फिर से हमने उसको बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया। आप सबसे मेरा निवेदन है कि समय बढ़ा दें, यह तो एक नीति विषयक विषय है लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि पिछला जो किसानों का मामला हो, चाहे घरेलू उपभोक्ताओं का मामला हो, चाहे जैसा मैंने कहा कि अपराध, एफ0आई0आर0 हुए मामले हों, उन सबका इस योजना में बहुत अच्छा निपटारा हुआ है। भविष्य में हम लोगों को थोड़ा गाइड करें चूंकि हम नेतृत्व करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि समय से बिल जमा करें। मेरी प्रार्थना है सभी सदन के सदस्यों से कि आप थोड़ा लोगों को एजुकेट करने का भी काम करें जिससे कि जो हमारा बैकलॉग है चूंकि हमने अभी बहुत बड़ा बैकलॉग क्लीयर किया है। 20-25 साल के केस हमारे सामने आए हैं कि साहब 20-20 साल से हमारा यह बकाया है और कहा जा रहा था कि ब्याज पर ब्याज लगता जाता था, उसको हमने माफ करवाया है।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मा0 मंत्री जी, चूंकि आपने अभी जिक्र किया एफ0आई0आर0 वाले केसेज का तो मैं आपसे यह जानना भी चाहूंगी और आपके संज्ञान में भी देना चाहूंगी मेरे क्षेत्र में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर बिजली विभाग के एस0डी0ओ0, जे0ई0, कोई भी उस जगह तक नहीं गया। गांवों-देहातों में जाकर कहीं पर तो चेकिंग की जाती है और कहीं पर उगाही तो हो रही है लेकिन कुछ जगहों के ऐसे मामले संज्ञान में हैं। जैसे मेरी विधान सभा क्षेत्र का गांव बल्लमपुर है।

श्री अध्यक्ष-

पिंकी जी, आप उसके लिए मा0 मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए क्योंकि उनके पास गांववाइज सूचना नहीं होगी। आप जो स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर्स हैं, वह आप पूछ लो, आप अपने गांव की पूछेंगी तो उसकी सूचना मा0 मंत्री जी के पास नहीं होगी।

श्रीमती पिंकी सिंह-

मैं मा0 मंत्री जी केवल आपके संज्ञान में डालकर इतना आपसे आश्वासन चाहूंगी कि जहां पर गलत तरीके से जो एफ0आई0आर0 की गयी हैं, जहां पर उस उपभोक्ता का कोई दोष भी नहीं है तो क्या ऐसे में आप उस कर्मचारी के ऊपर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 सदस्य, जहां भी ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि हमारे किसी कर्मचारी ने अतिश्योक्ति किया है, अतिरेक किया है, गलत किया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी लेकिन सभी कर्मचारी गलत ही कर रहे हैं, यह कहना थोड़ा-सा ज्यादा हो जायेगा।

प्रदेश में ग्रामीण अंचलों की अत्यन्त निर्धन एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं का बिजली बिल माफ किये जाने की मांग विषयक

***11-डॉ0 रागिनी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त निर्धन एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा विद्युत उपभोक्ताओं के 50 प्रतिशत विद्युत बिल माफ किये जाने की कोई योजना संचालित है ? यदि हाँ, तो वर्तमान तक कितने ग्रामीण विद्युत महिला एवं अनुसूचित जाति उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत विद्युत बिल माफ किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के अत्यन्त निर्धन एवं अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित लाइफ लाइन विद्युत उपभोक्ताओं के टैरिफ में 01 किलोवाट संविदा भार एवं 100 यूनिट प्रतिमाह की खपत तक के लिए फिक्सड चार्ज रु0 50 प्रति किलोवाट प्रति माह के साथ रु0 6.50 प्रति यूनिट में से रू0 3.50 प्रति यूनिट छूट देते हुए रु0 3.00 प्रति यूनिट विद्युत दर निर्धारित की गयी है। अर्थात लाइफ लाइन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट की दर में 53 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसका लाभ 1,69,42,234 (एक करोड़ उनहत्तर लाख बयालिस हजार दो सौ चौंतीस) लाइफ लाइन उपभोक्ताओं द्वारा लिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ऊर्जा जैसे गम्भीर विषय पर आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। बिजली एक ऐसी चीज है, चाहे वह एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे अमीर का महल हो, यहां तक कि राम लला के मंदिर में भी

है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली विभाग के द्वारा 4 हजार किलोवाट तक की जरूरत है और अभी फिलहाल वहां 16 सौ किलोवाट तक की बिजली मंदिर को भव्य बनाने के लिए आपके द्वारा सुचारू रूप से दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे वह राम लला जी का मंदिर हो, या एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे वह एक अस्पताल हो, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए बिजली बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब भी जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल होते हैं तो बार-बार आम और बबूल की बात आ जाती है तो मैं मंत्री जी का समय न नष्ट हो और साथ ही साथ सदन का भी महत्वपूर्ण समय नष्ट न हो इसलिए यह कहना चाहूंगी कि 'अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय, और अगर आपने आम लगाया है तो आम बाँटो तो एक और खट्टा आम बताकर के भाग न जाना कोय'।

अध्यक्ष जी, बार-बार आप बबूल की बात करते हैं तो अगर आपने आम लगाया है तो आप आम बांटिये तो सही। साथ-ही-साथ बिजली विभाग की कुछ परियोजनाओं की बात करूंगी जो कि अभी मैंने देखा और अभी मंत्री जी कह भी रहे थे कि आपने थर्मल प्लाण्ट्स और हाईड्रो प्लाण्ट्स की बात की। घाटमपुर के यूनिट-1, 2 और 3 जिसकी आपने डेट दी थी कि आप 31 मार्च, 2023, जुलाई, 2023 और नवम्बर, 2023 में उसको शुरू करेंगे। ओबरा सी में यूनिट-1 और 2 की बात की थी कि उसको फरवरी, 2023 और अक्टूबर, 2023 में शुरू करेंगे। आपने जवाहरपुर की बात की थी उसे मार्च, 2023 और पनकी के लिए बोला था कि आप उसको 31 अक्टूबर, 2023 तक शुरू करेंगे। हाइड्रो प्लाण्ट्स की आपने बात की तो आपने वहां पर कहा कि आप मार्च, 2023 तक और अगस्त, 2023 तक जो आपका सीरी हाइड्रो प्लाण्ट है उसको शुरू करेंगे। प्रभाती को दिसम्बर, 2023 तक शुरू करेंगे और साथ-ही-साथ आपने ये भी एलान कर दिया कि जो आपका भारत कोल लिमिटेड है उसकी खदान में जो कोयला है आप वो महानदी कोल लिमिटेड से लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 400 करोड़ तक का फायदा हो रहा है।

अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल है और मैं अकांक्षा करती हूँ कि जनता को और साथ-ही-साथ सदन में बैठे हुए प्रतिनिधियों को बड़ा ही स्पष्ट जवाब भी आयेगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि जिन-जिन परियोजनाओं को कागजी रूप से आपने गिना दिया है उनमें से आपके कितने प्लाण्ट सुचारु रूप से आज काम करने लगे हैं और साथ-ही-साथ 400 करोड़ का अगर आपको प्रति वर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलायेंगे और जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो उन्होंने 200 यूनिट पूरी जनता की बिजली मुफ्त की, पहला 100 यूनिट जो उनके उपभोक्ता के होते हैं उनकी बिजली को माफ किया तो क्या आप भी उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज चाहे वो सीनियर सिटीजन हों, चाहे वो आदिवासी समाज के, दलित समाज के या पिछड़े समाज की

हमारी महिलायें हों या दिव्यांगजन हों, वो बड़ी उम्मीद और आस के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली मिले। उनको आपसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आकांक्षा है। क्या आप उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं अयोध्या के राम मंदिर में विद्युत आपूर्ति की चर्चा कर दूं। सबसे पहला विभाग था बिजली विभाग जिसको स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी ने ट्वीट करके बधाई दिया था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें सबसे पहला काम पूरा करने वाला विभाग अगर कोई था तो बिजली विभाग था, मैं उन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि अयोध्या को हर तरह से भव्य और दिव्य बनाने का, आधुनिक बनाने का जो महा अभियान या बीड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उठाया था उसमें हमारे विभाग ने भी थोड़ा बहुत योगदान करते हुए दो हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अयोध्या में अमल करके कार्यान्वित किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले अगर आप अयोध्या गयीं हैं तो जर्जर तार, लटकते हुए तार, यहां-वहां तार, अब वो सारे के सारे तार अयोध्या में से लुप्त हो गये हैं, सारे के सारे तार अण्डरग्राउण्ड कर दिये गये हैं और थोड़ा बहुत नहीं, सैकड़ों किलोमीटर के तार की जो लाईन है वो अण्डरग्राउण्ड की गयी है। नये सब-स्टेशन बनाये गये हैं। सौर ऊर्जा की बात मैंने कर ही दी है। माननीय अध्यक्ष जी, अब रही बात आम और बबूल की तो आम हमने इस तरह से खिलाया है।

(डॉ0 रागिनी के बोलने का प्रयास करने पर)

बबूल मेरा नहीं था मेरा आम है, मैं आम की बात कर देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आम में खास क्या है, यह बता दीजिये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आम खिलाने की बात मैं कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी आम में खास यह है कि हमने घरेलू उपभोक्ताओं को ओ0टी0एस0 योजना में 3293000 लोगों को 1044 करोड़ रुपये की छूट दी है। हमने 134000 घरेलू उपभोक्ताओं को 289 लाख की छूट दी है और 210640 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 17 करोड़ की छूट दी है। हम वाणिज्यिक निजी संस्थाओं और 239000 नलकूप वाले किसानों से दिनांक 01-04-2023 के बाद का उनका कोई बिल हम नहीं ले रहे हैं और कोई बिल लेना भी नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वादा किया है कि हम 100 प्रतिशत बिल माफ कर रहे हैं और उस पर हम अड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले का जो बकाया था उसको माफ करने के लिए इस बजट में हमको पैसा भी

मिल गया है। ऐसे किसानों को माफ करके 144 करोड़ रुपये का हमने मुफ्त आम खिलाया है। माननीय अध्यक्ष जी हमने 52 लाख उपभोक्ताओं को 1830 करोड़ रुपये का आम खिला करके सबको मुफ्त में बांट दिया।

(सदस्य श्री ओम प्रकाश व विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 रागिनी का प्रश्न आ जाये। डा0 रागिनी, आप स्पेसिफिक पूछिये।

डा0 रागिनी-

जी, मान्यवर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जवाब फिर से गोल-मोल ही आया है, आम और बबूल के रूप में ही आया है। मैं अपना सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन फिर से पूछना चाहूँगी और मुझे उम्मीद थी कि मंत्री जी जनता के लिए आम को खट्टे ही बतायेंगे। आपसे यह सवाल है कि गरीब जनता किस तरीके से ग्रीष्मकाल में इतनी गर्मी में तपी है। किसानों ने जो दुःख झेला है और साथ ही साथ आपके विभाग के चाहे वह जे0ई0 हों, चाहे एस0डी0ओ0 हों, जगह-जगह पर गरीब जनता से उन्होंने वसूली की है। हमारे संज्ञान में है कि पूर्वांचल विद्युत विभाग के द्वारा गलत एमाउण्ट का बिल जनरेट करने की वजह से 900 करोड़ का घोटाला भी सामने आया है। तो मैं मंत्री जी, आपसे यह पूछना चाहूँगी कि इस तरीके के कितने मामले आपके सामने आये हैं, जिसमें पहले बिल को बढ़ाया गया है और उसके बाद उन बिलों को चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा घोटाला आपकी सरकार में हुआ है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्या का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक विषय मैं भूल रहा था, वह मुझे इस बात से याद आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, दिसम्बर, 2023 में, अभी लगभग डेढ़ महीने पहले भारत के बिजली मंत्री माननीय आर0 के0 सिंह साहब ने राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, यह 19 दिसम्बर, 2023 का जवाब है, हमारे हाथ में उसकी कापी है, चाहेंगे तो हम उसको पटल पर रख देंगे। जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में इस वर्ष और इस गर्मी में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक पीक डिमाण्ड करने वाला राज्य बना है, सबसे ज्यादा 28,284 मेगावॉट बिजली आपूर्ति करके। महाराष्ट्र जो पहले नम्बर पर हुआ करता था, उसको पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश मैक्सिमम सप्लाई करने वाला राज्य बन चुका है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है और मेरे हाथ में है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, इनके 5 सालों की जो पीक डिमाण्ड थी, वह वर्षवार भी है लेकिन बताने में समय लग जायेगा। मान्यवर, उसका जो एवरेज निकालेंगे तो 14,000 मेगावॉट होता है। हमने उसकी दोगुनी बिजली 28,284 मेगावॉट दिया, यह भारत सरकार का आँकड़ा बोल रहा है।

***12-श्री त्रिभुवन दत्त-**

[03-बुधवार हेतु स्थागित]

प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के मानक एवं प्रत्येक क्षेत्र में कनेक्शन देने की योजना विषयक

***13-श्री पंकज पटेल-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को विभिन्न परिवर्तकों से कनेक्शन देने का मानक क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां पर सरकार द्वारा विद्युत लाइन का कार्य नहीं किया गया है, उक्त क्षेत्रों में निवसित लोगों को कनेक्शन देने की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्य कराकर उक्त को कनेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में वर्ष 2017 से कुल 1,21,324 अविद्युतीकृत मजरों को विद्युतीकृत किया गया है। इसी के साथ राज्य में वर्ष 2017 से मार्च, 2022 तक 143.36 लाख विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त माह अप्रैल, 2022 से दिसम्बर, 2023 तक कुल 22.33 लाख कनेक्शन निर्गत किये गये हैं।

इस प्रकार उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की प्रक्रिया निरन्तर चल रही है।

21,660 अविद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण हेतु रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर0डी0एस0एस0) के अन्तर्गत रु0 1059.13 करोड़ की कार्य योजना बनायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंकज पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, आज का जो मेरा प्रश्न था, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को विभिन्न परिवर्तकों से कनेक्शन देने का मानक क्या है ? माननीय अध्यक्ष जी, आप उत्तर देख लीजिए, मानक की इसमें चर्चा ही नहीं की गई है। हम मानक की बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि हमने इतने मजरों का विद्युतीकरण किया है। माननीय मंत्री जी, हमने आपसे मानक पूछा है कि विभिन्न परिवर्तकों से कनेक्शन देने का मानक क्या है ? इसमें मानक का कोई जिक्र नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में चाहे वह 10 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर हो, चाहे वह 16 के0वी0ए0 का हो, चाहे वह 25 के0वी0ए0 का हो, चाहे वह 63 के0वी0ए0 का हो। सभी में मानक से ज्यादा कनेक्शन देने की वजह से आज सारे ट्रान्सफार्मर ओवरलोडेड चल रहे हैं और आयेदिन खराब हो जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जब कोई ट्रान्सफार्मर एक बार खराब हो जाता है, दो बार खराब हो जाता है, तीन बार खराब हो जाता है तो उसकी क्षमता आटोमेटिक कम होने लगती है और जब क्षमता कम हो जाती है तो वह रोज खराब होते हैं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरा दूसरा सवाल है कि प्रदेश में जो मजरे विद्युतीकरण के लिए छूट गये थे, उस पर सरकार ने क्या योजना बनाई है। मा0 मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम की योजना बनायी गयी है। आपने यह स्कीम तो बनाई है लेकिन इस स्कीम में कितना काम हो रहा है, इस पर कभी गौर किया है। मैं इस स्कीम के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में अभी तक जिन गाँवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वह कब तक हो जायेगा। मैंने जो कनेक्शन पर बात की थी, उस पर आपने जवाब नहीं दिया है। विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन दिये जाने की दूरी का जो मानक है, अगर आवेदक के घर की दूरी मानक से 50 से 100 मीटर ज्यादा हो जाती है तो क्या सरकार उन आवेदकों को निःशुल्क कनेक्शन देने पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य मोना जी, अगर आप भी प्रश्न साथ में पूछ लें, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी से दिला दें। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह दोनों प्रश्न विद्युत विभाग से सम्बन्धित हैं, अगला प्रश्न गन्ना से सम्बन्धित न होता तो वह भी ले लेता। प्रश्न संख्या-14 मा0 सदस्य आराधना मिश्रा 'मोना' जी का है, आप भी पूछ लीजिए। मा0 मंत्री जी आप दोनों प्रश्नों के जवाब साथ में दे देना।

प्रदेश में विद्युत कनेक्शन हेतु समान उपभोक्ता समान शुल्क नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में

***14-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नई आबादी क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदकों को कई गुना अधिक धनराशि का स्टीमेट जारी किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विद्युत कनेक्शन हेतु समान उपभोक्ता समान शुल्क की नीति के आधार पर समान शुल्क की व्यवस्था लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान व्यवस्था में विद्युत कनेक्शन हेतु आगणन माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत कास्ट डाटा बुक में निर्धारित दरों पर किया जाता है।

समस्त ऐसे आवेदक जो कि विद्युतीकृत के अन्तिम पोल से 40 मीटर की परिधि में होते हैं, उन्हें समान रूप से तंत्र के निर्माण हेतु बिना कोई राशि जमा कराये संयोजन प्रदान किया जाता है।

विद्युतीकृत क्षेत्र में अन्तिम पोल से 40 मीटर की परिधि से बाहर स्थित परिसरों में विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु कास्ट डाटा बुक में निर्धारित दरों के आधार पर आगणन उपलब्ध कराकर देय राशि जमा होने पर संयोजन निर्गत किया जाता है।

माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड (नवां संशोधन) दिनांक 21-08-2017 को जारी किया गया है। उक्त संशोधन शहरी क्षेत्रों में अथवा उनसे लगी अविकसित/अनऊर्जीकृत कालोनियों के विद्युतीकृत के उद्देश्य से जहां की वितरण प्रणाली विकासकर्ता (लाइसेंसी) द्वारा विकसित नहीं की गई है, हेतु है। उक्त में व्यवस्था है कि अविकसित क्षेत्र में निर्धारित शर्तों के अधीन संयोजन राशि के अतिरिक्त रजिस्ट्री में वर्णित क्षेत्रफल के अनुसार रु0 35 प्रति वर्ग फीट की दर से विद्युत तंत्र निर्माण हेतु धनराशि जमा कराई जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, मेरा जो सवाल है, इसमें जो बीमारी है, वह भी मा0 मंत्री जी की है, एक विभाग की है, जो इलाज है वह भी मा0 मंत्री जी के दूसरे विभाग से है। विस्तारित क्षेत्र में जो नई आबादियाँ बसती चली जा रही हैं, उनको विद्युत कनेक्शन देने के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत उपभोक्ता के सामने आ रही है कि एक लम्बा चौड़ा स्टीमेट उनको दे दिया जाता है। मैंने अनुमान लगाया है कि 75 हजार रुपये प्रति 50 मीटर पर नये कनेक्शन के लिए खर्चा आता है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार यह जो विस्तारित क्षेत्र में नई आबादी बस रही है, इसमें अगर डेवलपर बनाता है, तो वह अपना डेवलपमेंट का शुल्क जमा करता है। अगर वहां सीधे लोग मकान बना लेते हैं तो वह अपना रजिस्ट्रेशन निगम में कराते हैं और वह हाउस टैक्स, वाटर टैक्स जमा कराते हैं। तो उनको सुविधायें नहीं मिल रही हैं लेकिन सरकार उनसे टैक्स जमा कराती है। मेरे दो सवाल हैं तो क्या सरकार सर्वे कराकर इन विस्तारीकरण के विकसित क्षेत्र को नियमितीकरण कर फ्री विद्युतीकरण करायेगी। दूसरा मेरा सीधा सवाल है कि क्या सरकार समान उपभोक्ता, समान शुल्क की नीति ताकि जो समान व्यक्ति हैं उसको यह मिल जाये, उसके लिये क्या-क्या नीति ले करके आयेगी। मेरे यह दो सवाल हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, जहां तक मकानों को कनेक्शन देने का सवाल है, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, मान्यवर, 40 मीटर के अन्दर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जो 40 मीटर के बाहर है उस पर शुल्क लिया जाता है। आपने जो कालोनी की बात की है ज्यादातर उसमें अनियोजित और अनाधिकृत हैं, उनका क्या किया जाये वह बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम उसको करायेंगे। एक बात जो पहले के पूर्व सदस्य ने कहा है कि आपने कितने उपकेन्द्रों को उच्चीकृत किया है, कितने की क्षमता बढ़ाई है।

मान्यवर, अब समय कम है लेकिन मैं एक ही बात कह कर बात पूरी कर दूंगा कि इतने खम्भे लगाये गये हैं लगभग साढ़े 12 लाख खम्भे अभी इस डेढ़-दो साल के अन्दर लगाये गये हैं, 5 लाख ट्रांसफारमर उच्चीकृत किये गये हैं या बदले गये हैं। यह इतनी ज्यादा बड़ी संख्या है कि पूरी पार्टी अगर मिलकर गिनना चाहे तो गिन नहीं पायेंगे।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अतुल प्रधान-

इस पर चर्चा के लिए तीन घण्टे का समय रखवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप लोग अव्यवस्था न फैलायें तो सब हो सकता है।†

प्रदेश में गन्ना किसानों के भुगतान की जानकारी

***15-श्री अतुल प्रधान-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान पेराई सत्र 2023- 24 में गन्ना किसानों का कितना गन्ना भुगतान बकाया है तथा उक्त बकाया को 14 दिन के अन्दर भुगतान कराने हेतु कोई नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

प्रदेश में वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के अन्तर्गत दिनांक 29-01-2024 की सूचना के अनुसार चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य रु0 16,424.16 करोड़ के सापेक्ष

नोट :- † तारांकित प्रश्न संख्या-14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

रु0 12,940.30 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो देय गन्ना मूल्य का 78.79 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में व्यवस्था प्राविधानित है। तत्क्रम में ही गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही कराई जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़कों की मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण कराने की योजना विषयक

***16-श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत तथा सुदृढ़ीकरण कराने की क्या योजना है ? यदि नही, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

सड़कों की मरम्मत किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इसके लिए सड़कों का नवीनीकरण, विशेष मरम्मत, सुदृढ़ीकरण कराया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में सड़कों के गड्ढा मुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

***17-श्री जियाऊर्रहमान-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में गड्ढा मुक्ति में कितनी धनराशि दिनांक 18-12-2023 तक खर्च करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में सभी ग्रामों के मार्गों का निर्माण कर सिंगल कनेक्टिविटी अथवा डबल कनेक्टिविटी द्वारा मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जितिन प्रसाद-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में गड्ढामुक्ति में दिनांक 18-12-2023 तक रु0 275.19 करोड़ आवंटित करते हुए मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना, नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नव निर्माण तथा ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नव निर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्ग के निर्माण की योजना प्रचलित है, जो कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में जमा धनराशि एवं निजी नलकूप हेतु विद्युत कनेक्शन दिये जाने की जानकारी

***18-श्री लालजी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी नलकूप के विद्युत कनेक्शन हेतु कतिपय कृषकों द्वारा सामान्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019 एवं 2020 में धनराशि जमा की गयी है ? क्या सरकार उक्त कृषकों को विद्युत कनेक्शन जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में सामान्य योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप के विद्युत संयोजन हेतु दिनांक 06-03-2019 तक पंजीकृत कृषकों को पूर्ण सामग्री निर्गत कर निजी नलकूप विद्युत संयोजन दिये गये हैं।

28,529 ऐसे कृषक हैं, जिनके द्वारा आवेदन 06-03-2019 के पश्चात् की तिथि में किया गया है। वर्तमान में पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत नलकूपों के विद्युत संयोजन निर्गत करने का कार्य किया जा रहा है। समस्त 28,529 आवेदकों को यह विकल्प दिया गया है कि वह पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत प्राक्कलन की शेष धनराशि जमा कर निजी नलकूप विद्युत संयोजन करा सकते हैं। अथवा जमा की गयी धनराशि को उनके द्वारा वापस लिया जा सकता है।

28,529 उपरोक्त कृषकों में से 2663 कृषकों द्वारा पूर्ण जमा योजना का विकल्प चुना गया है तथा उन्हें शेष धनराशि जमा कराकर संयोजन निर्गत किया जा रहा है।

267 कृषक आवेदकों ने धनराशि वापस लेने का विकल्प चुना है उन्हें धनराशि वापस की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में

***19-श्री तुफानी सरोज-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु कोई निश्चित शेड्यूल है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की 16-16 घण्टे कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति निर्धारित शेड्यूल के अनुसार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

विवरण संलग्न (संलग्नक-01)†

निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने हेतु प्रभावी कार्य योजना विषयक

***20-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले हानिकारक प्रभाव को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 अरुण कुमार)-

जी हां।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा उ0प्र0 राज्य की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2021-2030 का निरूपण किया गया है। उक्त कार्य योजना का राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त योजना वर्तमान में क्रियान्वित है।

कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन एवं शमन हेतु 09 मिशनों यथा सतत् कृषि मिशन, जल मिशन, स्थायी आवास मिशन, ग्रीन उ0प्र0 मिशन, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा मिशन, स्वास्थ्य मिशन, आपदा प्रबन्धन मिशन एवं सामरिक ज्ञान मिशन के अन्तर्गत चिन्हित 41 रणनीतियों के अनुसार अनुसंधान, कार्यान्वयन, नीति एवं क्षमता निर्माण से सम्बन्धित कुल 187 कार्यवाही बिन्दु निर्धारित हैं। उक्त रणनीतियों एवं कार्यवाही के बिन्दुओं से सम्बन्धित विभागों द्वारा उक्त कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :- † देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ठ संख्या-311 पर।

अतारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

1-श्री अरमान खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड में मल्लपुर सम्पर्क मार्ग से पक्का बाग की सड़क तक होते हुए मल्लपुर चौराहे से मंदिर तक सड़क मार्ग न होने से कच्चे रास्ते पर जलभराव होने के कारण आने-जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश) -

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत यमुना नदी के पुल से सुजावन देव मंदिर (भोलेनाथ मंदिर), नैनी तक बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

2-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत यमुना नदी के पुल से सुजावन देव मन्दिर (भोले नाथ मन्दिर), नैनी तक बांध निर्माण न होने से महाकुम्भ/कुम्भ में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यमुना नदी के पुल से सुजावन देव मन्दिर (भोले नाथ मन्दिर), नैनी तक बाँध का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

यमुना नदी के दायें किनारे का भूमि तल, उच्चतम् बाढ़ स्तर से ऊँचा है। इस क्षेत्र में बांध बनाये जाने की तकनीकी रूप से आवश्यकता नहीं है। यमुना नदी के पुल से सुजावन देव मन्दिर (भोले नाथ मन्दिर), नैनी तक पूर्व से ही पक्के मार्ग अवस्थित है, जो कि वर्तमान में आवागमन हेतु सुलभ है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर की तहसील बिंदकी के अन्तर्गत ग्राम बड़ा बगहा से गंगा घाट गुआड़ा कोटिया तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

3-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिंदकी के अन्तर्गत ग्राम बड़ा बगहा से गंगा घाट गुआड़ा कोटिया तक लगभग 04 किलोमीटर मार्ग

कच्चा, क्षतिग्रस्त/गड्ढायुक्त होने के कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 5.30 कि0मी0 है, जिसमें बड़ा बगहा से उसरहापुरवा तक लम्बाई 0.900 कि0मी0 का अनुरक्षण कार्य पंचायती राज विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में प्रस्तावित है। आगे लम्बाई 0.700 कि0मी0 मार्ग खड़न्जा स्तर का है। चैनेज 1.600 से चैनेज 3.600 (सहइयापुरवा से कोटिया) तक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की पी0एम0जे0एस0वाई0 योजनान्तर्गत स्वीकृत है। शेष चैनेज 3.600 से चैनेज 5.300 (कोटिया) तक लोक निर्माण विभाग की विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के जनपदों को उनकी अथॉरिटी देने के सम्बन्ध में

4-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने जनपद हैं जिनकी अथॉरिटी दूसरे जनपद से सम्बद्ध है ? क्या सरकार ऐसे जनपदों को अपनी स्वयं की अथॉरिटी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

उ0प्र0 प्रदेश में 07 जनपदों की आंशिक आथॉरिटी दूसरे जनपदों से सम्बद्ध है।

प्राधिकरण के गठन के सम्बन्ध में जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

उक्तानुसार।

जनपद लखनऊ शहर में सीतापुर रोड स्थित ताड़ीखाना चौराहा से डुडौली एल्डिको कालोनी होते हुए आई0आई0एम0 रोड सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में सीतापुर रोड स्थित ताड़ीखाना चौराहा से डुडौली एल्डिको कालोनी होते हुए आई0आई0एम0 रोड सम्पर्क मार्ग गहरे गड्ढों में परिवर्तित हो जाने के कारण आवागमन योग्य नहीं है ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद लखनऊ स्थित सीतापुर रोड के ताड़ीखाना चौराहे से डुडौली एल्डिको कालोनी होते हुए आई0आई0एम0 रोड तक के मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 5.50 कि0मी0 है। इस मार्ग के आई0आई0एम0 मार्ग से ककौली चौराहे तक के भाग, 2.20 कि0मी0 लम्बाई में से 1.00 कि0मी0 मार्ग की दशा सन्तोषजनक है। 1.20 कि0मी0 भाग विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृत है। शेष 3.30 कि0मी0 मार्ग में 2.70 कि0मी0 मार्ग पर नगर निगम लखनऊ द्वारा पैच मरम्मत का कार्य कराया गया है। 0.600 कि0मी0 मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती में वॉल्टरगंज चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने एवं गन्ना किसानों को भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

6-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती में वाल्टरगंज चीनी मिल कब से बन्द है एवं वाल्टरगंज चीनी मिल पर गन्ना किसानों का कितना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य एक माह में भुगतान सहित बन्द वाल्टरगंज चीनी मिल को पुनः चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद बस्ती में स्थित चीनी मिल गोविन्दनगर शुगर (ए यूनिट ऑफ फेनिल शुगर्स प्रा0 लि0) वाल्टरगंज पेराई सत्र, 2017-18 में पेराई कार्य करने के उपरान्त से बन्द चल रही है। प्रश्नगत चीनी मिल पर अद्यतन दिनांक 29-01-2024 तक पेराई सत्र, 2016-17 एवं 2017-18 का क्रमशः रु0 20.89 करोड़ एवं रु0 19.65 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

चीनी मिल वाल्टरगंज के विरुद्ध सन्दर्भित पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु पृथक-पृथक वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत है। प्रश्नगत चीनी मिल निजी क्षेत्र की चीनी मिल है जिसका अपना प्रबन्धतंत्र है। चीनी मिल को पुनः चलाये जाने का निर्णय उनके प्रबन्धतंत्र द्वारा ही लिया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर की प्रमुख बाजार रामनगर में बाईपास मार्ग का निर्माण करने के सम्बन्ध में

7-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर की प्रमुख बाजार रामनगर में अनेकों शिक्षण संस्थान, आलापुर तहसील, व्यापारिक प्रतिष्ठान व अनेकों बैंक तथा विभिन्न विभागों के कार्यालय स्थित हैं जिससे रामनगर चौक में प्रतिदिन ट्रैफिक जाम लगा रहता है ? क्या सरकार रामनगर बाजार में बाईपास मार्ग का निर्माण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत बसखारी-जहांगीरगंज-राजेसुल्तानपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0-13 में रामनगर बाजार स्थित है। राष्ट्रीय मार्ग-328ए, रामनगर बाजार में चौक से क्रास करता है। प्रश्नगत रामनगर बाजार में बाईपास के निर्माण हेतु लम्बाई 9.00 कि0मी0 तथा भूमि अध्याप्ति सहित अनुमानित लागत रु0 48.00 करोड़ है, जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला अब्बास नगर व हसमत नगर की सड़कों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

8-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में मोहल्ला अब्बास नगर व हसमत नगर की सड़कें/गलियाँ गड्ढायुक्त होने के कारण उक्त क्षेत्रों में जल भराव रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार मोहल्ला अब्बास नगर व हसमत नगर की सभी गलियों व सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा मोहल्ला अब्बास नगर व हसमत नगर में सड़क एवं नाली के निर्माण से सम्बन्धित कतिपय कार्य कराये गये हैं :-

1-वार्ड नं0-62 मोहम्मद अब्बास नगर में शकील से लियाकत की दुकान तक एवं बिस्मिला से नत्थू के मकान तक कच्ची गलियों में आर0सी0सी0 नाली व कलर्ड इण्टरलॉकिंग स्ट्रिप के साथ इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य।

2-वार्ड नं0-62 मोहम्मद अब्बास नगर गली नं0-03 में साबरा से भोला के मकान तक कच्ची गली में आर0सी0सी0 नाली व कलर्ड इण्टरलॉकिंग स्ट्रिप के साथ इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण का कार्य।

3-वार्ड नं0-62 अब्बास नगर में शमशुद्दीन फौजी के मकान से राहुल मेडिकल तक कच्ची गली में आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य।

4-वार्ड नं0-62 हसमत नगर में शकीला नईम हॉस्पिटल से आमीन होते हुए बम्बा बाईपास तक क्षतिग्रस्त रोड पर आर0सी0सी0 नाली व सी0सी0 द्वारा सड़क एवं आर0सी0सी0 ट्रीगार्ड के साथ वृक्षारोपण का कार्य।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के सम्बन्ध में

9-श्री अतुल प्रधान-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिये कोई नीति सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नयी पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों तथा सामान्यजन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है।

जनपद जौनपुर के ग्राम डांडीधीह, वि0ख0 करंजाकला तथा ग्राम चकिया, वि0ख0 रामनगर के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में

10-श्री जगदीश नरायण-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ग्राम डांडीधीह, वि0ख0 करंजाकला तथा ग्राम चकिया, वि0ख0 रामनगर के विद्युतीकरण हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जौनपुर के ग्राम डांडीधीह, वि0ख0-करंजाकलजा तथा ग्राम चकिया वि0ख0-रामनगर में विद्युतीकरण का कार्य आर0डी0एस0एस0 में प्रस्तावित है। योजना में प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विद्युत सब-स्टेशन 33 के0वी0 कबीरूद्दीनपुर को जासोपुर पूर्वांचल 132 के0वी0 तथा बरदह 132 के0वी0 से जोड़ने की माँग

11-श्री जगदीश नरायण-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विद्युत सब-स्टेशन 33 के0वी0 कबीरूद्दीनपुर को जासोपुर पूर्वांचल 132 के0वी0 तथा बरदह 132 के0वी0 से जोड़ने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-जौनपुर अन्तर्गत विद्युत सब-स्टेशन 33/11 के0वी0 कबीरूद्दीनपुर को 132 के0वी0 बरदह विद्युत उपकेन्द्र से जोड़ने का कार्य अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2023-24 अन्तर्गत कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के कतिपय 33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशनों पर अतिरिक्त फ्रीडर लगाये जाने की माँग

12-श्री जगदीश नरायण-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के 33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन इमलों, कबूलपुर, बराई पर अतिरिक्त फीडर लगाने की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-जौनपुर के 33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन इमलों, कबूलपुर, बराई पर अतिरिक्त फीडर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र शाहबड़ेपुर के अन्तर्गत ग्राम कबूलपुर (बराई) की दूरी 1500 मीटर के लगभग है जो कि जमैथा फीडर की मेन लाईन पर है। गांव में अतिरिक्त बिजनेस प्लान योजना में 63 के0वी0ए0 स्वीकृत हो गया है जिसको फरवरी, 2024 में ऊर्जीकृत किया जाना लक्षित है एवं दो 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि हुयी है तथा गांव में लगभग 100 विद्युत उपभोक्ता हैं। अतः उपरोक्त गांव हेतु अतिरिक्त फीडर की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में कतिपय मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री जगदीश नरायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में प्रधानपुर कुसिया, कबीरूद्दीनपुर त्रिलोचन मार्गों का नवीनीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जफराबाद में प्रधानपुर कुसियां मार्ग की लम्बाई 4.50 कि0मी0 है जिसमें 1.20 कि0मी0 लम्बाई विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है। शेष 3.30 कि0मी0 लम्बाई नवीनीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत है तथा कबीरूद्दीन-त्रिलोचन मार्ग की लम्बाई 24.35 कि0मी0 है, जिसमें 1.82 कि0मी0 लम्बाई विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है एवं लम्बाई 13.130 कि0मी0 की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। अवशेष मार्ग 9.40 कि0मी0 गड्ढामुक्त है जिसमें नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में लोक निर्माण विभाग के मार्गों के गड्ढामुक्त एवं विशेष मरम्मत कराये जाने की जानकारी के सम्बन्ध में

14-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में लोक निर्माण विभाग के कुल कितने मार्ग हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान में उक्त मार्गों में कौन-कौन से मार्ग गड्ढामुक्त तथा कौन-कौन से मार्ग नवीनीकृत हुये हैं एवं कौन से मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य हुआ है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कुल 448 मार्ग है। वर्तमान में गड्ढामुक्त योजनान्तर्गत 52 मार्गों, नवीनीकरण योजनान्तर्गत 30 मार्गों तथा विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत 15 मार्गों पर कार्य कराये गये हैं।

विवरण संलग्न† है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के श्रीनगर ग्राम पंचायत में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

15-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के श्रीनगर ग्राम पंचायत में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापा नहीं गया।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के श्रीनगर ग्राम पंचायत में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के लालगंज में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

16-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के लालगंज में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के लालगंज अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी महानगर के वार्ड नं0-39 नाले वाले क्षेत्र में आवासित लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

17-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी महानगर के वार्ड नं0-39, नाले वाले बाग क्षेत्र में आवासित लोगों को मूलभूत सुविधाओं (जैसे सड़क, नाली, पाइपलाइन इत्यादि) का अभाव होने के कारण स्थानीय निवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा सड़क एवं नाली न होने के कारण मकानों के सामने गन्दा पानी जमा हो जाता है तथा पाइपलाइन न होने के कारण लोगों को बोरिंग का विषैला पानी पीने के लिए विवश होना पड़ रहा है ? क्या सरकार झांसी महानगर के वार्ड नं0-39 नाले वाले क्षेत्र में आवासित लोगों को उक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर निगम झाँसी द्वारा वार्ड न0-39 में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कार्य कराये गये हैं :-

1-वार्ड नं0 39 में संजय मकरानी के मकान से मोहसिन के मकान के आगे तक नाला मरम्मत का कार्य।

2-वार्ड नं0-39 पीताम्बरा नगर कॉलोनी में सड़क सुधार एवं पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य।

3-वार्ड नं0-39 दतियागेट बाहर कुशवाहा के खेत से नाले की पुलिया का मरम्मत का कार्य।

4-वार्ड नं0-39 में हीरा सिंह के मकान से सीताराम पाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलॉकिंग टाइल्स निर्माण का कार्य।

5-वार्ड नं0-39 दतियागेट बाहर चूड़ी वाली गली में पप्पू कुशवाहा के मकान से सोनू के मकान से आकाश के मकान होते हुए राजेश कुशवाहा के आगे नाले की पुलिया तक सड़क सुधार का कार्य।

उपर्युक्त विकास कार्यों के अतिरिक्त वार्ड नं0-39 में अन्य विकास कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर हैं।

उक्त के अतिरिक्त वार्ड न0-39 में अमृत योजना के अन्तर्गत पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के नगर निगम क्षेत्र झांसी में विद्युत खम्भों पर स्थापित स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

18-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी के नगर निगम क्षेत्र झांसी में विद्युत खम्भों पर स्थापित स्ट्रीट लाइटें खराब होने के बाद मरम्मत नहीं की जा रही है, जिस कारण झांसी महानगर की अनेक सड़कों पर अन्धकार रहता है और आम जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित विद्युत खम्भों पर स्थापित स्ट्रीट लाइटों के खराब होने पर मार्ग प्रकाश विभाग नगर निगम, झांसी तथा ई0ई0एस0एल0 की टीम द्वारा सम्बद्ध रूप से स्ट्रीट लाइटों को ठीक करा दिया जाता है। वर्ष 2023-2024 में नगर निगम द्वारा कुल 814 नग स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करायी गई हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी में माताटीला टर्बाइन से पेयजल की निर्बाध आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

19-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी की पेयजल आपूर्ति माताटीला से प्राप्त 65 एम0एल0डी0 पानी से की जाती है, परन्तु माताटीला टर्बाइन से पर्याप्त मात्रा में पानी न मिल पाने तथा पाइपलाइन में कई जगह वॉल्व खराब होने एवं लीकेज की समस्या के कारण झाँसी में पेयजल आपूर्ति बाधित होती है ? क्या सरकार माताटीला से झाँसी पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-झांसी में माताटीला बांध स्थित टरबाईनों के पैनस्टाक के माध्यम से कच्चा जल ग्रेविटी मेन द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जिससे झांसी-बबीना पेयजल योजना (45 एम0 एल0डी0) एवं झांसी आवर्धन पेयजल योजना (110 एम0 एल0डी0) द्वारा नगर निगम, झाँसी को 87-90 एम0एल0डी0 तथा जनपद-झांसी में स्थापित अन्य उपभोक्ताओं को 43 एम0एल0डी0 पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 द्वारा अपनी टरबाईन की मरम्मत करने के कारण तीन में से एक पैनस्टॉक को बन्द कर दिये जाने के कारण एवं ग्रीष्म काल में एक से दो सप्ताह तक माताटीला बांध का जल स्तर न्यूनतम् रहने के कारण 2 से 4 एम0एल0डी0 कच्चे जल की कमी रह जाती है।

वर्तमान में माताटीला बांध का जल स्तर सामान्य होने के कारण नगर निगम, झाँसी को 87-90 एम0एल0डी0 पेयजलापूर्ति की जा रही है। यदि रॉ-वॉटर अथवा क्लीयर वाटर पाइप लाइन में लीकेज होता है, तो उसे शीघ्रता से मरम्मत का कार्य करा दिया जाता है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निगम, झांसी में आवश्यक पेयजलापूर्ति हेतु झांसी पुनर्गठन पेयजल योजना फेज-1 एवं झांसी पुनर्गठन पेयजल योजना फेज-2 का कार्य स्वीकृत किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत 195 एम0एल0डी0 का इन्टेक वेल तथा 195 एम0एल0डी0 का वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निगम, झांसी के वंचित क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति हेतु अवशेष वितरण प्रणाली एवं गृह संयोजन का कार्य पूर्ण कराने के

दृष्टिगत शासन द्वारा 05-10-2023 को रु0 157.37 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों से पशुओं को बाहर करने के लिये पशुपालकों को सस्ती जमीन, बिजली, पानी आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

20-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों से पशुओं को बाहर करने के लिये पशुपालकों को सस्ती जमीन, बिजली, पानी आदि उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 के शासनादेश दिनांक 24-06-1998 द्वारा शहर की घनी आबादी से मवेशियों को स्थानान्तरित किये जाने के उद्देश्य से शहर की बाहरी परिधि पर 'कैटिल कालोनी' के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। कैटिल कालोनी में पशुपालकों को भू-खण्ड एवं पहुंच मार्ग, जल आपूर्ति, सामुदायिक शौचालय, स्ट्रीट लाईट इत्यादि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। कैटिल कालोनी हेतु स्थल चयन एवं उसके विकास के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है। मवेशियों को शहर के मध्य से हटाये जाने का कार्य निकाय द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

एस0एच0-59 मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग पर लगे टोल के कारण क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत टोल वसूलने वाली संस्था से कराये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एच0-59 मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग पर लगे अधिकृत टोल प्लाजा तथा रोहन गांव के सम्पर्क मार्ग पर लगे बूम बैरियर के कारण वाहनों का अधिक आगमन हो जाने से गांव के सभी मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि टोल वसूलने वाली संस्था उपशा के नियम में उक्त मार्ग को मरम्मत/रख-रखाव का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को कब तक बनवा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त बूम बैरियर को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग गन्ना विकास परिषद् के अधीन है जिस पर टोल वसूलने की कार्यवाही उपशा द्वारा की जा रही है। बूम बैरियर को जोड़ने वाले लोक निर्माण के मार्ग वर्तमान में संतोषजनक हैं एवं इन पर यातायात सुगम है।

कंसेशन अनुबन्ध के क्लाज 27.8 के अन्तर्गत टोल प्लाजा से 10 कि0मी0 के अन्दर निकलने वाले मार्गों का उपयोग यदि वाहनों द्वारा जान बूझकर पथकर से बचने के लिये किया जा रहा है तो इसके लिये अतिरिक्त बूम बैरियर लगाये जाने का प्राविधान है।

जनपद झांसी स्थित उ0प्र0 आवास विकास परिषद् की तालपुरा योजनान्तर्गत मौजा तालपुरा की खाता संख्या-141 व गाटा सं0-300/3 की डिजिटल पैमाइश विषयक

22-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, झांसी की तालपुरा योजना के अन्तर्गत मौजा तालपुरा की खाता सं0-141, गाटा सं0-300/3 की डिजिटल पैमाइश करवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-208944, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित तालपुरा योजना, झांसी के मौजा तालपुरा की खाता संख्या-141, गाटा संख्या-300/3 की भूमि से सम्बन्धित पैमाइश किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी (सदर), झांसी के कार्यालय ज्ञाप संख्या-603/एस0टी0-2023, दिनांक 30-11-2023 द्वारा राजस्व विभाग एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के कर्मचारियों की संयुक्त टीम गठित की गयी। उक्त गठित टीम के द्वारा दिनांक 12-12-2023 को पैमाइश की गयी, परन्तु पैमाइश की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी। पुनः उप जिलाधिकारी (सदर), झांसी के पत्रांक 960/एस0टी0-2024 दिनांक 04-01-2024 द्वारा राजस्व विभाग एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के कर्मचारियों की संयुक्त टीम गठित की गयी। टीम द्वारा दिनांक 07-01-2024 को की गयी स्थलीय जाँच व अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौजा तालपुरा की गाटा संख्या-300 व 302 में घनी आबादी विकसित होने के कारण राजस्व नक्शें के आधार पर पैमाइश किया जाना सम्भव नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पैमाइश हेतु वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करने हेतु जिलाधिकारी, झांसी से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के तहसील गरौठा में किसानों के निजी ट्यूबवेल कनेक्शन हेतु विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी

23-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के तहसील गरौठा में खरीफ फसलों की बुआई एवं रवी फसलों की बुआई हेतु किसानों के निजी ट्यूबवेल संचालन हेतु 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-105336, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्तमान में कृषि पोषकों को रोस्टर के अनुरूप स्थानीय व्यवधान को छोड़कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा की कतिपय सड़कों को गड्ढामुक्त कराये जाने सम्बन्धी

24-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत ब्लाक बामौर, मोंठ, चिरगांव गुरसराय आदि में ककरवई धमनौंड, देवरी धनौरा, गरौठ मोतीकटरा एरच-टेरका, लोहागढ़ सेरसा, चेलरा कुम्हरिया अमरा, पनारी से झांसी कानपुर हाइ-वे मार्ग, एरच डिकौली कुरैठा तथा गुरसराय-हैबतपुरा आदि सड़कों को गड्ढामुक्त एवं मरम्मत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0 2213256, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्न में उल्लिखित पत्रांक के स्थान पर पत्र क-7 सं0 221325 दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 प्राप्त हुआ है।

जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र के गरौठा के अन्तर्गत ब्लाक बागौर, मोठ, चिरगॉव, गुरसराय में उल्लिखित मार्ग क्रमशः गढवईख ककरवई, धमनौड सड़क मार्ग-लम्बाई 20.850 किमी0, देवरी से धनौरा तक सड़क मार्ग-लम्बाई-11.500 किमी0, गरौठा से मोतीकटरा सड़क मार्ग-लम्बाई-14.770 किमी0, एरच-टेहरका तक सड़क मार्ग-लम्बाई 31.350 किमी0, लोहागढ सेरसा तक सम्पर्क मार्ग-लम्बाई 8.00 किमी0, पनारी से झांसी

कानपुर हाई-वे सम्पर्क मार्ग-लम्बाई-2.553 किमी0, एरच ढिकौली कुरैठा सड़क मार्ग-लम्बाई-17.240 किमी0, गुरसराय-हैवतपुरा सड़क मार्ग-लम्बाई-2.00 कि0मी0 की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है तथा चेलरा कुम्हरिया अमरा सम्पर्क मार्ग-लम्बाई 30.220 कि0मी0 मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है। मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा ऋणी मृत किसानों के वारिसानों का ब्याज माफ कराये जाने की मांग

25-श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी-

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा ऋणी मृत किसानों के वारिसानों की ब्याज माफ कराने की सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर)-

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में 'मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना-2003' दिनांक 30-09-2023 से लागू है, जिसे दिनांक 31-03-2024 तक विस्तारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत महर्षि विद्या मन्दिर फतेहपुर से कोराई होते हुए बिन्दकी जाने वाली पुरानी मुगल रोड का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गयादीन दुबे के नाम पर रखे जाने की माँग

26-श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर अन्तर्गत महर्षि विद्या मन्दिर फतेहपुर से कोराई होते हुए बिन्दकी जाने वाली पुरानी मुगल रोड का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गयादीन दुबे के नाम पर रखे जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत महर्षि विद्या मन्दिर फतेहपुर से कोरांई होते हुए बिन्दकी जाने वाली पुरानी मुगल रोड अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 10.00 कि0मी0 है। मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गयादीन दुबे के नाम पर रखे जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत मौहार से कनेरी तक, बैजानी से जैतपुर नदी पुल तक, धमिना से भगवन्तपुर तक, पचभिटा से शिवपुर तक एवं तारापुर जू0हा0 से ईशापुर तक सम्पर्क मार्गों का नव निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम मौहार व कनेरी लेपित मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। दोनों ग्रामों के मध्य दूरी की लम्बाई 2.50 कि0मी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम बैजानी एवं ग्राम जैतापुर लेपित मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। ग्राम बैजानी एवं जैतपुर के बीच छूटी कड़ी की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। भगवंतपुर एवं धमिना दोनों ग्राम लेपित सम्पर्क मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। इन दोनों ग्रामों के मध्य दूरी की लम्बाई 1.50 कि0मी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम पचभिटा एवं शिवपुर पूर्व में लेपित सतह सम्पर्क मार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं। ग्राम पचभिटा एवं ग्राम शिवपुर के मध्य दूरी की लम्बाई 0.500 कि0मी0 है। लम्बाई 1.00 कि0मी0 से कम होने के कारण दो ग्रामों को आपस में जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

तारापुर जू0हा0 से ईशापुर दोनों ग्राम लेपित सम्पर्क मार्ग द्वारा जुड़े हुए है। इन दोनों ग्रामों के मध्य दूरी की लम्बाई 2.50 कि0मी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के विभिन्न गाँवों में मकानों के ऊपर से गुजर रही एच0टी0 लाईन को हटाये जाने की माँग

28-श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न गाँवों में मकानों के ऊपर से गुजर रही एच0टी0 लाईन को हटाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मकानों के ऊपर से गुजर रही एच0टी0 लाइन स्थानान्तरित करने का कार्य जमा योजना के अन्तर्गत तकनीकी फीजिबिलिटी के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पॉलीथीन बैगों से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश में पॉलीथीन बैग के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने की माँग

29-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पॉलीथीन बैगों से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश में पॉलीथीन बैग के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

जी हां।

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ)-2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा समस्त प्रकार की निस्तारण योग्य (Disposable) प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात व निर्यात को दिनांक 02-10-2018 से प्रतिबंधित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत चोरी के मामले में दर्ज एफ0आई0आर0 की संख्या एवं उन पर कृत कार्रवाई की जानकारी

30-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं पर विद्युत चोरी के मामले में कितनी संख्या में एफआईआर दर्ज कराई गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरणों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में दिनांक 01-04-2023 से 31-01-2024 तक विद्युत चोरी के 1,25,047 प्रकरणों में एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है।

उक्त विद्युत चोरी के सापेक्ष 1,22,990 प्रकरणों में राजस्व निर्धारण किया जा चुका है, 19,543 प्रकरणों में धारा-3 एवं 5,869 प्रकरणों में धारा-5 की नोटिस प्रेषित की जा चुकी है। ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के 13,995 प्रकरणों का समाधान किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं निजी योजनाएं के तलपट मानचित्र, भवन मानचित्र को सही किये जाने के प्रावधान का विवरण

31-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं एवं निजी योजनाओं के तलपट मानचित्र, भवन मानचित्र, जो समय-समय पर स्वीकृत हुई है, में से कितनी योजनाओं का भू-उपयोग कानपुर महायोजना-2031 प्रारूप से भिन्न है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त स्वीकृत योजनाओं के तलपट मानचित्र व भवन मानचित्र भू-उपयोग से भिन्न होने के कारण निरस्त कानपुर महायोजना-2031 प्रारूप को सही किये जाने के प्रावधान का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में से 23 योजनाओं का भू-उपयोग कानपुर महायोजना-2021 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न पाया गया, जोकि कानपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) में भी भिन्न पाया गया है। उक्त के अतिरिक्त निजी विकासकर्ता की स्वीकृत एक इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के तलपट मानचित्र के अधिकांश भाग का भू-उपयोग कानपुर महायोजना-2021 से भिन्न पाया गया, जोकि कानपुर महायोजना 2031 (प्रारूप) में भी भिन्न पाया गया है। महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत निम्न प्राविधान हैं-

प्राधिकरण महायोजना या आंचलिक विकास योजना में कोई संशोधन कर सकेगा, जिसे वह ठीक समझे, जो संशोधन, उसकी राय में योजना की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन न करे और जो भूमि के प्रयोग की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानक से सम्बन्धित न हो।

राज्य सरकार महायोजना या आंचलिक विकास योजना में संशोधन कर सकेगी, चाहे ऐसी योजना उप- धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की हो या अन्यथा।

योजना में कोई संशोधन करने के पूर्व प्राधिकरण या यथास्थिति, राज्य सरकार विकास क्षेत्र में परिचालित कम से कम एक समाचार-पत्र में ऐसी तिथि के पूर्व, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए नोटिस प्रकाशित करेगी और सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगी, जो प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये जाएं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गोपालनगर को जाने वाला मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

32-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन से गोपालनगर को जाने वाला मार्ग बरसात में बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग (कुल लम्बाई 4.00 किमी0) राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु कोई योजना प्रचिलत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में जनवरी 2022 से 18 दिसम्बर, 2023 तक हरा पेड़ काटने के मामलों में वन विभाग द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही किये जाने की माँग

33-श्री मोहन वर्मा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में जनवरी, 2022 से 18 दिसम्बर, 2023 तक, हरा पेड़ काटने के कितने मामलों में वन विभाग द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है तथा कितनी मात्रा में (वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा) हरे पेड़ की लकड़ी बरामद की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

जनपद कुशीनगर में जनवरी, 2022 से 18 दिसम्बर, 2023 तक वृक्ष काटने के कुल 303 मामलों में भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है एवं 43.902 घनमीटर प्रकष्ठ बरामद किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में पगरा रामनगर सोहसा सड़क का निर्माण अन्य जिला सम्पर्क मार्ग योजना (ओडीआर) के तहत कराये जाने के सम्बन्ध में

34-श्री मोहन वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में पगरा रामनगर सोहसा सड़क की स्थिति जर्जर है ? क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण अन्य जिला सम्पर्क मार्ग योजना (ओडीआर) के तहत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र में पगरा रामनगर सोहसा मार्ग, अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की लम्बाई 8.30 कि0मी0 है एवं लेपित सतह की चौड़ाई 3.75 मी0 है। वर्तमान में मार्ग गड्ढामुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों को सम्पन्न बनाने हेतु गन्ना मूल्य रु0 चार सौ प्रति कुन्तल किये जाने की माँग

35-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सम्पन्न बनाने हेतु गन्ना मूल्य रु0 चार सौ प्रति कुन्तल गन्ने का भाव करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

राज्य सरकार द्वारा सुसंगत पहलुओं के आलोक में हितबद्ध पक्षों को सुनकर सम्यक् विचारोपरान्त कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रत्येक पेराई सत्र हेतु गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य का निर्धारण किया जाता है। तद्नुसार ही गत पेराई सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में रु0 20.00 प्रति कुन्तल की वृद्धि करते हुए वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती, सामान्य एवं अनुपयुक्त प्रजातियों के राज्य परामर्शित मूल्य की दरें क्रमशः रु0 370.00, रु0 360.00 एवं रु0 355.00 प्रति कुन्तल निर्धारित की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार

36-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज मुख्यालय पर निरीक्षण भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में

37-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज मुख्यालय जोकि जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है पर कोई भी निरीक्षण भवन नहीं है ? क्या (तेंदुआईकला) जहांगीरगंज विकास खण्ड मुख्यालय पर निरीक्षण भवन बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद अम्बेडकरनगर में विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड-रामनगर में पूर्व से ही निरीक्षण भवन, आलापुर में स्थित है जिसकी राजेसुल्तानपुर से कुल दूरी 30 कि0मी0 है। उक्त निरीक्षण भवन का उपयोग मा0 जनप्रतिनिधियों एवं वी0वी0आई0पी0 द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद मुख्यालय पर निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त औचित्य पाये जाने पर तहसील मुख्यालय पर भी निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस बनाया जाता है। उक्त के इतर अन्य स्थान पर निरीक्षण भवन/गेस्ट हाउस बनाये जाने की व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के टाडा, बिजवाड़ा, रमाला तथा जिमाना-जिमानी में नये 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

38-डॉ0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के कई उपकेन्द्रों पर कम वोल्टेज से कटौती करनी पड़ती है ? क्या सरकार टाडा, बिजवाड़ा, रमाला तथा जिमाना-जिमानी में नये 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

स्थानीय व्यवधानों को छोड़कर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

ग्राम टाडा, बिजवाड़ा, रमाला तथा जिमाना-जिमानी में 04 नये 33/11 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण रिवैम्प्ड योजना के मॉर्डनाइजेशन के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

एन0 टी0 पी0 सी0 टाण्डा, अम्बेडकरनगर से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में

39-श्री लालजी वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0टी0पी0सी0 टाण्डा, अम्बेडकरनगर से उत्सर्जित राख से उक्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रदूषण की समस्या है ? यदि हां, तो उक्त प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स एन0टी0पी0सी0 (स्टेज-1 एवं स्टेज-2), विद्युत नगर, टाण्डा, अम्बेडकरनगर एक पावर प्लाण्ट उद्योग है तथा स्टेज-1 इकाई वर्ष 1988 एवं स्टेज-2 इकाई जो वर्ष 2019 से स्थापित एवं संचालित है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में कोयला तथा पानी का प्रयोग करते हुए स्टेज-1 इकाई में 4x110 मेगावाट एवं स्टेज-2 इकाई में 2x660 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। स्टेज-1 में लगभग 7200 मिट्रिक टन प्रतिदिन एवं स्टेज-2 में लगभग 22000 मिट्रिक टन प्रतिदिन कोयला का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। उद्योग में विद्युत उत्पादन प्रक्रिया में कोयले की प्रज्ज्वलन से राख जनित होती है जिसके निस्तारण हेतु राख में जल मिश्रित करते हुए ऐशस्लरी के रूप में उद्योग से पाइप लाइन के माध्यम से ऐशडाइक तक पहुंचाये जाने की व्यवस्था स्थापित है तथा ऐश डाइक से जनित उत्प्रवाह को पुनः चक्रित कर ऐशस्लरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। उद्योग में स्टेज-1 में 4x364 टी0पी0एच0 के ब्वायलर स्थापित हैं, जिनमें 2x364 टी0पी0एच0 एवं अन्य 2x364 टी0 पी0 एच0 ब्वायलर से सम्बद्ध पृथक-पृथक 120 मी0 ऊँची आर0सी0सी0 चिमनी तथा प्रत्येक ब्वायलर के साथ पृथक-पृथक ई0एस0पी0 स्थापित/संचालित हैं।

उद्योग के कोल हैण्डलिंग एरिया में कोल डस्ट के सप्रेसन हेतु प्री-वेटिंग (Pre-Wetting) व्यवस्था एवं वैगन टिपलर पर Dry Fog Dust Suppression System की व्यवस्था स्थापित है। उद्योग में क्रशर हाउस पर Dust Extraction Dust Suppression System स्थापित है। कोल यार्ड एवं कोल कन्वेयर बेल्ट्स पर वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था स्थापित है। उद्योग द्वारा वाहनों के परिवहन मार्ग पर ट्रैक्टर माउन्टेड स्प्रिंकलर्स के माध्यम से डस्ट सप्रेसन का कार्य किया जाता है।

स्टेज-2 इकाई में 2x2100 टी0पी0एच0 क्षमता का ब्वायलर स्थापित है, जिनमें उत्सर्जित हेतु फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग 275 मी0 ऊँची आर0सी0सी0 निर्मित एक चिमनी स्थापित है। वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में पृथक-पृथक ई0 एस0 पी0 स्थापित है। उद्योग द्वारा निस्तारित हो रहे चिमनी पर ऑनलाइन उत्सर्जन मापन सिस्टम की स्थापना कर ली गयी है तथा डाटा सर्वर से कनेक्ट है। उद्योग में स्थापित चिमनियों का समय-समय पर अनुश्रवण कार्य किया जाता है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या द्वारा उद्योग में स्थापित चिमनियों का अनुश्रवण दिनांक 24-01-2024 को किया गया। विश्लेषण आख्यानुसार पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा क्रमशः 26.82mg/Nm3, एवं 81.43 mg/Nm3 पायी गयी है, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

ग्राम रायपुर, परगना व तहसील टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी की भूमि गाटा संख्या-215 का मुआवजा दिलाये जाने की माँग

40-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के चौड़ीकरण में श्री हृदय नारायण विश्वकर्मा पुत्र श्री जियालाल, ग्राम रायपुर परगना व तहसील टाण्डा, जिला अम्बेडकरनगर की खतौनी की भूमि गाटा संख्या-215 को बिना प्रतिकर का भुगतान किए ही उक्त मार्ग में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि तथा उसमें बने मकान का मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्यानुसार भूस्वामी श्री जियालाल पुत्र श्री खुड़भुड़ से पूर्व में ही अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अम्बेडकरनगर द्वारा उक्त ग्राम रायपुर के गाटा सं0-215, रकबा 0.100 हे0 को क्रय कर लिया गया था, जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 14 जून, 2013 को अधिसूचित किया गया। पूर्व में क्रय किए जाने के कारण ग्राम रायपुर के अभिनिर्णय दिनांक 03-09-2015 से उक्त गाटे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरत कर दिया गया।

उक्त ग्राम हेतु धारा-3डी के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित द्वितीय अधिसूचना दिनांक 23-08-2018 में गाटा संख्या-215, रकबा 0.0028 हे0 का अभिनिर्णय दिनांक 02-01-2019 को घोषित कर भू-स्वामी श्री हृदय नरायन, श्री देव नरायन व श्री शिव नरायन पुत्रगण श्री जियालाल को क्रमशः एक-तिहाई भाग के रूप में रु0 18307.00 की धनराशि का भुगतान दिनांक 01-09-2020 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका है, जबकि परिसम्पत्तियों के प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के पुन्नछा नसीरपुर मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में पुन्नछा-नसीरपुर मार्ग (मदन के खेत) से गांव बलालपुर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 700 मीटर क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम बलारपुर, नसीरपुर उरावल मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी0-9 में स्थित है, उक्त मार्ग की दशा सन्तोषजनक है। प्रश्नगत मार्ग द्वारा ग्राम को दूसरी ओर से जोड़ने की माँग की गयी है।

प्रकरण डबल कनेक्टिविटी से आच्छादित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (अवधेश के मकान) से नाहर सिंह के मकान (पिड़सरा डावर मार्ग) तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने की माँग

42-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (अवधेश के मकान) से नाहर सिंह के मकान (पिड़सरा डावर मार्ग) तक सम्पर्क मार्ग कच्चा होने से आम-जनों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-84) के किमी0-19 भारौल आबादी भाग से दांयी ओर से निकलता है। उक्त मार्ग की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है, जिसमें 200 मी0 पूर्व निर्मित सी0सी0 है एवं शेष 1800 मी0 लम्बाई में बम्बा की कच्ची पटरी है।

यह मार्ग किसी भी ग्राम/मजरा को नहीं जोड़ता है। अतः लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में छपिया गौरा पाण्डेय मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

43-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में ओ0डी0आर0 मार्ग गौरा पाण्डेय छपिया मन्दिर मार्ग टूट गया है तथा कहीं-कहीं पर धंस गया है ? क्या सरकार उक्त मन्दिर मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

छपिया गौरा पाण्डेय मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। यह मार्ग एन0एच0-727 जी से प्रारम्भ होकर छपिया मन्दिर तक जाता है। मार्ग की लम्बाई 8.50 कि0मी0 है। उक्त मार्ग पर मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग पैचलेस है तथा मार्ग की सतह सन्तोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में 33/11 के0वी0ए0 का स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में

44-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में 33/11 के0वी0ए0 का स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशन हेतु स्वामी नरायण मन्दिर छपिया में सरकारी जमीन उपलब्ध कराने के बाद भी वर्तमान तक उक्त विद्युत सब-स्टेशन का काम शुरू नहीं हो पाया है ? क्या सरकार उक्त हेतु टेण्डर प्रक्रिया जारी करवाकर निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद गोण्डा में स्वामी नरायन छपिया में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य रिवैम्प्ड योजना के मार्डनाइजेशन चरण में प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के गुरूनानक वार्ड के अन्तर्गत स्थित विशेश्वर नगर में अवैध रूप से सड़क पर सेफ्टी टैंक का निर्माण करने वाले अध्यासियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

45-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र कैण्ट के गुरूनानक वार्ड के अन्तर्गत स्थित विशेश्वर नगर में अध्यासियों द्वारा अवैध रूप से सड़क पर सेफ्टी टैंक का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में सड़क पर अवैध रूप से सेफ्टी टैंक निर्माण करने वाले कितने अध्यासियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर निगम लखनऊ के गुरूनानक नगर वार्ड के अन्तर्गत मोहल्ला विशेश्वर नगर अनियोजित रूप से बसा हुआ आबादी क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का कार्य उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा किया जा रहा है। प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर लाइन के क्रियाशील होने के उपरान्त सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान हो जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत नगर निगम, उन्नाव की सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत गिरजा बाग में कतिपय व्यक्तियों ने नगर निगम, उन्नाव की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध विधिक दण्डात्मक कार्यवाही कर उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण आख्यानुसार थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत मोहल्ला गिरजा बाग में नगर पालिका परिषद्, उन्नाव की सरकारी भूमि नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के विकास खण्ड चरथावल के गांव कसियारा के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

47-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के विकास खण्ड चरथावल के गांव कसियारा का सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में चरथावल रोड से लुहारी वाया कसियारा मार्ग (लम्बाई 1.900 किमी0) के निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मुजफ्फरनगर सेतु निगम द्वारा रोहाना में रेलवे उपरिगामी सेतु निर्माण विषयक

48-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर सेतु निगम द्वारा रोहाना में रेलवे उपरिगामी सेतु बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत रेलवे सम्पार संख्या-62 (टी0वी0यू0 1,26,632/वर्ष 2021) चरथावल-रोहाना मार्ग पर स्थित है। उक्त समपार पर लगभग 600 मीटर लम्बाई के सेतु का निर्माण भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद झांसी के ग्वालियर-कानपुर बाईपास पर मुस्तरा क्षेत्र में 132 अथवा 220 के0वी0 के नए विद्युत पारेषण उपकेन्द्र (ट्रान्समिशन) की स्थापना के सम्बन्ध में

49-श्री रवि शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के ग्वालियर-कानपुर बाईपास पर मुस्तरा क्षेत्र में स्थापित 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पर अत्यधिक ओवरलोड की समस्या है, जिससे नन्दनपुरा और मेडिकल क्षेत्र की बड़ी आबादी के विद्युत उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में ओवरलोड की समस्या से निजात दिलाने के लिए जनपद झांसी के मुस्तरा क्षेत्र में 132 अथवा 220 के0वी0 के नए विद्युत पारेषण उपकेन्द्र (ट्रान्समिशन) की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद झांसी के ग्वालियर कानपुर बाईपास पर मुस्तरा क्षेत्र में 2 उपकेन्द्र मेडिकल एवं नन्दनपुरा स्थापित हैं जिनकी क्रमशः क्षमता 30 एम0वी0ए0 और 20 एम0वी0ए0 है। वर्तमान में दोनों उपकेन्द्र अतिभारित नहीं है।

जनपद झांसी के मुस्तरा क्षेत्र में स्थापित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मेडिकल की विद्युत आपूर्ति 220 के0वी0 उपकेन्द्र दुनारा से की जाती है, उपकेन्द्र वर्ष 2011 से ऊर्जीकृत है। 220 के0वी0 उपकेन्द्र दुनारा से निर्गत 33 के0वी0 मेडिकल पोषक (लाइन की लम्बाई लगभग 07 किमी0) पर लगभग 15 एम0वी0ए0 भार है, जोकि अतिभारित नहीं है।

अग्रेतर, नन्दनपुरा क्षेत्र की आपूर्ति 132 के0वी0 उपकेन्द्र हँसारी (क्षमता 3x63 एम0वी0ए0) से निर्गत 33 के0वी0 नन्दनपुरा पोषक (लाइन की लम्बाई लगभग 19 किमी0) से की जाती है, जिस पर अधिकतम भार मात्र 15 एम0वी0ए0 है, जोकि अतिभारित नहीं है। 132 के0वी0 उपकेन्द्र हँसारी पर स्थापित क्षमता 189 एम0वी0ए0 के सापेक्ष मात्र 130 एम0वी0ए0 भार है। उपरोक्तानुसार दोनों उपकेन्द्र अतिभारित नहीं हैं।

अतः मुस्तरा क्षेत्र में 132 के0वी0 अथवा 220 के0वी0 के नये पारेषण उपकेन्द्र की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में मुजफ्फरनगर नगरपालिका परिषद् क्षेत्र में रूड़की चुंगी से लेकर सरवट फाटक तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

50-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में रुड़की चुंगी से लेकर सरवट फाटक तक का मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जलभराव से आम-जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

झांसी-नगर में अग्रसेन चौराहे से नराईनाका तक के व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक के सुगम आवागमन हेतु मार्ग का चौड़ीकरण कर थ्री-लेन कराये जाने की माँग

51-श्री रवि शर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी-नगर में अग्रसेन चौराहे से नराईनाका तक के व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक के सुगम आवागमन हेतु उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कर थ्री-लेन सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद झांसी में अग्रसेन चौराहे से नराईनाका तक मार्ग की कुल लम्बाई 5.900 कि0मी0 एवं चौड़ाई लगभग 7.00 मी0 है। मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद झांसी की ग्राम पंचायत ककरवई से ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में

52-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की ग्राम पंचायत ककरवई की घनी आबादी से होकर गुजरने वाले ओवरलोडेड भारी वाहनों से जन-सामान्य को हो रही समस्या के दृष्टिगत आबादी में कथित वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क-7 सं0-089146, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्न में उल्लिखित पत्र लोक निर्माण विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है तथा वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों को 100 फीसदी मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

53-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01-12-2023 को प्रश्नकर्ता का पत्र- जो कि वित्तीय वर्ष अप्रैल, 2023 में प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों को 100 फीसदी मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने एवं उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के कतिपय ग्रामों में भू-स्वामियों की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

54-श्री राम सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-56 लखनऊ से वाराणसी के चौड़ीकरण में जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के चार ग्रामों क्रमशः सोनपुरा, देवरखा, पूरा व नगर में भू-स्वामियों की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर उचित दर पर नहीं दिया गया है, सरकार की जानकारी में है ? क्या सरकार अधिसूचना के दिनांक को प्रचलित दर या प्रभावी मूल्यांकन सूची को आधार बनाकर प्रतिकर का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्यानुसार उक्त चारों ग्राम में भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा का अभिनिर्णय तत्समय वहां के भूमि विक्रय पत्र/बैनामा से प्राप्त औसत दर से अधिक सर्किल दर के आधार पर करते हुए प्रतिकर का भुगतान भू-स्वामियों को सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से कराया गया। प्रतिकर से असहमति की दशा में भू-स्वामियों द्वारा समय-समय पर आर्बीट्रेटर/जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष पृथक-पृथक आर्बीट्रेशन वाद संस्थित किया गया। आर्बीट्रेटर द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुपालन में मुआवजा बढ़ोत्तरी की राशि का भुगतान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से भू-स्वामियों को किया गया। एन0एच0ए0आई0 द्वारा अभी तक कुल रु0 88.57 करोड़ की मुआवजा राशि हस्तान्तरित की गई है, जिसमें से रु0 80.40 करोड़ की धनराशि का वितरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-स्वामियों को किया जा चुका है। अधिग्रहीत भूमि पर चारलेन सड़क का निर्माण भी हो चुका है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा चारों ग्रामों का मुआवजा अभिनिर्णय आर0एफ0सी0टी0एल0ए0आर0आर0 एक्ट-2013 एवं एन0एच0 एक्ट-1956 के तहत घोषित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पूरेदलपतशाह में आबादी और संयोजनों की संख्या के दृष्टिगत 100 के0वी0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

55-श्री राम सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पूरेदलपतशाह में आबादी और संयोजनों की संख्या के दृष्टिगत 100 के0वी0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर सरकार स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम पूरेदलपतशाह में 25 के0वी0ए0 के 01, 63 के0वी0ए0 के 01, 100 के0वी0ए0 के 01 ट्रान्सफार्मरों द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उक्त ग्राम के 25 से 63 के0वी0ए0 विद्युत परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य बिजनेस प्लान में स्वीकृत है तथा उक्त परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य प्रगति पर है। तकनीकी दृष्टि से उक्त ग्राम में 100 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम धरौली में मदाफरपुर सिकरी सम्पर्क मार्ग से लाल बहादुर सिंह इण्टर कॉलेज होते हुए वर्मा बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

56-श्री राम सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के ग्राम धरौली में मदाफरपुर-सिकरी सम्पर्क मार्ग से लाल बहादुर सिंह इण्टर कॉलेज होते हुए वर्मा बस्ती सम्पर्क मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वर्मा बस्ती ग्राम धरौली का पुरवा है। धरौली पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बिजनेस प्लान योजना व आर0 डी0 एस0 एस0 योजना में तथा फीडर पृथक्करण व विभक्तीकरण के कुल प्रस्तावित अथवा स्वीकृत कार्यों का विवरण

57-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बिजनेस प्लान योजना व आर0 डी0 एस0 एस0 योजना में तथा फीडर पृथक्करण व विभक्तीकरण के कुल प्रस्तावित अथवा स्वीकृत कार्यों का विवरण ग्राम तथा स्थल के नाम सहित सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नही तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां। (सूची संलग्न, संलग्नक-01)†

प्रश्न नही उठता।

नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी सहारनपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अन्य मामलों में विभागीय जाँच समयान्तर्गत पूर्ण कराकर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

58-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, सहारनपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल कितने नियत प्राधिकारी/एसडीएम कार्यालय विनियमित क्षेत्र हैं तथा प्रत्येक नियत प्राधिकारी क्षेत्र कार्यालय में कुल कितने अभियन्ता/अवर अभियन्ता तैनात हैं तथा कुल कितने अभियन्ता/अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अन्य मामलों में विभागीय जांच वर्तमान में संचालित है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच हेतु समय-सीमा निर्धारित कर जांच पूर्ण कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नियन्त्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी, सहारनपुर के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक नियत प्राधिकारी/एसडीएम कार्यालय विनियमित क्षेत्र देवबन्द है। नियत प्राधिकारी/एसडीएम कार्यालय विनियमित क्षेत्र देवबन्द में एक अधिदर्शक कम सर्वेयर/अवर अभियन्ता श्री नेम कुमार सिंह तैनात हैं और उनके विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय कार्यवाही प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

†छापी नहीं गई।

नगर पालिका परिषद् कैराना, जनपद शामली के वार्ड संख्या-2, 6, 10, 27 में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में

59-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् कैराना, जनपद शामली के वार्ड संख्या-2, 6, 10, 27 में नल को व नगर पालिका परिषद् के जलकल विभाग द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पानी से नगरवासी विभिन्न पेयजल जनित रोगों से पीड़ित हो रहे हैं ? क्या सरकार ने नगरवासियों को प्रदूषित पेयजल आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाने हेतु उपाय करे हैं ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

कैराना नगर के वार्ड संख्या-2, 6, 10, 27 व अन्य वार्डों में नलकों व नगर पालिका कैराना के जलकल विभाग द्वारा आपूर्ति किये जा रहे पानी से नगरवासी विभिन्न पेयजल जनित रोगों से पीड़ित नहीं हो रहे हैं। पालिका द्वारा समय-समय पर हैण्डपम्प व नलकूपों के पानी की शुद्धता की जांच जल निगम शामली को सैम्पल भेज कर करायी जाती है, पालिका द्वारा माह अप्रैल, 2023 में कैराना नगर के 10 जगह के पानी के नमूने लेकर जल निगम शामली को भेजे गये थे, जिनकी रिपोर्ट पोर्टेबल आयी है जिसके अनुसार पानी पीने योग्य पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के विद्युत बिल भेजकर उन्हें संशोधित करने तथा खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए पैसे लेकर परेशान किये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री जियाउर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को गलत रीडिंग के विद्युत बिल भेजकर उन्हें संशोधित करने तथा खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए पैसे लेकर परेशान किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं, प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर रीडिंग आधारित बिल उपलब्ध कराये जाने हेतु मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये जाते हैं।

कतिपय परिस्थितियों में गलत बिल सृजित हो जाने पर ऐसे बिल विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमानुसार संशोधित कर दिये जाते हैं।

खराब ट्रान्सफार्मर को पैसे लेकर बदलने सम्बन्धी कोई शिकायत संज्ञान में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में राम जानकी मार्ग शुकुलपुरा से चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय पदमापुर होते हुए पाण्डेय नगर पण्डूलघाट तक मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

61-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में राम जानकी मार्ग शुकुलपुरा से चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय पदमापुर होते हुए पाण्डेय नगर पण्डूलघाट तक मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्यार्थियों एवं क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 05.00 कि0मी0 है। उक्त मार्ग का नवीनीकरण वर्ष 2019 में कराया गया है। मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है एवं वर्तमान में मार्ग गड्ढामुक्त है तथा यातायात योग्य है। ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण की कोई योजना वर्तमान में विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बभनान अईला कलां मार्ग तथा गौर हलुआ से बेलवारिया मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में बभनान अईला कलां मार्ग तथा गौर हलुआ से बेलवारिया मार्ग अत्यन्त व्यस्त है, किन्तु जर्जर होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त सड़क का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत बभनान अईला कलां मार्ग तथा गौर हलुआ से बेलवारिया मार्गों की लम्बाई क्रमशः 14.03 कि0मी0 एवं 13.00 कि0मी0 है। उक्त दोनों मार्गों पर पैच/मरम्मत का कार्य कराया गया है। वर्तमान में दोनों मार्ग गड्ढामुक्त हैं।

उक्त दोनों मार्गों को ग्रामीण श्रेणी से उच्चीकृत करते हुए अन्य जिला मार्ग की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है तथा मार्गों पर वर्तमान में यातायात घनत्व अत्यधिक कम है। इन मार्गों पर यातायात घनत्व कम होने के दृष्टिगत दोनों मार्ग चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण योजना से आच्छादित नहीं हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में छपिया से पदमापुर मार्ग पर मनोरमा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

63-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में छपिया से पदमापुर मार्ग पर मनोरमा नदी पर कोई पुल न होने के कारण पदमापुर के तरफ से मरवाटिया, मसहा, वेदपुर, बैरागल, गौरा आदि ग्राम पंचायत तथा छपिया के तरफ से टिकरिया, पदमापुर, अक्षतपुर, महुलानी, फेरसहन, गोविन्दपारा आदि लगभग 14 ग्राम पंचायत के लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मार्ग पर पुल का निर्माण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज के अन्तर्गत छपिया से पदमापुर मार्ग पर मनोरमा नदी के पद्मापुर की तरफ पण्डूलघाट पर 3X8.75 मी0 स्पान का लघु सेतु निर्मित है, इसी प्रकार पिपरौला घाट पर भी 3X18.75 मी0 स्पान का लघु सेतु निर्मित है। प्रश्नगत सेतु से इन दोनों सेतुओं की दूरी पण्डूलघाट की तरफ से 2.00 कि0मी0 एवं पिपरौलाघाट की तरफ से 3.00 कि0मी0 है। छपिया, पदमापुर, टिकरिया व अन्य ग्रामों हेतु प्रश्नगत स्थान पर 3X18.75 मी0 स्पान के लघु सेतु के निर्माण की लागत रु0 495.00 लाख अनुमानित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में गन्ना विकास परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों की जानकारी एवं जर्जर सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में

64-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में गन्ना विकास परिषद् द्वारा कौन-कौन सी सड़कें निर्मित हैं तथा उनमें से कितनी सड़कें वर्तमान में जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त जर्जर सड़कों की मरम्मत कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में गन्ना विकास परिषदों द्वारा कुल 37 सड़कों का निर्माण कराया गया है, इनमें से 14 सड़कें जर्जर हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण/पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में रु0 250.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है।

विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में 14 जर्जर सड़को की सूची, चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के आजाद चौक के पास शहजाद नदी पर एवं परौन हजारिया सम्पर्क मार्ग कि0मी0-3 पर सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

65-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2021 में लोक निर्माण विभाग की विभागीय योजनाओं के शिलान्यास/लोकार्पण कार्यक्रम में घोषित जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर में ललितपुर क्षेत्र के आजाद चौक के पास शहजाद नदी पर एवं परौन हजारिया सम्पर्क मार्ग कि0मी0-3 पर सेतुओं का निर्माण सरकार आरम्भ करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत आजाद चौक पर 8x12 मी0 दर व्यवस्था व 96.04 मी0 लम्बाई के सेतु एवं 200+200 मी0 पहुँच मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत कुल रु0 1101.67 लाख आंकलित है। परौन हजारिया सम्पर्क मार्ग पर 5x28.25 मी0 दर व्यवस्था व 151.30 मी0 लम्बाई के सेतु एवं 200+200 मी0 पहुँच मार्ग के

निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत कुल रु0 1197.98 लाख आंकलित है, जिनकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद ललितपुर के कतिपय पुलों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में

66-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर अन्तर्गत आम जनमानस हित में 3 सेतु के जीर्णोद्धार/पुनरोद्धार कराये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या-36/07/226/2023, दिनांक 27-07-2023 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

पत्र दिनांक 27-07-2023 में तीन सेतुओं को निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है :-

1-नगर ललितपुर में आजाद चौक के पास शहजाद नदी के पास दीर्घ सेतु।

2-परौन हजारिया सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-3 पर दीर्घ सेतु।

3-पुरानी पनारी मार्ग पंचमुखी हनुमान जी मन्दिर के पास दीर्घ सेतु।

पत्र में उल्लिखित प्रथम कार्य विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत आजाद चौक पर प्रस्तावित है, उक्त स्थल पर 8x12 मी0 दर व्यवस्था के 96.04 मी0 लम्बाई के सेतु एवं 200+200 मी0 लम्बाई के पहुँच मार्ग की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत कुल रु0 1101.67 लाख आंकलित कर ली गई है। पत्र में उल्लिखित द्वितीय कार्य विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत परौन हजारिया सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित है। उक्त स्थल पर 5x28.25 मी0 दर व्यवस्था के 151.30 मी0 लम्बाई के सेतु एवं 200 + 200 मी0 लम्बाई के पहुँच मार्ग की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत कुल रु0 1197.98 लाख आंकलित कर ली गई है। पत्र में उल्लिखित तृतीय कार्य विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत बानपुर-टीकमगढ़ मार्ग के मध्य पंचमुखी हनुमान मन्दिर के पास शहजाद नदी पर प्रस्तावित है। उक्त स्थल पर 3x28.25 मी0 दर व्यवस्था के 90.23 मी0 लम्बाई के सेतु एवं 200+200 मी0 लम्बाई के पहुँच मार्ग की आवश्यकता होगी, जिसकी लागत कुल रु0 1000.00 लाख आंकलित कर ली गई है।

उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् ललितपुर में अनियमितता कर रहे अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

67-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-30/07/226/2023, दिनांक 25-07-2023 में आपके विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद् ललितपुर में अनियमितता कर रहे अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

श्री निहाल चन्द्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, ललितपुर को प्रथम दृष्टया अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता करने के दोषी पाये जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। श्री चन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित भी कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत जर्जर ओ0 डी0 आर0, एम0 डी0 आर0 मार्ग एवं अन्य मार्गों को लोक निर्माण विभाग की कार्य योजना में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में

68-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की कार्य योजना में वर्ष 2022-23 तथा चालू वर्ष 2023-24 में जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत जर्जर ओ0 डी0 आर0, एम0 डी0 आर0 मार्ग एवं अन्य मार्गों को विभाग की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बांसी-बार मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 11.860 कि0मी0 नवीनीकरण में स्वीकृत है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बार-लड़वारी-रमपुरा-कठवर मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 12.00 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में कार्य स्वीकृत है एवं खोखरा-बार-गदयाना मार्ग (अ0जि0मा0) लम्बाई 18.00 कि0मी0 नवीनीकरण में स्वीकृत है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मार्गों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

69-श्री अनिल प्रधान-

[02-मंगलवार के अता0प्र0सं0-204 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद बलिया के बैरिया जयप्रकाश नगर, लोकधाम ठेकहा (चांददीपर), रेवती, दीघार, सोनवानी, पशुहारी, आवया, नगरा आदि सब-स्टेशनों में लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में

70-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बैरिया जयप्रकाश नगर, लोकधाम ठेकहा (चांददीपर), रेवती, दीघार, सोनवानी, पशुहारी, आवया, नगरा आदि सब-स्टेशनों के माध्यम से किन-किन गांवों में लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि कब की गई है ? क्या सरकार उक्त की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

166 कार्यों की सूची संलग्न है। (संलग्नक-01)†

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के श्रीनगर से वशिष्ठनगर प्लांट को जोड़ने वाले भागड़ नाले पर अर्द्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

71-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के श्रीनगर से वशिष्ठनगर प्लांट को जोड़ने के लिए भागड़ नाले पर पुल का निर्माण कार्य वर्तमान तक अधूरा है ? क्या सरकार उक्त अर्द्धनिर्मित पुल का निर्माण कार्य जनहित में पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल पर पुलिया के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-65/2023/001-65/23-10-23-03-सेतु-2023, दिनांक 02-03-2023 द्वारा 5x5 मी0 स्पान के सेतु एवं 21.00 मी0 लम्बाई के पहुँच मार्ग की लागत रु0 350.88 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-312-321 पर।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड मुरलीछपरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत खबासपुर के बाबू के डेरा के वी0एस0टी0 बन्धा के पास अधूरे पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

72-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड मुरलीछपरा अन्तर्गत ग्राम पंचायत खबासपुर के बाबू के डेरा के वी0एस0टी0 बन्धा के पास पुल का निर्माण कार्य विगत पांच वर्ष बीतने के बाद भी अधूरा है ? क्या सरकार उक्त पुल का अधूरा निर्माण कार्य जनहित में पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल पर पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं बिहार राज्य की सीमा तक पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भू-खण्डों एवं भवनों के फ्री-होल्ड विषयक नीति निर्धारण के सम्बन्ध में

73-श्री अभय सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भू-खण्डों एवं भवनों के फ्री-होल्ड विषयक नीति निर्धारण में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि हो रही है एवं जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त विषयक फ्री-होल्ड नीति निर्धारण की अद्यतन स्थिति क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश संख्या-72/3488/आठ-1-14-30 विविध/2014, दिनांक 12-12-2014 में प्रीमियम लेकर अथवा आंशिक प्रीमियम या लीज रेन्ट पर पट्टागत इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट की परिसम्पत्तियों के फ्री-होल्ड हेतु समान दर होने तथा समाप्त पट्टागत परिसम्पत्तियों के फ्री-होल्ड की कोई व्यवस्था नहीं होने के दृष्टिगत सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 12-12-2014 में इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट की पट्टागत परिसम्पत्तियों के फ्री-होल्ड एवं पुनर्विकास योजना से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को नई नीति निर्गत होने तक शासनादेश संख्या-13/2022/1174/आठ-4-2022-02 ट्रस्ट/2016, दिनांक 05-11-2022 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से स्थगित करते हुये ऐसे मामले, जिनमें फ्री-होल्ड विलेख निष्पादित नहीं हुआ है, पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगायी गयी है। यदि

उक्त शासनादेश दिनांक 12-12-2014 में इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट की परिसम्पत्तियों के फ्री-होल्ड सम्बन्धी व्यवस्थाओं/प्राविधानों को स्थगित नहीं किया जाता तो विकास प्राधिकरणों को भारी राजस्व की हानि होती। इस सम्बन्ध में नई नीति बनाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। नई नीति निर्गत किये जाने पर विकास प्राधिकरणों की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित हाजीपुर-अन्जान शहीद मार्ग से बाजार गोसाई तक तथा रौनापार-लालघाट रोड (पटेल चौक घाघरा) से रामपुर देवारा (छोटा पूरवा) तक की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

74-श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित हाजीपुर-अन्जान शहीद मार्ग से बाजार गोसाई तक तथा रौनापार-लालघाट रोड (पटेल चौक घाघरा) से रामपुर देवारा (छोटा पूरवा) तक की सड़क टूटकर गड्ढे में तब्दील हो गई हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

अन्जान शहीद हाजीपुर सम्पर्क मार्ग से बाजार गोसाई जाने हेतु रजादेपुर-हरैया भीमवर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) उपलब्ध है, जो गड्ढामुक्त है एवं मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

अन्जान शहीद हाजीपुर मार्ग से बाजार गोसाई को जाने हेतु दूसरे मार्ग में क्रमशः बाजार गोसाई खोजौली मार्ग के चिलबिली गाँव से बनकटा हाजीपुर पर स्थित सपहा गाँव तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0 का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। चिलबिलादान चिलबिला सम्पर्क मार्ग लम्बाई 3.20 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान की गयी है। रौनापार-लाटघाट रोड (पटेल चौक घाघरा) से रामपुर देवारा (छोटा पूरवा) मार्ग लम्बाई 3.00 कि0मी0 की मरम्मत मण्डी समिति द्वारा कराया जाना है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गल्हैता में गांव के मेन अड्डे से प्रवीण वालिया के मकान की ओर जाने वाले (प्रमुख काँवड़ मार्ग) को सड़क निधि से निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में

75-डॉ0 अजय कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गल्हैता में गांव के मेन अड्डे से प्रवीण वालिया के मकान की ओर जाने वाले (प्रमुख काँवड़ मार्ग) रास्ते पर खड़न्जा जर्जर है, जिससे पुरामहादेव मन्दिर में जलाभिषेक करने वाले काँवड़ियों को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को सड़क निधि से निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम गल्हैता के आबादी भाग का मार्ग है जिसकी लम्बाई 0.60 कि0मी0 है। उक्त मार्ग खड़न्जा स्तर का मार्ग है, जिसके निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

आर्य इण्टर कालेज, जिवाना-गुलियान, जनपद बागपत के प्रांगण के बीचो-बीच 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन को हटाने के सम्बन्ध में

76-डॉ0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य इण्टर कालेज, जिवाना-गुलियान, जनपद बागपत के प्रांगण के बीचो-बीच 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन गुजर रही है और कई बार टूट भी चुकी है, जिससे उक्त विद्यालय में लगभग 600 से अधिक छात्राओं को हादसे की सम्भावना रहती है ? क्या सरकार उक्त विद्यालय के प्रांगण के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-बागपत के आर्य कन्या इण्टर कॉलेज, जिवाना गुलियाना के ऊपर से गुजर रही 11 के0वी0 लाइन के स्थानान्तरण का कार्य नवीन जिला विद्युत विकास निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु निविदा प्रकाशित कर दी गयी है।

जी हाँ।

दिनांक 15-03-2024 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में शेरपुर तिलियानी (बम्बा) से आटेपुर कौरारा मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

77-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में शेरपुर तिलियानी (बम्बा) से आटेपुर कौरारा मार्ग तक सड़क जर्जर है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में स्यारमऊ रामलाल (तालाब) से रुधऊ तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

78-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में स्यारमऊ रामलाल (तालाब) से रुधऊ तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्राम स्यारमऊ रामलाल, शिकोहाबाद बटेश्वर मार्ग से छोटी बड़ी स्यारमऊ खितौली होकर धनपुरा मार्ग के कि0मी0-3 चैनेज 2.010 कि0मी0 पर स्थित है, मार्ग की दशा संतोषजनक है एवं ग्राम रुधऊ, छेछापुर रुधऊ से स्यारमऊ हरगनपुर मार्ग के कि0मी0-3 चैनेज 2.800 पर स्थित है। उक्त मार्ग की दशा संतोषजनक है। प्रकरण डबल कनेक्टिविटी से आच्छादित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में जायमई-अरांव खुर्द मार्ग से ठार बिशे होते हुए नगला प्रेम सिंह सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

79-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में जायमई-अरांव खुर्द मार्ग से ठार बिशे होते हुए नगला प्रेम सिंह सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में जायमई-अरांव खुर्द मार्ग से ठार विशे होते हुए नगला प्रेम सिंह सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में गड्ढामुक्त अभियान के तहत किए जा रहे सड़कों के कार्य को करने में व्यय धनराशि का विवरण एवं गड्ढामुक्त सड़कों का विवरण

80-श्री सचिन यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गड्ढामुक्त अभियान के तहत किए जा रहे सड़कों के कार्य को करने में कुल कितनी धनराशि व्यय कर कुल कितनी सड़के वर्तमान में गड्ढामुक्त हुयीं एवं कितनी शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में गड्ढामुक्ति में अब तक कुल रु0 475.495 करोड़ आवंटित करते हुए 44381.94 कि0मी0 लम्बाई में सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने का लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

जनपदवार विवरण संलग्न है।[†]

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत विकसित हो चुके शहरों में जलभराव एवं उचित जल निकासी की समस्या के सम्बन्ध में

81-श्री सचिन यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत विकसित हो चुके शहरों में जलभराव एवं उचित जल निकासी की समस्या समाप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त शहरों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 स्मार्ट सिटी शहरों में से 09 शहरों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज व सहारनपुर) द्वारा

[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-322-327 पर।

जलभराव व जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु स्मार्ट सिटी निधि व कन्वर्जेन्स के माध्यम से रु0 720.74 करोड़ की लागत से विभिन्न 28 कार्यों का कार्यान्वयन पूर्ण कराया गया है एवं अलीगढ़, लखनऊ व मुरादाबाद में रु0 113.43 करोड़ की लागत से विभिन्न 3 कार्य प्रगतिधीन हैं।

वाराणसी एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित 7 शहरों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ एवं शाहजहांपुर) में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जलभराव की समस्या के समाधान हेतु कार्य कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के सठियांव जहानागंज मेन रोड से ग्राम कोढवा तक मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

82-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के सठियांव जहानागंज मेन रोड से ग्राम कोढवा तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग कोढवा मुतलका महुआ सम्पर्क मार्ग है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.300 कि0मी0 है। मार्ग का विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के सीही चट्टी से अनुसूचित बस्ती होते हुए चौहान बस्ती तक मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

83-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के सीही चट्टी से अनुसूचित बस्ती होते हुए चौहान बस्ती तक मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग में दो सम्पर्क मार्ग सम्मिलित है। कोढवा अनु0 बस्ती से यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग लम्बाई 0.700 कि0मी0 एवं अच्चलपार से सीही सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। दोनों सम्पर्क मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के संग्राम रानीपुर से सीही बाजार होते हुए नजिरपुर-सरया मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

84-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के संग्राम रानीपुर से सीही बाजार होते हुए नजिरपुर-सरया मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

रानीपुर से सीही सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 1.300 कि0मी0 पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण है, मार्ग यातायात हेतु सुगम है तथा सीही बाजार से नजिरपुर-सरया तक मार्ग जिसकी लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में ग्राम सभा रानीपुर से ग्राम सीही तक की जर्जर सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

85-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में ग्राम सभा रानीपुर से ग्राम सीही तक की जर्जर सड़क के नवीनीकरण की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग रानीपुर से सीही सम्पर्क मार्ग है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 1.300 कि0मी0 है। मार्ग का विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के शाहगढ़ मुबारकपुर मेन रोड से ग्राम इस्लामपुरा से शहीद नगर के जर्जर मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के शाहगढ़ मुबारकपुर मेन रोड से ग्राम इस्लामपुरा से शहीद नगर के जर्जर मार्ग का नवीनीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग शाहगढ़ मुबारकपुर मेन रोड से ग्राम इस्लामपुरा से शहीदनगर जिसका वास्तविक नाम सठियांव मुबारकपुर से शहीदनगर सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, इसकी लम्बाई 1.00 कि0मी0 है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में मार्ग का विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अर्जुनगंज ग्राम शाहखेड़ा में आशाराम यादव के घर से ललित यादव के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

87-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अर्जुनगंज ग्राम शाहखेड़ा में आशाराम यादव के घर से ललित यादव के घर तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। सन्दर्भित स्थल/मार्ग अर्जुनगंज ग्राम शाहखेड़ा नगर निगम सीमा विस्तारीकरण में नवसृजित वार्ड खरगापुर-सरसवाँ वार्ड के अन्तर्गत स्थित है।

यहाँ पर पूर्व से खड़न्जा लगा हुआ है, जो क्षतिग्रस्त है तथा जल निकासी व्यवस्था नहीं है। प्रश्नगत सड़क के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 100.80 लाख का व्यय सम्भावित है। प्रश्नगत कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-70 के उत्तर के सम्बन्ध में

88-श्री पंकज कुमार मलिक-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-70 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मार्ग का निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की लम्बित दिनांक 30-11-2023 तक पूर्ण नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के लिए विशेष मरम्मत कार्य हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही में प्रक्रियात्मक विलम्ब हुआ है। मार्ग का कार्य दिनांक 24-01-2024 को पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि को परिषद् के कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवैध कब्जा से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

89-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझोला योजना संख्या-4 भाग-2 मुरादाबाद सेक्टर-6ए मेन रोड खुशालपुर में आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर परिषद् के कतिपय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अवैध कब्जा है ? क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

मझोला योजना सं0-4, भाग-2, मुरादाबाद के सेक्टर-6ए मेन रोड, खुशहालपुर में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर परिषद् के किसी भी अधिकारियों/कर्मचारियों का अवैध कब्जा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आवास विकास परिषद् मुरादाबाद में मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 मुरादाबाद का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में

90-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद् मुरादाबाद में मझोला योजना संख्या-4, भाग-2 मुरादाबाद का ड्रेन सिस्टम पूरी तरह फेल है, जिससे बरसात में कॉलोनी पूरी तरह जलमग्न रहती है ? क्या सरकार उक्त स्थान का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

योजना में ड्रेनेज सिस्टम सही है। उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा मझोला योजना सं0-4, भाग-2, मुरादाबाद का बरसाती पानी दिल्ली-मुरादाबाद रोड पर स्थित नगर निगम, मुरादाबाद के मुख्य नाले से होकर गांगन नदी में जाता है। लगातार अत्यधिक बरसात/बाढ़ की स्थिति में जब कभी मुख्य नाला विभिन्न कारणों से अवरुद्ध हो, यदा-कदा आस-पास की जगह पर जलमग्न की समस्या आती है, तो उसे आवास एवं विकास परिषद् व नगर निगम द्वारा निस्तारित किये जाने की व्यवस्था प्राथमिकता पर की जाती है।

जी हाँ।

आवश्यकतानुसार योजना की नालियों एवं ट्रंक नाले की मरम्मत व साफ-सफाई का कार्य परिषद् द्वारा एवं मुख्य नाला की मरम्मत एवं साफ-सफाई का कार्य नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

91-श्रीमती पिंकी सिंह-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश में ग्रीन यू0पी0 क्लीन यू0पी0 योजना के अन्तर्गत पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री गार्ड तथा पानी की व्यवस्था के लिये धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में

92-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रीन यू0पी0 क्लीन यू0पी0 योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा वर्ष 2023 में दिनांक

19 दिसम्बर, 2023 तक प्रदेश में कितना वृक्षारोपण तथा पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री गार्ड तथा पानी की व्यवस्था के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

ग्रीन यू0पी0 क्लीन यू0पी0 योजना वन विभाग में लागू नहीं है।

झाँसी-महानगर के हंसारी क्षेत्र में राय कम्पाउण्ड, पावर हाऊस के सामने के मकानों की छतों पर से गुजर रही लाइनों को अन्यत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में

93-श्री रवि शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झाँसी-महानगर के हंसारी क्षेत्र में राय कम्पाउण्ड, पावर हाऊस के सामने निवासित निवासियों के मकानों की छतों से वर्षों पुराने विद्युत तारों से किसी अप्रिय घटना की सम्भावना रहती है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मकानों की छतों से वर्षों पुराने विद्युत तारों को अन्यत्र स्थापित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

विद्युत लाइनों के नीचे स्कूलों, भवनों, रिहायशी मकानों का निर्माण लाइन के निर्माण के पश्चात् करा लिया गया है। विद्युत नियमावली वर्ष 2005 के अन्तर्गत उपबन्धित विनियमों के अनुसार पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी अथवा अन्य किसी प्रकार की निधि से पूर्ण धनराशि जमा कराने के उपरान्त ही तकनीकी फिजिबिलिटी की सीमा में विद्युत लाइनों को शिफ्ट किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम संसारपुर में धमोला नदी के पुल का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

94-श्री उमर अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम संसारपुर में धमोला नदी के पुल का चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत पुल फतेहपुर मुजफ्फराबाद कलसिया मार्ग (प्र0जि0मा0) के कि0मी0-43 में स्थित है, जिसकी वर्तमान चौड़ाई 5.00 मी0 है। उक्त स्थल पर 58.00 मी0 लम्बाई एवं 12.00 मी0 चौड़ाई के नये पुल के नव निर्माण की स्वीकृति शासनादेश सं0-13/2024/59/001/23-10099-22-2023, दिनांक 08-01-2024 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

रॉयल होटल विधायक निवास लखनऊ में बन्दरों के आतंक से छुटकारा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

95-श्री राम सिंह पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रॉयल होटल विधायक निवास लखनऊ में बन्दरों के आतंक से छुटकारा दिलाने हेतु कोई व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

शासन के पत्र दिनांक 06-02-2024 द्वारा रॉयल होटल विधायक निवास लखनऊ में बन्दरों के आतंक से छुटकारा दिलाने हेतु वन विभाग एवं नगर निगम की संयुक्त टीम गठित कर एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्यवाही कराने के निर्देश नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में बेलवरिया जंगल से माझामानपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

96-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में बेलवरिया जंगल से माझामानपुर मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर एक पुलिया का निर्माण एवं सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बस्ती के कप्तानगंज विधान सभा क्षेत्र में बेलवरिया जंगल से माझामानपुर मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 है यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के नाले पर लघु सेतु

निर्मित है। इस मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, मार्ग यातायात हेतु सुगम है। ग्रामीण मार्गों के चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में सड़कों की मरम्मत/नव निर्माण के सम्बन्ध में गन्ना विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से 20 दिसम्बर, 2023 के मध्य किये गये कार्यों का विवरण

97-श्री मोहन वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में गन्ना विभाग द्वारा 01 अप्रैल, 2022 से 20 दिसम्बर, 2023 तक कितनी सड़कों का मरम्मत तथा नव निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

वर्ष 2022-23 में गन्ना विभाग को पूर्व निर्मित विभागीय मार्गों को गड्ढामुक्त किये जाने के लिए रु0 155.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष जनपद कुशीनगर को आवंटित धनराशि से गन्ना विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 20 दिसम्बर, 2023 तक कुल 10 सड़कों की गड्ढामुक्ति का कार्य कराया गया तथा नव निर्माण मद हेतु गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई धनराशि उपलब्ध नही करायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर को बदलने के मानक, नियम व समय अवधि के सम्बन्ध में

98-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर को बदलने के मानक, नियम व समय अवधि क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि किसी जले हुए ट्रांसफार्मर के क्षेत्र कतिपय उपभोक्ताओं के बकाया बिजली के बिल जमा करने के बाद ही ट्रांसफार्मर को ठीक करने का कोई नियम है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो जले ट्रांसफार्मर को ठीक करने में पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय के निर्देशों का पालन सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां, प्रदेश के जनपदों में शिकायत प्राप्त होने पर क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को शहरी क्षेत्रों में 08 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टों में बदलने की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित है।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

यह सुनिश्चित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के सेवईनाला में बुढ़ऊ बाबा मन्दिर के पास निर्मित पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

99-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के सेवईनाला में बुढ़ऊ बाबा मन्दिर के पास निर्मित पुलिया सँकरी होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त पुलिया का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्यानुसार प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-731 है, जिस पर निर्मित समस्त पुलिया पर यथावश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा कन्डीशन सर्वे कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के न्याय पंचायत घुरेटनपुर में साधन सहकारी समिति के जर्जर भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

100-श्री अनिल प्रधान-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के न्याय पंचायत घुरेटनपुर में साधन सहकारी समिति के जर्जर भवन का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर-

अवगत कराना है कि भण्डारण योजनान्तर्गत सहकारिता विभाग में साधन सहकारी समिति (वर्तमान नाम बी-पैक्स) का मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, योजना में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा में प्राथमिक विद्यालय साढ़ को पक्की सड़क से जोड़ने के सम्बन्ध में

101-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा में प्राथमिक विद्यालय साढ़ किसी भी पक्के मार्ग से नहीं जुड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय साढ़ को जाने वाले कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के अन्तर्गत साढ़ ग्राम सभा, साढ़ सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण श्रेणी) से संतृप्त है। प्राथमिक विद्यालय साढ़, ग्राम सभा साढ़ से 2.00 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में अवैधानिक रूप से उपयोग किये जाने वाले डीजल जनरेटर के सम्बन्ध में

102-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक : एम0एस0/98/2023/1134, दिनांक 26/04/2023 एवं पत्रांकः एम0एस0/98/2023/ 1292, दिनांक 01/06/2023 जो कि जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में अवैधानिक रूप से उपयोग किये जाने वाले डीजल जनरेटर सेट के विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

पत्र दिनांक 26-04-2023 प्राप्त हुआ है, किन्तु पत्र दिनांक 01-06-2023 प्राप्त नहीं हुआ है।

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 26-04-2023 के अनुक्रम में प्रदेश सरकार के जन सुनवाई पोर्टल पर कृत कार्यवाही की सूचना अपलोड की गई। मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) सं0-13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30-12-1996 में ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जनरेटर सेट्स के संचालन को रोकने के दृष्टिगत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में 100 प्रतिशत निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-12-1996 के अक्षरशः अनुपालन के दृष्टिगत ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में नये डीजल आधारित जनरेटर्स की स्थापना के स्थान पर गैस आधारित जनरेटर्स को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण एवं सदस्य संयोजक, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण आगरा द्वारा साइन्टिस्ट-ई, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सीपी डिवीजन), भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र दिनांक 17-09-2023 प्रेषित किया गया है। नगर फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में स्थापित/संचालित काँच उद्योगों में केवल गैस आधारित जेनसेट ही प्रयोग किये जा रहे हैं। अग्रेतर टी0टी0जेड0 क्षेत्र में संचालित 14 होटलों/मैरिज होम्स आदि में स्थापित डी0जी0 सेट्स का सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डी0जी0 सेट्स का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के आधार पर 10 होटलों/मैरिज होम्स को मानकों के अनुरूप डी0जी0 सेट्स स्थापित कराने हेतु निर्देशित किया गया है एवं पुनः दिनांक 31-11-2023 को अनुस्मारक प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत बिन्द्रागंज मलियान अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

103-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत बिन्द्रागंज मलियान अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत कार्य पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत प्रस्तावित था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की

जा सकी। दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में दूध, दही, पनीर, दाल, चावल पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई जीएसटी को समाप्त करने के सम्बन्ध में

104-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दूध, दही, पनीर, दाल, चावल पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई जी0एस0टी0 को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर की दरों में परिवर्तन के लिए केवल जी0एस0टी0 काउंसिल ही अधिकृत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (ए) की उपधारा (4) के अन्तर्गत वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा लिया जाता है, जिसमें समस्त राज्यों एवं केन्द्र का प्रतिनिधित्व है।

यह भी उल्लेखनीय है कि दूध, दही, पनीर, दाल, चावल की खुदरा बिक्री जी0एस0टी0 के अन्तर्गत करमुक्त है।

जनपद आजमगढ़ की सठियाँव चीनी मिल एवं जनपद मऊ की घोसी चीनी मिल पर वर्तमान में किसानों को गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

105-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की सठियाँव चीनी मिल एवं जनपद मऊ की घोसी चीनी मिल पर वर्तमान में किसानों का कितने करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार उक्त भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पेराई सत्र 2022-23 में दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियाँव, जनपद आजमगढ़ एवं चीनी मिल घोसी, जनपद मऊ का सम्पूर्ण गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियाँव, जनपद आजमगढ़ द्वारा पेराई सत्र 2023-24 में दिनांक 29-01-2024 तक 16.09 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुए देय गन्ना मूल्य रु0 5808.31 लाख के सापेक्ष रु0 2317.37 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, घोसी, जनपद मऊ की घोसी चीनी मिल द्वारा 8.49 लाख कुन्तल गन्ना की पेराई करते हुए देय गन्ना मूल्य रु0 3061.78 लाख के सापेक्ष रु. 1201.96 लाख भुगतान किया जा चुका है।

वर्तमान में पेराई सत्र गतिमान है, चीनी मिलों में गन्ने की आवक के सापेक्ष देय गन्ना मूल्य का क्रमशः भुगतान किया जा रहा है।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में चाँदपुर-गजरौला मार्ग से शेखपुरी-मीना मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

106-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में चाँदपुर गजरौला मार्ग से शेखपुरी मीना तक का लगभग 2 कि0मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा मार्ग पर गहरे गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटना हो रही है, जिसके कारण उक्त मार्ग पर आवागमन बन्द है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत चांदपुर-गजरौला मार्ग से शेखपुरी-मीना तक लम्बाई 2.00 कि0मी0 का मरम्मत कार्य गन्ना विकास परिषद्, चांदपुर द्वारा वर्ष 2015-16 में कराया गया था। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में गन्ना विकास विभाग की सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण के लिए रु0 250 करोड़ का बजट प्राविधान लोक निर्माण विभाग को किया गया है। तत्क्रम में उक्त मार्ग के मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर-नूरपुर मार्ग से हीमपुर बुजुर्ग होते हुए गांव मिलक मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

107-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर-नूरपुर मार्ग से हीमपुर बुजुर्ग होते हुए गांव मिलक मार्ग क्षतिग्रस्त है तथा मार्ग पर गहरे गड्ढे होने से ग्राम हीमपुर बुजुर्ग में जलभराव के कारण मार्ग पर आवागमन

बन्द है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग, लम्बाई 2.000 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में सलेमपुर-जलीलपुर मार्ग सें सीकरी गुरुद्वारा तक मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

108-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में सलेमपुर-जलीलपुर मार्ग सें सीकरी गुरुद्वारा तक जाने वाला मार्ग गंगा नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने से उक्त मार्ग पर आवगमन बन्द है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत सलेमपुर-जलीलपुर मार्ग से गुरुद्वारा तक लम्बाई 1.800 कि0मी0 का मरम्मत कार्य गन्ना विकास परिषद्, चांदपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में कराया गया था। उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराया जाना गन्ना विभाग के स्तर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

109-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[01-गुरुवार के अता0 प्रश्न सं0-94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के ग्राम सभा में प्रजापति बस्ती के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

110-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहांगीरगंज के ग्राम सभा सगहापुर (रुकमलपुर) में प्रजापति बस्ती के पास स्थित नाले पर पुल न होने से 25 गांव के लोगों को 15 किलोमीटर की दूरी घूम कर आवागमन करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के डाउन स्ट्रीम में 3.50 कि0मी0 की दूरी पर लालमनपुर में 6.00 मी0 लम्बाई का पुल पूर्व से ही निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर 6.00 मी0 लम्बाई के पुल के निर्माण की लागत रु0 80.00 लाख आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के सहकारिता विभाग में विगत 06 वर्ष से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

111-श्री सचिन यादव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहकारिता विभाग में विगत 06 वर्ष से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की सरकार कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जे0 पी0 एस0 राठौर-

सहकारिता विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित नीतियों के अनुसार यथा-आवश्यकता एवं यथासमय की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के चित्रगुप्त नगर वार्ड के आशुतोषनगर, कृष्णानगर में सड़क पर अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में

112-श्री अखिलेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चित्रगुप्त नगर वार्ड के आशुतोषनगर, कृष्णानगर में सड़क पर अतिक्रमण हटाने हेतु गत वर्ष अभियान चलाकर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त वार्ड के मकान नं0-42 से मकान नं0-01 की ओर जाने वाली सड़क जो 30 फुट चौड़ी थी, अतिक्रमण के कारण लगभग 14 फुट रह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु मुख्य मंत्री के पोर्टल पर आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या-15157220024113, दिनांक 31-03-2022 के क्रम में पत्र नगर निगम को कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को अभी तक न हटवाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटवाते हुये उक्त 30 फिट चौड़ी सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

अवैध अतिक्रमण दिनांक 31-01-2024 को हटवा दिया गया है।

जी हाँ।

अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर-7 व 8 में हिन्दुस्तान ट्रेडर्स एवं फैब्रीकेटर्स चिरैयाबाग से जनता आटा चक्की तक 100 मीटर कच्ची सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

113-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर-7 व 8 में हिन्दुस्तान ट्रेडर्स एवं फैब्रीकेटर्स चिरैयाबाग से जनता आटा चक्की तक लगभग 100 मीटर मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर-7 में इंगित स्थल पर कच्ची सड़क लगभग 100 मीटर का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है। सड़क में आ रहे खसरा सं0-82स की भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-35286/एम0बी/2018, 28722/एम0बी0/2018 एवं 1836/एम0बी0/2020 अशोक कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विचाराधीन है। सन्दर्भित स्थल पर स्थित पेड़ों के पातन हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ के पत्र सं0-4135/22-10, दिनांक 22-11-2018 द्वारा अनुमति दी गयी थी, परन्तु स्थानीय विवाद के कारण पेडों के पातन हेतु पूर्व में दी गयी अनुमति वन विभाग के पत्र सं0-4251/22-10 दिनांक 28-11-2018 द्वारा स्थगित कर दी गयी है। पुनः अनुमति बहाल करने हेतु परिषद् खण्ड कार्यालय के पत्र सं0-372/वाई-6/23, दिनांक 11-02-2020 एवं पत्रांक-1836/वाई-6/2024, दिनांक 21-12-2021 द्वारा अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अवध वन प्रभाग, लखनऊ ने अपने पत्र सं0- 6334/35-3, दिनांक 29 जनवरी, 2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वृक्षों के पातन हेतु अनुमति दिये जाने के उपरान्त तद्नुसार मा0 न्यायालय के समादर में कार्यवाही की जायेगी।

अतः विषयगत प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने एवं प्रश्नगत सड़क का भाग खसरा सं0-82स के क्षेत्र से बाधित होने के कारण सड़क का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वृक्षों के पातन हेतु अनुमति दिये जाने एवं तत्पश्चात् प्रश्नगत सड़क के भाग में आ रहे वृक्षों के पातन की अनुमति वन विभाग से प्राप्त होने के उपरान्त सड़क का अवशेष कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के चित्रगुप्त वार्ड में विनय नगर में खसरा सं0-2174 में नगर निगम के स्वामित्व की भूमि की जानकारी एवं उसमें शिवम पार्क के क्षेत्रफल की जानकारी के सम्बन्ध में

114-श्री अखिलेश-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के 1-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-105 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में नगर निगम के चित्रगुप्त वार्ड अन्तर्गत कृष्णानगर के विनय नगर/न्यू सिन्धु नगर में खसरा संख्या-2174 के अन्तर्गत भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त खसरा संख्या-2174 की कितने क्षेत्रफल भूमि पर नगर निगम का स्वामित्व है तथा उक्त में से कितने क्षेत्रफल में शिवम पार्क का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

गाटा संख्या-2174 का कुल क्षेत्रफल 0.4940 हेक्टेयर है।

गाटा संख्या-2174 के कुल क्षेत्रफल 0.4940 हेक्टेयर पर नगर निगम का स्वामित्व है, जिसमें से 0.392 हेक्टेयर पर शिवम पार्क का निर्माण कराया गया है।

खसरा खतौनी संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में मोहम्मदाबाद-मुबारकपुर मेन रोड से देवकली-तारन मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

115-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में मोहम्मदाबाद-मुबारकपुर मेन रोड से देवकली-तारन मार्ग जर्जर एवं

---

† देखये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-328-333 पर।

गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग देवकली-तारन-देवकली-खालसा सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.400 है। मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के त्रिवेणी नगर तृतीय के मोहल्ला आदर्शपुरम में अवैध डेयरियों को हटवाने के सम्बन्ध में

116-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के त्रिवेणी नगर तृतीय के मोहल्ला आदर्शपुरम में अवैध डेयरियों का संचालन होने के कारण क्षेत्रवासियों को पशुओं से जान-माल का खतरा बना रहता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त अवैध डेयरियों को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व में विशेष अभियान के अन्तर्गत त्रिवेणीनगर तृतीय के मोहल्ला आदर्शपुरम क्षेत्र/स्थल से समस्त दूध डेयरियों को हटा दिया गया था। प्रश्नगत स्थल का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाये गये अवैध डेयरी संचालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गई है तथा पशुओं को हटाये जाने हेतु दिनांक 27-01-2024 को नोटिस भेजी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में स्थित केन्द्रीय भवन के गेट नम्बर-2 के आस-पास अवैध गुमटियों को हटवाने के सम्बन्ध में

117-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में स्थित केन्द्रीय भवन के गेट नम्बर-2 के आस-पास अवैध गुमटियों के होने से

कालोनी वासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों से अवैध गुमटियों को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत स्थल पर अवैध गुमटियों के अतिक्रमण को दिनांक 29-01-2024 को हटवा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में स्थित केन्द्रीय भवन के गेट नम्बर-2 के आस-पास स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में

118-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-एच में स्थित केन्द्रीय भवन के गेट नम्बर-2 के आस-पास अन्धेरा होने पर अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण कालोनीवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर स्ट्रीट लाइट लगवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत स्थल पर स्ट्रीट लाइट लगाकर प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक खुनियांव के ग्राम रुद्रोलिया बुजुर्ग के उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे से पंचायत भवन तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

119-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक खुनियांव के ग्राम रुद्रोलिया बुजुर्ग के उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे से पंचायत भवन तक लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0 मार्ग का डामरीकरण/निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक खुनियांव के अन्तर्गत ग्राम रुद्रोलिया बुजुर्ग पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं रुद्रोलिया बुजुर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय भी पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है।

रुद्रोलिया बुजुर्ग का पंचायत भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय से लगभग 0.750 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, जो कि इण्टरलॉकिंग मार्ग से जुड़ा है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत पंचायत भवन को पक्के मार्ग से जोड़े जाने हेतु कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-509 पर स्थित कस्बा कुन्दरकी से डींगरपुर को जोड़ने वाला मार्ग लम्बाई लगभग 9 किलोमीटर का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

120-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-509 पर स्थित कस्बा कुंदरकी से डींगरपुर को जोड़ने वाला मार्ग लम्बाई लगभग 9 किलोमीटर क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग-509 पर स्थित कस्बा कुन्दरकी से डींगरपुर को जोड़ने वाला मार्ग कुन्दरकी डींगरपुर रतनपुरकला पाकबड़ा मार्ग लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अन्य जिला मार्ग श्रेणी स्तर का मार्ग है। प्रश्नगत मार्ग कुन्दरकी-डींगरपुर रतनपुरकला पाकबडा मार्ग के मरम्मत सहित चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहा स्थित नरही बाजार से होते हुये यू0पी0 टेक चौराहे तक सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

121-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहा स्थित नरही बाजार होते हुये यू0पी0 टेक चौराहे तक सड़क क्षतिग्रस्त है एवं सब्जी मण्डी के पास आर0सी0सी0 तोड़े जाने के कारण गड्ढायुक्त हो गयी है जिससे लोगों को प्रतिदिन ट्रैफिक जाम की स्थिति से सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहे स्थित नरही सब्जी मण्डी के आगे से यू0पी0 टेक चौराहे तक सड़क के क्षतिग्रस्त भाग में पैच रिपेयर द्वारा सुधार कार्य कराया जा चुका है। वर्तमान में विद्युत विभाग द्वारा सी0सी0 मार्ग पर केबिल फाल्ट ठीक कराने हेतु रोड पर कटिंग की गई थी। रोड कटिंग के मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा से सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाला मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

122-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा से सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाला मार्ग कच्चा एवं क्षतिग्रस्त है ? जिससे आने वाले श्रद्धालुओं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बांदा में तहसील अतर्रा के ब्लाक बिसण्डा के अन्तर्गत ग्राम बाघा सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है। प्रश्नगत मार्ग ग्राम बाघा से सिद्ध बाबा देव स्थान तक कच्चा स्तर का मार्ग है। उक्त कच्चे मार्ग पर कोई ग्राम स्थित न होने के कारण मार्ग का नव निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद में आवास एवं विकास परिषद् की आवासीय योजना के सभी सेक्टरों की सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

123-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आवास एवं विकास परिषद् की आवासीय योजना के सभी सेक्टरों की सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं तथा गहरे-गहरे गड्ढे हो गए हैं जिससे प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है ? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

शासन के पत्रांक 796/आठ-1-23-08बैठक/2017 दिनांक 01-09-2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र की सड़कों पर गड्ढामुक्ति का कार्य परिषद् द्वारा पूर्ण करा दिया गया है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित मझोला योजना सं0-4, भाग-2, मुरादाबाद की अत्यधिक गहरे गड्ढों से क्षतिग्रस्त कतिपय ट्रंक सड़कों को ठीक करा दिया गया है। सेक्टोरियल सड़कें जहाँ कहीं क्षतिग्रस्त हैं, के मरम्मत का कार्य करने की कार्यवाही प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मझोला योजना संख्या-4 भाग-2 जनपद मुरादाबाद के अनावासीय सम्पत्तियों का वर्ष 2007-2009 से वर्तमान तक विक्रय की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

124-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझोला योजना संख्या-4 भाग-2 जनपद मुरादाबाद के अनावासीय सम्पत्तियों का वर्ष 2007-2009 से वर्तमान तक विक्रय नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त सम्पत्तियों के विक्रय/निस्तारण की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2007-2009 से वर्तमान तक 26 नग अनावासीय सम्पत्तियों का विक्रय कर लिया गया है, जो शेष हैं, उनका नीलामी के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 तथा अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी विनियम यथासंशोधित 2016 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए नीलामी के माध्यम से निस्तारण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना के अन्तर्गत जनपद बंदायू की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के प्रत्येक लाभार्थी के घर स्मार्ट मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में

125-श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना के अन्तर्गत जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के प्रत्येक लाभार्थी के घर स्मार्ट मीटर लगाया जाना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

भारत सरकार की आर0 डी0 एस0 एस0 योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के परिसरों पर स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। इस योजना में जनपद बदायूं भी चयनित है।

भारत सरकार की आर0 डी0 एस0 एस0 योजना प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना का क्रियान्वयन आरम्भ होने के उपरान्त बदायूं जनपद में स्मार्ट मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूँ की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के ब्लाक समरेर के ग्राम मुड़हा पुख्ता में रामगंगा नदी पर बना पुल का एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

126-श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के ब्लाक समरेर के ग्राम मुड़हा पुख्ता में रामगंगा नदी पर बना पुल का एप्रोच मार्ग बाढ़ में बह जाने के कारण उक्त पुल का उपयोग स्थानीय निवासियों द्वारा नहीं किया जा रहा है तथा लागों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? क्या सरकार उक्त पुल के एप्रोच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

नदी का जल स्तर दिनांक 12-09-2023 से अप्रत्याशित रूप से बढ़ने एवं प्रवाह में बदलाव (Meandering) के कारण ग्राम मूढ़ा पुख्ता फरीदपुर के मध्य रामगंगा नदी पर निर्मित सेतु के ग्राम खल्लपुर, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली की ओर निर्माणाधीन पहुँच मार्ग में कटान हुआ है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 से प्राप्त परामर्श के अनुसार सेतु स्थल का Hydraulic Model Study कराने के पश्चात् प्राप्त आख्या के अनुसार पहुँच मार्ग के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विगत पांच वर्षों में 14 दिन से अधिक की अवधि के उपरान्त गन्ना मूल्य भुगतान का वर्षवार विवरण

127-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में 14 दिन से अधिक की अवधि उपरान्त गन्ना मूल्य भुगतान करने वाली सरकारी अथवा निजी चीनी मिलों द्वारा कितनी धनराशि बतौर ब्याज किसानों को भुगतान की गई है ? क्या सरकार उक्त मिल द्वारा भुगतान का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में गन्ना मूल्य की देयता पेराई सत्रवार आगणित की जाती है। तद्नुसार विगत पाँच पेराई सत्रों क्रमशः 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में से पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत चीनी मिल मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि रु0 3.30 करोड़ का भुगतान किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में विवरण, सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

128-श्रीमती पिंकी सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद झांसी में सिकन्दरा-समथर-दमोह राजमार्ग-31 पर ग्राम चितगुआं के पास हमीरपुर शाख पर नया पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में

129-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में सिकन्दरा-समथर-दमोह राजमार्ग-31 पर ग्राम चितगुआं के पास हमीरपुर शाख पर निर्मित पुल क्षतिग्रस्त होने एवं गलत डिजाइन के कारण हो रही दुर्घटना में दर्जनों राहगीरों की मौत हो चुकी है ? क्या सरकार उक्त पुल की डिजाइन परिवर्तित करते हुए जर्जर पुल की जगह नया पुल बनवाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सिकन्दरा-समथर-दबोह मार्ग अभिलेखों के आधार पर दबोह-पूंछ-गुरसरांय टीकमगढ़ मार्ग (स्टेट हाईवे-131) है, इसकी कुल लम्बाई 106.09 कि0मी0 एवं लेपित सतह की चौड़ाई-7.00 मीटर है। मार्ग के कि0मी0-20 में बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा नहर पर चितगुवां ग्राम के पास सिंचाई विभाग का पुराना एवं सँकरा पुल है। विषयगत कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार लघु सेतु निर्माण की लागत रु0 3.50 करोड़ आंकलित है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में छोटी गण्डक नदी पर नूरीगंज भटनी व कमहोनवा में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

130-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में छोटी गण्डक नदी पर नूरीगंज भटनी व कमहोनवा में पुल नहीं होने के

वजह से यातायात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा लोगों को लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है ? क्या सरकार नूरीगंज भटनी व कमहोनवा में छोटी गण्डक नदी पर पीपे पुल का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल नूरीगंज-भटनी के अपस्ट्रीम साइड में 3.000 कि0मी0 दूरी पर एवं डाउनस्ट्रीम साइड में 1.500 कि0मी0 दूरी पर पक्के सेतु निर्मित है। कमहोनवा (कमधेनवा), कौलामुण्डेरा के अपस्ट्रीम साइड में 3.000 कि0मी0 दूरी पर एवं डाउनस्ट्रीम साइड में 2.500 कि0मी0 दूरी पर पक्के सेतु निर्मित है। नूरीगंज-भटनी पर पान्टून सेतु के निर्माण की लागत रु0 76.00 लाख एवं कमहोनवा (कमधेनवा) पर पान्टून सेतु के निर्माण की लागत रु0 75.25 लाख आंकलित है। उक्त पान्टून सेतुओं की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत खुखुंदू-नुनखार-भटनी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

131-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत खुखुंदू-नुनखार-भटनी मार्ग सकरा एवं जर्जर होने के कारण क्षेत्रवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करा कर क्षेत्रवासियों को समस्या से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

मार्ग 'खुखुन्दु-नुनखार-भटनी-शिवघाट मार्ग' अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की कुल लम्बाई 17.600 कि0मी0 है। चैनेज कि0मी0 13.200 से 17.600 में पी0एम0 जी0एस0वाई योजनान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग देवरिया द्वारा 5.50 मी0 चौड़ाई में चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है। चैनेज 0.000 से 13.200 तक के भाग लम्बाई 13.200 कि0मी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में प्रस्तावित बैकुंठपुर व गुद्दीजोर में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

132-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में प्रस्तावित बैकुंठपुर व गुद्दीजोर में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण का कार्य आर0डी0एस0एस0 में प्रस्तावित है। योजना में प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित जर्जर पुल के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

133-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत छोटी गण्डक नदी पर स्थित पुल सकरा तथा जर्जर होने के कारण आम जनमानस को आवागमन में परेशानी हो रही है तथा दिन प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर चौड़ा पुल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सेतु के अपस्ट्रीम में लगभग 4.5 कि0मी0 की दूरी पर कुशहरी घाट निर्मित है तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 7 कि0मी0 की दूरी पर आमघाट सेतु निर्मित है। जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत महुआपाटन-करौदी मार्ग पर छोटी गण्डक नदी पर निर्मित सकरे सेतु के समानान्तर 4x25 मी0 स्पान के 106.88 मी0 लम्बाई के सेतु के निर्माण की लागत रु0 2200.00 लाख आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ की विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के बन्दीघाट (टौंस नदी) पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

134-श्री राजेन्द्र कुमार

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के बन्दीघाट (टौंस नदी) पर पुल न होने के कारण विद्यार्थियों तथा आम जनता को नाव द्वारा नदी पार करके आना-जाना पड़ता है ? क्या यह भी सही है कि 19 सितम्बर, 2022 को टौंस नदी के बन्दी घाट पर नाव के पलट जाने से इण्टरमीडिएट के एक छात्र को नदी में डूब जाने से मृत्यु भी हो गयी थी ? क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 8 कि0मी0 पर 4x28.25 मी0 दर व्यवस्था का 119.20 मी0 लम्बाई का सेतु मुहम्मदाबाद-घोसी मार्ग पर निर्मित है एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 9 कि0मी0 पर 5x28.25 मी0 दर व्यवस्था का 150.93 मी0 लम्बाई का सेतु मीरपुर-रहीमाबाद, गोदामघाट पर निर्मित है। प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 10 कि0मी0 के अन्दर सेतु निर्मित होने के कारण सेतु का निर्माण लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीति से आच्छदित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ की विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना में 10 वर्ष पूर्व में बनी सड़कों की कुल संख्या एवं उक्त मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

135-श्री राजेन्द्र कुमार

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना में 10 वर्ष पूर्व में बनी सड़कें जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं की कुल संख्या कितनी है ? क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण कार्य करवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत 29 मार्ग कुल लम्बाई 47.671 कि0मी0 एवं पुनर्निर्माण के अन्तर्गत 02 कार्य कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0, कुल 31 क्षतिग्रस्त मार्गों पर मरम्मत कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत हेतु विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत 42 मार्ग लम्बाई 51.130 कि0मी0 एवं सामान्य मरम्मत से नवीनीकरण योजना में 33 मार्ग कुल लम्बाई 34.210 कि0मी0 तथा पुनर्निर्माण अन्तर्गत 01 मार्ग लम्बाई 2.10 कि0मी0 कुल 76 मार्गों के अनुरक्षण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवीनीकरण के अन्तर्गत 15 मार्ग कुल लम्बाई 13.755 कि0मी0 के अनुरक्षण कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। 29 मार्ग कुल लम्बाई 47.950 कि0मी0 जिनका निर्माण कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी, ग्राम कंसा पट्टी, मौजा डीहवा में विद्युतीकरण कार्य हेतु 25 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

136-श्री राम सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी, ग्राम कंसा पट्टी, मौजा डीहवा में विद्युतीकरण कार्य हेतु 25 के0 वी0 ए0 ट्रांसफार्मर की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी, ग्राम कंसा पट्टी, मौजा डीहवा में विद्युतीकरण एवं 25 के0वी0ए0 टांसफार्मर की स्थापना का कार्य आर0डी0एस0एस0 में प्रस्तावित है। योजना में प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद रेलवे स्टेशन के पास सुगम यातायात हेतु फ्लाईओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

137-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद रेलवे स्टेशन के पास सुगम यातायात हेतु सरकार फ्लाई ओवर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सम्पार 38ए का टी0वी0यू0 112880.21 (माह 08/2021) है। प्रश्नगत स्थल पर 744.00 मी0 लम्बाई के रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर बाजार को टाउन एरिया घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में

138-श्री जगदीश नारायण-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर बाजार को सरकार टाउन एरिया घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं। नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14, दिनांक 06-10-2016 के मानक 2 (1) अनुसार प्रदेश के किसी भी नगर, गाँव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए और मानक 2 (2) के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जौनपुर के पत्र दिनांक 30-01-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया है कि-

1-प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या-2011 की जनगणना के अनुसार 13850 एवं क्षेत्र मैदानी है। प्रस्तावित क्षेत्र में ग्राम-महिमापुर, बीबनमऊ, लालपुर है।

2-प्रस्तावित क्षेत्र की 60 प्रतिशत आबादी कृषि स्रोतों पर आधारित है तथा 40 प्रतिशत आबादी कृषि से भिन्न स्रोतों पर आधारित है, आदि अन्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है।

नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों के अनुसार जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर बाजार की जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निर्धारित मानक 20000 के सापेक्ष 13850 होने तथा निर्धारित मानक 75 प्रतिशत के सापेक्ष मात्र 40 प्रतिशत व्यक्तियों के व्यवसाय पर आधारित होने के कारण, नगर पंचायत बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यूनिटी सिटी शंकरपुरवा वार्ड प्रथम में पानी की टंकी के पास आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

139-श्री रामपाल वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यूनिटी सिटी शंकरपुरवा वार्ड प्रथम में पानी की टंकी के पास आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण किये जाने विषयक डॉ0 नीरज बोरा, विधायक, 172-लखनऊ, उत्तर के पत्र दिनांक 09 अगस्त, 2023 उन्हें तथा प्रमुख सचिव नगर विकास को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि प्रश्नगत मार्ग प्राइवेट कालोनाइजर्स/सोसाइटी द्वारा बसायी गयी यूनिटी सिटी कालोनी में स्थित है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसी कालोनियों में विकास कार्य कराये जाने का प्रथम दायित्व विकासकर्ता/कोलोनाईजर का है। यद्यपि नगर निगम द्वारा ऐसी कालोनियों में जनहित में समय-समय पर धन की उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत मुगल रोड का नाम सेनानियों के सम्मान में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में

140-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर अन्तर्गत मुगल रोड का नाम स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के सम्मान में बावन इमली शहीद स्मारक मार्ग के नाम से परिवर्तित कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के अन्तर्गत मुगल रोड (पुखरायां घाटमपुर बिन्दकी का निष्कासित भाग) बिन्दकी बकेवर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-46ए) राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में लागू व्यवस्था के अनुसार राज्य मार्ग श्रेणी के मार्गों का नाम परिवर्तित कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर के नगर पालिका परिषद्, बिन्दकी में स्थानीय निवासियों के व्यायाम हेतु ओपेन जिम एवं पार्कों को विकसित किये जाने का विवरण

141-श्री जय कुमार सिंह जैकी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के नगर पालिका परिषद्, बिन्दकी में स्थानीय निवासियों के व्यायाम हेतु ओपेन जिम एवं पार्कों को विकसित करने की कोई योजना है ? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पालिका परिषद्, बिन्दकी में स्थानीय निवासियों के व्यायाम हेतु रामलीला मैदान (बैलाही बाजार) के मूला देवी पार्क में ओपेन जिम एवं मां ज्वाला जी मंदिर तालाब के पार्क में ओपेन जिम अधिष्ठापित है एवं मोहल्ला पुरानी बिन्दकी स्थित मां ज्वाला जी मंदिर के निकट जनसहयोग से पार्क का विकास किया गया है तथा उसमें ओपेन जिम अधिष्ठापित किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका कार्यालय के पास लगभग 200 वर्ग मीटर रिक्त भूमि पर बोर्ड प्रस्ताव कराने के उपरान्त पार्क एवं ओपेन जिम विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

142-श्री पियूष रंजन निषाद-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड गौर में सुकरौली चौराहे से खुटहन गांव होते हुए गंगापुर स्कूल तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

143-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड गौर में सुकरौली चौराहे से खुटहन गांव होते हुए गंगापुर स्कूल तक, दूरी 1.50 किलोमीटर रोड का निर्माण सरकार करवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

लोक निर्माण विभाग में राजस्व ग्रामों/मजरों को वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी होने पर एकल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत लेपित मार्ग से जोड़ने की योजना प्रचलित है। विकास खण्ड गौर में खुटहन व गंगापुर ग्राम लेपित मार्ग से जुड़े हैं। गंगापुर से गंगापुर स्कूल तक मार्ग डबल कनेक्टिविटी से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड गौर में गौर हलुआ मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

144-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड गौर में गौर हलुआ मार्ग किलोमीटर 03 से बहादुरपुर सरदहा शुक्ल गांव तक दूरी 1300 मीटर रोड का निर्माण सरकार करवाएगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड गौर के अन्तर्गत गौर हलुआ से विशुनपुर होते हुए कछिया मार्ग की लम्बाई 4.15 कि0मी0 है। इस मार्ग पर बहादुरपुर सरदहा शुक्ल ग्राम स्थित है। यह ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत मार्ग डबल कनेक्टिविटी से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में ट्रस्ट बिलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को कंज्यूमर एप से जोड़े जाने तथा ट्रस्ट बिलिंग के माध्यम से धनराशि के भुगतान का विवरण

145-श्री सचिन यादव उर्फ जखई-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ट्रस्ट बिलिंग व्यवस्था की शुरूआत हेतु लांच किये कंज्यूमर एप को वर्तमान तक कितने उपभोक्ताओं ने उपयोग किया है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस व्यवस्था के अन्तर्गत कितने उपभोक्ताओं को कंज्यूमर ऐप से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है तथा इन उपभोक्ताओं में ग्रामीण उपभोक्ताओं का क्या प्रतिशत है एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा ट्रस्ट बिलिंग के माध्यम से कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में 2,95,000 उपभोक्ता उपयोग कर रहे हैं।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कन्ज्यूमर ऐप दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को लांच हुआ, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोई भी लक्ष्य का प्रतिशत नहीं था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,704 उपभोक्ताओं द्वारा धनराशि रु0 07,23,97,381.00 का भुगतान किया गया।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के ग्राम सभा भगवानपुर (मुफरिद) की जगवा बस्ती में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

146-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के ग्राम सभा भगवानपुर (मुफरिद) की जगवा बस्ती में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त बस्ती में विद्युतीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के ग्राम सभा भगवानपुर (मुफरीद) की जगवा बस्ती में विद्युतीकरण का कार्य आर0डी0एस0एस0 में प्रस्तावित है। योजना में प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मऊआइमा के अवर एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत खानपुर बटहा में कतिपय 21 ग्रामवासियों पर एफआईआर दर्ज कराकर मनमानी राजस्व निर्धारण कर वसूली किये जाने का प्रकरण

147-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र मऊआइमा के अवर एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा ग्राम पंचायत खानपुर बटहा में दिनांक 27-08-2023 को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-135 के अन्तर्गत एंटी पावर थेफ्ट में प्रयागराज में कतिपय 21 ग्रामवासियों पर एफआईआर दर्ज कराकर मनमानी राजस्व निर्धारण कर वसूली हेतु उत्पीड़न किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उत्तर प्रदेश शासन की मंशानुसार विद्युत वितरण उपखण्ड- मऊआइमा के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मऊदोस्तपुर (मऊआइमा) के हाई लॉस 11 के0वी0 फीडर मऊदोस्तपुर के अन्तर्गत आने वाले गांव बटहा में दिनांक 27-08-2023 को उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता एवं टीम द्वारा चेकिंग की गई, जहाँ पर 16 उपभोक्ताओं द्वारा परिसर पर लगे मीटर की केबिल के अतिरिक्त एक अन्य केबिल को पास से गुजर रही एल0टी0 लाइन से जोड़कर विद्युत की चोरी की जा रही थी एवं 05 उपभोक्ता मीटर के पहले इनकमिंग केबिल को

काटकर अतिरिक्त केबिल जोड़कर (मीटर बाईपास करके) विद्युत चोरी करते पाये गये थे। अतः 16 उपभोक्ताओं की विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135-1 ए के अन्तर्गत एवं 05 उपभोक्ताओं को धारा 135-1 सी के अन्तर्गत एन्टी पावर थेफ्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई। प्राथमिकी दर्ज कराने के उपरान्त विभागीय नियमानुसार अनन्तिम (प्रोविजनल) राजस्व निर्धारण कर पत्र उपभोक्ताओं को पत्र दिनांक 02-09-2023 के द्वारा नोटिस दिया गया था कि वह अपना अभ्यावेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के चाँदपुर गजरौला मार्ग से बागडपुर, हुसैनपुर, मलेशिया होते हुए फीना धनौरा मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

148-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के चाँदपुर गजरौला मार्ग से बागड़पुर, हुसैनपुर, मलेशिया होते हुए फीना धनौरा मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग जर्जर होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 6.230 कि0मी0 है, जिसके चार भाग हैं :-

प्रथम भाग बी0बी0 रोड से बागड़पुर तक ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 0.550 कि0मी0 है। मार्ग के इस भाग का पुनर्निर्माण कार्य करा दिया गया है।

द्वितीय भाग बागड़पुर से हुसैनपुर ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 2.000 कि0मी0 है। मार्ग के इस भाग के पुनर्निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

तृतीय भाग हुसैनपुर से मलेशिया ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.250 कि0मी0 है, विशेष मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्रदत्त है।

चतुर्थ भाग चांदपुर के फीना घनौरा से मलेशिया तक मार्ग की मरम्मत वर्ष 2017-18 में मण्डी परिषद्, बिजनौर द्वारा करायी गयी थी, जिसकी मरम्मत मण्डी परिषद्, बिजनौर द्वारा कराया जाना मण्डी समिति की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के अन्तर्गत ग्राम हिरनाखेड़ी से ग्राम मलेशिया को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

149-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के अन्तर्गत ग्राम हिरनाखेड़ी से ग्राम मलेशिया को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग का लगभग 2 कि0मी0 मार्ग कच्चा होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 2 कि0मी0 कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जिसके निर्माण की माँग की गई है ग्राम हिरनाखेड़ी व ग्राम मलेशिया को आपस में जोड़ता है, जो खड़न्जे स्तर का मार्ग है एवं इसकी लम्बाई 1.200 कि0मी0 है। ग्राम हिरनाखेड़ी, बॅदायू- बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के कि0मी0 167.000 से 2.00 कि0मी0 लम्बाई के लेपित ग्रामीण मार्ग से जुड़ा है।

ग्राम मलेशिया भी बंदायू-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के कि0मी0 169.000 से 3.500 कि0मी0 लम्बाई के लेपित ग्रामीण मार्ग से जुड़ा है।

अतः प्रश्नगत मार्ग ग्रामों को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित है, जो डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड हल्दौर के अन्तर्गत ग्राम अखलासपुर से ग्राम गांगू नंगला मार्ग को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

150-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड हल्दौर के अन्तर्गत ग्राम अखलासपुर से ग्राम गांगू नंगला मार्ग को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग जर्जर होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त जर्जर मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्राम अखलासपुर से ग्राम गांगू नंगला को आपस में जोड़ता है, जिसकी लम्बाई 0.750 कि0मी0 है। जो खड़न्जा स्तर का मार्ग है। ग्राम अखलासपुर पूर्व से ही हल्दौर-चाँदपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-04 की ओर से (लम्बाई 0.500 किमी0) लेपित मार्ग से एवं ग्राम गांगू नंगला हल्दौर-चांदपुर (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-05 से (लम्बाई 2.400 किमी0) के लेपित मार्ग से जुड़ा है। अतः उक्त प्रकरण ग्रामों को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित है, जो डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ग्राम सुनगढ़ सें ग्राम झीरन तक का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

151-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ग्राम सुनगढ़ से ग्राम झीरन तक का सम्पर्क मार्ग कच्चा एवं गड्ढायुक्त होने के कारण आम-जन को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम सुनगढ़ पूर्व से ही नहटौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (राज्य मार्ग-77) के कि0मी0-25 की ओर से 1.500 कि0मी0 लम्बाई के लेपित मार्ग से एवं ग्राम झीरन पूर्व से ही बिजनौर-नूरपुर-छजलैट-मार्ग (राज्य मार्ग-76) के किमी0-40 की ओर से 2.600 कि0मी0 के लेपित मार्ग से जुड़े हुये हैं। प्रश्नगत मार्ग ग्राम सुनगढ़ व ग्राम झीरन को आपस में जोड़ता है, जो कच्चे स्तर का मार्ग है एवं इसकी लम्बाई 2.900 कि0मी0 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सरहद से होकर गुजरने वाली सड़क रेवती-हडिया कलां मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

152-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सरहद से होकर गुजरने वाली सड़क रेवती-हडिया कलां मार्ग जर्जर व गड्ढायुक्त है ? क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के सरहद से होकर गुजरने वाली सड़क रेवती-हडिया कला मार्ग (कुल लम्बाई 1.425 कि0मी0) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्निर्माण योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-214/2023/1195/23-9-2023/001/23-9002-002-26-2023, दिनांक 15-09-2023 द्वारा लागत रु0 39.11 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 31.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के बरहज व जनपद मऊ के मधुबन को जोड़ने वाले मोहन सिंह सेतु के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

153-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के बरहज व जनपद मऊ के मधुबन को जोड़ने वाले मोहन सिंह सेतु के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु अवशेष धन उपलब्ध कराकर जनहित में उक्त पक्का पुल का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सेतु के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति शासनादेश सं0-116/2022/1054 (1)/23-10-22-195 (सेतु)/13, दिनांक 19-09-2022 द्वारा रु0 16114.43 लाख की प्रदान की गयी थी, जिसमें सेतु अंश रु0 3727.14 लाख है। सेतु की वर्तमान में भौतिक प्रगति 91 प्रतिशत है। बरहज साइड के पहुँच मार्ग भाग का कार्य पूर्ण है एवं मधुबन परसिया देवार साइड का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में पहुँच मार्ग की भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है। कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत बिलारी ब्लॉक की मुख्यालय ग्राम पंचायत रुस्तमनगर सहसपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-509 के दोनों तरफ बने नाले से जलभराव को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में

154-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत बिलारी ब्लॉक की मुख्यालय ग्राम पंचायत रुस्तमनगर सहसपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-509 के दोनों तरफ बने नाले से पानी का निकास नहीं होने के कारण वहां उत्पन्न जलभराव की समस्या से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित समय अवधि में उक्त जलभराव को दूर कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्यानुसार जनपद मुरादाबाद के बिलारी ब्लॉक मुख्यालय की ग्राम पंचायत रुस्तमनगर सहसपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-509 के किनारे पर बने नाले की सफाई एवं जलभराव की निकासी का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में लखनऊ बलिया मार्ग हरैया से उसरी माफी कादीपुर होते हुए असोना मार्ग के नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

155-श्री अखिलेश-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2023 के 01-बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-68 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में लखनऊ बलिया मार्ग हरैया से उसरी माफी-कादीपुर होते हुए असोना मार्ग के नवीनीकरण के लिए सरकार वित्तीय संसाधन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। लखनऊ-बलिया मार्ग (हरैया) से उसरी माफी कादीपुर होते हुए असोना ग्राम को जाती है, जिसकी लम्बाई 3.400 कि0मी0 है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्निर्माण योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-21/2024/1112/23-9-2023/002/23-9002-002-26-2023, दिनांक 23-01-2024 द्वारा

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किस्त के रूप में रु0 65.64 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मुबारकपुर की क्षमता वृद्धि 10 एम0वी0ए0 कराये जाने के सम्बन्ध में

156-श्री अखिलेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र मुबारकपुर पर अधिभारिता के कारण प्रस्तावित 5 एम0वी0ए0 के दोनों पावर परिवर्तकों को क्षमता वृद्धि 10 एम0 वी0 ए0 करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मुबारकपुर में 5 एम0वी0ए0 के दोनों ट्रान्सफार्मरों को 10 एम0वी0ए0 से क्षमता वृद्धि करने का प्रस्ताव बिजनेस प्लान अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद आजमगढ़ की सठियांव, जहानागंज मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के सम्बन्ध में

157-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की सठियांव-जहानागंज मार्ग पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर प्रतिदिन लग रहे ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने हेतु ओवरब्रिज बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत रेल सम्पार (टी0वी0यू0 32555) पर 740 मी0 लम्बाई के सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में लारपुर अनूसूचित बस्ती से पुलिया तक तथा टुनटुन मोड़ तक के सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

158-श्री अखिलेश-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2023 के 01-बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या-31 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में

लारपुर अनूसूचित बस्ती से पुलिया तक तथा टुनटुन मोड़ तक के सड़क मार्ग का नवीनीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में बिन्दमठिया से लारपुर सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 2.00 कि0मी0 है, मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है तथा टुनटुन मोड़ से सोनावर सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

159-श्रीमती पूजा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण आम-जनता में श्वांस सम्बन्धी एवं कैंसर जैसे गम्भीर रोग उत्पन्न होने से लोगों का जन-जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है ? क्या सरकार ने प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

प्रदेश के महानगरों में वायु प्रदूषण का स्तर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणता मानक से अधिक है। उक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 07 महानगरों यथा लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं गाजियाबाद को चिन्हित किया गया है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा बनाये गये वायु गुणता सूचकांक अभिलेख में सूचकांक स्तर के अनुसार स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव निम्नवत् हैं :-

ए0 क्यू0 आई0 का स्तर	वायु प्रदूषण की स्थिति	स्वास्थ्य पर सम्भावित प्रभाव
0-50	अच्छा	न्यूनतम प्रभाव।
51-100	संतोषजनक	संवेदनशील व्यक्तियों पर अल्प मात्रा में श्वसन समस्या।
101-200	मध्यम	फेफड़ों, सांस के रोगी एवं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को श्वसन समस्या।
201-300	खराब	लम्बी अवधि तक स्थिति बनी रहने पर अधिकांश व्यक्तियों में श्वसन समस्या।

ए0 क्यू0 आई0 का स्तर	वायु प्रदूषण की स्थिति	स्वास्थ्य पर सम्भावित प्रभाव
301-400	बहुत खराब	लम्बी अवधि तक स्थिति बनी रहने पर अधिकांश व्यक्तियों में श्वसन सम्बन्धी बीमारी उत्पन्न होना।
401-500	गम्भीर	स्वस्थ व्यक्तियों पर दुष्प्रभाव एवं बीमारी से ग्रसित व्यक्यों में गम्भीर दुष्प्रभाव।

जी हाँ।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना-

वायु प्रदूषण के दृष्टिगत प्रदेश के चिन्हित 17 नॉन-अटेन्मेन्ट नगरों यथा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, गोरखपुर एवं बरेली में वायु गुणता में सुधार लाये जाने हेतु वर्तमान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी कार्य योजनाएं लागू हैं एवं कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के 20 सम्बन्धित विभागों के स्तर से कार्यवाही किये जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित है। कार्य योजना के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण व्यवस्था निम्नवत् स्थापित है :-

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति द्वारा।
- मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा।
- प्रदेश स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के 08 नगरों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ एवं शामली सहित अन्य 13 नगरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, गोरखपुर एवं बरेली हेतु ग्रेडेड रिस्पाँस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू किया गया है, जिसका नियमित अनुश्रवण जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु लागू कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सघन अनुश्रवण के फलस्वरूप प्रदेश के 16 नगरों यथा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद, लखनऊ, गजरौला, रायबरेली, कानपुर, मेरठ, अनपरा, बरेली, आगरा, नोएडा एवं गाजियाबाद में वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रचालक पी0एम0 10 की मात्रा में वर्ष 2022-23 में (वर्ष 2019-20 के सापेक्ष) 03 से 64 प्रतिशत तक सुधार पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम प्रधानों को सरकारी मानदेय भत्ता की भांति नगर निगम के पार्षदों को सरकारी मानदेय भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में

160-श्री अभय सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम प्रधानों को सरकारी मानदेय भत्ता की भांति नगर निगम के पार्षदों को सरकारी मानदेय भत्ता देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर विकास विभाग में नगर निगमों के पार्षदों के लिये उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-30-क के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर निगम सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 की अधिसूचना दिनांक 07-01-2015 द्वारा निम्नवत् व्यवस्था है :-

'उत्तर प्रदेश के नगर निगमों के पार्षद नगर निगमों की बैठकों में भाग लेने के लिये प्रतिमाह प्रति पार्षद 1500 रुपये (एक हजार पाँच सौ रूपये) यात्रा भत्ता प्राप्त करेंगें, जिसका वहन निगम के स्रोतों से किया जायेगा।'

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपनिबन्धक एवं प्रभारी उपनिबन्धक के तैनाती में मेरिट बेस्ड प्रणाली, कार्यकाल, उनके गृह जनपद/मण्डल व उनके मेरिट का प्रमाण का विवरण

161-श्री अभय सिंह

क्या स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा उपनिबन्धक एवं प्रभारी उपनिबन्धक के तैनाती में मेरिट बेस्ड प्रणाली तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2021-23 में श्रेणी क व ख के किये गये समस्त स्थानान्तरणों व स्थानान्तरित नहीं किये गये कार्मिकों के तैनाती कार्यकाल, उनके गृह जनपद/मण्डल व उनके मेरिट का प्रमाण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

जी नहीं।

उपरोक्त का उत्तर 'नहीं' होने के कारण प्रश्न नहीं उठता।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-11/2022/363-सामान्य/सैंतालिस-का-4-2022-1/3/96, दिनांक 15-06-2022 (2022-23 हेतु प्रभावी के प्रस्तर-9) एवं

संख्या-1/3/96-का-4-2021, दिनांक 15-06-2021 के अन्तिम प्रस्तर में दी गयी व्यवस्था 'यथा सम्भव' प्रावधानित होने के कारण विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत क्रियान्वित नहीं की गयी है। यहां सूच्य है कि स्थानान्तरण कार्मिक की किसी पद पर तैनाती की अवधि, उसकी दक्षता, उसकी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक समस्याओं, परिस्थितियों, किसी कार्य पटल/तैनाती स्थल की कार्यात्मक आवश्यकता एवं विचारण किये जा रहे कार्मिक की उसके लिए अनुकूलता आदि बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त नियन्त्रक प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष का सुविचारित विवेकाधीन निर्णय होता है, जिसके अधीन ही शासनादेश के अनिवार्य प्राविधानों के अनुपालन करते हुए स्थानान्तरण करने या न करने का निर्णय लिया गया है।

जनपद देवरिया के रामपुर कारखाना के विभिन्न स्थानों पर लघु सेतु/पुलिया बनाने के सम्बन्ध में

162-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के विभिन्न स्थानों पर लघु सेतु/पुलिया बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 नं0-687241, दिनांक 25-09-23 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 25-09-2023 में उल्लिखित कार्यों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गौर कोठी भांगडा टोला-बाबू टोला मार्ग पर स्थित जर्जर पुलिया के स्थान पर नवीन आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण कार्य हेतु सिंचाई विभाग कुशीनगर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आगणन गठन की कार्यवाही की जायेगी।

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गौतमचक मठिया-सिरसिया मार्ग पर स्थित करमैनी नाले पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया, पहुँच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण की लागत रु0 245.73 लाख आंकलित है।

3-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बिसुनपुरा बाजार में पिपरा सुराजी टोला से पिपरा बुआल के मध्य स्थित नाले पर 2x6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया, पहुँच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण की लागत रु0 280.95 लाख आंकलित है।

4-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत मधवापुर से पिपरहिया ग्राम के मध्य स्थित नाले पर 1x6 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य की लागत रु0 72.50 लाख आंकलित है।

उपर्युक्त कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद देवरिया के रामपुर कारखाना के कुशहरी व बरियारपुर में जर्जर सहकारी समिति के गोदाम के निर्माण के सम्बन्ध में

163-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के कुशहरी व बरियारपुर में जर्जर सहकारी समिति की गोदाम के स्थान पर नया गोदाम बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-7 नं0-193752, दिनांक 09-08-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जे0 पी0 एस0 राठौर-

जी हाँ।

प्रकरण में जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना की बी-पैक्स कुशहरी व बरियारपुर के जर्जर गोदाम के स्थान पर नया गोदाम राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बनाये जाने के क्रम में अवगत कराना है कि गोदाम निर्माण का कार्य, योजना में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के माधव ग्रीन सिटी मल्हौर में सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में

164-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के माधव ग्रीन सिटी मल्हौर में सड़क मरम्मत, लाइट व सीवर कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या ख-7 नं0-027668, दिनाँक 02-08-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

माधव ग्रीन सिटी निजी विकासकर्ता/कोलोनाईजर द्वारा अनियोजित रूप से विकसित की गयी कालोनी है, जिसका मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। उक्त

कालोनी में अवस्थापना सुविधाएं जैसे सड़क, नाली आदि के निर्माण कराने का मूल दायित्व सम्बन्धित विकासकर्ता/कोलोनाईजर का है। यद्यपि नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में धन उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के सिरकोनी के ग्राम अहमदपुर में सड़क निर्माण के विषयक

165-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के वि0ख0 सिरकोनी के ग्राम अहमदपुर में सड़क बनाने विषयक पत्र सन्दर्भ संख्या-18194230147533 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

विकास खण्ड सिरकोनी में जफराबाद बाजार (बन्धवा) से अहमदपुर तक मार्ग की लम्बाई 960 मीटर है, जिसमें 182 मीटर लम्बाई में सी0सी0 रोड एवं 553 मीटर लम्बाई में इण्टरलॉकिंग मार्ग एवं 225 मीटर लम्बाई में लेपित मार्ग नगर पंचायत जफराबाद, जौनपुर द्वारा निर्मित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नगर पालिका मुजफ्फरनगर की सड़कों की गुणवत्ता की जाँच टी0ए0सी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में

166-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहर के अन्दर बनने वाली तारकोल की सड़कों की आयु कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पालिका, मुजफ्फरनगर द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया था ? क्या सरकार नगर पालिका, मुजफ्फरनगर की सड़कों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में शहर के अन्दर बनने वाली तारकोल की सड़कों की आयु मूलतः मैटेरियल की क्वालिटी, डिजाईन, डिजाईन पीरियड, ट्रैफिक का घनत्व, क्लाईमेट कन्डीशन व अनुरक्षण पर निर्भर करता है। वर्णित परिस्थितियों एवं इण्डियन रोड कांग्रेस में अंकित दिशा-निर्देश के

अनुसार सामान्यतः तारकोल द्वारा निर्मित सड़कों की कुल आयु काल 5 से 10 वर्ष निर्धारित की गयी है।

नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर की आख्यानुसार विगत दस वर्षो में सी0 सी0, इण्टरलॉकिंग एवं तारकोल द्वारा कुल 3455 सड़कों का निर्माण किया गया है। समस्त सड़कों का अनुरक्षण सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा (अनुरक्षण काल में) एवं पालिका द्वारा नियमित रूप से कराया जाता है।

नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्मित सड़कों की टी0ए0सी0 जाँच मण्डलायुक्त द्वारा नामित प्राविधिक परीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

167-श्री पंकज कुमार मलिक-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

168-श्री पंकज कुमार मलिक-

[01-शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत नाई टोला से कुटिया रोड निकट काले की चक्की राजीव नगर, खरिका प्रथम, तेलीबाग मार्ग को अतिक्रमणमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

169-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत नाई टोला से कुटिया रोड निकट काले की चक्की राजीव नगर, खरिका प्रथम, तेलीबाग का मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त है एवं उक्त रोड पर अतिक्रमण कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त रोड को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए नव निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल पर स्थित नालियाँ व सड़कें जर्जर अवस्था में पायी गयी हैं। उक्त स्थल पर सड़क एवं नाली के मरम्मतीकरण/सुधारीकरण के लिए नगर निगम, लखनऊ द्वारा आगणन तैयार किया गया है। आगणन स्वीकृतोपरान्त एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कराकर, अतिक्रमण हटाते हुए सड़क व नाली का सुधारीकरण का कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत नाई टोला से कुटिया रोड निकट काले की चक्की राजीव नगर, खरिका प्रथम, तेलीबाग में सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में

170-श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत नाई टोला से कुटिया रोड निकट काले की चक्की राजीवनगर, खरिका प्रथम, तेलीबाग में सीवर लाइन नहीं होने से आम-जनमानस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीवर लाइन डलवाएगी/निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लखनऊ नगर के सीवरेज प्रणाली विहीन क्षेत्रों में सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार के अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सिटी वॉटर एक्शन प्लान (सी0डब्ल्यू0ए0पी0) तैयार कर स्वीकृति सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाही हेतु भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड सी0डब्ल्यू0ए0पी0 में लखनऊ-रायबरेली रोड-लखनऊ क्षेत्र भी सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में भटनी से नोनापार-प्यासी मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

171-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना में भटनी से नोनापार-प्यासी मार्ग जर्जर है, जिस पर आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग वर्तमान में यातायात हेतु सुगम है। उक्त मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है। मार्ग की कुल लम्बाई 16.500 कि0मी0 एवं लेपित सतह की चौड़ाई 3.00 मी0 है।

मार्ग के दो लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण करने एवं अवैध कालोनी में आवेदकों द्वारा नक्शा पास करने के विवरण के सम्बन्ध में

172-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्या : 5097/9-आ-3-2001, दिनांक 26 मई, 2001, शासनादेश संख्या : 5438/9-आ-3-2001, दिनांक 02-12-2003, शासनादेश संख्या : 3805/8-3-2008-194कम्प/2001, दिनांक 05-08-2008 एवं शासनादेश संख्या : 1428/आठ-8-18-194 काम्प/2001, दिनांक 09-8-2018 में वर्णित व्यवस्थाओं तथा शासन के पत्र संख्या-वीआईपी-40 (2)/आठ-8-2023-194 काम्प/2001, दिनांक 03-07-2023 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित अभिकरणों को दिए गए निर्देशों को सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि अवैध कालोनियों में यदि कोई एक अथवा दो प्लाट स्वामी अपने प्लॉट्स नियमित करने एवं भवन का नक्शा पास कराना चाहे तो उसकी क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर मण्डल में सभी विनियमित प्राधिकरणों को अवैध कॉलोनी में नक्शा पास करने के कुल कितने आवेदन मिले हैं और किस तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर नक्शा पास करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु जारी गाइड लाइन्स के अनुसार विनियमितीकरण के उपरान्त कालोनी के अन्तर्गत स्थित भूखण्ड स्वामियों द्वारा मानचित्र पास कराया जा सकता है।

विनियमित क्षेत्र देवबन्द में दिनांक 25-03-1997 से जनवरी, 2024 तक कुल 566 मानचित्र अवैध कालोनियों व अन्य मानचित्र जमा हुए थे, जो नियमानुसार न पाये जाने पर निरस्त किये गये हैं।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध कालोनी में स्थित निर्माणों की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त आवेदन अनाधिकृत कालोनी के अन्तर्गत होने के कारण प्राधिकरण द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है।

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विगत वर्ष मुजफ्फरनगर एवं शामली में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

अनाधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण हेतु जारी गाइड लाइन्स के अनुसार विनियमितीकरण के उपरान्त कालोनी के अन्तर्गत स्थित भू-खण्ड स्वामियों द्वारा मानचित्र पास कराया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सम्भल/मुरादाबाद सहित प्रदेश में अवैध वसूली रोकने तथा उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

173-श्रीमती पिंकी सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सम्भल/मुरादाबाद सहित प्रदेश में फुंके ट्रांसफार्मर बदलने हेतु अवैध वसूली की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध वसूली रोकने तथा उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

विद्युत वितरण मण्डल, सम्भल के अन्तर्गत किसी प्रकार के क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को बदलने हेतु अवैध वसूली की शिकायत संज्ञानित नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत हरिहरपुर में मेन रोड से गड़रियन पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

174-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत हरिहरपुर में मेन रोड से गड़रियन पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट के ग्राम हरिहरपुर में मेन रोड से गड़रियन पुरवा तक भरतकूप मानपुर मडफा मार्ग के कि0मी0-7 (800) से शिवराजपुर माफी (गड़रियन पुरवा) सम्पर्क मार्ग

है, जिसकी कुल लम्बाई 2.200 कि0मी0 है। मार्ग के चैनेज 0.800 से 1.000 (लम्बाई 0.200 कि0मी0) में भूमिधरी होने के कारण निर्माण नहीं कराया जा सका है। वर्तमान में उक्त भाग कच्चा स्तर का है। ग्रामीण सड़कों के नव निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं है। उक्त भूमि के निःशुल्क मिलने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

175-श्री अनिल प्रधान-

[02-मंगलवार के अन्तर्गत प्र0सं0-201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कलवारा खुर्द में अहिरन पुरवा बद्री के डेरा से खेरिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

176-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कलवारा खुर्द में अहिरन पुरवा बद्री के डेरा से खेरिया तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग एक किलोमीटर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में ग्राम कलवारा खुर्द एवं खेरिया पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत ग्राम कलवारा खुर्द में अहिरन पुरवा ब्रदी का डेरा से खेरिया तक कच्चा स्तर का मार्ग है। जिस पर मार्ग निर्माण चाहा गया है, जो ग्राम कलवारा खुर्द एवं ग्राम खेरिया को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की गौरा ब्लॉक के विद्युत केन्द्र गौरा के ग्राम थरिया (गांजी का बाग चौराहे) पर स्थापित 10 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में

177-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की गौरा ब्लॉक के विद्युत केन्द्र गौरा के ग्राम थरिया (गांजी का बाग चौराहे) पर स्थापित 10 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर अति भारित है ? क्या सरकार निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए उक्त अति भारित विद्युत ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-प्रतापगढ़ के गौरा ब्लॉक, ग्राम धरिया (गांजी का बाग चौराहे) में स्थापित 10 के0वी0ए0 विद्युत ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि 25 के0वी0ए0 किये जाने का कार्य बिजनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-56 फाफामऊ की बस्ती मातादीन का पूरा में तेज बहादुर पटेल के घर से मोतीलाल पटेल के घर तक किए गए अवैध कब्जे को हटाकर रास्ता बहाल कराये जाने के सम्बन्ध में

178-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-56 फाफामऊ की बस्ती मातादीन का पूरा में तेज बहादुर पटेल के घर से मोतीलाल पटेल के घर तक त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में निर्मित सार्वजनिक रास्ते को दबंगों द्वारा कब्जा कर अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त सार्वजनिक रास्ते पर किए गए अवैध कब्जे को हटाकर रास्ता बहाल कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि प्रश्नगत मार्ग का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रयागराज द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत कराया गया था। प्रश्नगत सड़क की चौड़ाई सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 1.60 मी0 तथा अधिकतम 2.05 मी0 है, जिस पर वर्तमान में आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है। स्थल पर कोई मार्ग बन्द नहीं किया गया है और न ही रोका गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत भोजे मऊ सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

179-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत भोजे मऊ सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत कार्य पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत प्रस्तावित था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत सराय शेर खां के सम्पर्क मार्ग का शेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

180-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत सराय शेर खां के सम्पर्क मार्ग का शेष भाग का निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत कार्य पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत प्रस्तावित था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर हल्दौर तथा नूरपूर के ग्रामों में 11 हजार वोल्ट की लाइनों को बदलवाकर उनके स्थान पर पी0वी0सी0 केबिल लगवाने के सम्बन्ध में

181-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर हल्दौर तथा नूरपुर के ग्रामों में राजीव गांधी विद्युत योजना के तहत

खींची गयी 11 हजार वोल्ट की लाइनों को बदलवाकर उनके स्थान पर पी0वी0सी0 केबिल लगवाने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर, हल्दौर तथा नूरपुर के ग्रामों में भारत सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत 11 के0वी0 वोल्ट (एच0वी0डी0एस0) लाइन की स्थापना की गयी, जिसे बदलने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के अन्तर्गत ग्राम गदनपुरा से ग्राम राजपुर तक का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

182-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के विकास खण्ड जलीलपुर के अन्तर्गत ग्राम गदनपुरा से ग्राम राजपुर तक का सम्पर्क मार्ग कच्चा होने के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी होती है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जिसके निर्माण की माँग की गई है ग्राम गदनपुरा व ग्राम राजपुर को आपस में जोड़ता है, जो कच्चा मार्ग है एवं इसकी लम्बाई 1.050 कि0मी0 है।

ग्राम गदनपुरा पूर्व से ही स्याऊ-छाछरी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-08 से 1.00 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्ग से जुड़ा है।

ग्राम राजपुर पूर्व से स्याऊ-छाछरी (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-8.00 से 2.00 कि0मी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्ग से जुड़ा है।

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ग्राम छाछरी मोड़ जलीलपुर मार्ग से सीकरी तक का मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

183-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के ग्राम छाछरी मोड़ जलीलपुर मार्ग से सीकरी तक का मार्ग बरसात के समय में गंगा

जी का पानी आने के कारण जर्जर हो गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार छाछरी मोड़ जलीलपुर मार्ग से सीकरी मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग छाछरी मोड़ से जलीलपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-9 से निकलकर सीकरी तक जाता है इस मार्ग की कुल लम्बाई 2.200 कि0मी0 है एवं चौड़ाई 3.00 मी0 है। मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के नूरपूर धनौरा मार्ग से ग्राम मुस्तफाबाद में राजपाल सिंह के क्रेशर से भवानीपुर गद्दो तक का सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

184-श्री स्वामी ओज्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के नूरपूर धनौरा मार्ग से ग्राम मुस्तफाबाद में राजपाल सिंह के क्रेशर से भवानीपुर गद्दों तक का सम्पर्क मार्ग गड्ढायुक्त एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण आम-जन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग जिसके निर्माण की माँग की गई है ग्राम मुस्तफाबाद व ग्राम भवानीपुर गद्दो को आपस में जोड़ता है, जो कच्चा मार्ग है एवं इसकी लम्बाई 5.00 कि0मी0 है। ग्राम मुस्तफाबाद व राजपाल सिंह का क्रेशर फीना-धनौरा (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0-05 पर स्थित है। ग्राम भवानीपुर गद्दो चाँदपुर-फीना मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग-170 डब्लू) के कि0मी0-5.000 से 3.000 कि0मी0 लम्बाई के लेपित ग्रामीण मार्ग से जुड़ा है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के पीछे से मालपुर माइनर के पटरी पर बेनी का पूरा होते हुए ठट्टापुर तक की सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

185-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के पीछे से मालपुर माइनर के पटरी पर बेनी का

पूरा होते हुए ठट्टापुर तक की सड़क जर्जर होने से लगभग पचास गांव के लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त सड़क का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के अन्तर्गत रामनगर ब्लाक के जट्ठहवा निषाद बस्ती सम्पर्क मार्ग लम्बाई 1.16 कि0मी0 के नव निर्माण के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष लम्बाई 2.40 कि0मी0, रामनगर बाजार से जट्ठहवा मण्डप नहर पटरी होते हुए मानापुर बसहिया प्रधानमंत्री सड़क तक सम्पर्क मार्ग का भाग है, जिसके विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 में करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा विद्युत चेकिंग अभियान में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में

186-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा विद्युत चेकिंग अभियान में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में विद्युत चोरी व चेकिंग के नाम पर उक्त अवैध वसूली रोकना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद मुरादाबाद सहित प्रदेश में विद्युत चेकिंग अभियान में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली करने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। यदि किसी प्रकरण में विद्युत चोरी व चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत प्राप्त होती है, तो विभागीय जाँच की जाती है तथा शिकायत प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में निगम के नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के पडरौना के नगर पालिका परिषद् में तैनात अधिशासी अधिकारी द्वारा कराये जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों की जाँच के सम्बन्ध में

187-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के नगर पालिका परिषद् में तैनात अधिशासी अधिकारी द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों में नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कराये जाने की जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की

संस्तुति जिलाधिकरी पत्रांक-794/एल0बी0सी0-2023-24, दिनांक 31 जुलाई, 2023 द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र दिनांक 31-07-2023 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में श्री सन्तराम सरोज, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, पडरौना (कुशीनगर) को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुये नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 के कार्यालय आदेश संख्या-2/908/181-अ0अ0न0पा0प0/02, दिनांक 22-08-2023 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी एवं जांचोपरान्त अपचारी अधिकारी द्वारा अधिरोपित आरोप प्रमाणित/आंशिक प्रमाणित पाये जाने के कारण निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-2/1396/181-अ0अ0/2022, दिनांक 12-01-2024 द्वारा एक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से रोकते हुये परिनिन्दा प्रविष्टि प्रदान करने सम्बन्धी दण्डादेश पारित किया गया, तद्नुसार उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत भैसौंधा में भैसौंधा सम्पर्क मार्ग (योगेंद्र सिंह का पुरवा होते हुए) से बगलई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

188-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत भैसौंधा में भैसौंधा सम्पर्क मार्ग (योगेंद्र सिंह का पुरवा होते हुए) से बगलई तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट के ग्राम भैसौंधा एवं ग्राम बगलई पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत भैसौंधा सम्पर्क मार्ग (योगेंद्र सिंह का पुरवा होते हुए) से बगलई तक कच्चा स्तर का मार्ग है, जो ग्राम भैसौंधा एवं ग्राम बगलई को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत चौरा में डहरिया पुरवा से नहर की रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

189-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत चौरा में डहरिया पुरवा से नहर की रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत चौरा में डहरिया पुरवा पूर्व में ही सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत ग्राम पंचायत चौरा में ग्राम डहरिया पुरवा से सकरौली नहर की पटरी तक कच्चा स्तर का मार्ग है। जो ग्राम डहरिया पुरवा को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कौहारी में पटियाजप्ती से सकरौली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

190-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कौहारी में पटियाजप्ती से सकरौली तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट में ग्राम कौहारी का मजरा पटियाजप्ती एवं सकरौली पूर्व से सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत पटियाजप्ती से सकरौली कच्चा स्तर का मार्ग है जिस पर मार्ग निर्माण चाहा गया है, जो पटियाजप्ती एवं ग्राम सकरौली को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर कोलौन्हा के पास पुल का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

191-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर कोलौन्हा के पास पुल के निर्माण कार्य को सरकार समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट में निर्माणाधीन भरतकूप-फतेहगंज मार्ग (कोलौन्हा के पास) पर बाणगंगा नदी पर सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पहुँच मार्ग भाग में मिट्टी एवं जी0एस0बी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत नूरपूर अमरोहा मार्ग लिन्डरपुर से धारोपुर पन्हेडी तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

192-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत नूरपूर अमरोहा मार्ग लिन्डरपुर से धारोपुर पन्हेडी तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत नूरपुर अमरोहा मार्ग लिन्डरपुर से धारोपुर पन्हेडी तक (लम्बाई 4.9 कि0मी0) क्षतिग्रस्त मार्ग की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत मानपुर चौराहे से रसूलपुर नगला तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

193-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत मानपुर चौराहे से रसूलपुर नगला तक मार्ग क्षतिग्रस्त है। क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग की लम्बाई 2.800 कि0मी0 है। मानपुर चौराहे से रसूलपुर नगला तक जाने वाले मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग की दशा संतोषजनक है। मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से संचालित हो रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत लेनपुरी, शेखपुरी से खानपुर, कमालपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

194-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत लेनपुरी, शेखपुरी से खानपुर, कमालपुर मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

लेनपुरी-शेखपुरी-मीरापुर मार्ग की लम्बाई 2.300 कि0मी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 है। यह मार्ग विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृत है।

मीरापुर से खानपुर, कमालपुर मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 तथा चौड़ाई 3.00 मीटर है। इस मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत रूकनपुर से चाँदपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

195-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत रूकनपुर से चाँदपुर मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत चाँदपुर-फीना मार्ग से रूकनपुर मार्ग (रूकनपुर से चाँदपुर मार्ग) कुल लम्बाई 2.300 कि0मी0 गन्ना विभाग के स्वामित्व में है, जिसमें से 1.00 कि0मी0 लम्बाई का मरम्मत कार्य वर्ष 2015-16 एवं 1.300 कि0मी0 लम्बाई का मरम्मत कार्य वर्ष 2016-17 में गन्ना विकास परिषद्, चाँदपुर द्वारा कराया गया था। उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराया जाना गन्ना विभाग के स्तर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में हीमपुर से धीवरपुरा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

196-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में हीमपुर से धीवरपुरा मार्ग लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण क्षतिग्रस्त होने से मार्ग पर आवागमन बन्द है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत हीमपुर दीपा से स्याह छाछरी मार्ग (हीमपुर से धीवरपुरा मार्ग) कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 में मरम्मत का कार्य गन्ना विकास परिषद् चाँदपुर द्वारा वर्ष-2017-18 में कराया गया था। उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य कराया जाना गन्ना विभाग के स्तर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कोरार डीह मजरा में विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

197-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कोरार डीह मजरा में वर्तमान तक विद्युतीकरण कार्य नहीं हुआ है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य कराते हुए बताएगी कि छूटे हुए मजरों में विद्युतीकरण कार्य कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर कोरार डीह मजरा में विद्युतीकरण का कार्य आर0डी0एस0एस0 में प्रस्तावित है। योजना में प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत बिच्छूर पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

198-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत बिच्छूर पाल बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत कार्य पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत प्रस्तावित था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में एक निश्चित समय-सीमा में अतिभारित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में

199-श्री तुफानी सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में कितने परिवर्तक अतिभारित हैं ? क्या सरकार उक्त का सर्वे कराकर एक निश्चित समय-सीमा में अतिभारित परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में कुल 157 परिवर्तकों को बिजनेस प्लान, अतिरिक्त बिजनेस प्लान, प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं बिजनेस प्लान 2023-24 में सर्वे कराकर क्षमतावृद्धि का कार्य मार्च, 2024 तक कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में

200-श्री तुफानी सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक कितने गांवों को आच्छादित कर दिया गया है, उनका विवरण

क्या है तथा कितनों को किया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जौनपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत समस्त 3442 ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। इसका विवरण https:/jaunpur.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उक्त के अतिरिक्त आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत 1606 मजरों के विद्युतीकरण के कार्य की योजना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

स्वतंत्रता सेनानी मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी की याद को चिरस्थाई करने तथा नवाब का तालाब स्थित कस्बा कैराना जनपद शामली की ऐतिहासिकता के संरक्षण हेतु सरकार से माँग

201-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी की याद को चिरस्थाई करने तथा नवाब का तालाब स्थित कस्बा कैराना, जनपद शामली की ऐतिहासिकता के संरक्षण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के महत्वपूर्ण जल निकायों/तालाबों एवं ऐतिहासिक महत्व के उनसे जुड़े हुए क्षेत्रों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य राज्य सरकार द्वारा राज्य सेक्टर की नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे हैं।

प्रश्नगत तालाब के सौन्दर्यीकरण/संरक्षण का कार्य स्थानीय निकाय के निर्णय एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या का गोलाघाट स्थित नजूल भूमि सं0-82 को फ्री होल्ड कराये जाने के सम्बन्ध में

202-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय समाज ट्रस्ट, गोलाघाट, जनपद अयोध्या का गोलाघाट स्थित नजूल भूमि सं0-82 रकबा 12 बिस्वा

16 विश्वांसी चक नं0-3 को फ्री होल्ड कराये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-172537, दिनांक 04 सितम्बर, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-3/2020/460/आठ-4-2020-137एन/2013टी0सी0, दिनांक 27-07-2020 द्वारा नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण तथा फ्री होल्ड सम्बन्धी निर्गत समस्त शासनादेशों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। अतः अध्यक्ष, अखिल भारतीय दांगी क्षत्रिय समाज ट्रस्ट गोलाघाट, अयोध्या, जिला फैजाबाद, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 04-09-2023 के क्रम में किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में नगर पालिका परिषद् पडरौना में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्मित गण्डक नहर के बगल से चाफ शाखा ड्रेन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

203-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में नगर पालिका परिषद् पडरौना में सिंचाई विभाग के द्वारा निर्मित गण्डक नहर के बगल से चाफ शाखा ड्रेन का निर्माण कार्य लगभग 35 वर्ष पूर्व हुआ था ? सिंचाई विभाग के इस ड्रेन से ही पडरौना शहर के आधे से अधिक लोगों के घरों का पानी का बहाव इसी ड्रेन से होकर गण्डक नहर से साइफन होते हुये कसया रोड की तरफ निकलता है, वर्तमान समय में सिंचाई विभाग की यह ड्रेन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाने के कारण बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन का निर्माण कार्य कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

जनपद कुशीनगर की नगर पालिका परिषद्, पडरौना में चाफ शाखा नाम की न ही कोई ड्रेन है और न ही प्रश्नगत ड्रेन के 35 वर्ष पूर्व निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध है।

वर्तमान समय में यह ड्रेन, बरसाती नाला (कच्चा नाला) के रूप में मौजूद है। उक्त नाले के माध्यम से पडरौना शहर के अधिकांश मोहल्लों के घरों का पानी कसया रोड की ओर प्रवाहित होता है।

नगर पालिका परिषद्, पडरौना सीमान्तर्गत छावनी साइफन से सोहरौना नहर तक (कसया रोड स्थित) जल निकासी हेतु 2388.50 मी0 नाले के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम/मोहल्ला बालकगंज पुराना तोप खाना स्थित गाटा संख्या-248, 249, 250, 256, 257 नजूल भू-खण्ड कराये जाने के सम्बन्ध में

204-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम/मोहल्ला बालकगंज पुराना तोपखाना स्थित गाटा संख्या-248, 249, 250, 256, 257 नजूल भू-खण्ड के रूप में अभिलेखित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को नजूल भू-खण्ड घोषित करने से संबंधित अभिलेख का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेख बन्दोबस्त 1862 ई0 के अनुसार खसरा संख्या-248, 249, 250, 256, 257 नजूल के रूप में दर्ज है एवं नजूल सम्पत्ति पंजिका 1886 ई0 व 1907 ई0 में भी नजूल के रूप में दर्ज है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में चकरोड एवं कॉलोनियों के अवैध रूप से किये गये निर्माण कार्य की जाँच के सम्बन्ध में

205-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक एम0एस0/98/2023/1282, दिनांक 27-08-2023 तथा एम0एस0/2023/1303, दिनांक 27-09-2023 जोकि जनपद फिरोजाबाद में चकरोड एवं कॉलोनियों के अवैध रूप से निर्माण कार्य कराये जाने की जांच विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। प्रश्नगत चकरोड एवं कालोनियों में पाये गये अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सम्बन्धित के विरुद्ध उ0प्र0रा0 संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कर कार्यवाही कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की आय प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा संसाधन संस्थान (टी0ई0आर0आई0) के मध्य कार्बन क्रेडिट का मुद्रीकरण के समझौते का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की माँग

206-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की आय प्रदेश सरकार एवं ऊर्जा संसाधन संस्थान (टी0ई0आर0आई0) के मध्य कार्बन क्रेडिट का मुद्रीकरण के समझौते का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

वन विभाग, उत्तर प्रदेश और द इनर्जी एण्ड रिसोर्सेज़ इन्स्टीट्यूट (टेरी) तथा वैल्यू नेटवर्क वेन्चर्स एडवाइजरी सर्विसेज प्रा0लि0 के मध्य कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के सम्बन्ध में इस आशय का समझौता किया गया है कि किसानों द्वारा अपनी भूमि पर किये गये वृक्षारोपण के सापेक्ष कार्बन प्रोजेक्ट के आवर्तनकाल में सृजित कार्बन क्रेडिट के निर्धारित अंश का भुगतान किसानों को किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 06 मण्डलों गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद एवं सहारनपुर को चिन्हित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में एन0 एच0-27 से चौखड़ा गाँव तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

207-श्री कविन्द्र चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र कप्तानगंज में एन0एच0-27 से चौखड़ा गांव तक की सड़क जर्जर है ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क की मरम्मत का उत्तरदायित्व पंचायती राज विभाग का है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जी नहीं। नगर विकास विभाग का है।

उक्त सड़क के मरम्मत का कार्य कराये जाने हेतु नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती द्वारा अग्रिम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। बोर्ड बैठक के उपरान्त प्रश्नगत सड़क की मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही नगर पंचायत कप्तानगंज, बस्ती के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में मंझोला योजना संख्या-4, भाग-2 सेक्टर-7 में जमीन पर अनाधिकृत व्यक्तियों से अवैध कब्जा हटाकर भूमि को खाली करवाए जाने के सम्बन्ध में

208-श्री समरपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में मंझोला योजना संख्या-4, भाग-2, सेक्टर-7 में जमीन पर अनाधिकृत व्यक्तियों का कब्जा है ? क्या सरकार उक्त भूमि पर से अवैध कब्जा हटाकर भूमि को खाली करवाये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा प्रशासित मझोला योजना संख्या-0-04, भाग-2 के सेक्टर-7ई/7डी के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अर्जित भूमि में खसरा संख्या-352 की आंशिक भूमि पर बन्दोबस्त/निर्माण निहित है। खसरा संख्या-921, 922, 935, 870ए, 870बी एवं 871 रिट याचिका संख्या-1205/2010 एवं रिट याचिका संख्या-49894/2009 (आर्य नगर सहकारी आवास समिति बनाम स्थगन आदेश) से सम्बन्धित भूमि का कुल क्षेत्रफल 6.34 एकड़ (यू0पी0 राज्य और अन्य में पारित) 17-09-2009 से प्रभावी है।

चूंकि विवाद उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है, इसलिए कोई अलग कार्यवाही वैध नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत 69 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। शलाका के आधार पर नियमावली के अनुसार 20 सूचनाएँ ली जाती हैं। मैंने इस बात के लिए निर्देश दिया है कि आज जो 69 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं उनमें से जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएँ विगत दो दिनों में स्वीकार हुई हैं उनके अलावा सारी सूचनाएँ स्वीकार कर ली जाएं, लेकिन उन माननीय सदस्यों का सदन में उपस्थित होना जरूरी है।

जो लोग उपस्थित नहीं हैं, उनकी सूचनाएँ नहीं ली जाएंगी। जिन मा0 सदस्यों की सूचनाएँ पहले स्वीकार हो चुकी हैं, उनकी सूचनाएँ भी नहीं ली जाएंगी। शेष मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की जाती हैं।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री संग्राम सिंह की जनपद बलिया के फेफना के आईटी बन्धे पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की

जनपद जालौन में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री विजयपाल (आढ़ती) की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद सन्तकबीरनगर के धनघटा में निरीक्षण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के नगर पंचायत इकौना में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ के देवपुरी कालोनी में घर के ऊपर से निकल रहे विद्युत तारों को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वर्षापुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट) की जनपद फतेहपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री शलभ मणि त्रिपाठी की जनपद देवरिया के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर देवरिया विकास प्राधिकरण बनाए जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डॉ0 राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत हिंदनगर मोहल्ले में सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटरी-दुबई सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में नूरपुर-गढ़िया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जगत खेड़ा कल्ली पश्चिम में विद्युत कटौती के दोषियों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में कतिपय सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार सिंह की जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के जाफरपुर में कतिपय स्थान पर सब-स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज में कतिपय सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री आशु मालिक की जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की मेरठ के सरधना नगर के लिए बस परिवहन सेवा के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री राम सिंह पटेल की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में कतिपय रोड के निर्माण के कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री अनिल प्रधान की जनपद चित्रकूट के तहसील राजापुर में डिफेन्स कॉरिडोर हेतु भूमि का

मूल्य बढ़ाने जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री जाहीद की जनपद भदोही के अन्तर्गत निर्मित अस्पताल को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत सरसेना मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री राम मूर्ति वर्मा की जनपद गोरखपुर के जनता इण्टर कालेज चरगावां में अवैध विनियमितीकरण को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री हृदय नारायण सिंह पटेल की ग्राम ससना बहादुरपुर जनपद बलिया में खेती न करने देने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद में हुए सीवरेज योजना के अन्तर्गत हुए मानक विरुद्ध कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत नगर पंचायत रामपुर में एक 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाए जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री हरिओम वर्मा की जनपद कासगंज के अमाँपुर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की जनपद कासगंज के सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री लक्ष्मी राज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में कतिपय मार्ग को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के अलीगंज में कतिपय बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के बालामऊ के विकास खण्ड कोथावाँ में कतिपय पौराणिक स्थल के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चीनी मिल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री नन्द किशोर की जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू गाँव में मेडिकल कॉलेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री प्रदीप शुक्ला की जनपद गोरखपुर के सहजनवां विधान सभा क्षेत्र में पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री बाबूराम की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा में राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री संजय कुमार शर्मा की जनपद बुलन्दशहर के जहांगीराबाद में कतिपय पुलिया का पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक) की जनपद कुशीनगर के कुबेरस्थान को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री रवेन्द्र पाल सिंह की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवीं सूचना श्री बेचई सरोज की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में स्थित महिला अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम छानी अहीर

में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना डॉ0 रागिनी की ग्राम सभा अदारी में यादव बस्ती के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की क्रिश्चियन कालेज सोसायटी लखनऊ में आवश्यक कार्य हेतु प्रशासक तथा अन्य की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री अजय की जनपद गोण्डा के करनैलगंज में कतिपय मार्ग पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिन्द की जनपद सुल्तानपुर के तहसील लम्भुआ के ब्लॉक प्रतापपुर में सदारपुर मार्ग को लोक निर्माण विभाग में किए जाने के सम्बन्ध में है तथा इक्यावनवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बान नदी पर पुल बनाए जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गईं।)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकार की गईं :-

श्री बम्बा लाल, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री मुकेश चौधरी, श्री मो0 ताहिर खान, श्री अशोक कुमार, श्री अभय सिंह, श्री अनिल सिंह, श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्री राकेश कुमार गोस्वामी, श्री वीर विक्रम सिंह, इंजी0 सरवन कुमार निषाद, श्री असीम कुमार, श्री बृजभूषण राजपूत, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री चन्द्रपाल सिंह तथा श्रीमती केतकी सिंह।

जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-248, जनपद-प्रतापगढ़ के अन्तर्गत जिला पंचायत व अन्य कई मदों से पूर्व में कई सड़कों का निर्माण हुआ है, जोकि अत्यन्त ही जर्जर व पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं क्योंकि ऐसे मदों से निर्मित सड़कों के लिए अलग से बजट का प्राविधान नहीं होने के कारण उन सड़कों का दुबारा से सुदृढ़ीकरण नहीं हो पाता है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, आये दिन इन्हीं विषय से सम्बन्धित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित होने वाले समाचारों के कारण शासन की किरकिरी हो रही है। अतएव ऐसी जर्जर सड़कों को चिन्हित कराकर उनकी मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के फेफना के आईटी बन्धे पर पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संग्राम सिंह-

[मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पूरे जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना, विकास खण्ड हनुमानगंज बैरिया-थमनपुरा आईटी बन्धे पर इन्द्रपुर नई बस्ती से चेरुइया सम्पर्क मार्ग पर पुल न होने के कारण उपरोक्त गांव के लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। उक्त गांव के लोगों द्वारा पुल के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में आये दिन शिकायत मिलती है। इस पुल के बन जाने से हजारो की संख्या में लोग आने जाने लगेंगे। जनहित की समस्या को देखते हुए पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार से माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन में कतिपय सड़क के निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 221-उरई, जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई नगर टाउन हॉल से करमेर होते हुए इंटौरा तक सड़क निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र सदर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय पाल (आढ़ती)-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-59, हापुड़ सदर के अन्तर्गत हापुड़ से सलाई होते हुए ग्राम भटैल मार्ग को 5.5 मीटर चौड़ीकरण कराना आवश्यक है। यह मार्ग हापुड़ जिले को दूसरे जनपद बुलन्दशहर से जोड़ता है। इस मार्ग पर बड़े वाहनों का आवागमन बहुत ज्यादा है, जिस कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। हापुड़ से सलाई होते हुए ग्राम भटैल मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सन्तकबीरनगर के धनघटा में निरीक्षण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-314, धनघटा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है, यह जिला बस्ती, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर से सटा हुआ है, अयोध्या से नेपाल जाने वाला रामजानकी मार्ग है जिस कारण यहां आये जनप्रतिनिधियों व विशिष्ट अतिथियों को ठहरने हेतु असुविधा होती है। जबकि निरीक्षण भवन के लिए ग्राम पंचायत गागरगाड़ (धनघटा) में लोक निर्माण विभाग की भूमि उपलब्ध है। निरीक्षण भवन का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद श्रावस्ती के नगर पंचायत इकौना में रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम फेरन पाण्डेय-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-290, श्रावस्ती, जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत नगर पंचायत इकौना में रोडवेज बस स्टाप व गिलौला बाजार में बस स्टाप बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है, इसके न होने से बाजार में भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के देवपुरी कालोनी में घर के ऊपर से निकल रहे विद्युत तारों को अन्य स्थान पर शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद लखनऊ के देवपुरी कालोनी फेज-1, खसरा संख्या-585, काकोरी मोड़, नियर शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ में घरों के ऊपर से कई सालों से विद्युत तार निकल रहे हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए लखनऊ के देवपुरी कालोनी फेज-1, खसरा संख्या-585, काकोरी मोड़, नियर शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ में श्री अंशुल कुमार शुक्ला एवं अन्य के घरों के ऊपर से निकल रहे विद्युत तारों को किसी अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील-मोहम्मदी के ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। जिला मुख्यालय से विधान सभा क्षेत्र-70 से 100 कि0मी0 दूर स्थित होने के कारण गर्मी एवं अन्य दिनों में फसलों में लगने वाले आग पर नियन्त्रण पाने के लिए उक्त का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1725/छः पु0-8-09-02 (स्थापना)/07, दिनांक 29-10-2010 द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में 20 अप्रैल, 2021 को राजकीय निर्माण निगम संस्था को कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

अर्द्ध0शा0प0सं0-1373/छः-पु0-8-2023-गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊ, दिनांक 04 जुलाई, 2023 द्वारा 50 प्रतिशत वृद्धि बताई, जिसके सन्दर्भ में 14 जुलाई, 2023 को जिलाधिकारी, खीरी द्वारा बनाई गई कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण कर सन्दर्भित भूमि पर मिट्टी भरान के कारण 11.82 प्रतिशत की वृद्धि बताई गई, जिस कारण पत्रावली शासन में लम्बित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वर्षापुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वर्षापुर, हमीरपुर, पहला में ग्रामीण कच्ची सड़कें (पंचायती राज विभाग) की अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में हैं-

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-बालेश्वर महादेव मंदिर से तपस्वी दास बाबा (राम जानकी मंदिर) तक की सड़क को डामर रोड बनवाया जाना।

2-बालेश्वर महादेव मंदिर से ग्रा0 बेरसापुर तक की सड़क को डामर रोड बनवाया जाना।

3-ग्राम हमीरपुर में कल्लू के घर से तपस्वीदास बाबा तक कच्ची सड़क को डामर रोड बनवाया जाना।

4-डिकोली सम्पर्क मार्ग से मिर्जापुर होते हुए कबरी तक डामर मार्ग बनवाया जाना।

उपरोक्त सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करता हूँ, ताकि तत्काल उक्त सड़कों का निर्माण कराया जा सके।]

जनपद फतेहपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट)-

[महोदय, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि फतेहपुर अत्यन्त पिछड़ा जनपद है। फतेहपुर में कोई भी इंजीनियरिंग कालेज न होने के कारण जनपद के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर पलायन करना पड़ता है, जो पिछड़े एवं संसाधन विहीन होने के कारण सम्भव नहीं हो पाता। फतेहपुर में इंजीनियरिंग कालेज बन जाने से वहां के बच्चों को उच्च शिक्षा तथा स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो पायेंगे।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान फतेहपुर में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना कराये जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद देवरिया के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर देवरिया विकास प्राधिकरण बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शलभ मणि त्रिपाठी-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-337, देवरिया सदर, जनपद देवरिया के देवरिया नगर पालिका, बैतालपुर नगर पंचायत, गौरीबाजार नगर पंचायत तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर देवरिया विकास प्राधिकरण बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक है। जनपद में विकास प्राधिकरण बनाये जाने की माँग काफी समय से हो रही है। इस विषय में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन/प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत हिन्दनगर मोहल्ले में सीवर लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश्वर सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के हिन्दनगर वार्ड की अधिकांश आबादी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी है। उक्त आबादी के मध्य हिन्दनगर मोहल्ले में सीवर लाइन की सुविधा न होने के कारण यहाँ के निवासियों को असुविधा हो रही है। इस सम्बन्ध में जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार हिन्दनगर मोहल्ले में सीवर लाइन डाले जाने की माँग की जा रही है, जिसका सम्भावित आगणन तैयार कर शासन स्तर पर विचाराधीन है। व्यापक जनहित में हिन्दनगर मोहल्ले में सीवर लाइन डालकर समस्या का समाधान कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद कानपुर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कटरी-दुबई सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज कुरील-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहती हूँ कि जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर की ग्राम अमिरतेपुर में लोक निर्माण विभाग के द्वारा ग्राम अमिरतेपुर में छोटे सिंह के खेत से विनोदा देवी के ट्यूबवेल होते हुये कटरी-दुबई सम्पर्क मार्ग तक शून्य से लेपन स्तर तक कार्य कराया जाना अति आवश्यक है। स्थानीय लोगों को आवागमन में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र घाटमपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। बाढ़ के समय पर यह रोड क्षेत्रीय लोगों के आवागमन का मुख्य मार्ग होता है। मेरे द्वारा विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुयी है। आज भी कार्य जैसा का तैसा पड़ा है। क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त मार्ग का डामरीकरण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने की माँग करती हूँ।]

जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में नूरपुर-गढ़िया मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सुरभी-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण अनुबन्ध संख्या-36/ईई/22-23 दिनांक 21-11-2022 के अन्तर्गत विषयगत मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य हॉटमिक्स प्लाण्ट के द्वारा कार्य कराया जाना था, किन्तु उक्त मार्गों पर पी0सी0 का कार्य मिक्सौल/मैनुअल मीन्स के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत है। जिस पर कार्यवाही करवाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत सिकन्दरपुर तिहैया व नूरपुर-गढ़िया सम्पर्क मार्ग का अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत जाँच कर कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जगत खेड़ा कल्ली पश्चिम में विद्युत कटौती के दोषियों पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[महोदय, मैं एक लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जगत खेड़ा, कल्ली पश्चिम, जो कि नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत आने के बावजूद असीमित विद्युत कटौती विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति रही तो वहाँ के निवासियों की लूट-पाट व अन्य अप्रिय घटना घटित हो रही है एवं इस क्षेत्र में भवन का निर्माण कार्य भी भारी संख्या में होने से विद्युत कटौती की वजह से वहाँ के लोगों को अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेने के बावजूद जनरेटर से निर्माण कार्य कराना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में वहाँ के स्थानीय जूनियर इंजीनियर (जे0ई0) को जब उनके मोबाईल नम्बर पर एवं कार्यालय जा करके सम्पर्क करने पर तो कोई जबाव नहीं आता है, न कार्यालय में उपस्थित रहते हैं। जिसके कारण वहाँ के निवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं सदन के माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सुचारु रूप से विद्युत संचालन शुरू कराते हुए विभाग द्वारा लापरवाही करने वाले स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में कतिपय सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के निवासीगण हैं। वि0ख0-पुरकाजी में गंग नहर के कैनाल से बसेडी तक सम्पर्क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। जिसकी लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 है। इस क्षेत्र का उक्त मार्ग कई गाँव के कृषि रकबे से होकर जाता है तथा क्षेत्रवासियों का आवागमन है। जिस कारण क्षेत्रवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक सम्बन्धित विभाग द्वारा मरम्मत/पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के वि0ख0-पुरकाजी में गंग नहर के कैनाल से बसेड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार सिंह

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-हाथरस के विकास खण्ड-सादाबाद के ग्राम पंचायत कजरौटी के ग्राम पोदा में सरकारी शराब के ठेके से परिक्रमा मार्ग जर्जर/क्षतिग्रस्त है। जिससे वहाँ के निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्ग के निर्माण हेतु सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने की कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूँ।

अवगत कराना है कि जनपद-झांसी की ब्लाक- बामौर में किसानों के खेतों की बुआई एवं फसलों की सिंचाई हेतु नहरों में पानी पर्याप्त मात्रा में टेल तक नहीं पहुँच पाता है। जिस कारण से किसानों की फसलें सूख जाती हैं और किसान समय पर अपने खेतों की बुआई तक नहीं कर पाते हैं। बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने की बहुत आवश्यकता है। जनहित में नहरों में उक्त कैनाल का निर्माण कराया जाना बहुत आवश्यक है। उक्त लिफ्ट कैनाल से रियाँ माइनर में पानी डाल दिया जाये तो अत्यधिक किसानों के खेतों तक पानी पहुँच जायेगा।

अतः जनपद-झांसी में किसानों की सिंचाई की समस्या को देखते हुये बेतवा नदी पर डिकौली/शहपुरा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने एवं लिफ्ट कैनाल से रियाँ माइनर में पानी डाले जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के जाफरपुर में कतिपय स्थान पर सब-स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत जाफरपुर सब-स्टेशन से विद्युत सप्लाई रानी की सराय ईश्वरपुर, हसनपुर, बढ़या, चड़ई, जम्हूरपुर आदि गांवों से होकर जाती है, जिसकी दूरी लगभग 13 कि0मी0 तक है, दूरी के कारण सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो रही है, आये दिन तार टूटते रहते हैं वहाँ के स्थानीय किसानों, व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है, किसानों की फसल सूख जाती है उपरोक्त ग्राम के अन्तर्गत कहीं भी 33/11 के0वी0 का नया सब-स्टेशन स्थापित होने से बिजली की समस्या से निजात मिल सकता है, इसी तरह से मनचोभा, ककरहटा, कोल्ह, ममरखापुर,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उकरौड़ा, जीयनपुर, कोठरा आदि गांवों में बद्दोपुर सब-स्टेशन से बिजली आती है, जिसकी दूरी 15 कि0मी0 है। मनचोभा में 33/11 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन बना दिया जाय तो सभी गांवों को फायदा होगा और सभी गांव जुड़ जायेंगे। इसी तरह से सेठवल, चढ़ई, बसही, पन्दहा, बीबीपुर, हसनपुर, गोपालपुर, बांकीपुर, साकीपुर, मझगवां आदि गाँवों की बिजली खोजापुर सब-स्टेशन से आती है। दूर होने के कारण बिजली की आपूर्ति सही रूप से नहीं हो पा रही है। सेठवल में 132 के0वी0ए0 का पावर हाउस है उसी के आस-पास 33/11 के0वी0 का सब-स्टेशन बनाने से उपरोक्त गांवों को सही रूप से बिजली मिलेगी। इससे उपरोक्त गांवों को बिजली की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी।

अतः मैं आपके माध्यम से उपरोक्त दोनों स्थानों का सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज में कतिपय सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुये अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-250, रानीगंज में निम्नलिखित बस्तियाँ पक्कें मार्गों से जुड़ी नहीं हैं। आवागमन में जनता को घोर असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जिससे जनता में सरकार के प्रति घोर आक्रोष व्याप्त है।

1-रैनीसतखरियां प्राथमिक विद्यालय होते हुये राजापुर सम्पर्क मार्ग तक-1.5 कि0मी0

2-रैनीसतखरियां से सरोज बस्ती तक-1.0 कि0मी0

3-सरायराजा मौर्या बस्ती सम्पर्क मार्ग-1.3 कि0मी0

4-चंघईपुर खीता का पुरवां सम्पर्क मार्ग-ल0-1.5 कि0मी0

5-उगईपुर ठाकुर बस्ती, मौर्या बस्ती, पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.0 कि0मी0

6-रामपुर आधारगंज मम्मी का पुरवा सम्पर्क मार्ग ल0-1.0 कि0मी0

7-दरियापुर मुस्लिम बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.0 कि0मी0

8-दहेरकला यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.0 कि0मी0

9-रोहखुर्द बिन्द बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.5 कि0मी0

10-जामाताली बिन्द बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.5 कि0मी0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

11-जामाताली पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.0 कि0मी0

12-मसौली नाथ का पूरा सम्पर्क मार्ग ल0-1.5 कि0मी0

13-हरपुर सौंध पटेल नई बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.5 कि0मी0

14-जाजापुर बिन्द बस्ती सम्पर्क मार्ग ल0-1.5 कि0मी0

महोदय, उपरोक्त अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत महत्पूर्ण सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशु मलिक-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर देहात के अन्तर्गत आजमपुरा से गदनपुरा के बीच सड़क बहुत ही जर्जर है। उक्त मार्ग पर सड़क न होने से क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क न होने से आये दिन दुर्घटनाये होती रहती हैं जिससे क्षेत्र में शासन व प्रशासन के प्रति रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। उक्त मार्ग लगभग 1.5 कि0मी0 बड़ा है। मार्ग का निर्माण हो जाने से क्षेत्रवासियों को काफी सुविधा हो जायेगी।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सड़कों का निर्माण किये जाने की माँग करता हूँ।]

मेरठ के सरधना नगर के लिये बस परिवहन सेवा के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतुल प्रधान-

[महोदय, अवगत कराना है, हमारी विधान सभा क्षेत्र में नगर पालिका सरधना है और जो जनपद मुख्यालय से लगभग 30 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। नगर के छात्र-छात्राओं के शिक्षण का प्रमुख केन्द्र जनपद मुख्यालय मेरठ ही है। साथ ही बड़ी संख्या में नगर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये हजारों छात्र-छात्राएं प्रतिदिन मेरठ मुख्यालय जाते हैं। किन्तु शाम के 8:00 बजे के बाद परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। सरधना नगर सहित आस-पास के गाँवों के छात्र-छात्राओं को आवागमन के सम्बन्ध में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में भी आमजन द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से माँग की गई है, किन्तु कोई भी समाधान नहीं मिल पाया है। जनपद मुख्यालय से नगर सरधना के लिये रात्रि 10 बजे तक बस परिवहन सेवा सरकार द्वारा चलायी जानी चाहिए।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए नियम-301 पर वक्तव्य में स्वीकार करने का कष्ट करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय रोड के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह पटेल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी, विकास खण्ड पट्टी के अन्तर्गत ग्राम डेईडीह धौरहरा में नहर से गुलाब चन्द्र के घर से होते हुए पक्की सड़क तक लगभग 300 मीटर इण्टरलॉकिग/सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मागं करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट के तहसील राजापुर में डिफेन्स कॉरिडोर हेतु भूमि का मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल प्रधान-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद-चित्रकूट के तहसील राजापुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत नोनार, पथरामानी, बक्टा, प्रसिद्धपुर में उ0प्र0 शासन द्वारा डिफेन्स कॉरिडोर के अन्तर्गत लगभग 500 हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिसमें सरकार द्वारा विगत 05 वर्ष पहले निर्धारित सर्किल रेट मु0 दस लाख हे0 है, जो अभी भी वही सर्किल रेट है, जिसके आधार पर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। जिससे किसानों की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। वर्ष 2019 में भी 100 हे0 भूमि इसी दर पर अधिग्रहीत की गयी थी। वर्ष 2024 में भी इसी दर पर अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिये पुराने सर्किल रेट को हटाकर ज्यादा सर्किल रेट निर्धारित किया जाये।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद भदोही के अन्तर्गत निर्मित अस्पताल को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जाहीद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद भदोही में भदोही के अन्तर्गत 100 सैय्या महिला अस्पताल 2018 में ही बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी तक उसे सुचारु रूप से चालू नहीं कराया गया है। जिससे क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है। महिला अस्पताल न होने के करण महिलाओं को दूर-दराज इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए महिला अस्पताल को चालू कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए महिला अस्पताल को चालू कराये जाने हेतु सरकार से माँग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला-अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-दोस्तपुर सम्पर्क मार्ग से अहेथिया-किशुनीपुर होते हुए रामपुर जयसिंह चौराहा तक का सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का नव निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत सरसेना मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र-355, मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत सरसेना से पचिस्ता रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क के खराब हो जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के कारण क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरसेना अनुसूचित बस्ती से पचिस्ता तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त सडक का निर्माण कराये जाने हेतु पी0डब्लू0डी0 विभाग को निर्देशित कर सड़क का निर्माण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।]

जनपद गोरखपुर के जनता इण्टर कालेज चरगावां में अवैध विनियमितीकरण को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मूर्ति वर्मा-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व की विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-588/79-वि0-1-16-1 (क)-13-2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 1 अगस्त, 1993 से 30 दिसम्बर, 2000 तक के तदर्थ रूप से नियुक्त/कार्यरत एवं दिनांक 7 अगस्त, 1993 से 25 जनवरी, 1999 तक अल्पकालिक नियुक्त/कार्यरत शिक्षकों को ही विनियमितिकरण किये जाने की आदेश दिये गये थे उक्त तिथि के बाद भी नियुक्ति/कार्यरत अध्यापकों का विनियमितीकरण किये जाने का कोई शासनदेश दिया गया है कि नहीं, यदि नहीं तो किस शासनादेश के अन्तर्गत गोरखपुर में जनता इण्टर कॉलेज, चरगावां में उक्त शासनादेश में उल्लेखित तिथियों के उपरान्त नियुक्त/सहा0 अध्यापकों का विनियमितीकरण किया गया। यदि उक्त शासनादेश के विपरीत विनियमितीकरण अवैध है, तो इसे निरस्त करेगी।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

ग्राम ससना बहादुरपुर, जनपद बलिया में खेती न करने देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल-

[महोदय, अविलम्बनीय, अत्यन्त लोकहित के विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि प्रार्थी रामसुमेर प्रसाद पुत्र स्व0 विश्वनाथ, ग्राम-ससना बहादुरपुर (फरही), पोस्ट-अखोप, जनपद-बलिया, उ0प्र0 को निवासी है। प्रार्थी के चाचा स्व0 केशव प्रसाद पुत्र स्व0 बॉसू विवाहित थे, परन्तु सन्तान नहीं थे, दोनों पति-पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी के चाचा प्राइवेट लि0 क0 भिलाई में कार्यरत थे। जिन्होंने अपने निजी पैसे से भिलाई में जमीन लेकर घर बनवाये, जिसको प्रार्थी के एक चचेरे भाई के एक सुपुत्र को दिये हैं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा उन्ही के दूसरे सुपुत्र को पैतृक जमीन का कुछ हिस्सा नाम से लिखे हैं। दूसरे चचेरे भाई को भी भिलाई में ही जमीन सहित घर देकर अपने नौकरी के स्थान पर लगवाये हैं। घर से सटे सीमा जनपद मऊ, तहसील मधुबन अर्न्तगत ग्राम पंचायत भोजीपुर में अपने निजी पैसे से बैनामा लिये थे, जिसको मेरे सुपुत्र सत्यानन्द राजभर के नाम अपनी रजामंदी से लिखे हैं। जिसको जो सम्पत्ति दिये हैं, सब लोग उस पर काबिज हैं। मैं जब अपने खेत की जुताई-बुआई करने जा रहा हूँ तो मरछू, राजेन्द्र व रविन्द्र पुत्रगण स्व0 रामकिशुन राजभर परिवार सहित मार-पीट करने पर अमादा हैं। जिससे मेरा परिवार भयभीत है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद में सीवरेज योजना के अन्तर्गत हुए मानक विरुद्ध कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल अख्तर-

[महोदय, आपके माध्य से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय पर दिलाना चाहता हूँ, अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में सीवरेज योजना फेज-02 के अन्तर्गत कराये गए सभी कार्य मानक के विपरीत हैं। सीवर लाइन डालने के बाद जो सड़कें जल निगम द्वारा बनवाई गई थीं वह सात दिन में उखड़कर उसने सड़क की गुणवत्ता पर प्रश्न लगा दिए हैं। इसके अलावा सीवर लाइन के गड्ढों से राहगीरों को खतरा बना हुआ है। कई वाहन गड्ढों में फंस जाते हैं, कई गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी कर ऐसे इंजीनियर की तैनाती की गई है, जिन पर विजिलेंस टीम की जाँच चल रही है, और तो और यह इंजीनियर बीते 15 सालों से एक ही मण्डल में कार्य कर रहे हैं।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद मुरादाबाद में सीवरेज योजना के तहत हुये कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जाँच कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत नगर पंचायत रामपुर में एक 132 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 आर0 के0 पटेल-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर का विधान सभा क्षेत्र मडियाहूँ भौगोलिक दृष्टि से बड़ा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मड़ियाहूँ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत रामपुर के पास औद्योगिक क्षेत्र सिधवन आता है, जिसकी विद्युत आपूर्ति जनपद भदोही से जो 15 से 20 किलोमीटर दूर है, से आपूर्ति हो रही है रामपुर क्षेत्र काफी फैला हुआ है, जिससे लो-वोल्टेज की शिकायत हमेशा रहती है, लो-वोल्टेज की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नगर पंचायत रामपुर के आस-पास 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद जौनपुर के मडियाहूँ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत रामपुर में एक 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण करवाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद कासगंज के अमाँपुर में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिओम-

[महोदय, आपके माध्यम से जनपद-कासगंज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-101, अमाँपुर में एल0जी0सी0 पटरी कासगंज-गोरहा से अमाँपुर-सहावर मार्ग तक 15 कि0मी0 मार्ग है। जिसमें पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत गोरहा से चांडी तक 10 कि0मी0 मार्ग चौड़ीकरण करा दिया गया है। जिसमें अवशेष भाग चांडी से अमाँपुर-सहावर मार्ग तक चौड़ीकरण से वंचित रह गया है एवं बहुत ही जर्जर अवस्था में है। जिस पर आये दिन घटना-दुर्घटना होती रहती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवशेष भाग अमाँपुर-सहावर मार्ग से एल0जी0सी0 पटरी का चौड़ीकरण या पुनर्निर्माण कराने की माँग करता हूँ।]

जनपद कासगंज के सदर में कतिपय मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जनपद-कासगंज के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र-100, सदर, कासगंज के निम्न रोड लगभग 15 वर्ष पहले किसी विभाग से बनाये गये थे, जो कि टूटकर क्षतिग्रस्त हैं। कोई भी विभाग मार्गों की मरम्मत नहीं कर रहा है, जिससे जनता को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निम्नलिखित मार्गों के मरम्मत कराने की कृपा करे :-

1-हरसिंहपुर से सिरौली मार्ग तक।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-बढारी अजबपुर से एटा रोड तक।

3-नदरई नहर पुल से बिलराम पुल तक दोनों नहरों के बीच वाली पटरी।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद में कतिपय मार्ग को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी राज सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में झाझर-ककोड-सिकन्द्राबाद होते हुए गुलावठी-हामिदपुर का मार्ग निकलता है। यह मार्ग मात्र सिंगल लेन है, जिस कारण से इस मार्ग पर यातायात दबाव के कारण आवागमन बाधित रहता है। सिकन्द्राबाद शहर एवं औद्योगिक क्षेत्र के यातायात का भारी दबाव इस मार्ग पर बना रहता है। जनहित में इस मार्ग को फोर लेन बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद एटा के अलीगंज में कतिपय बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-103, अलीगंज, जनपद-एटा में कस्बा धुमरी से सिडपुरा-पटियाली के लिए मार्ग निकलता है। कस्बा धुमरी में भीड़-भाड़ अधिक होने के कारण यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कस्बा धुमरी के पास से बाईपास लम्बाई लगभग 1 किलोमीटर बनाकर इस समस्या को दूर किया जा सकता है। जनहित में कस्बा धुमरी में बाईपास बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के विकास खण्ड कोथावाँ में पौराणिक स्थल हत्याहरण तीर्थ के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामपाल वर्मा-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-बालामऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड कोथावाँ में हत्याहरण तीर्थ एक पौराणिक तीर्थ स्थल है, जिसके सौन्दर्यीकरण व विकास हेतु शासन से 50 लाख रुपये लगभग 03 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुए थे, काफी सीमा तक सौन्दर्यीकरण का कार्य हो चुका है, लेकिन अभी तक तमाम कार्य अधूरा/बाकी है। जिससे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थानीय जनता व आने वाले तीर्थ यात्रियों को असुविधा होती है। अतः जनहित में शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु धनराशि स्वीकृत करने व पूर्ण सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद बुन्देलखण्ड में चीनी मिल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश द्विवेदी-

[महोदय, सादर अनुरोध सहित अवगत कराना है कि बांदा सहित पूरे बुन्देलखण्ड तथा आस-पास के क्षेत्र में कहीं पर भी चीनी मिल नहीं हैं इस कारण यहां विशेषकर बांदा, अतर्रा, नरैनी क्षेत्र के किसानों को गन्ना का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और ज्यादातर किसान गन्ने से गुड़ बनाकर उसे बाजार में बेचते हैं तथा फुटकर गन्ना बेचकर काम चलाते हैं। यहां के किसानों की वर्षों पुरानी माँग रही है कि एक चीनी मिल की स्थापना हो, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा भी किसानों की इस महत्वपूर्ण पुरानी माँग पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। बुन्देलखण्ड में कुल 07 जनपद हैं और कोई भी चीनी मिल नहीं है तथा गन्ना किसानों से गन्ना खरीदने की भी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण यहां के किसानों में निराशा बनी रहती है। चीनी मिल के न होने से यहां के किसान निराश/हताश हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू गाँव में मेडिकल कॉलेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर-

[महोदय, जनहित में सरकार द्वारा एक जिला एक मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने की योजना चल रही है। विधान सभा क्षेत्र लोनी, जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत मीरपुर हिन्दू गांव में उपलब्ध भूमि पर मेडिकल कालेज स्थापित करने से पूरे जनपद के क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र लोनी जनपद गाजियाबाद के मीरपुर हिन्दू गांव में मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के सहजनवां विधान सभा क्षेत्र में पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप शुक्ला-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत ग्राम थरुआपार पिच मार्ग से लहुअरदेवा बाग होते हुए घघसरा सीहापार पिच मार्ग तक पिच कार्य लम्बाई लगभग 1200 मीटर निर्माण का कार्य।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूराम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-129, पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत के वि0ख0-पूरनपुर के ग्राम कटका बारा के पास सुतिया पर पुल निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त पुल के न होने से जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से अविलम्बनीय वक्तव्य दिये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा में राजकीय महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कूकनगर ग्रन्ट गोण्डा में कराने की कृपा करें। जनहित में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के जहांगीराबाद में कतिपय पुलिया का पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कुमार शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-67, अनूपशहर, जिला-बुलन्दशहर के विकास खण्ड-जहांगीराबाद में शेखूपुर रौरा-जहांगीराबाद सम्पर्क मार्ग पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डिबाई रजवाहे पर बनी पुलिया अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है, जिस पर दुर्घटना का खतरा निरन्तर बना रहता है। यह पुलिया टेड़ी भी है, जिससे बड़े वाहनों व किसानों के ट्रैक्टरों का निकलना मुश्किल हो जाता है। जनहित में इस उक्त पुलिया का पुनर्निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के कुबेरस्थान को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंचानन पाठक (पी0एन0 पाठक)-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारी विधान सभा क्षेत्र-333, कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। हमारी विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर स्थित कुबेरस्थान भगवान स्वयंभू शिवजी का अति प्राचीन व सुविख्यात मंदिर के साथ ही यहाँ की आस्था का केन्द्र भी है। कुबेरस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , थाना व नगर पंचायत के दृष्टिगत सभी मानकों से पूर्ण है। कुबेरस्थान को नगर पंचायत का दर्जा मिलना अत्यन्त आवश्यक होने के साथ ही सम्पूर्ण कुशीनगर वासियों के लिए गौरवान्वित करने का भी विषय है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवेन्द्र पाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र छर्रा, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड अकराबाद के ग्राम विजयगढ़ क्षेत्र में कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है, यहां की छात्राओं को स्नातक की पढ़ाई करने हेतु काफी दूर-दराज कस्बों जैसे सासनी, सिकन्द्राराऊ अथवा अलीगढ़ जाना पड़ता है, छात्राओं को अत्यधिक दूर जाने में भय का माहौल रहता है तथा काफी समय आने-जाने में ही गुजर जाता है, जिसके कारण पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। उक्त राजकीय कन्या महाविद्यालय बनने से क्षेत्र के करीब 25-30 ग्रामों को लाभ मिलेगा और बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहद लाभ मिलेगा, उक्त महाविद्यालय का बनाया जाना जनहित व लोकहित में अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर किये गये सभी प्रयास निष्फल रहे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में स्थित महिला अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। हमारे विधान सभा क्षेत्र लालगंज में महिला अस्पताल ज़ो कि काफी वर्षों से बन्द पड़ा है। उस अस्पताल पर पूर्व में तैनात सभी डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स व अन्य चिकित्सकीय उपकरण को हटा दिया गया है, जिस कारण वहां पर आने वाले मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। उक्त अस्पताल पर जनहित में चिकित्सकीय सुविधा बहाल किये जाने हेतु वर्षों से शासन/प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होने के कारण आम-जनता में शासन/प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से जनता की परेशानी को देखते हुए जनहित में यथाशीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम छानी अहीर में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद चतुर्वेदी-

[महोदय, जनपद जालौन के अन्तर्गत कालपी विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक कुठौद के ग्राम छानी अहीर में बरसात के दिनों में काफी जल भराव हो जाता है, जिसकी निकासी न होने के कारण पूरी बरसात भरा रहता है, ग्रामीणों का निकलना मुश्किल तो हो ही जाता है, अनेकों बीमारियाँ पैदा होती हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी जलभराव की निकासी व्यवस्था न हो पाने के कारण ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है तथा सरकार की छवि धूमिल हो रही है। यदि ग्राम छानी अहीर में एक नाले का निर्माण करा दिया जाय तो इस समस्या का समाधान हो जायेगा।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कालपी क्षेत्र के ब्लाक कुठौंद के ग्राम छानी अहीर में श्री रमेश प्रजापति के खेत से धमना आश्रम तक नाला बनाये जाने की माँग करता हूँ।]

ग्राम सभा अदारी में यादव बस्ती के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[ग्राम सभा अदारी में यादव बस्ती से अनुसूचित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग लगभग 1700 मी0 अत्यन्त खराब व कीचड़युक्त है, जिससे छात्र एवं आम-जन दुर्घटना से घायल हो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाते हैं, इस मार्ग के नव निर्माण हेतु नियम-51 के अन्तर्गत अवगत कराया जा चुका है तथा लोक निर्माण विभाग कार्यालय मुख्य अभियन्ता वाराणसी क्षेत्र द्वारा पत्रांक-6957, दिनाँक 14-06-2023 द्वारा मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु लम्बित पड़ा हुआ है, जिसकी स्वीकृति अभी तक नहीं हो पायी है।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय, लोक महत्व के तात्कालिक एवं सुनिश्चित विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराते हुए लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मार्ग का नव निर्माण कराये जाने की माँग करती हूँ।]

क्रिश्चियन कालेज सोसायटी, लखनऊ में आवश्यक कार्य हेतु प्रशासक तथा अन्य की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ की क्रिश्चियन कालेज सोसायटी वर्तमान में पाँच महत्वपूर्ण संस्थान चलाती है। पिछले लगभग तीन वर्षों से सोसाइटी के प्रबन्धन का प्रकरण उप निबन्धक एवं निबन्धक, सोसाइटीज, लखनऊ के यहां लम्बित है। क्रिश्चियन कालेज सोसाइटी के प्रबन्धन के सदस्यगण श्री रवि पॉल और श्री माइकल पॉल ने कालेज के वर्तमान प्रबन्धन को नियमों के विपरीत बताते हुए गम्भीर आपत्तियां दर्ज करायी हैं। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि क्रिश्चियन कालेज सोसाइटी के संविधान में लखनऊ का आवासीय बिशप ही अध्यक्ष हो सकता है, का स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद नियमों के विपरीत नई दिल्ली निवासी बिशप को अध्यक्ष की मान्यता दे दी गई है। सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष बिशप श्री सुबोध सी0 मण्डल 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इण्डिया की अनुशासन पुस्तक के अनुसार सेवानिवृत्त माने जाते हैं, ऐसे में उनका अध्यक्ष पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार समाप्त हो चुका है तथा उनकी अध्यक्षता में होने वाली सभी बैठकें अवैध हैं। वर्तमान में 6000 से अधिक छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में है। माफियाओं के रिश्तेदारों को सरकारी कालेज की जमीन बेचने की सांठ-गांठ का अंदेशा है। लगभग 30 स्थायी शिक्षकों और लगभग 24 कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के साथ-साथ कैरियर एडवांस स्कीम के तहत शिक्षकों की उचित तरीके से पदोन्नति का मामला लम्बित है। लगभग 165 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित महाविद्यालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन किये जाने तथा सोसाइटी के दैनिक मामलों को देखने के लिए सरकारी प्रशासक, रिसीवर अथवा नियन्त्रक की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए क्रिश्चियन कालेज सोसाइटी, लखनऊ के प्रबन्धन विवाद का नियमानुसार समाधान किये जाने तथा तब तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के लिए सोसाइटी के आवश्यक कार्य हेतु सरकारी प्रशासक, रिसीवर अथवा नियन्त्रक की नियुक्ति करने की माँग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के करनैलगंज में कतिपय मार्ग पर सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय-

[महोदय, जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र करनैलगंज के अन्तर्गत वि0ख0-करनैलगंज के लखनऊ-गोण्डा हाई-वे पर दो रेलवे क्रासिंग स्थित है। जब भी रेलगाड़ी का आवागमन होता है तब रेलवे क्रासिंग की वजह से बहुत लम्बा जाम लग जाता है, जिससे आम-जन मानस को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त दोनों रेलवे क्रासिंगों पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यश्क है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर की तहसील लम्भुआ के ब्लॉक प्रतापपुर में सदरपुर मार्ग को लोक निर्माण विभाग में किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि जनपद सुल्तानपुर के तहसील लम्भुआ ब्लॉक प्रतापपुर कमैचा के अन्तर्गत ग्राम सभा शेरपुर परशुरामपुर से जाने वाली एन0एच0-56, सदरपुर सम्पर्क मार्ग, जिसका मण्डी परिषद् द्वारा कई वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था। समय-समय पर न तो मरम्मत होता है और न ही उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस मार्ग से एक बड़ी आबादी का आना-जाना होता है व कई विद्यालय होने के कारण विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उक्त मार्ग को उत्तर प्रदेश मण्डी विभाग से लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय इस महत्वपूर्ण लोकहित के विषय पर आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग को मण्डी परिषद् से लोक निर्माण विभाग में स्थानान्तरित कराये जाने व चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बान नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैबतपुर से रामपुर मुरार (सुरानंगली) के बीच पड़ने वाली बान नदी पर पुल न होने की वजह से देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहां के लोगो को उक्त मार्ग पर आवाजाही हेतु आज भी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। इसलिए यहां पर बॉक्स कल्वर्ट (पुल) की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम हैबतपुर से रामपुर मुरार (सुरानंगली) के बीच पड़ने वाली बान नदी पर बॉक्स कल्वर्ट सेतु निर्माण हेतु सरकार से माँग करता हूँ।]

[12:00] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (जारी)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, शलाका के अधार के ऊपर 2 सूचनाओं को ग्राह्यता के लिए सुना जायेगा, बाकी शेष सूचनाओं का ध्यान आकर्षण किया जाएगा। मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों को जितना एकोमेडेट कर सकता हूँ, उतना प्रयास करता हूँ, लेकिन जिस विषय के ऊपर चर्चा हो चुकी है, उसमें आता नहीं है लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो विषय हो केवल उसके ऊपर बोलें। प्रकाश द्विवेदी जी आ गए, नोट कर लीजिएगा।

[12:28] औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई, नियम-300 के अन्तर्गत जिन्होंने आज सूचना दी है, वह आज बहुत बिजी हैं बात करने में, मुझे नहीं लगता की उनका इन्टरेस्ट है कि उनकी सूचना स्वीकार हो।

विधान सभा के स्थायी समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री लालजी वर्मा-**

महोदय, मैं उसी के लिए पढ़ रहा हूँ, मा0 अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के निदेश संख्या-96 के 'ज' के अनुसार स्थायी समितियां गठन करने का निदेश दिया गया है और अनुसूची-3 में कौन-कौन स्थायी समितियां होंगी, इसका जिक्र किया गया है। मान्यवर, 2 साल बीत गया है स्थायी समितियां जो मंत्रियों को परामर्श देने के लिए बनायी जाती हैं, निर्वाचन के बाद जिन स्थायी समितियों को आपके द्वारा बनाया जाना है मान्यवर, यह विधान सभा के अध्यक्ष के निदेश हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, श्रम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग, राजस्व विभाग तथा न्याय एवं विधायी सम्बन्धी कृषि, आबकारी, जेल, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी संस्थाएं। इस तरह से मान्यवर, लगभग 30 समितियां हैं, जो स्थायी समितियां बनाए जाने का प्राविजन है। लेकिन महोदय, पिछले सत्र में 26 मई, 2022 के उपवेशन में आपको प्राधिकृत किया गया था कि आप उन समितियों को बना दें, परन्तु अभी तक उक्त समितियों का गठन नहीं हुआ है।

मान्यवर, ये पूरी तरह से नियम-300 के अन्तर्गत आता है। इसलिए मैं चाहूँगा इन समितियों का गठन यथाशीघ्र करा दें, जिससे मा0 सदस्य परामर्श दे सकें और इससे सरकार को भी लाभ है। अगर वह बैठक होती है, तो उसमें जो परामर्श होता है, उससे नीतियाँ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और तमाम विधेयक त्वरित में आ जाएँगे। अगर ये समितियाँ कार्य कर रही होतीं, तो इसका भी लाभ मिलता। इसलिए मैंने नियम-300 के अन्तर्गत इस प्रकरण को आपके संज्ञान में लाने का कार्य किया है। हमारे जो वर्तमान सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उनमें से बहुत सदस्य पहली बार चुने गये हैं, उनको अभी तक यह मालूम नहीं होगा कि स्थायी समिति क्या होती है ? इसलिए मैं चाहूँगा कि उस पर आप निश्चित रूप से अपने अधिकार का प्रयोग करें, जिससे इन समितियों का गठन सुनिश्चित हो सके।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

दो शब्द क्या कहना है ? जब पहले मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया, तो आपने कहा कि वर्मा जी बोलेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इसमें आपका संरक्षण चाहिए। विधान सभा के अन्दर की कार्यवाही है। मा0 नेता सदन भी थे, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे। इसके पूर्व के सदन में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरे सदन के सामने यह कहा था कि जब अगला हाउस आयेगा, उससे पहले (यह मिनट्स में ऑन रिकॉर्ड है) यह समिति घोषित हो चुकी होगी। मान्यवर, यह दो बार आ चुका है और इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ? विपक्ष की तरफ से सदस्यों के नाम भी दे दिये गये हैं, सदस्य इन्तजार कर रहे हैं कि हम पिछले दो साल से किसी समिति के सदस्य ही नहीं हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इसमें संरक्षण दीजिए, निर्देश जारी कीजिए। यह अधिकार आपको है। यह सदन दो लोगों को वक्फ बोर्ड में भी भेजता है, वह भी आज तक निर्धारण नहीं हो पाया। मैं चाहूँगा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी यह जरूर बता दें कि इसको दो दिन में घोषित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि मैंने कहा था, आज भी कहेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आप पहले से भिज्ञ हैं। जब यहाँ पर मा0 सदस्य लालजी वर्मा जी बैठते थे (समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के ना-ना कहने पर)। जवाब तो सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, जब ये कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, तो मैं अगला मद ले लेता हूँ।

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य लालजी वर्मा जी बहुत सीनियर सदस्य हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं। किताब इनको तब मिल जाती है, जब ये उधर बैठते हैं। जब इधर बैठते हैं तो किताब अम्बेडकरनगर चली जाती है (सदन में हँसी)। पहले अम्बेडकर नगर से किताब आए, तब यह पढ़ें। मान्यवर, वर्ष 2007 से 2012 तक की जो वर्मा जी की सूची है, उसको दिखा दें, अगर इनके समय में बनी हो। क्या आपने बनायी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ये जानकारी आपके पास है। उस समय समितियाँ बनी थीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप हाउस में बोल रहे हैं। उस समय समितियाँ नहीं बनी थीं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, समितियाँ बनी थीं।

श्री अध्यक्ष-

समितियां नहीं बनी थी। वर्ष 2004 के बाद कभी भी नहीं बनीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, ये वर्ष 2007 से 2012 तक सत्ता में रहे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर हमसे कोई त्रुटि हुई, तो आप तो त्रुटि न करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हम इसीलिए कह रहे हैं कि हम बनाएंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, समितियाँ वर्ष 2027 के बाद या उससे पहले बनेंगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ एक निवेदन है। 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार रही, उसमें समिति नहीं बनी। 2012 से 2017 तक इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। इन्होंने कम से कम जो नजीर पेश की है, हमने कई बार इस विधान सभा में कहा है, कहिये तो आज फिर से दोहरा दें। आईना पहले देखा करो फिर दिखाया करो।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, समिति कब तक बनेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हम फिर कह रहे हैं कि हम समिति बनायेंगे। हम कहां मना कर रहे हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, उसकी कोई डेट तो होगी, कोई समय तो होगा। उसको लिखकर दिये हुए दो साल बीत गये हैं। मा0 सदस्य टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि समिति कब घोषित होगी, उसका कोई दिन बता दीजिए ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत जल्दी होगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। यह तो आपके हाथ में है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत आज दो सूचनाएं जो ग्राह्यता के लिए सुनी जायेंगी, उसमें पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री जै किशन साहू जी की है। इसमें से कोई एक व्यक्ति बोल दे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम दो लोगों को मौका दे दीजिए। बहुत आवश्यक मामला है। दो-दो मिनट बोलेंगे। इससे ऊपर बोलें तो आप रुकवा दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

आपका समय शुरू होता है अब।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से जुड़े हुए इस गम्भीर प्रकरण पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य एक मिनट के लिए रुकिये। मुझसे त्रुटि हो गयी है। नियम-300 के अन्तर्गत मैंने मा0 लालजी वर्मा जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे आग्राह्य करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-56 में पहले शिक्षकों वाली सूचना ले लें।

श्री अध्यक्ष-

इससे कोई फर्क नहीं है। मैंने दो सूचनाएं स्वीकार की हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को थोड़ा तैयारी के लिए जाना है। मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी अगर आप सहमत हों तो पहले शिक्षकों वाली सूचना ले लें। दूसरी सूचना डॉ0 आर0के0 वर्मा, श्री कमाल अख्तर, श्री सचिन यादव, श्री बेचई सरोज, श्री कमला कान्त राजभर, डॉ0 संग्राम यादव जी की है, इसमें से कोई एक व्यक्ति बोल ले।

***डॉ0 संग्राम यादव-**

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें नियम-56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया है। पिछले के पिछले सदन में भी इस महत्वपूर्ण विषय पर मा0 लालजी वर्मा जी और हमने मिलकर इस गम्भीर प्रकरण की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। आज इतने दिन व्यतीत होने के बावजूद सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। हमारे पास जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे भारत की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, उसने 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में अपनी कई पेजों में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है और माना है कि विसंगतियां हुई हैं। उसके आधार पर हमें 6800 छात्रों की ज्वाइनिंग करा देनी चाहिए थी। उसके कई बिन्दु हैं, लेकिन अन्त में आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जाँच की गयी, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 आदि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पूर्व तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियमों को लागू करने में उल्लंघन किया गया है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गयी है, का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गम्भीर कार्यवाही तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के सम्बन्ध में कोई भी पक्ष इस अन्तरिम रिपोर्ट में संशोधन अथवा तथ्य को संशोधित करना चाहता है तो 15 दिवसों का अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा दिये गये समय में आयोग को तथ्य सहित सम्पर्क नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में 15 दिवसों के पश्चात् उस रिपोर्ट को अन्तिम समझा जाएगा तथा किसी भी पक्ष को उक्त सुनवाई का मौका न देकर समस्त पक्षों की सहमति समझी जाएगी। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जाँच आख्या शासन के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। देश के संवैधानिक आयोग ने माना और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय योगी जी ने भी इस बात को माना कि आरक्षण में विसंगतियां हैं। इनके साथ न्याय होना चाहिए।

मान्यवर, इसी आधार पर उस समय के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके प्रतिनिधि मण्डल के साथ मिल करके कहा उनहत्तर हजार सहायक अभ्यर्थी आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग छह हजार अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त सत्रह हजार रिक्त पदों पर नयी भर्ती होगी। हमने जब पिछली बार कहा तो आपने कहा कि सब-जुडिशियल है, हाई कोर्ट ने भी इस बात के लिए कहा, उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं, इसकी हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई, और उसने भी माना कि विसंगति है। आज डबल बेंच हमने उस बार भी कहा था कि सरकार की प्रभावी पैरवी न होने के कारण ओ0बी0सी0 समाज और दलित छात्र आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है। उसमें बहुत हमारी शिक्षक बहनें, आज ईको गार्डन में लगातार इनका धरना चल रहा है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला चाहे वह बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास हो, डिप्टी सी0एम0 साहब का आवास हो, माननीय मुख्य मंत्री जी से वह सब मिलने का प्रयास किये, और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात भी की थी। यह आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी ही आपके साथ न्याय होगा। लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहन और बेटियां भी बड़े पैमाने पर इस धरने में शामिल हैं। आप अधिकारी तो भेज देते हैं और आप वह अधिकारी पुलिस सेवा के भेजते हैं कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर जा करके उस समस्या के हल के प्रति गम्भीरता से विचार नही कर पा रहा है। जिनके कारण वह दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव जी से उनका प्रतिनिधि मण्डल कई बार मिला, अभी हाल ही में मिला, नेता विरोधी दल ने अपने पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को भी वहां पर भेजने का काम किया। जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो क्या कारण है कि भारत का पिछड़ा वर्ग अयोग्य है। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग अयोग्य है। खुद मा0 मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया हो और चुनाव के वक्त भी कहा हो कि बहुत जल्द इनको नियुक्त कर

दिया जाएगा इसके बावजूद भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो कहीं न कहीं हम सब इस बात के लिए विवश हैं, सोचने के लिए मजबूर हैं कि कहीं सरकार की कथनी और करनी में अन्तर तो नही है। यही बात हम लोग बार-बार कहते हैं कि सरकार कब तक प्रभु का आड़ ले करके पिछड़े वर्ग के हकों पर डाका डालने का काम करेगी। दलित वर्ग के हकों पर डाका डालने का काम करेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप विषय पर आइए और घड़ी भी देखिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मैं विषय पर हूँ। मैं पूरी तरह से विषय पर हूँ और मैं इस गम्भीर बात पर आपका संरक्षण चाहता हूँ। उस बार भी मैंने हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना किया था कि सरकार को आप निर्देशित करें कि आखिर कड़ाके की ठण्ड में आज ईको गार्डन में कई महीने से धरना चल रहा है और सरकार को हर बात की जानकारी और संज्ञान है, तो आखिर सरकार अनदेखी क्यों कर रही है ? सरकार मा0 न्यायालय का क्यों बहाना लेती है ? आज डबल बेंच में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी न लगाये हैं और न ही आपका कोई अधिकारी पैरवी के समय उपस्थित होता है, जिसके कारण डेट पर डेट पड़ती चली जा रही है। स्थिति बहुत गम्भीर है और पुलिस का आचरण ऐसे लोगों के साथ खास करके महिला बहनों के साथ पुलिस का आचरण बहुत ही गैर जिम्मेदार है। मैं इसी विषय पर आते हुए आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि एक सीमा निर्धारित कर दें जिसके तहत उनको न्याय मिल सके। जो हमारे अड़सठ सौ अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, आप निर्देशित करें कि सरकार तत्काल उन्हें नियुक्ति देने का काम करे। इस गम्भीर प्रकरण पर मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी अब आप बोलिए।

(सदस्य श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा0 जी द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने पूछा था कि कौन बोलेगा और मैंने आपका नाम लिया भी था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए और आपने कहा कि वह बोलेंगे। मैंने पहले आपका ही नाम लिया था बोलने के लिए।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा-

मान्यवर, मैंने इशारा किया था।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने एक मिनट कहा, लेकिन मैं आपको दो मिनट दे रहा हूँ। आप दो मिनट में अपनी बात कह लीजिये।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से मैं सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुये अवगत कराना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश संख्या-2056/68-4-18, दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 शिक्षा अनुभाग-4 द्वारा एक विज्ञापन जारी होता है कि परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती करायी जाये। मान्यवर, 06 जनवरी, 2019 को परीक्षा करायी जाती है और 10 मई, 2020 को परिणाम घोषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स-1981 के तहत् इस तरह की भर्तियाँ कराये जाने का प्राविधान है और यह रूल उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम, 1994 से आच्छादित है। मान्यवर, जब भर्ती का परिणाम आया तो उसमें जो कटऑफ मेरिट पायी गयी, सामान्य वर्ग की 67.11, पिछड़ा वर्ग की 66.73, अनुसूचित जाति की 61.1 कटऑफ मेरिट पायी गयी। आरक्षण अधिनियम जो कहता है और उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश संख्या-1/1/94-कार्मिक-1/1994, दिनांक 25-03-1994 जो आज तक लागू है, उक्त आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-1 की उपधारा (3) यह कहती है कि पिछड़े समाज, अनुसूचित समाज चाहे वह कुर्मी, यादव, प्रजापति, कुशवाहा, नाई, विश्वकर्मा, धोबी, गुर्जर, सरोज, चमार कोई भी जाति का व्यक्ति है, चाहे वह पिछड़ी जाति का है, चाहे अनुसूचित जाति का है, अगर वह अनारक्षित वर्ग की मेरिट क्वालीफाई करता है तो वह अनारक्षित की श्रेणी में गिना जायेगा, उसको आरक्षित श्रेणी में नहीं गिना जायेगा। मान्यवर, इसमें विसंगति यही हुयी कि जब हम पिछड़ी जातियों को आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-1 की उपधारा (3) के अनुसार 27 परसेंट आरक्षण की सीमा देते हैं तो उसमें 18 हजार 598 सीटें ओ0बी0सी0 की श्रेणी में आती हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आपकी बात आ गयी है। आपने एक मिनट बोला था, लेकिन मैंने आपको दो मिनट से ज्यादा समय दे दिया। इसके ऊपर बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। आपको मालूम है कि नियम-56 के अन्तर्गत इसी सत्र में 69 हजार शिक्षकों पर चर्चा हो चुकी है। मुझे यह लेना नहीं था, लेकिन मा0 पाण्डेय जी और आपकी पार्टी की तरफ से यह रिक्वेस्ट आयी कि इसको ले लें। उन्होंने कहा कि आप एक मिनट बोलेंगे, लेकिन एक मिनट के बाद आप 3 मिनट और बोल चुके हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है। अब मैं मा0 मंत्री जी अनुरोध करूँगा कि वह इसका उत्तर दे दें।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे विषय पर आइये और अपनी बात कहिये।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जब हम सब लोग ए0सी0, कूलर और पंखे की ठण्डी हवा ले रहे थे उस समय 6800 अभ्यर्थी, जिनमें महिलाएं भी हैं, वे मई और जून के महीने की कड़ाके की गर्मी में ईको गार्डेन में धरना दे रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, अब आप बैठ जाइये। अब आपकी कोई बात अब लिखी नहीं जायेगी। मा0 मंत्री जी, आप उत्तर दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम-56 की सूचना पर मा0 संग्राम सिंह जी तथा मा0 आर0 के0 वर्मा जी ने अपनी बात कही। मैसेज यह देने की कोशिश की जा रही है कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, हमने आरक्षण ठीक प्रकार से लागू नहीं किया। यह सही है कि विज्ञप्ति जारी की गयी और यह भी सही है कि परीक्षा हुयी, लेकिन परीक्षा के बाद सभी 69 हजार लोगों को नौकरी दे दी गयी। सभी लोग आज 03 साल से भी ज्यादा समय से कार्यरत हैं। वह सभी लोग इस समय कार्यरत हैं। अब हम आरक्षण की बात बता दें। टोटल 69 हजार में 48 हजार 699 लोग ऐसे हैं जो ओ0बी0सी0, एस0सी0 और एस0टी0 कैटेगरी के हैं।

मान्यवर, अगर इसमें परसेंटेज जोड़ा जाए तो 70.58 परसेंट ओ0बी0सी0, एस0सी0 और एस0टी0 के लोग हैं। पूरे हाउस को और मीडिया को यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमने आरक्षण नहीं दिया है। अब हम अलग-अलग केटेगरी बता दें तो 31 हजार 228 लोग जो कि ओ0बी0सी0 केटेगरी के हैं वह इसमें आए हैं। मेरिट के आधार पर 12,630 लोग आए हैं। वर्मा जी अलग-अलग क्वांटीफाई कर रहे थे। यह बिल्कुल सही है कि अगर लोग मेरिट पर आएंगे तो उसके बाद हम ओ0बी0सी0 को 27 परसेंट आरक्षण देंगे, और उसको लागू भी किया गया है। 12,630 ओ0बी0सी0 के लोग जो मेरिट में आए हैं और उसके अलावा 18,598 ओ0बी0सी0 के लोग आरक्षण की श्रेणी में आए हैं। इसके अलावा एस0सी0 केटेगरी के 17,260 लोग हैं और एस0टी0 केटेगरी के 211 लोग है। यह सभी 69,000 लोग बाकायदा सैलरी पा रहे हैं, नौकरी में हैं और इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ लोगों ने यह चैलेंज किया कि हमारा रिजर्वेशन ठीक नहीं हुआ है। मा0 संग्राम जी ने आयोग की बात कही, जो आयोग की रिपोर्ट आई थी हमने उसको रिकंसीडर करने के लिए

वहां पर याचिका दायर की है और वहां से अभी जवाब नहीं आया है। 6800 जो लोग कोर्ट गए हैं। इन लोगों का क्लेम है कि हमारा सेलेक्शन होना चाहिए। यह मामला कोर्ट में है और जो भी कोर्ट का आदेश होगा उस पर सरकार अक्षरशः पालन करेगी। बार-बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम लिया जाता है, मैं बताना चाहता हूँ कि 69,000 में से 70.58 प्रतिशत ओ0बी0सी0, एस0सी0, एस0टी0 के लोग आज कार्यरत हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कार्यरत हैं, उनका किसी प्रकार का हक नहीं मारा गया है। यह लोग गलत तरह से मैसेज दे रहे हैं। जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका यह सरकार पूरी तरह से पालन करेगी। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको जो फीगर दी है उसको आप वेरीफाई कर लें। 211 एस0टी0, 17,260 एस0सी0 और 31,228 ओ0बी0सी0 के लोग हैं। इसमें मेरिट वाले भी हैं और 27,000 लोग रिजर्वेशन वाले भी हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चूँकि कोर्ट में मामला है और आपका निर्देश था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया, लेकिन जो कोर्ट में मामले होते हैं उनको सामान्यतः विधान सभा में उठाया नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री लालजी वर्मा जी व डा0 आर0 के0 वर्मा जी को और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। पहले भी इस पर काफी विस्तार से विधान सभा में चर्चा हो चुकी है। यह नियम-56 में नहीं आता है, अतः मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के हो रहे शोषण और विद्युत के भेजे जा रहे गलत बिल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम-56 की सूचना पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया। इस समय एक बड़ी समस्या विद्युत विभाग की तरफ से है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो विद्युत विभाग का बिलिंग सेक्शन है वह अनाप-शनाप बिल लोगों के घरों पर भेज रहा है। मैंने एक घटना का जिक्र भी किया है कि ग्राम उड़वा जगतपुर में एक राम प्रकाश पासवान जी हैं, जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। उनको विद्युत विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपये का बिल भेज दिया गया। यह किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं है यह पूरे उत्तर प्रदेश की घटना है। जो लोग एक बल्ब और एक पंखा चला रहे हैं उनका भी बिल 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 30 हजार और 1 लाख रुपये तक का यदि आ रहा है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं है। सवाल एक जगह का नहीं है, एक गांव का नहीं है, एक जिले का नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग की बिलिंग सेक्शन के द्वारा लगातार गलत बिल भेजे जा रहे हैं और जब उनको ठीक कराने का सवाल आता है तो वही बिलिंग सेक्शन के प्राइवेट कम्पनी के लोग उपभोक्ता के पास अपने आदमी को भेजते हैं और उपभोक्ता से उनका व्यक्ति जाकर उनसे पैसे की माँग करता है कि आप पैसा दे दीजिए तो हम

आपका बिजली का बिल ठीक करा देंगे। मैंने स्वयं विभागीय मा0 मंत्री जी से मिलकर कुछ घटनायें बतायी थीं। सवाल यह है कि जो प्राइवेट कम्पनियाँ हैं उनको किसने यह अधिकार दे दिया कि वह पहले उपभोक्ता को गलत बिल दें और फिर उस गरीब उपभोक्ता के पास जाकर उससे वसूली करने का काम करें।

मान्यवर, इससे पूरे उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। गलत बिल भेजे जाने से जहां वे असमंजस में हैं, वह बिल भी नहीं जमा कर पा रहा है। विद्युत विभाग के अधिकारियों के कार्यालयों पर जब वह चक्कर लगाता है तो वहां बाहर बैठे कुछ लोग, मैं कह सकता हूँ कि जो दलाली का काम कर रहे हैं। वो उनसे पैसे मांगने का काम करते हैं कि पैसे दे दो तुम्हारा बिजली का बिल हम ठीक करा देंगे। मान्यवर, यह प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, जिससे जहां प्रदेश के विद्युत विभाग के राजस्व की भी हानि हो रही है। जिस व्यक्ति का वास्तविक बिल 600-700 रुपये आना चाहिए। अगर उसको 15000 रुपये का बिल भेज दिया जायेगा तो वह जमा नहीं कर पायेगा। इसलिए हम नियम-56 के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपसे निवेदन करते हुए कहना चाहते हैं कि जहां हम राम राज्य की बात करते हैं और राम चरित मानस में लिखा है कि 'दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम-राज नहीं काहूँ ब्यापा' अगर इस राम राज में जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे हैं जिसको हम लोग पढ़ते रहे हैं और मानते भी रहे हैं, मनन भी करते रहे हैं। अगर उसमें गरीब आदमी के साथ अन्याय होगा। अकारण बिजली का कनेक्शन काट दिया जायेगा।

माननीय मंत्री जी मैं उत्तर प्रदेश के 33 गाँवों का लेख लाया हूँ। जहां गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन-यापन करते हैं। बिजली विभाग का लाइन मैन जाकर पूरे गांव की लाइट काट देता है। आरोप यह था कि इनका बिजली का बिल नहीं जमा हुआ। जब जाँच कराई गयी तो पता चला कि 90 प्रतिशत विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली का बिल गलत दिया गया है। इसलिए यह जो बिलिंग सेक्शन का काम प्राइवेट कम्पनियों को दिया गया है। इससे गरीबों का शोषण रुकवाइये। इनके ऊपर कार्यवाही कराइये। मैंने एक गांव का उदाहरण भी दिया था कि एक गांव में जिसका बेहरामऊ नाम है। ऊंचाहार थाने में है। बिलिंग सेक्शन के लोगों ने वहां पहुंचकर एक लाख तिहत्तर हजार रुपये की अवैध वसूली की। मैंने वहां के अधिशाषी अभियन्ता को फोन करके कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे डिपार्टमेन्ट के लोग नहीं हैं। मैंने कहा एफ0आई0आर0 कराइये और ऐसे लोगों को जेल पहुंचाइये। उपभोक्ताओं से उन्होंने अवैध वसूली की है। लेकिन सूचना देने के बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। इसीलिए इसको गम्भीरता से लीजिए। बिलिंग कम्पनियों द्वारा उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। गलत बिल ठीक कराने के नाम पर उगाही की जा रही है। इसको तत्काल रोका जाये। इस महत्वपूर्ण प्रकरण के महत्व को समझते हुए सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मैं माँग करता हूँ। यह निवेदन भी करता हूँ कि सरकार इसमें कठोर कदम उठाये और गरीब, कमजोर गांव में रहने वाले लोगों को गलत बिजली के बिल जो भेजे

जा रहे हैं। उस पर तत्काल रोक लगाई जाये। एक कैम्प निर्धारित करके बिजली के बिल न लिया जाये वहीं पर ऑनलाइन बिजली के बिलों को ठीक कराये जाने की भी व्यवस्था की जाये। यह मैं माँग करता हूँ।

***श्री पंकज कुमार मलिक-**

मान्यवर, नियम-56 में हम लोगों ने गलत बिजली के बिल के मामले में आपसे निवेदन किया है। बिना किसी रीडिंग के बिजली का बिल भेज दिया जाता है। अगर मीटर फुंक जाता है तो किसान को, नौजवान को उसे बदलने के लिए पसीना आ जाता है जो भी शहर या गांव में रहता है। उपभोक्ता बड़ा परेशान है। मैं कई प्रकरण आपके सामने लाया हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र के गांव कुड़ेरी की शम्भू नाम की महिला जिसका बिल लगभग 98 हजार 661.06 है। बहुत गरीब विधवा महिला है। वह बिल्कुल दे नहीं सकती है। बड़ी खराब स्थिति है। एक नौजवान लड़का दीपक जो धनप्रकाश जी का बेटा है। लखान गांव का रहने वाला है उसका 45 हजार का बिल आया। बार-बार बिल को ठीक करने के लिए कहा गया पर कोई ठीक नहीं करता। हां ठीक भी हुए हैं। एक महिपाल सिंह हैं, लखान के, एक अनीस हैं, लखान के उनका 500-600 रुपये बिल था। दोनों को 40 हजार रुपये, 39 हजार रुपये बिल भेज दिया। कहा गया तो उनसे रिश्वत मांगी गयी। जब हम लोगों ने उनसे बात की तो उनका बिल ठीक हुआ। मान्यवर, आम आदमी का खून चूसने का काम प्राइवेट कम्पनियां कर रहीं हैं। आपने जिस तरह सवाल का जवाब दिया था मेरा अनुरोध है कि ऐसा जवाब न दें। कोई ऐसी बात बता दें कि हम आपको शिकायत दें और इनका समाधान हो जाये। अगर एक जिले में कार्यवाही होगी तो गरीब लुटने-पिटने से बच जायेगा।

(इसी मध्य 12 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।)

मान्यवर, सरकार तो आती जाती रहती है सिर्फ यह कहना काफी नहीं होता है कि आपकी जब सरकार थी। अरे जो उस समय रहा, वह रहा लेकिन 7-8 वर्ष आपकी सरकार को हो गये हैं। मेरा अधिष्ठाता महोदया, आपसे निवेदन है कि जो इश्यू मैंने बताये हैं क्या इनके गलत बिल माफ होंगे ? बाकी सारी बात तो मा0 सदस्य मनोज पाण्डेय जी ने कह ही दी है।

ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

अधिष्ठाता महोदया, बिजली के विषय पर आज सुबह से ही प्रश्नोत्तरकाल में चर्चा हो रही है। जिन बातों का उल्लेख हो चुका है प्रश्नोत्तर काल में उन बातों का जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि बिजली का बिल ज्यादा व गलत मिलने की जो समस्या है वह बहुत पुरानी है और बहुत ही व्यापक है। लेकिन उसका हम लोग क्रमशः

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टेक्नोलॉजी के इंटरवेशन से उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन आँकड़े व समस्या काफी नियन्त्रण में आती दिख रही है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अधिष्ठाता महोदया, पूरे गांव की बिजली काट दी जा रही है।

***श्री अरविन्द कुमार शर्मा-**

कहीं कोई बिजली नहीं काटी जा रही है। आपको कटा हुआ ही दिखता है तो अब क्या किया जाये। आपके सम्पर्क में सब वही लोग हैं जो बिल जमा नहीं करते है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, बिल जमा न होने की तो कोई बात ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 पंकज मलिक जी आप बैठ जाइये। मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

हमारे पास नोटिस आयी है तो नोटिस का जबाव देने का हमें अवसर दिया जाये। बिजली के प्रश्न का जैसे ही सवाल आता है यह लोग एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि इनके समय में अच्छा था। हमारे समय में बहुत खराब हो रहा है।

(सदस्य मनोज पाण्डेय व सदस्य पंकज मलिक अपनी सीट पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे।)

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य मा0 मंत्री जी जबाव दे रहे हैं आप कृपया बैठ कर जवाब सुनें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

पहली बात तो यह है कि आपके समय में बिजली आती ही नहीं थी और आपके समय में जो लाइन लॉस था वह 33 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक ए0टी0सी0 लॉस था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य आप लोग शान्त रहिये। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं उनके जवाब को आप सुन लीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आपके समय में बिजली ऐसे गाँवों में जाती थी जिसमें बिल नहीं बनता था। मैं आपकी ही बात पर आ रहा हूँ आप सुनने की क्षमता रखिए। आपके समय में जो ए0टी0सी0 लॉस था वह 35 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक होता था। इसका मतलब यह कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

60-65 प्रतिशत बिजली का ही बिल आता था। हमने आपके सहयोग से जनता के सहयोग से उपभोक्ताओं के सहयोग से हम पिछले साल इसको 22 प्रतिशत पर ले आये और इस बार आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो 14 प्रतिशत पर हम लाइन लॉस ला करके खड़ा कर देंगे। हम जानते हैं बिजली नहीं मिलने के पीछे क्या कारण था कि 100 प्रतिशत की बिजली जो जाती थी उसमें से 35 प्रतिशत बीच में ही खत्म हो जाती थी। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मा0 सदस्य मनोज पाण्डेय जी के जिले में इन्होंने एक राम सुमेर जी का नाम लिखा है अपने नोटिस में लेकिन समस्या यह है कि उनके नोटिस में उस व्यक्ति का टेलीफोन नम्बर या कनेक्शन नम्बर नहीं लिखा है। इसलिए हम लोग उस गांव में जो भी व्यक्ति राम सुमेर नाम का मिला उससे हमने सम्पर्क करने की कोशिश की आपका यह कहना कि 1 करोड़ का बिल गया है, लेकिन यह एक दम गलत है 1 करोड़ रुपये का बिल उनका नहीं गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

अधिष्ठाता महोदया, अगर एक करोड़ का बिल नहीं हुआ तो हम रिजाइन कर देंगे। अगर 1 करोड़ का बिल हुआ तो आप क्या करेंगे ?

मा0 अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य यदि आपके पास बिल है तो आप दिखा दीजियेगा जिससे पता लग जायेगा कि उसमें टेक्निकल एरर है या क्या है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मैंने पहले ही कहा है कि मा0 सदस्य ने केवल उस व्यक्ति का नाम और गांव दिया है और उसका मोबाइल नम्बर और कनेक्शन नम्बर नहीं दिया है। मेरे पास कन्फर्म करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उस गांव में राम सुमेर नाम का जो व्यक्ति मिला, राम सुमेर पुत्र भगवती प्रसाद।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

उनके पिता का नाम शीतला दीन है। आप गलत उत्तर दे रहे हैं। आप उस व्यक्ति की बात नहीं बता रहे हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अगर भगवती प्रसाद के यह पुत्र हैं तो यह स्थिति है, अगर नहीं हैं तो बात अलग है। अगर यह वही राम सुमेर हैं तो इनका जनवरी महीने का बिल 546 रुपये है और पिछले महीने तक का एरियर के साथ उनका बिल 95,000 रुपये था और उन्होंने ओ0टी0एस0 का लाभ लेकर बिल जमा भी कर दिया है। आप अनर्गल चिंता कर रहे हैं उनकी, अगर वही व्यक्ति है तो।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

चिन्ता हमें है। जनता से हम चुनकर आये हैं मान्यवर। मान्यवर, हम केवल आपका उत्तर नहीं सुनने आये हैं। प्रदेश का उपभोक्ता आज परेशान है। पूरे के पूरे गांव की बिजली के कनेक्शन काट दिये जा रहे हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका नाम और बिजली कनेक्शन का नम्बर दीजिये और अगर किसी ने उसके साथ नाइन्साफी किया होगा तो.....

मा0 अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी वह जो नाम कह रहे हैं उसे वह रिटेन में आपको दे देंगे। माननीय सदस्य आपसे यह ले लिया जायेगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, हमें डिटेल मिलेगा तो जिस कर्मचारी ने जो भी गलती किया होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हम लोग करेंगे।

मा0 अधिष्ठाता-

धन्यवाद माननीय मंत्री जी। यह सूचना अग्राह्य की जाती है। आगे तीन सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार की गई हैं जिनमें से पहली सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की है। यह सूचना ध्यानाकर्षण के लिए है, इसलिये आप सिर्फ अपनी बात कह दीजिये।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मा0 अधिष्ठाता महोदया, नियम-56 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गरीब जनता से जुड़े एक विषय को इस सदन में लाया हूँ और निश्चित तौर से एक तरफ यह हो रहा है कि हम एस0जी0पी0जी0आई0, मेडिकल कालेज और डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेन्टीलेटर नहीं दिला पा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, लोगों को सुविधायें नहीं दिला पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो योजनाएं हैं उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। मेरे जनपद में अमेठी विधान सभा क्षेत्र में संजय गांधी अस्पताल है, जो लगभग पिछले 25 साल से संचालित है। वहां पर ओ0टी0 चलती है, ओ0पी0डी0 चलती है और हजारों गरीब लोगों का इलाज होता है। अपरिहार्य कारणों से 17 सितम्बर से उस अस्पताल को सीज कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद उस अस्पताल को 06 अक्टूबर से पुनः संचालित करने का आदेश दिया जाता है और अस्पताल की स्वास्थ्य सेवायें पुनः बहाल करते हुए ओ0टी0, ओ0पी0डी0,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपरेशन, इलाज शुरू होता है। वह अस्पताल आयुष्मान भारत कार्ड से आच्छादित था, लेकिन उस अस्पताल की सारी सुविधायें बहाल करने के बाद आयुष्मान भारत कार्ड आज तक नहीं बहाल किया गया है। उसमें गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उस अस्पताल से अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ के गरीब लोगों का इलाज शुरू होता है। वहां कल एक आदमी जाता है उसका एक्सीडेण्ट होता है और पैर टूटता है। उसके पास आयुष्मान कार्ड होता है वह मुझे फोन करता है, लेकिन मैं उसका इलाज उस अस्पताल में नहीं करा पाता हूँ। मैं उसको मेडिकल कालेज में भी भर्ती नहीं करा पाता हूँ। लिहाजा वह प्राइवेट अस्पताल में जाकर लुटने के लिए मजबूर हो जाता है।

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि उस संजय गांधी अस्पताल मुंशीगंज की आयुष्मान भारत कार्ड की जो सुविधा रोकी गई है उसको अविलम्ब शुरू कर दिया जाये, जिससे गरीब जनता का इलाज हो सके। यदि उसमें कहीं कोई टेक्निकल समस्या है या भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता है तो मैं प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि एक प्रस्ताव भेजकर जनहित में उसकी स्वीकृति लेते हुए वहां आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की जाये जिससे गरीबों का इलाज हो सके, कमजोरों का इलाज हो सके, मजदूरों का इलाज हो सके, जरूरतमन्दों का इलाज हो सके। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसमें सरकार को ऐसे निर्देश देने का कष्ट करें।

मा0 अधिष्ठाता-

आपका यह विषय संज्ञान में लेकर कह दिया जायेगा। अब मैं अगली मद ले रही हूँ।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

मान्यवर, मैं गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जनपद चन्दौली में सामुदायिक केन्द्र भुगवा मुगलसराय चन्दौली पर दिनांक 01-02-2024 की घटना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, 01-02-2024 को श्रीमती आरती देवी पत्नी रोचक पाल, ग्राम पठपुरा पुरौना मुगलसराय, थाना अलिनगर चंदौली की तबियत खराब हो जाती है। उनकी डिलवरी होनी थी। उन्हें घर से लेकर सुबह 01-02-2024 को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां भर्ती के समय कोई डॉक्टर नहीं था केवल नर्सें थीं। उनके द्वारा 12:42 मिनट पर डिलेवरी होती है और बच्चा पैदा होता है उसके बाद उनकी अचानक तबियत खराब हो जाती है फिर उन्हें अस्पताल से दूसरी जगह पर रिफर कर दिया जाता है उनको बड़ी तेज ब्लीडिंग होती है, जिस कारण रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। यह बहुत ही गम्भीर घटना है, क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार है। यह पूरी लापरवाही की घटना है। हम आपके माध्यम से सरकार से माँग करना चाहते हैं कि इसकी जाँच करके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता तथा मदद करने का भी काम किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। मुबारकपुर की घटना की ओर ध्यानाकर्षण के लिए श्री नफीस अहमद, नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2022-2023) का ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग के वर्ष 1998 से 2023 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 152वां प्रतिवेदन†

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष (2022-2023) का ऊर्जा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग के वर्ष 1998 से 2023 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 152वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता-

एक ध्यानाकर्षण के लिए छूट गया था, श्री अखिलेश जी बोलिए।

(इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 14 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मैं लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, ध्यानाकर्षण में सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। आपका जो विषय है उसमें विधान सभा क्षेत्र मुबारकबाद में 28-01-2024 ग्राम बजरा, थाना महाराजगंज के अन्तर्गत दुर्घटना के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति वर्ष (2022-2023) का ग्यारहवां प्रतिवेदन†

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के

---

† छापा नहीं गया।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (1998-1999) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

[01:15] उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का बारहवां प्रतिवेदन†

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का बारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2009-2010), (2010-2011), (2011-2012) व (2012-2013) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का तेरहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2004-2005) व (2015-2016) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन†

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का चौदहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2005-2006), (2006-2007) व (2007-2008) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन†

श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (1993-1994), (1994-1995), (1995-1996), (1996-1997), (1997-1998) (1998-1999) (वाणि0) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अब उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का पंचम प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के अधीन नगर पालिका परिषद् मोदीनगर-गाजियाबाद, मुरादनगर-गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद् हल्दौर, बिजनौर तथा नगर पालिका परिषद्, शेरकोट, बिजनौर से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2015-2016) एवं (2017-2018) में उल्लिखित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी तथा धर्म समाज महाविद्यालय, अलीगढ़ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा

---

† छापा नहीं गया।

परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के अधीन क्रमशः कृषि उत्पादन मण्डी समिति सिधौली, सीतापुर, कृषि उत्पादन मण्डी समिति महौली, सीतापुर, कृषि उत्पादन मण्डी समिति हरगांव (लहरपुर), सीतापुर तथा प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन क्रमशः बेसिक शिक्षा समिति, रायबरेली एवं बेसिक शिक्षा समिति, सीतापुर से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का अष्टम प्रतिवेदन†

श्री सुनील कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति (2022-2023) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2017-2018) में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन क्रमशः डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ एवं किंग जार्ज विश्वविद्यालय गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, लखनऊ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 13 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-19

[01:21] मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा†

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। हमारे विधान मण्डल दल के बहुत सारे सम्मानित नेतागण उसमें नहीं बोल पाए थे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर लोक दल से कोई बोलना चाहता है, तो प्लीज बोलें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह संकल्प है, मा0 मुख्य मंत्री जी आने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसीलिए मैंने अभी उस संकल्प को लिया नहीं है। पहले संकल्प ले लेंगे फिर बाद में चर्चा करायेंगे क्या ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जैसा आप चाहें। जैसे ही मा0 मुख्य मंत्री जी आ-जायेंगे, हम पूछकर आपको बता देंगे।

नोट :-† दिनांक 5 फरवरी, 2024 की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पूछकर बता दीजिएगा। लोक दल से कोई मा0 सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, श्री आशीष पटेल जी हैं, वह बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बोलिए।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर अपनी पार्टी की ओर से अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बात प्रारम्भ करने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली और माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहुआयामी विकास की ओर कदम बढ़ाये, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं कुछ आँकड़े रखना चाहूँगा। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करके 9 करोड़ से ज्यादा खाते खोलकर देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश 1 करोड़ 90 लाख नामांकन के साथ प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश आवास योजना शहरी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान मिला है। अटल पेंशन योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 18 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 15 हजार 274 अमृत सरोवरों का कार्य पूर्ण करते हुए उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1 करोड़ 75 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारे निषाद पार्टी के अध्यक्ष सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में मत्स्य उत्पादन में बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को देश का बेस्ट स्टेट फॉर इनलैण्ड फिशरीज घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया है। खाद्यान्न, आम, दूध, तिलहन, आलू एवं हरी मटर इन सबमें उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है।

हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं, मा0 वर्मा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं कुछ विषय सदन में रखना चाहूँगा। इनको प्रदेश को प्रथम स्थान पर ले जाने का अवसर मिला था, इनको सामाजिक न्याय की बहुत सारी बातें करने का अवसर मिला था। पर यह हमेशा दूसरी चीजों में उलझे रहे और अपने अवसर को गवां दिया और प्रदेश की जनता ने एन0डी0ए0 की सरकार को मौका दिया। हम लोग भारत सरकार में और वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीतकर उस अवसर को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे साथियों ने अपने विषय रखे हैं कि प्रदेश में विकास के क्या-क्या कार्य हुए हैं, मा0 मंत्रीगण ने भी अपना विषय रखा है, मैं उन सब पर नहीं जाऊंगा। मैं तो अपने विपक्ष के साथियों विशेषकर समाजवादी पार्टी के मा0 नेतागण से पूछना चाहूंगा चार बार आप सरकार में रहे हैं, आपको भी अवसर मिला था, आप सामाजिक न्याय की विचारधारा को धरातल पर उतारने का काम करते, आप भूल गये। आपने जिन सरकारों का समर्थन किया उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना भुला दिया। याद किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने और उस जननायक को भारत रत्न जैसा सम्मान देकर सम्मानित करने का काम किया। (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं) वर्मा जी हैं नहीं, सरदार पटेल जी को भी भारत रत्न देना आप भूल गये थे, वह भी देने का काम किसी और ने किया है। मेरे मित्र मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

हर बात का जवाब देने का समय नहीं है, आप अपनी बात रखिए।

श्री आशीष पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे आज बोल लेने दीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, जितना समय है, उतना ही बोलने देंगे।

श्री आशीष पटेल-

बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी की आप बात करते हैं, पर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जी के नाम पर एक संस्थान कन्नौज में बनता है वह भी आप परिवर्तित कर देते हैं। यही नहीं, छत्रपति साहूजी महाराज के नाम पर एक संस्थान बनता है उसका भी नाम आप बदल देते हैं, फिर आप पी0डी0ए0 की बात करते हैं। पी0डी0ए0 की बात करने के लिए आपको अपने कार्य-कलापों पर नजर रखनी चाहिए। बार-बार हम पर आरोप लगता है कि हम पी0डी0ए0 के पक्ष में कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा-सा गिना दूंगा कि आपके समय के कार्यों और हमारे समय के कार्यों में अन्तर क्या है। मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार में पिछड़े वर्ग के जितने विषय थे, उनको त्वरित रूप में हल करने का काम किया। मुझे

आपको एक बार फिर याद दिलाना है कि केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, नीट की परीक्षा या कोई भी विषय हो हमारी नेता ने जब भी उठाया, उसको हल करके धरातल पर लाने का काम एन0डी0ए0 की सरकार ने किया। यही नहीं, थोडा-सा याद दिला लूंगा, मैं उन मुख्य मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, वर्ष 2008 में नीट की परीक्षा का वाकया है, आपके ही सांसद थे जिनके दम पर वह सरकार चल रही थी और नीट की परीक्षा में जैसे ही आरक्षण का विषय आया, पिछड़े वर्ग का आरक्षण छोड़ दिया गया। आजकल वे मुख्य मंत्री बहुत पिछड़ों की बात करते हैं उस समय उनके समर्थन पर भी वह सरकार चल रही थी, पर पिछड़े वर्ग की याद किसी को नहीं आई।

मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपके अन्दर जो अविश्वास है, राजभर साहब इधर आ गये और बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं, धीरे-धीरे आपका उधर का सारा मामला खाली हो जायेगा। यह विश्वास की बात है, अगर आप पी0डी0ए0 को साथ लेकर चले होते तो कोई भागता नहीं, आप उधर होते। आपका रास्ता खुला था, मैं सारे विषयों पर आ रहा हूँ, आप उन तथ्यों को नहीं देखते हैं जिनको हमने किया है। संग्राम भाई भी हमारे बैठे हैं, जो हमने किया है उसको भी याद कर लीजिए, जब आपके पास अवसर था और आपने नहीं किया। अगर आपने किया होता तो हमको भरोसा होता, हम सब लोग पी0डी0ए0 में हैं लेकिन जिसने भरोसा जताया उसके साथ हैं। हम भी हैं, राजभर जी भी हैं, आपको अवसर मिला था, लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले सके। हम पी0डी0ए0 के साथ हैं, लेकिन जिसने पी0डी0ए0 के हितों की बात की है, उसके साथ हैं। हमारे साथ आदरणीय निषाद जी बैठे हैं, जब भी कोई विषय आया आप निषाद समाज के हितों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। चार बार आप सरकार में रहे हैं, जिनको अवसर मिला उन्होंने कर दिया। आज निषाद समाज, आदरणीय संजय निषाद जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और आपके विश्वास की मैं बात करूँगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आ गये हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब भी आपको अवसर मिले, आप पीडीए के लिए करने का प्रयास करिए, आपने किया नहीं, इसलिए जनता ने वोट आपको दिया नहीं। अगर आप करते तो आपको मिलता, बस मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपने विश्वास को हमारे जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो एनडीए की पार्टियों का विश्वास है आपस में, उस विश्वास के साथ-साथ जो कार्य हैं, उनको जनता तक पहुँचाने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, वह कार्य हम लोग आगे लेकर जायेंगे और इसी के साथ मैं पुनः अपनी पार्टी की ओर से, अपनी नेता की ओर से माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण प्रस्ताव का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब श्री संजय निषाद।

माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि 05 मिनट में अपनी बात कह देंगे तो कृपा होगी।

***मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद)-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने साथी जो पीडीए पर बात कर रहे थे, उनसे सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रखूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आज देश आजाद हुए 75 साल के आस-पास हुआ है। मैं ज्यादातर मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ, लेकिन कोई सरकार उनका नाम नहीं लेती थी। आज कम से कम बजट में हो, चाहे किसी भी काम में हो, वोट के समय तो मछुआरे याद आते थे, लेकिन जब उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए कोई भी बजट हो या कोई नीति बनानी हो तो वह किनारे हो जाते थे। आज मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूँगा कि पिछले बजट में भी और इस अभिभाषण में भी आया, हमारे आधे से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, केवल आधे कर्मचारियों के सहारे हमने मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में पूरे देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है और उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश आया है। उसका एवॉर्ड भारत सरकार से हमें मिला है। नदियों के किनारे रहने वाले दैवी आपदा से तो उजड़े ही थे, अंग्रेजों ने भी कानून बनाकर उजाड़ा था। पहले सड़कें नहीं थीं और नदी के माध्यम से आते-जाते थे। यह क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1871 के उस एक्ट से प्रभावित जातियाँ हैं, जिनको बसाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कमेटी 1949-50 बनी थी। लेकिन आज तक वह वैसे ही पड़ी हुई है।

मैं आज अपनी इस सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता दूँ। अभी हमारे यहाँ इन्टीग्रेटेड एक्वा पार्क के लिए 190 करोड़ रुपया इस सरकार ने दिया है। 300 करोड़ रुपये के आस-पास प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना में मिला है। जिन्हें कभी बिन्द, कश्यप, कहारा कहा जाता था, अब कम से कम निषाद जी कह कर पुकारा जाता है। निषादराज के किले को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, 56 फुट की भगवान राम-निषादराज की गले लगी मूर्ति भी वहाँ है। 20 करोड़ 38 लाख का एक निषादराज ऑडिटोरियम है। सांस्कृतिक भवन बनाने के लिए 14 करोड़ अभी फिर मिला है, तो आज के दिन में यह उपलब्धि है। मैं नाम नहीं लूँगा, पिछली सरकार 2004 से 2014 तक केन्द्र में सपा-बसपा के सहयोग से भी चल रही थी। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन संविधान बनने से पहले, 1950 से पहले एक पब्लिक फाइल 4/50, जिसके माध्यम से सभी राज्य सरकारों से यह माँगा गया था कि कौन सी जातियाँ अनुसूचित हैं जो सोशली, एजुकेशनली, एकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और उनके अन्दर हिस्टोरिकल फिजिबिलिटी है। उस फाइल के आधार पर यह ग्रुप ऑफ कॉस्ट बना था जो लेदर मैन, वॉशर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैन और फिशर मैन लेकिन जो लेदर मैन हैं, वॉशर मैन हैं, उनको तो मिल गया, लेकिन फिशर मैन फिसल गये और फिसल इसलिए गये क्योंकि इतने चालाक लोग थे चूँकि यह क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से प्रभावित होने के नाते, देश तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन वह जो एक्ट था वह तब निष्प्रभावी नहीं हुआ था। 31 अगस्त 1952 को वह एक्ट डि-नोटिफिकेट हुआ और उसके आधार पर हमें डि-नोटिफाइड ट्राइब के रूप में जाना जाता है। देश की आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन तक ये जातियाँ गुलाम थीं, इसके आधार पर जब हम लोगों ने आर0जी0आई0 से माँगा कि हम लोगों को स्थान कहाँ है, कोर्ट के माध्यम से तो पता चला गृह मंत्रालय से कि 2012 तक तो वह फाइल थी उसके बाद इस जाति वाली वह फाइल वहाँ से गायब है।

मान्यवर, इन जातियों के साथ कितना धोखा हुआ जब हमें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त होकर 1961 में गिनती हुई आर0जी0आई0 ने भी लिखकर दे दिया कि केवट, मल्लाह, मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। 1961 में इनकी संख्या 70 लाख थी और गिनती करते-करते वर्ष 2011 की गिनती में इनको 7 हजार कर दिया गया था। अन्य सब जातियों की संख्या बढ़ती है और इन मछुआरों की गिनती घटती है तो इस तरीके का अन्याय किया था। इसके लिए अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं 70 साल में पहली बार आर0जी0आई0 से यह लिखवाने में हमें कामयाबी मिली। मैं हमारी सरकार और मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि 18 दिसम्बर, 2020 को मा0 मुख्य मंत्री जी ने पत्र लिखकर आर0जी0आई0 को इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिया था एक महीने के बाद ही आर0जी0आई0 ने लिख दिया कि इनकी 1961 में गिनती हुई थी और 1961 की गिनती के अनुसार केवट, मल्लाह, मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूँगा कि इनका जो आरक्षण है उस पर भी पहल की जा रही है और बजट में इनके लिए अवसर भी हैं। हमारी सरकार के 15 हजार लाभार्थियों में साढ़े चौदह हजार संख्या मछुआरों की थी। आज के दिन मत्स्य विभाग के अन्दर रोजगार के बहुत अच्छे अवसर हैं। अभी परसों प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा कि यह जो मत्स्य पालक हैं और जो गौ पालक है, इनका कोई सरकार नाम नहीं लेती थी। पिछली सरकार ने केवल 3 हजार करोड़ रुपया 67 वर्षों में दिया था, लेकिन अब 6 साल के अन्दर 39 हजार करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए मिला। अभी अनुपूरक बजट में 2500 करोड़ रुपया और मिला। किसी भी समुदाय को मान सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि चाहिए तो आज मान, सम्मान, सुरक्षा तो है और समृद्धि का भी रास्ता जारी हो गया है। यह पहली बार है कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को चाहे जैसे भी हो, आज के दिन में हमने जो भी किया था, उसके लिए आज यह दिन आया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे मा0 सदस्य आशीष पटेल जी जो नाम ले रहे थे कि पिछड़ी जातियों में हमें रखा गया।

मान्यवर, 31 दिसम्बर, 2016 को समाजवादी पार्टी ने जाते-जाते राज्यपाल से हमें एक गजट पारित करके निकाल दिया कि ये जातियाँ पिछड़ी में नहीं हैं इनको अनुसूचित समझा जाएगा, तो यदि राज्यपाल का गजट है कि पिछड़े में नहीं अनुसूचित में गिने जाएंगे, इन्हें सारे हक अनुसूचित के दिये जाएंगे तो हम न तो पिछड़े में हैं और न अनुसूचित में हैं तो हम कब तक लटकू राम रहेंगे। इसकी एक व्यवस्था हो जाए। ये लटकाने वाले थे, पिछली सरकारों ने हटाया है, अब हमारी सरकार आई है हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं और मैं राज्यपाल को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ थीं, अभी मत्स्य विभाग के द्वारा जो बजट माँगा गया था उसमें मा0 वित्त मंत्री जी ने एक रुपये की भी कटौती नहीं की, जितना बजट हमारे विभाग ने माँगा था उतना बजट वित्त मंत्री जी ने दिया मैं उनको बधाई देता हूँ, जो पहले कट जाता था। आज के दिन हम अपने विभाग के द्वारा 3000 मकान हर साल देने जा रहे हैं। उनके इलाज के लिए व्यवस्था करा रखी है। यदि उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो भी यदि मेरा मछुवारा बीमार हो तो वह किसी भी अस्पताल में इलाज कराये 5 लाख रुपये तक हमारी सरकार उसके खाते में पैसा भेज देगी। आज उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, उनकी कोचिंग के लिए, उनकी दैवीय आपदा के लिए और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हमारी सरकार ने की है उसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ और अभिभाषण के लिए मैं अपने राज्यपाल को भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोना जी।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश विभिन्न विचारधाराओं का प्रदेश रहा है। इसने कई विचारधारा के नेतृत्व देखे हैं। प्रदेश ने लम्बे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन देखा, फिर लोक दल में किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार देखी। समाजवादी विचारधारा वाली समाजवादी पार्टी की आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार देखी। बहुजन समाज की सोच को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री मायावती जी की भी सरकार देखी और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं। 5 विचारधाराओं ने मुख्य रूप से आज उत्तर प्रदेश की दिशा को तय किया है। सबने अपनी-अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार सरकार के विकास में अपना-अपना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योगदान किया है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता, परन्तु मा0 राज्यपाल जी का जब अभिभाषण चल रहा था तो मैं यह सोच रही थी कि सरकारें किसी की भी हों, जब चलती हैं, बनती हैं, कार्य करती हैं तो उसमें सफलताएं भी होती हैं, असफलताएं भी होती हैं। अगर सरकार अपनी सफलता की बात करे तो कहीं न कहीं उसको असफलता का संज्ञान भी लेना चाहिए ताकि उन गल्तियों की पुनरावृत्ति न हो पाये। मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ संख्या-3 के पैरा-2 में सुशासन और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की बात कही गयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी अभी नहीं है, परन्तु मैं उनको बधाई दूँगी। कई मामलों में उन्होंने बड़ी कठोरता से कुछ इस तरह की घटनाएं जो लॉ एण्ड आर्डर की थीं, उसमें बड़ी सख्ती से काम किया है, लेकिन एक घटना का इसका दूसरा पहलू भी है। जिस तरह से आई0टी0 बी0एच0यू0 में छात्रा के साथ दिनांक 01 नवम्बर, 2023 को बलात्कार जैसी घटना रात में डेढ़ बजे होती है और उसके बाद 02 नवम्बर, 2023 को एफ0आई0आर0 लॉज होती है। 03 नवम्बर, 2023 को जो अभियुक्त होते हैं, उनको थाने पर बुलाया जाता है, पूछताँछ होती है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है।

(सदन में घण्टी की आवाज बजने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह घण्टी कहां से बज रही है ? चीफ मार्शल इस बात को देखें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, 2 महीने बीत जाते हैं और इस घटना पर कोई कार्यवाही, एफ0आई0आर0 नहीं हुई। हाँ, मैं इस बात को जरूर कहूँगी कि जब यह वीडियो 2 महीने बाद वायरल हुआ तब दूसरे दिन वह तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये जाते हैं, अरेस्ट कर लिए जाते हैं।

(सदन में मुख्य मंत्री जी के आगमन पर)

मा0 मुख्य मंत्री जी का आभार है कि आज सदन के दोनों नेता हम लोगों की बात को सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी ने पूछा है कि स्वास्थ्य ठीक है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

आपका ?

श्री अध्यक्ष-

आपका स्वास्थ्य पूछ रहे हैं ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मेरी चिन्ता उनको हमेशा रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से उस घटना में, इस बात से नहीं इन्कार किया जा सकता कि जब वो घटना जाँच के 2 महीने बाद ओपेन हुई तब वो लोग अरेस्ट होते हैं और वो कौन थे, आई0टी0 सेल में वो केवल कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी थे और वो बेखौफ हो करके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रही हूँ और उसके बाद जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उस बात को उठाते हैं तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मेरा कहने का आशय यह है कि अगर यह कार्यवाही हुई, 2 महीने बाद सरकार के संज्ञान में आने पर एफ0आई0आर0 होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि ''जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड''। माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां मौजूद हैं मैं उनको कन्या सुमंगला योजना के लिए बधाई देना चाहती हूँ। वो एक कल्याणकारी योजना है। मैंने अभिभाषण में ही पढ़ा कि 1782000 इसमें अभी तक पात्र हुए हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने 15000 से बढ़ाकर 25000 कर दी। पर उसका एक दूसरा पहलू भी देखिये। पिछले वर्ष गाजियाबाद में इस योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह हुए, उसमें 70 प्रतिशत ऐसे लोग विवाहित हुए जो कि सही नहीं थे। जो लाभाविन्त थे वो सही नहीं थे फिर उसमें वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी ने जाँच भी की अपनी रिपोर्ट भी शासन को भेजी। जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी तक उसमें क्या कार्यवाही हुई, नहीं हुई पर अगर कार्यवाही हुई होती तो जो अभी कुछ दिन पहले बलिया में घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति न हुई होती। 25 जनवरी को बलिया में मनिया ब्लाक में लगभग 500 जोड़ों की शादी होती है जिसमें से 190 गलत पाये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

'मोना' जी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज, 5 मिनट का आपका समय था 7 मिनट हो गये हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

सिर्फ 2 प्वाइंट और है, इसके अलावा। मेरा कुछ समय तो फोन बजने में चला गया, फिर माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वागत करने में चला गया। इसके लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

वह सब मैंने कैल्कुलेट कर लिया है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, एम0पी0, एम0एल0ए0 सब बैठे थे और उनके सामने सबने वीडियो देखे कि कैसे लड़कियों ने खुद के

गले में अपने वरमाला पहन ली, उसमें बहुत सारी ऐसी महिलायें थी जो कि पहले से शादी शुदा थीं, उनके बच्चे थे, वो भी वहां पर प्रस्तुत की गयीं। ऐसे पुरूष थे जिनको ये तक नहीं पता था कि उनको शादी के लिए बुलाया गया है। यह एक ऐसी संवेदनशील चीज है कि सरकार अगर योजना ला रही है और अगर वो क्रियान्वित हो रही है और उसका दुरुपयोग हो रहा हो तो कहीं-न-कहीं सरकार को उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। मान्यवर, एक और दुःखद घटना की ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। नो वेण्डिंग जोन, सरकार ये पॉलिसी 2017 में लाई, बहुत अच्छी पॉलिसी थी, हमने लखनऊ और कानुपर जैसे क्षेत्रों में, आपके यहां भी देखा कि कितना अच्छा काम हो रहा है। पर इसका एक पहलू हमने कुछ दिन पहले उन्नाव में घटते देखा। एक पुल पर जहां पर एक गरीब माँ अपने 02 छोटे-छोटे बच्चों को इस जाड़े में लिए बैठी थी, एक छोटी-सी जमीन पर कपड़ा बिछा करके सब्जी बेच रही थी। किस तरह से अतिक्रमण के नाम पर उसकी सब्जियों को पुल से नीचे नदी में डाल दिया गया। क्या यह अतिक्रमण का उद्देश्य है। इस तरह की योजनाओं व पॉलिसीज का सही क्रियान्वयन हो यह भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। अन्त में मैं आपसे एक बात कहूंगी ये सबसे युवा देश है भारत में जहां 55 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और उत्तर प्रदेश में भी 50 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है तो हमारा युवा प्रदेश है। हम सबकी प्राथमिकता है कि नौजवानों को रोजगार मिले। जब से माननीय मुख्य मंत्री जी 2017 से आये हैं, सरकार ने कई सारी ग्राउन्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की, इन्वेस्टर्स समिट किये, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज की तारीख में इण्डस्ट्रियलाइजेशन का अगर सबसे बड़ा उदाहरण कोई है तो वह नोएडा है। नोएडा की स्थापना 1976 में हुई थी, उस वक्त कॉंग्रेस के तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे। मैं मानती हूँ कि उससे अच्छा मॉडल, एक दूरदर्शी, एक विजन के साथ जो नोएडा का बनाया गया था, आज 55 साल बाद भी हम उस माडल की तरह उत्तर प्रदेश में दूसरा नहीं बना पाये हैं। कहीं न कहीं हमको अपनी इण्डस्ट्रियल पॉलिसीज को और मजबूत करना पड़ेगा, उनकी सकारात्मकता को देखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

थैंक यू।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, अन्त में माननीय मुख्य मंत्री जी से एक ही बात कहूँगी, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बहुत संवेदनशील हैं, सहृदय हैं। यहाँ जो 403 विधायक बैठे हैं, यह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नागरिक है। उसके बाद हम सब जनप्रतिनिधि हैं। अध्यक्ष जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। अपनी बात कह लेती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

सब लोग समझ गये है। मैं अकेला नहीं मुस्कुरा रहा हूँ।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में महंगाई की दर 5.5 के आसपास है। हम इन्कार नहीं कर सकते कि प्रदेश में मँहगाई नहीं है तो क्या महंगाई सामान्य जनता के लिए ही है, विधायकों के लिए नहीं है ? मैं यह जरूर कहूँगी कि जब एक जनप्रतिनिधि अपनी दोहरी जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी के साथ-साथ क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी को भी उठाता है तो उसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जब महंगाई बढ़ती है, डीजल का दाम बढ़ेगा तो आज एक जनप्रतिनिधि कितना भ्रमण कर पायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और साथ में हमारे वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, मैं अनुरोध करूँगी कि एक कमेटी बननी चाहिए, मेरे ख्याल से 2017 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए निर्देशित भी किया था, बनी भी थी, पर शायद क्रियाशील नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री भी हैं, इनके नेतृत्व में वह कमेटी बने और उसमें विधायकों के जितने भी मानदेय, भत्ते और जो भी सुविधायें हैं, उसका समय-समय पर आंकलन हो और सबसे विशेष चीज यह है कि मँहगाई इंडेक्स से उसको जोड़ा जाये ताकि कल हम रहें न रहें, ये रहें न रहें, वह अपने आप आगे आने वाले विधायकों के लिए बनी रहे।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद। टाइम की लिमिट है। अब श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलें। टाइम की लिमिट है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह प्रदेश हमारा है, आपका है, हम सबका है। यह विरोधाभास का समय नहीं है। मान्यवर, मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करूँगी कि राज्यपाल का अभिभाषण सफेद कागज पर काली स्याही से लिखी अधूरी कहानी है। इसको पूरा करिये, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब श्री ओम प्रकाश राजभर जी बोलेंगे। मेरा माननीय नेतागण से विनम्र निवेदन है कि समय की सीमा है और आप लोगों के द्वारा ही यह कहा गया था कि आप लोग 5-5 मिनट बोलेंगे। आपके द्वारा जो कहा गया, उसका आप पालन करें, ऐसा मेरा निवेदन है। समय के लिए मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबके सामने, सबका समय सामने है।

(सदन में हँसी)

***श्री ओम प्रकाश राजभर-**

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। महोदय, जब यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदया का अभिभाषण हो रहा था तो मैं बैठ करके सुन रहा था और मैं कई दिन से सुन रहा हूँ, हमारे उधर के साथी एक ही बात बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। हम खाली थोड़ा सा बतायेंगे कि उधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिये। आप क्यों परेशान हैं ?

श्री अध्यक्ष-

वैसे आपसे ज्यादा अच्छा कोई बता भी नहीं सकता।

(सदन में हँसी)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, चिंता नहीं हमें उनकी, उन्हें चिन्ता हमारी है। शायद पता नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि जो दिव्यांग देश में सबसे गरीब और कमजोर समझा जाता है, जिसके पास किसी के हाथ नहीं, पैर नहीं, नकुना नहीं, आंख नहीं, मुंह नहीं, उसकी तरफ भी आप लोगों का ध्यान नहीं था। जिसके पास हाथ, पैर नकुना, मुंह था उसको आप 300 रुपये पेंशन देते थे, इस सरकार ने उसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया और उसके उपरान्त इस सरकार ने आज उसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। यह आपको नहीं समझ में आयेगा।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

आप समझ लीजिये क्यों घबरा रहे हैं। हमारे मंत्री की चिन्ता न करें, अपनी चिन्ता करें कि 2027 में आप लोग कुछ बचोगे कि नहीं बचोगे, इसकी चिन्ता करें। आपकी भी सरकार थी, जरा अपने दिल पर हाथ रख करके देखो। हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। अगर आपके आजमगढ़ में विश्वविद्यालय खुला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुला है। आप सांसद थे, लेकिन याद नहीं आया था। आप बहराइच चले जायें, वहाँ पर पार्क बना है देख लीजिये। कभी टहलते हुये जाइयेगा, अगर जाने के लिए पैसे की दिक्कत हो तो हमसे ले लीजियेगा। वहाँ जा करके देख लीजिये महाराजा सुहेलदेव की भव्य मूर्ति बनी है, पूरा पार्क बना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, चित्तौरा झील का सौंदर्यीकरण हो गया है। इधर की सरकार नकल सहित परीक्षा कराती थी लेकिन उधर की सरकार नकल विहीन परीक्षा कराती है।

***श्री अवधेश प्रसाद-**

मान्यवर, सुहेलदेव हमारे वंशज हैं, इनके कहां से हो गये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अवधेश प्रसाद जी बैठ जायें। महापुरुष सबके होते हैं।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, महिला यात्रियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा, यह तो आपको नहीं पता है। आखिर चिंता कौन कर रहा है, उधर के लोग कर रहे हैं, इधर के लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से आप लोग भी आते होंगे। अगर आपके नेता ने आगरा एक्सप्रेस-वे बनवाया.....

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। अगर आपके नेता बोलने लगेंगे तो मैं खड़े हो करके एक-एक सवाल पर बोलूंगा फिर आपको बुरा लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप भी नहीं बोलेंगे, यह भी नहीं बोलेंगे। मा0 सदस्य आप बोलें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, यह पी0डी0ए0, पी0डी0ए0 बहुत चिल्ला रहे हैं। अभी हमारे साथी मा0 मंत्री आशीष पटेल जी बोल रहे थे तो उनके ऊपर बहुत इशारा कर रहे थे, हमारे मा0 सदस्य संजय निषाद जी, बोल रहे थे तो बहुत इशारा कर रहे थे कि पी0डी0ए0, पी0डी0ए0। पी0डी0ए0 का काम इधर हो रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि जितना समय कांग्रेस पार्टी को दिया है, उतना समय हमें भी दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आप अपनी बात समाप्त करिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, बात पी0डी0ए0 की आयी है इसलिए कह रहा हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात सीधा कहिये, इधर-उधर के चक्कर में न पड़ें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, स0पा0 सरकार के कार्यकाल में पिछड़ा वर्ग विभाग को औसतन 1300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए बजट देते रहे। तब 15 लाख छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे। इस सरकार में इसका डबल हो गया है। 2400 करोड़ से अधिक प्रतिवर्ष रुपया दे कर 7 वर्षों में औसतन 25 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रही है, यह काम इधर हो रहा है। आप पी0डी0ए0 की बात कर रहे हैं, किस पी0डी0ए0 की बात कर रहे हैं, जब आपके पास पॉवर था तब आपको पिछड़ों की याद नहीं आयी, आज आप बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सिक्योरिटी वाले मा0 राजभर जी का फोन ले लें। आप उस फोन को सिक्योरिटी को दे दें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं के लिए जो स्कीम पहले से चल रही है, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना सपा की सरकार में 5 वर्षों में लगभग 23 हजार युवाओं को लाभान्वित किया गया जब कि वर्तमान सरकार ने केवल इस वर्ष 23 हजार से अधिक पिछड़े वर्ग के युवाओं को इस योजना में लाभान्वित करने का काम किया है एक साल के अन्दर। आप किस पिछड़े की बात करते हैं, इधर तो काम हो रहा है और इधर केवल बात हो रही है। आपके पास मौका था आपने काम किया होता तो मैं समझता हूँ कि उधर होते, आपने काम नहीं किया इस नाते वह लोग उधर हैं, आप इधर परेशान हैं कि ओम प्रकाश राजभर चिन्ता ओम प्रकाश राजभर की क्यों सता रही है वह मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष-

अन्दर की बात आपको ही मालूम है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उतना ही पहचाना मुझे।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

बस मान्यवर, केवल एक मिनट।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बन्द कराऊँ, वह अनुचित होगा, किसको कितना समय देना है यह मेरा क्षेत्राधिकार है।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मेरी पार्टी कांग्रेस से बड़ी पार्टी है इसलिए समय भी उसी अनुपात में मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह मैं तय करूंगा कि कौन कितना बोलेगा, अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो मैं इस बात की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, उन्हें अपनी बात को पूरा कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस बात को पूरा कर लें।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, एक सुझाव हमारा है महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में मैंने देखा कि जो सामाजिक न्याय के लिए राघवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी गठित की है, जो हक पिछड़ों का 27 परसेंट का लूटा जा रहा था उसको देने के लिए जो आपने कमेटी बनायी है उसकी रिपोर्ट आयी है 7, 9, 11 में बांटने के लिए, समाजवादी सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं लेकिन सामाजिक न्याय कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कभी समाजवादियों ने नहीं की। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देश में रोहिणी आयोग का गठन किया, 27 परसेंट आरक्षण को पूरे देश में बांटकर देने के लिए, यह सब कभी आपके जेहन में नहीं आता है। आप इधर बैठे हैं चर्चा करते हैं, मैं सुनता हूँ, लेकिन धरातल पर समस्या है, गोड़ और खरवार का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कहीं-कहीं तहसीलों में दिक्कत है उसकी चिन्ता तो आपको नहीं है, अगर किसी को चिन्ता है तो इधर के लोगों को है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री ओम प्रकाश राजभर-

देखिये आपको पीड़ा होगी जब आपके नेता के बोलने पर हम बीच में बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, धरातल पर कुछ बचा नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ, 2024 में फाइनल हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन और है एक जाति है बंजारा, बंजारा विभिन्न प्रदेशों में एससी और एसटी में आते हैं उत्तर प्रदेश में 1931 की जातिवार जनगणना में इनकी गिनती नहीं हुई थी तो उत्तर प्रदेश में जो बंजारा जाति के लोग रहते हैं उनकी ख्वाहिश है कि जब विभिन्न प्रदेशों में हम लोग एसटी में आते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश में भी एसटी में शामिल किया जाय। इससे सम्बन्धित पत्र मा0 मुख्य मंत्री जी के यहां लगे हैं तो उसमें थोड़ी तेजी लायी जाय। ताकि उनको भी न्याय मिले मान्यवर और मान्यवर मैं तो बधाई देता हूँ मा0 मुख्य मंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा हो गई, उधर के लिए भी और इधर के लिए भी आप लोग भी अगर बीमार हों तो चले जाना। हम महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर उनको धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।

***श्री उमाशंकर सिंह-**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, मैं महामहिम द्वारा इस सदन में पढ़े गए अभिभाषण पर कुछ अपनी बात कहूँ उससे पहले 2 दिन पहले का वाकया, क्योंकि उसी से सम्बन्धित है, इस विधान सभा में एक अजीब तरह का वाकया हुआ। मुझे लगता है कि जब सदन चल रहा था तो हम लोग सभी दलीय नेताओं ने बैठ करके कि सदन कैसे चले यह तय किया। उसमें उस विषय से हटकर के सभी लोगों जैसे उधर से समाजवादी पार्टी से हमारे मनोज भाई थे, सब लोग थे और सभी लोगों ने कहा कि 22 जनवरी को क्योंकि इसलिए कि सदन में यह पहली बार स्थिति आई जब से हम विधायक हैं, जिस तरह से हाथ खड़ा करवा कर आपने काउंटिंग कराई थी उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो सभी लोगों ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ, वह सराहनीय रहा, सफल रहा, तो यह सब लोगों की चिंता है। हम विभिन्न दलों में जरूर हैं, हमारे दल जरूर अलग-अलग है, विभिन्न जाति मजहब के लोग जरूर हैं, लेकिन सबको पता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और उनको स्थापित करके एक सफल आयोजन किया गया, जिसकी पूरे विश्व ने सरहाना की है। उस दलीय बैठक में हम सबने सरहाना की, उसमें उस दिन प्रस्ताव आ भी गया, देखिये कोई भी ऐसा नहीं है, कार्यकाल किसी का भी हो अध्यक्ष जी जिस तरह से आज हमारी उत्तर प्रदेश की विधान सभा, मान लीजिए कि देश में एक अच्छी विधान सभा के रूप में पहचानी जा रही है, उसकी गैलरी या उसके एक-एक कार्य जो आपके द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्पन्न कराये जा रहे हैं, उनका लोग आकर के प्रशंसा कर रहे हैं। तो हम सभी को गर्व होता है, यह जरूर है कि हम भी उत्तर प्रदेश के हैं और इसी विधान सभा के हैं तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का काम हो रहा है, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश वासी हैं। अब उस दिन ऐसा प्रस्ताव आया कुछ उसमें ऐसा था भी नहीं, लेकिन बाहर मैसज गलत गया और उसका नतीजा क्या हुआ, जब उसी में से दूसरे दिन टिप्पणी होने लगी कि हमारे हाथ को गलत गिन लिया गया, तो मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं। जैसे हमारा इकाना स्टेडियम है, हमारी सरकार के समय लैंड एक्वायर हुआ वह स्टेडियम टेंडर फाइनल नहीं हुआ, तब तक आपकी सरकार आ गयी, आपने स्टेडियम बनवाया। हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेडियम है चाहे कोई बनवाये, यह इसलिए नहीं कि हम इस दल में हैं तो हम कैसे हाथ उठाएं यह नहीं होना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष अपने सम्मानित विधायकों से कहेंगे कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया ? उसी में से एक विधायक आज सुबह कहने लगे कि नहीं-नहीं अध्यक्ष जी मेरा नाम गलत छप गया, मैंने तो हाथ समर्थन में उठाया था, पार्टी के लिए कितनी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गयी होगी। मेरी समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए।

मा0 अध्यक्ष जी, स्टैंड सबके एक-एक करके धीर-धीरे साफ होते जा रहे हैं, हम तो जहां पर है वहीं है। मा0 अध्यक्ष जी उस दिन मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था, क्योंकि जो पिछली कार्यकाल मे, सरकार में बहुत ऐसे अवसर आए हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मान लीजिए ऐसे अवसर आये हैं कि हमारी बहुजन पार्टी की सरकार रही हो, दिल्ली की सरकार द्वारा चुने राज्यपाल रहे हों और उनके द्वारा इस बात को कहा जाता है। मैं 2-4 मामलों पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। मा0 नेता सदन, मा0 मुख्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। आवास के लिए पूर्वाह्न में प्रश्न उठा था। मैंने बोलने के लिए अनुमति माँगी, लेकिन समय के अभाव में मुझे अवसर नहीं मिल पाया। जैसे महामहिम राज्यपाल जी ने जब अभिभाषण पढ़ा, तो एक चीज बड़ा अच्छा हो जाता। जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस समय मान्यवर कांशीराम शहरी आवास योजना लागू हुई थी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न तहसीलों में वह आवास बने हैं। आज भी उस अपार्टमेंट में नीचे रिक्शा, ठेला दिखेगा। ऐसे गरीब लोग उसमें रहते हैं। उसमें केवल एक जाति, मजहब के लोग नहीं हैं, सभी लोग हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उस समय जो आवास कम्प्लीट नहीं हो पाए थे, जिसमें 90 प्रतिशत काम हो गये थे। किसी में 5 प्रतिशत काम बाकी है, तो किसी में 10 प्रतिशत काम बाकी है, इससे अधिक काम किसी आवास में नहीं बाकी है, लेकिन आज वर्ष 2012 से 2024 तक वह हमारे शहरी आवास कम्प्लीट नहीं हुए।

मा0 अध्यक्ष जी, एक बार आपने इसी पीठ से मा0 नगर विकास मंत्री जी को निर्देश दिया था। उसमें किसी पार्टी का पैसा नहीं लगा है, सरकार के खजाने का पैसा लगा है। आपने नगर विकास मंत्री जी को निर्देश दिया था कि उ0प्र0 में अगर इस तरह आवास बनकर तैयार

हैं और थोड़े से काम के कारण आवंटित नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यदि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में उसको जोड़ देती कि उ0प्र0 में इस तरह के जितने आवास अधूरे पड़े है, ये हमारी सरकार ने उसको जोड़ दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता।

मा0 अध्यक्ष जी, एक बड़ी उम्मीद थी, जैसे हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। बजट पर अपनी बात मैं बाद में रखूँगा। बलिया जनपद आज भी मेडिकल कॉलेज से वंचित है। वहाँ जगह की परेशानी आ रही है। शहर में जगह नहीं मिल रही है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि अगर जगह नहीं मिल पा रही है, तो उसको कैबिनेट से शिथिल करके ले लें। सरकार के पास अगल-बगल बहुत जमीनें ऐसी हैं, जिसको सरकार चाहे, तो चिन्हित करके ले सकती है।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

रसड़ा में बनवा दें।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 मुख्य मंत्री जी, मैंने रसड़ा के लिए कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि रसड़ा उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के नक्शे से बाहर है। जब भी रसड़ा की बात आती है, तो बलिया वाले लोग ऐसे कूदते हैं, जैसे रसड़ा नक्शे में ही नहीं है। मैंने इसी हाउस में यहाँ तक कह दिया था कि अगर जमीन की कमी है, तो रसड़ा में स्टेट हाई-वे पर मेरी 30 बीघा जमीन है, मैं सरकार को फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, सरकार मेडिकल कॉलेज बना दे। बलिया के नेताओं के पास उसी बलिया शहर में उनकी इतनी निजी जमीन है कि उसमें मेडिकल कॉलेज ही नहीं, क्या-क्या बन सकते हैं, लेकिन वे लोग उस जमीन को नहीं देंगे ? आप कहेंगे, तो दस्तावेज भी लाकर दे देंगे और बलिया शहर में 09 कि0मी0 की परिधि में है।

श्री अध्यक्ष-

सब समझ गये। अब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत कुछ नही कहना है। बलिया में उद्योग के नाम पर केवल दो ही उद्योग था, एक कताई मिल और दूसरा चीनी मिल। कताई मिल कब से बंद पड़ी है। चीनी मिल के बारे में कहना चाहता हूँ कि जब हमारे नेता प्रतिपक्ष उधर थे, तो मैंने आग्रह किया था, तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट मतलब ट्रिपल पी पर बनेगी। ये कहे कि आप ही बनवा लो। हम माँग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप ही बनवा लो। उधर से भी जब बात करते हैं, तो कोई सही जवाब नहीं मिलता। सरकार एक तरफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करती है। यह सबसे जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ बलिया के लोग अपना गन्ना लेकर आजमगढ़, घोसी में जाते हैं।

मा0 अध्यक्ष जी मैं आग्रह करूँगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग दलीय नेता हैं। आपने हमें ऐसे समय में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। इस समय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमेशा यहाँ उपस्थित रहें, ताकि हम लोग अपनी बात रखें (सदन में हँसी)। हमारा नेतृत्व, हमारे लीडर अपोजीशन करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम इनके नेतृत्व में रहें। हमारे नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहकर चल देते हैं, तो हम लोग अकेले हो जाते हैं। इनके रहने से हम लोगों को भी बल मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूँ कि नेता सदन भी बैठे हुए हैं, समय का अभाव है। बहुत सारे मुद्दे थे। मैंने आपका ध्यान दो विशेष मुद्दो पर आकर्षित किया है। मान्यवर, कांशीराम शहरी आवास का पूरे प्रदेश में स्थिति ऐसी ही है, जो उदाहरण के तौर पर रसड़ा में बनकर खड़ा हुआ है और मुझे लगता है कि कम से कम उसमें 400 फ्लैट होंगे। मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

***श्री रघुराज प्रताप सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी नजर में हम सभी बराबर है, इसमें भी किसी को कोई सन्देह नहीं है। लोग 10 मिनट 38 सेकेण्ड 12 मिनट 32 सेकेण्ड बोले हैं, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको टोकने की आवश्यकता न पड़े। मैं सीधे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। गत वर्ष महामहिम श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर जनता की जो समस्या थी, हर उपभोक्ता की समस्या थी कि बिजली के बिल उनको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिये जा रहे हैं और दलालों के माध्यम से पैसा लेकर उनको कम किया जाता। मा0 ऊर्जा मंत्री जी उस समय थे, थोड़ी बहुत सख्ती आपने की थी, लेकिन स्थितियां आज भी जस की तस हैं। मुझे लगता है कि चाहे सत्तापक्ष हो, प्रतिपक्ष हो सबके सामने यह समस्या आती होगी। बिलिंग करने के लिए किसी निजी एजेंसी को दिया गया है। हम सभी चाहते हैं कि इस समस्या का स्थायी रूप से निदान हो।

दूसरा सुझाव है कि आयुष्मान कार्ड में प्रति परिवार 6 यूनिट होना आवश्यक है। बहुत से ऐसे परिवार हैं, गरीब हैं, उनकी पात्रता है, लेकिन उनके घर में 6 सदस्य नहीं हैं तो छोटे परिवारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा सुझाव यह है कि विधायक निधि से हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग जो असाध्य रोगों के उपचार के लिए धनराशि देते हैं, उसमें बहुत विलम्ब होता है। पहले तो जब वह जिले में जाता है तो सारे अधिकारी मिलकर यह देखते हैं कि वह साध्य है कि असाध्य है। रोग तो रोग होता है, बीमारी तो बीमारी होती है। पैसा पहुंचने में डेढ़-दो महीने से अधिक समय लग जाता है तब तक प्रायः यह होता है कि मरीज उपचार की स्थिति में नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। इस पर मेरा आपसे एवं मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी समय-सीमा निर्धारित की जाए। विधायक निधि से उपचार के लिए हम लोग जो धनराधि देते हैं, उसमें अधिकतम 10 दिन की समय-सीमा निर्धारित हो। उसमें साध्य और असाध्य का क्राइटेरिया हटा दिया जाए। पैसा सीधे सरकारी अस्पताल जाता है, जिनको आपने स्वीकृत कर रखा है, वहीं जाता है तो यह साध्य और असाध्य का क्राइटेरिया हटा दिया जाए, इससे बहुत ही सरलता होगी। कई मा0 सदस्यों ने छुट्टा एवं आवारा पशुओं की चर्चा की है। इसमें हम एक ही सुझाव देना चाहते हैं। यह समस्या कोई नई नहीं है। हम सभी लोग गांव के रहने वाले हैं और बचपन से देखते आ रहे है कि खेतों में मचान बनाकर किसान रात भर जानवरों को हांका करता था और रात भर आवाज होती थी। झाड़ियों से बेड़ लगाकर किसी तरह से खेतों की रक्षा होती थी। उससे भी और पहले चले जायें तो मुंशी प्रेमचन्द की एक कहानी है 'पूस की रात'। हम सभी लोगों ने पढ़ी होगी। उस समय ब्रिटिश काल में भी खेतों में आवारा पशुओं के चरने की समस्या थी। गोवंश को काटा तो नहीं जा सकता है, मारा तो नहीं जा सकता है। जब वह दूध देने लायक नहीं रह जाती हैं तब हम ही लोग अपनी गायों को छोड़ देते हैं। उसके लिए हमको स्वयं उनको घर पर रखना पड़ेगा। इसके लिए एक सुझाव यह अवश्य है कि अगर हम ब्याज मुक्त ऋण खेतों की बाड़ेबन्दी करने के लिए किसानों को दें तो इससे बहुत हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। मेरा निवेदन है कि बगैर ब्याज के किसानों को तार बांधने के लिए, बाड़ेबन्दी करने के लिए ऋण दिया जाए। महामहिम श्री राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में प्रभु राम की जितनी चर्चा हुई, उतनी हमको नहीं लगता है कि इसके पहले कभी भी इस सदन में हुई होगी। प्रतिपक्ष भी यह जाहिर करने में लगा रहा कि हम भी भगवान राम के भक्त हैं।

मान्यवर, भगवान श्री राम सबके हैं। सर्व व्यापी हैं सर्व व्यापक हैं। बड़ा सौभाग्य था हमारा कि 22 तारीख को बहुत कम लोगों को आमंत्रण मिला था वहां जाने का अवसर मिला। इतना सुव्यवस्थित कार्यक्रम जब मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 प्रधानमंत्री जी सब जा चुके थे और तब घूमते रहे और एक-एक व्यक्ति से मिलते रहे। भावनाओं का क्रेज था। भगवान श्री राम के हम सभी लोगों के जीवन में हमारे यहां अवध में जब शिशु का जन्म होता है तो उसके कान में राम नाम राम कहा जाता है। जब विद्या आरम्भ होती है तो तख्ती पर उसका हाथ पकड़ कर राम लिखा जाता है और अन्तिम यात्रा के विषय में तो हम सभी को पता है कि राम नाम सत्य है कहा जाता है। वह भगवान राम किन परिस्थितियों में तम्बू में रहे, निर्वासित रहे। इस बात की प्रसन्नता गांव-गांव इतनी है कि कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर

भंडारा न हुआ हो, कोई ऐसा गांव का पुराना मंदिर नही होगा जहां रंगाई-पुताई न हुई हो, कोई ऐसा गांव कोई कस्बा नहीं होगा जहां पर भंडारा न हुआ हो, जहां दिवाली न मनाई गई हो और इसमें सभी प्रसन्न थे। आपको भी इस बात का हम सभी लोगों की ओर से आभार आपने यह तय किया है कि हम सभी लोगों को दर्शन कराने ले चलेंगे। कुछ विधायक अभी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे मेरे विचार से आपके नेतृत्व में और आप दलों के दल से बहुत ऊपर हैं आपको हम सभी लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है चाहे वह सत्ता पक्ष हो या चाहे प्रतिपक्ष हो तो यह यात्रा आपके नेतृत्व में हो रही है तो मेरा यह सुझाव है कि सभी साथियों को, सभी विधायकों को खुशी-खुशी चलना चाहिए। यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है और जो जाये उसका अहोभाग्य है।

आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री राम मंदिर निर्माण में कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अयोध्या और उसके आस-पास के सूर्यवंशी क्षत्रियों ने पिछले पांच सौ वर्ष से साफा नहीं बांधा, पगड़ी नहीं बांधी, छाता नहीं लगाया, विवाह में दूल्हे को साफा बांधा जाता है, पगड़ी बांधी जाती है, उनकी वह प्रण प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है। आप ही के माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने का अवसर वहां पर मिला। भगवान श्री राम की इस जय यात्रा में जितने सहयोगी थे, जितने उनके भक्त थे, सभी को स्थान दिया गया है। जटायु जी की प्रतिमा है, निषादराज जी की प्रतिमा है, माता शबरी की प्रतिमा है। लेकिन हमारे जैसे अज्ञानी लोग जो संस्कृत नहीं जानते है अगर प्रभु राम की महिमा से परिचित हुए हैं तो पूरा-पूरा गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक प्रतिमा उन्हीं कलाकार के द्वारा श्री अरूण योगी राज, जिन्होंने रामलला का विग्रह बनाया है। उन्हीं के द्वारा निर्माण कर के माननीय मुख्य मंत्री जी अगर वह करें तो यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात होगी। तुलसी बाबा की वहां पर मूर्ति लगे तभी बेनी श्रीमन हुए उन्होंने तुलसी बाबा के लिए कहा था कि ''बेदमत सोधि, सोधि-सोधि कै पुरान सबै संत और असंतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव कौन राम नामहु की चर्चा चलावतो। बेनी कबि कहै मानो मानो यह प्रतीति यह पाहन-हिए मैं कौन प्रेम उपजावतो। भारी भवसागर उतारतो कवन पार जो पै यह रामायण तुलसी न गावतो।'' तुलसी दास जी की वाणी उनके ग्रंथ को कितने वाचकों ने हम लोगों को सुनाया है और भवसागर पार किये है इन्हीं शब्दों के साथ जो हमको कहना था सारी बातें आ गई है। क्षेत्र के विषय में डिग्री कॉलेज हमारे हरदुआ क्षेत्र में और बिहार में चाहिए यह मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। बाकी शुभकामना और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी।

***नेता विरोधी (श्री अखिलेश यादव)-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस चर्चा में मुझे भी बोलने का अवसर मिला। यह चर्चा जहाँ से शुरू की गयी। डा0 नीरज बोरा जी ने यह चर्चा शुरू की थी और मा0 सदस्यों ने लगातार अपनी बात रखी है। इस अभिभाषण में बहुत-सी बातें आयी हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, दरअसल यह जो डाक्यूमेंट है, जो मा0 गवर्नर महोदया ने यहाँ पर रखा है, यह एक सरकारी डाक्यूमेंट है और कांस्टीट्यूशनल बाउण्डेशन है कि जो सरकार लिखकर के देगी वही उन्हें पढ़ना पड़ेगा। सरकार ने अपनी बहुत सी बातें इसमें रखवायी हैं जो सच्चाई से दूर हैं। यह जितना सच का डाक्यूमेंट होना चाहिये था सच्चाई के साथ, उतना नहीं दिखता है। जो सरकार लगातार एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की बात कर रही हो अभी तक एक बिलियन असत्य बातें कहने के बाद भी वह एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक नहीं पहुँच पायी है। मा0 अध्यक्ष महोदय, लोकराज, लोकलाज से चलता है। इस अभिभाषण के आखिर में जिन बातों को लिखकर के कहा गया है कि यह उत्तर प्रदेश किस-किस में नम्बर एक है। वह सरकारी आँकड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नम्बर एक है किसमें ?

मा0 अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक संख्या में कार्यवाहक डी0जी0पी0 बनाने में उत्तर प्रदेश नम्बर वन है। यहाँ पर बहुत सारे मा0 सदस्यों ने समस्या उठायी है और छुट्टा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश नम्बर वन है। झूठे प्रचार पर खर्च करने में उत्तर प्रदेश नम्बर वन है। अपने लोगों के मुकदमे हटाने में नम्बर वन है। बेरोजगारों पर लाठी चलवाने में नम्बर वन है। महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नम्बर वन है। खड़ी फसल की अन्ना पशुओं द्वारा बरबादी में उत्तर प्रदेश नम्बर वन है। दलित, पिछड़ों के उत्पीड़न में नम्बर वन है। गरीबों का हक मारने में नम्बर वन है। लगी-लगायी नौकरी छीनने में नम्बर वन है। अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नम्बर वन है। भू-माफियाओं को सत्ता का संरक्षण देने में नम्बर वन है। केन्द्र और राज्य की टकराहट में नम्बर वन है। जनता को गुमराह करने में नम्बर वन है और पी0डी0ए0 को प्रताड़ित करने में भी यह सरकार नम्बर वन है। जब इस अभिभाषण को मैं पढ़ रहा था और मैंने जब यहाँ सुना था तो मुझे लगा कि सरकार इतनी रफ्तार से विकास कर रही है तो हम लोगों को क्यों दिखायी नहीं दे रहा है। उस डाक्यूमेंट में लिखा है कि एक दिन में दो पुल बनते हैं। एक दिन में दो पुल बनते हैं, मतलब कागज पर बने पुल, सारा बजट गुल। एक दिन में दो पुल बनाये जा रहे हैं, हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं। अगर इस डॉक्यूमेंट में यह बात न हो तो आप बता दें। अध्यक्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, जो इस किताब में लिखा है, डॉक्यूमेंट में लिखा है वही बात मैं कह रहा हूँ। अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मददगार यदि कोई है तो वह हमारी खेती है, हमारा किसान है। किसान के बिना हमारी अर्थव्यवस्था वहां नहीं पहुँच सकती जहां हम पहुँचाना चाहते हैं। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश और देश भी खुशहाल होगा। यह बात मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ। जितनी भी सरकारें आई हैं और हमारे जितने भी पुराने नेता रहे हैं उन्होंने समय-समय पर यही कहा है। दुनिया ने उदाहरण दिया है कि जिस समय हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है उस समय हमारे किसान की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाना पड़ेगा। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि डबल इंजन की सरकार में किसान को कितनी राहत मिली है, किसान कितना खुशहाल हुआ है और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ही हमेशा से किसानों की पार्टी रही है और किसानों की आवाज हमेशा उठायी है।

भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा किया है। लागत बढ़ा दी। जो कभी नहीं हुआ बोरे की चोरी, वह हो गयी। मैने कई बार कहा है कि एक बहुत पुरान बिस्किट का पैकेट आता था उससे कहीं न कहीं पार्टी बोरे की चोरी सीख रही है। उस कम्पनी ने कभी अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया, आज भी वह पैकेट मिलता है। पहले उतने ही पैसे में इतना मिलता था, आज वह उसी पैसे में इतना हो गया है। पहले 5 किलो बोरी से गायब होता था अब 5 किलो और गायब हो गया। सोचिए, किसान कैसे खुशहाल होगा। आवारा पशुओं की वजह से फसल कितनी असुरक्षित है, यह बात जब बजट में आएगी तब मैं कहूँगा। जो फसल बचती भी है क्या उसकी कीमत सरकार दे पाती है ? पूरे उत्तर प्रदेश में इस डबल इंजन की सरकार ने कहीं भी अगर एक नई मण्डी बनायी हो तो बताये ? मुझे याद है कोविड के समय पर यह बात रखी गयी थी कि बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये मिलने जा रहा है। अगर एग्रीकल्चर इन्फास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा मिला है तो वह पैसा कहां चला गया ? और अगर पैसा मिला था और पैसा लगा होता तो हमारे किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई ? अभी तक फसल बीमा के नाम पर लूट जारी है। यह पहली सरकार है जहां पर किसान अपने हक और अपनी कानूनी मदद के लिए जब खड़ा हुआ, काले कानून को हटाने के लिए खड़ा हुआ तो लगभग 1 हजार किसानों की जान चली गयी। किसान अपनी खेती करे या आन्दोलन करे। सरकार कम से कम यह बतायें कि उनका फार्मूला क्या है जिसके लागू हो जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बच्चों की सेना में भर्ती रोक दी गयी है। सेना की पक्की पेन्शन वाली नौकरी हमारे गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सरकार ने आय दोगुनी करने के नाम पर आय ही छीन ली है। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन आयु आधी हो गयी है। आज परिवार की चिन्ता की वजह से खेती-किसानी के साथ-साथ किसान भी आधा रह गया है। किसान सम्मान निधि में जिस तरह किसान लगातार घट रहे हैं या संख्या घटाई जा रही है। उससे वह दिन दूर नहीं जब यह योजना केवल कागज

पर सिमट कर रह जायेगी। क्या किसान सम्मान निधि से ही किसान की आय दो गुनी हो जायेगी ? या सरकार वह व्यवस्था, वह फार्मूला बताएगी जिससे किसान की आय दो गुनी हुई होगी। मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार ने किसानों को धोखा देने का काम किया है।

सरकार नौकरी देने की बात कह रही थी, फौज की पक्की नौकरी की बात करती थी। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने का काम किया। अगर सबसे बड़ा धोखा किसी के साथ हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश के साथ हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश के नौजवान सबसे ज्यादा फौज में भर्ती के लिए जाते थे। सरकार यह बताये कि साल में 70 हजार सैनिकों की स्थायी भर्ती होती थी। यह डॉक्यूमेन्ट मेरे नहीं हैं यह सरकारी डॉक्यूमेन्ट है। 70 हजार सैनिकों की स्थायी भर्ती होती है जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के युवा सेना में भर्ती होते थे। सैनिकों को अच्छा वेतन, मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा मिलती थी। सैनिकों के परिवार और परिजनों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि रहा करती थी। जानबूझकर सरकार ने यह इसलिए किया जिससे पी0डी0ए0 के लोगों के घर में खुशहाली न आ जाये। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू होने के बाद 70 हजार के बजाय केवल 40 हजार भर्तियां होंगी। 4 साल के प्रशिक्षण के बाद लगभग 11 हजार युवाओं को स्थायी नौकरी दी जायेगी और 35 हजार युवाओं को सेना से बाहर निकाल दिया जायेगा। जो 35 हजार युवा 4 साल के बाद निकाल दिये जायेंगे उन्हें न तो पेंशन दी जायेगी न ही कोई मेडिकल सुविधा दी जायेगी। डबल इन्जन की सरकार आखिरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले अग्निवीर का एक नौजवान शहीद हुआ था। जब वह अपने घर पहुंचा था तो सरकार का कुछ इन्तजाम नहीं था। कभी समाजवादी पार्टी के नेता जी ने फैसला लिया था कि फौज का जवान अगर घर जायेगा तो पूरे सम्मान के साथ जायेगा और बजट का कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, तो सरकार खर्च करेगी। लेकिन जब पहला अग्निवीर शहीद हुआ तो उसको फौज का वह सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। जो लोग नौकरी की बात कह रहे थे। क्योंकि जब यहीं नौकरी छीन ली गयी वह इसलिए छीन ली गयी ताकि उनके परिवार को खुशहाली के रास्ते पर जाने से रोका जा सके। एक घटना मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में कानपुर में एक व्यक्ति शहीद हुआ था। जब वह शहीद, परिवार के बीच आया तो फौज के बड़े अधिकारियों ने कहा कि इस ताबूत को खोलिएगा नहीं, कॉफिन को खोलिएगा नहीं। घर परिवार के लोग जिद करें तब भी मैं समझता हूँ कि नहीं खोला गया। वहां पर सरकार का कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं पहुंचा। सम्मान के लिए कोई बड़ा व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब सीमा पर सेना के माध्यम से गलती हुई थी तो उन परिवार के लोगों से मिलने के लिए एयर चीफ मार्शल, बड़े-बड़े लोग पहुंचे। वहां तो बड़े लोग जा रहे हैं, लेकिन यहां उत्तर प्रदेश का अगर कोई शहीद हो गया तो उसके घर परिवार से मिलने कोई नहीं जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का अगर कोई अग्निवीर शहीद हो गया तो क्या सरकार उसे सम्मान देगी या नहीं देगी। यह बातें क्यों छूट गयीं डाक्यूमेंट में ईज ऑफ लिविंग की बात हुई है ईज ऑफ लिविंग को क्या मानूँ मैं उसे कैसे डिफाइन करूं। 6 करोड़ लोग मल्टी डायमेन्सनल पावर्टी से बाहर आये। वह पैरामीटर्स क्या है ? जिन पैरामीटर्स पर। लेकिन जब जबाव आया अध्यक्ष महोदय, हालाकि जवाब सरकार का कम ही मिलता है लेकिन अगर जबाव आये सरकार का तो किस-किस ईयर में मल्टी डायमेन्सनल पावर्टी में बेहतर काम हुआ है सरकार कम से कम वह बात भी बताये। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जो बात कही जाती है उसका सीधा जबाव नहीं मिलता है, क्योंकि जबाव से छिपने का काम सरकार करती है। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार सबका साथ तो चाहती है, लेकिन बराबर नहीं लाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, बिना सबको साथ लाये सबका विकास सम्भव नहीं है। सबको साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी और सामाजिक न्याय के रास्ते पर चलना पड़ेगा और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय सम्भव नहीं है। अगर सबका साथ है तो पी0डी0ए0 के साथ भेद-भाव क्यों है ? जो कह रहे हैं कि ड्रीम डेस्टीनेशन बन गया है, उत्तर प्रदेश तो कही ऐसा तो नहीं है कि ड्रीम डेस्टीनेशन केवल ड्रीम ही है। चुनाव में जा रहे हैं ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी की तारीखें आ रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर 40 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 हुए हैं तो 40 लाख करोड़ के एम0ओ0यू0 होने के बाद कहा जा रहा है कि एक करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात इसलिए हो रही है क्योंकि नौकरी देने में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान का पालन करना पड़ेगा और उनके हक की बात होगी तो इसलिए सरकार रोजगार की बात कर रही है, लेकिन नौकरी की बात नहीं कर रही है। 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बताये कि सच्चाई में कितना निवेश आया है और उस निवेश से कितनों को रोजगार मिला है। कितनों को नौकरी मिली है ? यह सरकार बताये चूंकि सरकार कह रही है कि 40 लाख करोड़ आने के बाद 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो आखिरकार सरकार बताये कि कितनों को रोजगार मिला है। जो निवेश करने वाले लोग हैं वह दूसरे प्रदेशों में ज्यादा निवेश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ इस डाक्यूमेंट्स में कई बार सुपर कंडेक्टर की बात आ रही है बजट में भी देखता हूँ तो सुपर कंडेक्टर की बात आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा लोक सभा के सांसद उत्तर प्रदेश जिताता है और यह बात बी0जे0पी0 डिनाय नहीं कर सकती है क्योंकि सबसे ज्यादा लोक सभा के सांसद उत्तर प्रदेश से जीतते हैं उसकी ही वजह से देश में प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रही है। आपके प्रदेश को छोड़कर के दूसरे प्रदेश में क्यों जा रही है और जो इन्वेस्टमेंट मीट उन प्रदेशों में हुई है जो उद्योगपति यहां आये थे। वही उद्योगपति वहाँ थे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम वहाँ पर निवेश

करें। अगर उनकी प्राथमिकता में वहां पर निवेश है तो यहां पर निवेश कब होगा। जिन लोगों ने दावा किया कि हम वहां निवेश पहले करेंगे तो आपके यहाँ निवेश कब होगा ? फिर मैंने सुना कि तमिलनाडु के लिए कहा गया कि मेक इन इण्डिया का वहाँ पर काम हुआ है। अगर तमिलनाडु को कहा जा रहा हो कि वह मेक इन इण्डिया का उदाहरण है तो यह बात उत्तर प्रदेश के इस डाक्युमेन्ट में क्यों नहीं आई ? अगर मेक इन इण्डिया है तो उसमें सहयोग यू0पी0 क्यों नहीं कर रहा है ? आप उद्योगपतियों को इन्सेन्टिव क्यों नहीं दे पा रहे हो जिससे कि यहां पर उद्योग और कारखाने लग सकें। हमारे माननीय सदस्य हाई-वे की बात कर रहे हैं। पाँचवें पेज पर लिखा है पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया एक्सप्रेस-वे एवं गंगा एक्सप्रेस-वे संचालित हैं। मैंने कई बार कहा है कि क्या कारण है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस-वे नहीं दे रही है और यह बात मैं सरकार के सामने पहली बार नहीं कहने जा रहा हूँ। मेरे जितने भाषण हैं आप उन्हें उठाकर देख लीजिये जिसमें मैंने हर बार कहा है कि देश के अन्य राज्यों में एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं तो भारत सरकार यू0पी0 में क्यों नहीं बना रही है। अगर भारत सरकार के बजट से एक भी एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश में बन रहा हो तो हमें सरकार बताये कि कौन सा एक्सप्रेस-वे है जो भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में बन रहा है। यह बात मैं आपसे इसलिये कहता हूँ कि अगर आपके बजट का जो पैसा एक्सप्रेस-वे में जायेगा तो अगर वह पैसा बच जाये तो उससे हमारे किसानों का भला हो सकता है। उस पैसे को आप मण्डी बनाने में लगा दें और किसानों को सुविधा देने के लिए लगा दें। आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे वर्ष 2022 तक बन जाना था। हम लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब वर्ष 2024 आ गया है। बलिया के हमारे साथी बताये कि बलिया एक्सप्रेस-वे कहां से निकल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात लिखी गई है कि प्रगति पर है तो सरकार क्यों लिखकर दे रही है कि प्रगति पर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए तो मैं मान सकता हूँ कि प्रगति पर है और वह पूरा भी हो जायेगा, लेकिन जैसा बनना चाहिये था वैसा नहीं बना है। 91 किलोमीटर का एक्सप्रेस-वे लगभग 6000 करोड़ रुपये का बना है। यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं यह नोएडा से ग्रेटर नोएडा से आगरा वाले एक्सप्रेस-वे पर भी चले होंगे, यमुना क्रास करने के बाद जो आगरा विकास प्राधिकरण का बना है उस लिंक एक्सप्रेस-वे पर भी चले होंगे और उसके बाद आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर भी चले होंगे और उसके बाद पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे पर भी हमारे कई माननीय सदस्य चले होंगे। यह चेहरे से कहें न कहें, लेकिन इनको पता है और इनके मन में है कि सबसे अच्छा एक्सप्रेस-वे कौन सा बना है ? आप न कहो लेकिन आप जानते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावा कर सकता हूँ कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस-वे हैं उसके बराबर अगर कोई एक्सप्रेस-वे बना है तो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बना है जिसे समाजवादियों ने बनाया है। मैं यह बात बार- बार बोलता हूँ। उसके किनारे जो

वे-साइड एमिनिटीज की बात है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने तो उन वे-साइड एमिनिटीज का उद्घाटन किया है। मुझे लगता है कि मुझे आप पर ही भरोसा है क्योंकि आपने उद्घाटन किया है तो आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए कम से कम पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे में उसी तरह वे साइड एमिनिटीज बनवा दीजिये। फिर लिंक रोड प्रगति पर है। मुझे नहीं पता कि कोई एक्सप्रेस-वे हवा में भी बनता है। अगर एयरपोर्ट बने हैं तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह जहां सरकार जमीन लेना चाहती है वहां मार्केट वैल्यू से पैसा नहीं देती है। मार्केट वैल्यू से सरकार पैसा नहीं देती है। चाहे वह फैजाबाद हो, अयोध्या हो या चित्रकूट हो जहां पर सरकार को सर्किल रेट से पैसा देना चाहिए कहीं भी सर्किल रेट से सरकार पैसा नहीं दे रही है और सर्किल रेट बढ़ाकर पैसा नहीं दे रही है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए समाजवादी सरकार में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी जमीन ली गयी थी उसमें चार गुना मुआवजा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें आप जमीन को लेकर मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं ? किसानों को जो मिलना चाहिए वह मुआवजा आप नहीं दे रहे हैं। चित्रकूट में डिफेंस का कॉरिडोर बनने जा रहा है, लेकिन कॉरिडोर के लिए जो जमीन ली जा रही है वह पुराने रेट पर ली जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपका खजाना किसानों को चला जाए ? सरकार उनको मुआवजा क्यों नहीं दे रही है। आप पांच सौ हेक्टेयर जमीन लेना चाहते हैं क्या उसमें सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा नहीं देना चाहिए ? बजट में सरकार ने कहा है कि लखनऊ में दिल्ली की तरह एयरपोर्ट के पास एक एरिया डेवलेप होगा जहां फाईव स्टार से लेकर न जाने कितनी चीजें बनेंगी ? अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें देरी क्यों ? और देरी इसलिए है कि सरकार सही मुआवजा नहीं देगी। हम लोगों ने ऐसी जगह देखा है और सुना भी है कि जहां पर किसान वर्षों से रह रहे थे उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर भेद-भाव हुआ है।

मान्यवर, मैने हर बार कहा और पत्र भी लिखकर भेजा है कि अगर कोई पुण्य का काम होने जा रहा है तो किसानों के साथ भेद-भाव क्यों होता है ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या रामपथ के निर्माण में नया घाट के सहादतगंज तक मुआवजे के नाम पर अधिकारियों ने भारी लूट की। व्यापारी और आम-जन का शोषण हुआ। मैं जानता हूँ क्योंकि वहां पर बहुत से प्रतिष्ठित लोग मुझसे आकर मिले थे और सरयू में खड़े होकर अपने जनेउ की कसम खाकर कहा था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। माजा बरेटा, माजा जमथरा में किसान तीन-चार पीढ़ियों से रह रहे हैं। सरकार उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दे रही है। चौदहकोसी, पंचकोसी मार्ग में चौड़ीकरण में जिन लोगों का मकान व जमीन जा रही है उनको सरकार मुआवजा नहीं दे रही है और अयोध्या से ज्यादा जमीनों का गोरखधंधा कहीं नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में रजिस्ट्रियों में अनियमिततायें हुयीं। कितने घण्टे में कितना बदल गया, कुछ मिनट में कुछ करोड़ कमा लिया और जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वह विकास

सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार कह रही है कि जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिये हैं। अच्छी बात है। सरकार कहेगी कि आजमगढ़ का शुरू करने जा रहे हैं, मुरादाबाद का कहेंगे शुरू करने जा रहे हैं, चित्रकूट का शुरू करने जा रहे हैं। यह तीनों समाजवादियों के बनवाये हुये थे। कुशीनगर भी समाजवादियों का बनवाया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आपने जो सेमीकंडक्टर की नयी पालिसी बनायी है उससे दुनिया की सबसे बड़ी कम्पनी किसी और प्रदेश में नहीं जायेगी उत्तर प्रदेश में ही आयेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है कि हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान जो पढ़े-लिखे हैं जिनके पास अच्छी डिग्री है उन्हें नौकरी करने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। रोजगार के लिये कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वह अपने घर-परिवार के बीच में रहकर नौकरी और रोजगार कर पायेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और तरह का समझौता हो जाये। लोगों को इजराइल भेजा जा रहा हो। सोचिये यू0पी0 में नौकरी नहीं है। आप उनके स्टेटमेंट सुनिये। मजबूरी में वह वार जोन में काम करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चालीस लाख, करोड़, न जाने कितने करोड़ को रोजगार दे देंगे। तो आखिरकार रोजगार है कहाँ ? अगर रोजगार होते तो लोगों को यहीं रहकर काम करना पड़ता। यहीं पर काम मिल जाता। सरकार कह रही है कि एक लाख 80 हजार से अधिक जनसेवा केन्द्र राज्य में संचालित हैं। अगर इतने जनसेवा केन्द्र संचालित हैं तो किसान को मामूली विवाद में जमीन को लेकर मेरठ में आग लगाकर क्यों उतरना पड़ रहा है। बाराबंकी में तहसील के आफिस में क्यों आत्मदाह करना पड़ रहा है। अगर एक लाख 80 हजार जनसेवा केन्द्र खुले हैं तो मेरठ में किसान को जमीन को लेकर आत्मदाह क्यों करना पड़ा ?

मा0 अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि जो जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए कह रहे थे इनका जीरो टालरेंस जीरो हो गया। किसी भी मा0 सदस्य से आप पूछ लीजिए कि तहसील और थाने में क्या हो रहा है। इतना करप्शन, इतनी लूट कभी नहीं हुयी होगी जितनी इस समय हो रही है। सरकार कह रही है कि वह सोलर को लेकर बहुत काम करना चाहती है। विद्युत उत्पादन में वह बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा जो बातें मैं पहले कह चुका हूँ कि अभी तक इस सरकार ने कोई भी थर्मल प्लाण्ट नहीं लगाया है। अभी तक कोई बड़ा बिजलीघर कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया है और जो पुरानी सरकार में लगे हुये थे और जो लग रहे थे उनको भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया है और जो बिजली आ भी रही है जो आप आँकड़े में दिखाते हैं यह वही कारखाने हैं जो समाजवादियों की सरकार में लग रहे थे उन्हीं के कारण आपको ज्यादा बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मिल रहा है।

मान्यवर, आप सोलर के सम्बन्ध में कह रहे हैं। इसमें लिखा है कि न जाने कितना सोलर का काम होने जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहूँगा कि इस देश के रहे राष्ट्रपति जी ने मुझे सुझाव दिया था और मैंने उस सुझाव पर काम किया। जब मेरी उनसे बातचीत हुई, जब उन्होंने प्रजेन्टेशन किया था। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की व्यवस्था लागू कर देंगे तो मैं उद्घाटन करने आऊँगा। मुझे याद है कि सोलर प्लाण्ट को सबसे कम समय में चालू

कर दिया था और गांवों को फ्री बिजली मिलने लगी थी। अभी तक फ्री बिजली मिल रही थी लेकिन इस सरकार ने उस सोलर प्लाण्ट की देखभाल नही की। वह कारखाना बन्द हो गया और आज गांवों को बिजली नहीं मिल पा रही है। एक गांव में नही बल्कि कई गांवों में सोलर प्लाण्ट लगाने का काम शुरू हो गया था। रायबरेली में भी सोलर प्लाण्ट लगा था। इसी तरह उन्नाव में भी काम शुरू हुआ था। अगर सरकार देश के राष्ट्रपति के माध्यम से उद्घाटन किये गये 250 किलोवॉट के सोलर प्लाण्ट को नहीं चला सकती है तो इस अभिभाषण में सरकार बड़े-बड़े सपने दिखा रही है तो वह कब पूरे होंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में सोलर के सम्बन्ध में कार्य हुए थे वही सरकार के पास उदाहरण हैं। एक्सप्रेस-वे पर जितनी भी लाईटें जल रही हैं वह सभी सोलर के माध्यम से जल रही हैं। सरकार विश्वविद्यालयों के बारे में बता रही है कि यूनिवर्सिटी को ए डबल प्लस मिला है, ए प्लस मिला है लेकिन सरकार यह बतायें कि उसमें पी0डी0ए0 को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन यूनिवर्सिटियों में पी0डी0ए0 के लिए कुछ है या नहीं है। मैं बहुत बड़े आंकड़ें नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं बजट पर बोलूंगा तब कुछ आँकड़े दूंगा। यूनिवर्सिटी ए प्लस, ए डबल प्लस एवं ए ट्रिपल प्लस हो रही हैं, यह बताया जा रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी में नियुक्ति किसकी हो रही हैं ? आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 एवं आई0एफ0एस0 में पी0डी0ए0 का प्रतिशत कितना है ? महिला आयोग में पी0डी0ए0 कितने प्रतिशत है ? जब मैं सदन में आया था तब पी0डी0ए0 के ही लोग बोल रहे थे। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कुल भर्ती में पी0डी0ए0 केवल 3 प्रतिशत है। जो लोग बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। जननायक चन्द्रशेखर यूनिवर्सिटी की भर्ती में पी0डी0ए0 जीरो प्रतिशत है। अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाना है तो मैं समझता हूँ कि वहां पर पर्याप्त जगह है। किसी और की जगह पर क्यों जाना, जब आपके पास यूनिवर्सिटी में ही जगह है, पर्याप्त जगह है। अगर मेडिकल कॉलेज बनना है तो आप वहीं पर बनायें। हिन्दी न्यूज चैनल में पी0डी0ए0 3 प्रतिशत, हिन्दी न्यूज चैनल एडिटर्स और अन्य स्थानों पर पी0डी0ए0 कितना है, 3 प्रतिशत है। यू0पी0 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स में पी0डी0ए0 कहां है ? पी0डी0ए0 कहां है उसमें ? पी0डी0ए0 कहां जायेगा फिर ? मैं जानता हूँ कि आप पी0डी0ए0 पर नहीं बोलेंगे। ये ए प्लस प्लस इसका कोई मायने नहीं है, अगर पी0डी0ए0 वहां पर नहीं है तो।

आई0आई0टी0 की बात क्या मैं बोलूं, यू0पी0 में जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, एक सैनिक स्कूल बना है। कोई नया आई0आई0टी0 नहीं आया, कोई नया आई0आई0एम0 नहीं आया, कोई नया एम्स नहीं आया। जो आये हैं वह पुरानी सरकार के हैं या जमीन दी गयी थी या उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया गया था। इधर कौन-सी नई व्यवस्था आई है ? कोई आई0आई0एम0 आया हो तो बता दें, कोई नया आई0आई0टी0 आया हो तो बता दें ? कहा जाता था कि यू0पी0 में निफ्ट बनेगा यू0पी0 में और जगह निफ्ट क्यों नहीं आया ? मुझे याद है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, वह एक

सैनिक स्कूल बनाना चाहते थे, मैंने उस समय वहां के मंत्री जी से कहा कि एक सैनिक स्कूल नहीं बनेगा यू0पी0 में और भी सैनिक स्कूल बनेंगे। जो एक देना चाहते थे उन्होंने तीन सैनिक स्कूल दिये थे। आखिरकार, डबल इंजन की सरकार को क्या हो गया है ? राजकीय आई0आई0टी0 की संख्या 260 से बढ़कर 305 और सीटों की संख्या 01 लाख 25 हजार से बढ़कर 1 लाख 72 हो गयी है लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए नहीं है। ए0के0टी0यू0 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी-2020 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना की गयी है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं एच0बी0टी0यू0, कानपुर इनको ए से ए प्लस ग्रेड में ले आये हैं। लेकिन यहां पर पी0डी0ए0 कहां है ? इसमें अगर पी0डी0ए0 हो तो सरकार बताये कहां है पी0डी0ए0 ?

मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि सरकार पी0डी0ए0 को बताये कि आखिरकार इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी भाई कहां है और आधी आबादी के लोग कहां है ? सरकार कह रही है कि 43 हजार 475 बीज मिनीकिट का वितरण कराया गया है लेकिन फार्मर्स को एम0एस0पी0 कब मिलेगी ? नमामि गंगे योजना में ये काम हुए लेकिन जमीन पर कहां दिख रहा है ? सब गांव खोद दिये गये हैं, जो ड्रिकिंग वाटर है उसकी क्वालिटी क्या होगी ? सोलर पम्प लगाये जा रहे हैं, अच्छी बात है लेकिन जो समाजवादियों की सरकार में शुरू हुए थे वही सोलर पम्प हैं। जो लोग कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा है लेकिन प्रोक्योरमेंट कितना हुआ है, सरकार का जो प्रोक्योरमेंट है आखिरकार वह कितना हुआ है ? सरकार पेड़ों को लगाने की बहुत बड़ी गिनती बताती है कि इतने करोड़ पेड़ लगाये गये हैं, अगर अध्यक्ष महोदय, हम गिन लें तो 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ सरकार लगा चुकी है। जितनी जमीन पेड़ लगाने के लिए नहीं है उतने पेड़ लग गये हैं। और मैंने एक बार मेजरमेंट दिया था कि एक हजार एकड़ में 01 लाख 23 हजार पेड़ लगेंगे। अगर एक हजार एकड़ में 01 लाख 23 हजार पेड़ लगते हैं तो 100 करोड़ पेड़ों के लिए कितनी जमीन चाहिए होगी ? राष्ट्रीय उद्यान और लायन सफारी इन्होंने बनायी है। लायन सफाई की देखभाल इतनी हो रही है कि 16 जानवर वहाँ पर मर चुके हैं। जो अनएक्सपीरियन्श्ड लोग थे, उनको सरकार ने वहाँ बैठाया है और उसके परिणाम यह हुए कि वहाँ पर बड़ी संख्या में जानवरों की जानें गयीं। एशियाटिक लायन्स उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ यह काम, एशियाटिक लायन्स लाये गये, उस तक की देखभाल यह सरकार नहीं कर पा रही है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को नैक-ए प्लस, लेकिन वहाँ पी0डी0ए0 के साथ क्या हो रहा है ? क्या हो रहा है उसके साथ, कितना भेद-भाव है ? आप तो कह रहे थे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बना देंगे। अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम पर आपने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसी लोक भवन के सामने शिलान्यास हुआ था, आज तक पूरी नहीं हो पायी है, पता नहीं कब बनेगी जा करके और वह जगह वहाँ पर है, जहाँ पर कैन्सर इन्स्टीट्यूट है। मुख्य मंत्री जी प्राइवेट लोगों की कैन्सर में इलाज होने वाली मशीनों का उद्घाटन

तो करते हैं, लेकिन जो सरकार का सबसे प्रतिष्ठित बना हुआ है, कैन्सर इन्स्टीट्यूट, उस कैन्सर इन्स्टीट्यूट के लिए सरकार ने क्या किया ? अगर आप मुख्य मंत्री कोष से लोगों की मदद कर रहे हैं, अगर आप आँकड़े निकलवायेंगे तो सबसे ज्यादा जिस बीमारी में आपने मदद की होगी, तो हो सकता है वह कैन्सर हो। ये रिसर्च इन्स्टीट्यूट थी और कैन्सर के इलाज के लिए थी। मेदान्ता जो समाजवादियों की सरकार की वजह से बना, उसमें तो आप मशीन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन करोड़ों रुपये की जो मशीनें पड़ी हैं, आपके सरकारी कैन्सर इन्स्टीट्यूट में उनको क्यों बर्बादी की हालत में आपने छोड़ दिया है ? वहाँ पर रिसर्च होती, इलाज होता और जो गरीबों को यहाँ से जाना पड़ता है, कभी दिल्ली, कभी मुम्बई, उन्हें वहाँ जाना नहीं पड़ता, उनको सस्ते में इलाज यहीं पर मिल जाता। लेकिन इतने सालों बाद भी कैन्सर इन्स्टीट्यूट में परमानेंट डायरेक्टर नहीं है। आपके इन्स्टीट्यूशन्स कैसे चलेंगे ? आपने डबल-डबल चार्ज दे रखे हैं। आप कुछ ही लोगों को सब कुछ दे देना चाहते हैं। अगर यह बात सच नहीं है तो बतायें। जो लोग थोड़ा-बहुत मुस्करा देते हैं पी0डी0ए0 को ले करके, यही हमारा झगड़ा है कि आप कुछ लोगों को सब कुछ देना चाहते हैं और जो ज्यादा आबादी में हैं, उसको नहीं देना चाहते हैं। जो एप्वाइंटमेंट्स हो रहे हैं, क्या उसमें पी0डी0ए0 को हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ? आप लखनऊ में परमानेंट डायरेक्टर नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ पर मरीज सबसे ज्यादा आता है। अगर सरकारी अस्पतालों के ओपीडी का आप हिसाब-किताब लगा लेंगे तो लाखों-लाख लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ आते होंगे इलाज के लिए और आपकी संस्थाएँ कैसी चल रही हैं, वह तस्वीरें हम लोग देखते हैं। जब लोग सिफारिश करते हैं, तब हम लोग महसूस करते हैं। अगर आपको अस्पताल में एडमिट कराना है, तब आप सिफारिश के बाद भी एडमिट नहीं करा सकते। इन प्रेस्टीजियस इन्स्टीट्यूशन्स में आप इलाज नहीं करा पायेंगे क्योंकि जो संसाधन, जो बजट, जो इन्तजाम करना चाहिए, वह सरकार नहीं कर पा रही है। जब इन्स्टीट्यूशन को चलाने वाला परमानेंट नहीं होगा तो कैसे आप इन्स्टीट्यूशन में इलाज दिला देंगे और आप कहते हैं कि मेडिकल कालेज हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा। आपका कोई भी मेडिकल कालेज मानक के हिसाब से नहीं चल पा रहा है। वह जानबूझकर परमानेन्ट अप्वाइंटमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को इन्हें खुश रखना है। हमें कोई शिकायत नहीं है कि दूसरे प्रदेश के लोग आयें और नौकरी करें लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह कैसे हो सकता है कि एक-दो संस्थानों के ही सब वहाँ पर नौकरी करने आ जाएं। जो मेडिकल कालेजेज् बन रहे हैं 'वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कालेज' क्या उसमें अप्वाइंटमेंट्स पूरे हैं, क्या इलाज पूरा मिल रहा है ? जो मशीनें बिल्कुल ओब्सलीट हो गई हैं क्या उन पर डॉक्टर्स जो इलाज करना चाहेंगे वह कर पाएंगे।

जो लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेन्स है, जीरो टॉलरेन्स लॉ एण्ड आर्डर का, फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों ? सबसे ज्यादा घटनाएँ उनके ऊपर क्यों घटित हो रही है ? देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों ? आप कहते हैं कि महिलाओं, बहन, बेटियों

के साथ उनके राज्य में छेड़खानी, रेप नहीं होता। दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं। बी0एच0यू0 में एक बहन के साथ क्या हुआ ? कोई आज के समय में कल्पना नहीं कर सकता कि एक बेटी/बहन के साथ क्या हुआ जो लोग पकड़े गये हैं वह तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी की आई0टी0 सेल के मेम्बर है...

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम के शब्द बोले गए)

और अध्यक्ष महोदय, कोई आसानी से मुख्य मंत्री जी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता तीनों की फोटो हमारे नेता सदन के साथ हैं। प्रशासन, सरकार को पता था लेकिन सरकार ने क्या किया और मुझे याद है जब कानपुर में एक माँ और बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लगाकर माँ-बेटी जिन्दा जल गईं थीं, पिता और उसका भाई देखते रह गये बचा नहीं पाये। जब वह न्याय माँगने गया तो उसके कपड़े उतार दिए गए। वहाँ के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाये। यह जीरो टॉलरेन्स है इस सरकार का और उस समय डिप्टी सी0एम0 क्या कहते हैं उन्होंने जो ऑन लाइन उससे बात की उसमे कहा कि-'शिवम यह घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दुख है हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है कार्रवाई कर रहे है, जो आरोपी हैं उन पर एफ0आई0आर0 दर्ज हो गई है, 302 की धारा है, हम कड़ी से कड़ी कर्रवाई करेंगे किसी को नहीं बख्शेगें। तुम हमारे परिवार के सदस्य हो हम तुम्हारे साथ है पूरी सरकार तुम्हारे साथ है जो तुम्हारी माँगें हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक काम करेंगे।' अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो माँगे उस परिवार ने की थीं, क्या सरकार ने पूरी कर दीं ? क्या आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई ? क्या आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हुई है जो जीरो टॉलरेन्स की बात कर रहे हैं उनके समय पर जीरो लॉ एण्ड आर्डर है। एक घटना नहीं है घटनायें कितनी भी गिनाई जा सकती हैं जैसे- छेड़खानी से तंग आकर 30 छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल, गैंगरेप पीड़िता की बरेली में हत्या, बदायूँ में कार्रवाई न होने से आहत दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की, मैं कितनी घटनायें बताऊँ- खेत गई किशोरी के हाथ बाँधकर किया दुष्कर्म, स्कूल में नाबालिग से किया गैंगरेप, नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुँची युवती के साथ गैंगरेप, प्रिंसिपल की अश्लील हरकतें सामने आईं तो स्कूल से कटवा लिया नाम, दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान तीसरे दिन शव साथ लेकर भीड़ थाना घेरने गई, सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला की हत्या, युवती को अगवाकर दुष्कर्म किया, छात्रा को बंधक बनाया तमंचे के बल पर रेप, महिला कान्स्टेबल से दरोगा ने किया दुष्कर्म कितनी घटनाएँ मैं बताऊँ आपको और न जाने कितनी घटनायें हैं। और यह सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है। यह सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है। इसी का परिणाम है कि लॉ एण्ड आर्डर में लॉ अलग चल रहा है, आर्डर अलग चल रहा है और जहां भाजपा के नेता शामिल हैं, भाजपा सरकार की महिला नेता ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी को लात-घूसों से पीटा, बीजेपी नेता को महिलाओं ने दौड़ा-दौड़ा कर चप्पलों से पीटा, पुलिस कर्मियों ने भाजपा नेता की लगाई पिटाई, धरने पर बैठे नेता, एस0पी0 ने 4 लोगों को सस्पेण्ड

किया। यह है लॉ एण्ड आर्डर आपका ? सबसे बैटर जो रिस्पॉस सिस्टम था, उस रिस्पाँस सिस्टम को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो इस सरकार ने बर्बाद किया है। पहले नाम बदल करके और अब काम करने के तरीके से। अब तो लोग घबराते हैं कि अगर 100 नम्बर मिलायें और 112 मिला दिया तो वह वसूलने आ जाएंगे। अब मदद नहीं हो रही है, उससे पैसा वसूला जा रहा है। सुनने में तो यहां तक आ रहा है कि जो फोन करके रिस्पॉस सिस्टम पर अपनी शिकायत करता है, उससे भी पुलिस पैसा वसूल ले रही है और उसे पकड़ कर थाने में बैठा दे रहे हैं। यह कहां का जीरो टॉलरेन्स है आपका ? यह जीरो टॉलरेन्स आपका जीरो हो गया है। आज की गोरखपुर की खबर तो आपने पढ़ी होगी कि एक प्रोफेसर पास करने के लिए बातचीत कर रहा है। एक प्रोफेसर गोरखपुर में ? क्या यह बात सही है कि नहीं ? और केवल एक जगह की बात नहीं है जो घटना इलाहाबाद में हुई, बताइये टीचिंग स्टाफ स्टूडेण्ट्स के कपड़े उतारेगा ? और किसलिए ? क्या कोई बड़ी घटना नहीं है वो ? इन इंस्टीट्यूशन्स को आपने क्या कर दिया है ? अगर इंस्टीट्यूशन्स खराब हो जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा ? गड्ढामुक्ति पर करोड़ों खर्च हो गये। हर बजट में हजारों करोड़ रुपये गड्ढामुक्ति पर हैं। पता नहीं गड्ढा मुक्ति पर क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, गड्ढामुक्ति पर हजारों करोड़ रुपये हैं ? और मुझे कभी-कभी लगता है कि कानपुर में सबसे ज्यादा गड्ढे होंगे। इस सरकार ने कितने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर को फोर लेन से जोड़ दिया है ? अगर एक भी डिस्ट्रिक्ट फोर लेन से जोड़ा हो तो सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, हर दिन जानवर से जान जा रही है। कहीं गाड़ी टकरा जाती है या खेत में किसान काम कर रहा होता है तो उसे मार देता है, बाजार में घूम रहे हैं। हर दिन एक न एक व्यक्ति की जान जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी एक सूची आपको दी थी, लेकिन किसी की मदद नहीं हुई। मैं फिर सूची दूँगा और अब तो और जानवर भी मार रहे हैं, केवल एक जानवर नहीं। सरकार का सबसे प्रिय जानवर है, वह जान ले रहा है। न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। अब तो जंगली जानवर शेर, हाथी, टाइगर, गुलदार यह लोगों को मार रहे हैं। आखिरकार यह सरकार कर क्या रही है ? अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी सूची है, मैं क्या पढ़ूं, लेकिन मैं आपको टेबिल कर रहा हूँ। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उन सुझावों को भी मुझे दे दें जो सुझाव उनकी जानकारी में हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ बजट पर बोल दीजिये।

श्री अखिलेश यादव-

मैं बजट पर जरूर बोलूंगा। एक जो सरकार हमेशा बताती है, अध्यक्ष महोदय, आप सहमत होंगे कि पूरे भारत में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। हमारा नौजवान बेरोजगारी के कारण हताश और लाचार हो गया है। एक तो उसे रोजगार नहीं

मिल रहा है और अगर मिल भी रहा है तो उसकी शिक्षा के स्तर के अनुरूप उसे काम नहीं मिल रहा है, उसको सम्मानजनक रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। डिलेवरी ब्वॉय बन जाना कोई नौकरी है, कोई रोजगार है उसका, सरकार हमेशा अन इम्प्लायमेंट रेट और इम्प्लायमेंट रेट में हमें उलझाकर रखती है कि अनइम्प्लायमेंट रेट क्या है और इम्प्लायमेंट रेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

आप उलझो नहीं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि जब नेता सदन ये बात कहें तो हम सब माननीय सदस्यों को कम-से-कम ये बतायें कि अनइम्प्लायमेंट रेट क्या है और इम्प्लायमेंट रेट क्या है और सरकार ये आंकड़ा क्यों पेश करती है, जिससे सरकार बचना चाहती है। 90 परसेंट से ज्यादा पढ़ने-लिखने वाला नौजवान यहां पर बेरोजगार है। सरकार कहती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट इनकी एक सबसे बड़ी योजना है।

श्री अध्यक्ष-

बजट में ले लीजियेगा उसको।

श्री अखिलेश यादव-

जिसका ये उदाहरण देते हैं कि सरकार को एक्सपोर्ट में न जाने कितना लाभ हुआ है, लेकिन सरकार यह कभी नहीं बताती है कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडेक्ट में, वन डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडेक्ट में आखिरकार आपने बजट क्या दिया है ?

श्री अध्यक्ष-

बजट पर वह अभी बतायेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहली बार नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने हर बार पूछा है कि बजट क्या दिया है ? सरकार बताये कि इत्र के लिए क्या दिया है ? वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडेक्ट के लिए आपने क्या बजट दिया है। ये सहारनपुर की लकड़ी की कारीगरी के लिए और वहां के होजरी के कार्य से जो लाखों-लाख लोग जुड़े हैं और केवल एक जिला नहीं अगर हम बिजनौर को देखें चाहे वह हमारे कंघी बनाने वाले लोग हों, पीतल का एक्सपोर्ट भी होता है सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडेक्ट या दो प्रोडेक्ट आईडेंटीफाई किये हैं। सरकार बताये कि जिसकी वजह से ये लाभ हो रहा है उस प्रोडेक्ट के लिए आपने ये बजट रखा है और फिर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये जी0एस0टी0 वाले छापा क्यों मार रहे हैं, क्या आपने जान-बूझ करके उन्हें भेजा है कि छापा मारिये, जिससे कारोबार और बन्द हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष। मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे बजट पर बोल दीजियेगा, कहा था कि एक घण्टे बाद मुझे याद दिला देना।

श्री अखिलेश यादव-

सरकार ट्रैफिक को ले करके बहुत चिंतित रहती है। कोई शहर नहीं बचा है, जिस शहर में जाम नहीं लगता हो। सरकार बताये कि इन शहरों को जाम से बचाने के लिए क्या है ? हलांकि अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कहना मानूंगा केवल महंगाई पर बोल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

श्री अखिलेश यादव-

हालांकि बिन्दु और भी हैं, मेरा इस बार सब पर टैग है। यह सरकार महंगाई को रोकने के लिए क्या कर रही है ? किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, नौजवानों को नौकरी, रोजगार मिला नहीं, आखिरकार सरकार महंगाई के लिए क्या कर रही है, सरकार इसको नियंत्रित करने का कोई प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही है ? उत्तर प्रदेश की वन-ट्रिलियन डालर इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, आपकी सरकार में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है कि घटी है और सरकार यह बताये कि 2017 से अभी तक हमारे खाने-पीने के सामान, चावल के दाम कितने परसेंट बढ़ गये है ? गेहूँ का दाम किसान को मिले तो ठीक है, लेकिन मुनाफा कोई और ले तो उसमें दाम कितना बढ़ा है, अरहर की दाल की कीमत 2017 से कम हुई है कि बढ़ गयी है। सरसों का तेल और ब्राण्डेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अगर आप ब्राण्डेड की ही बात कर लें तो बताओ 2017 में क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है ?

मान्यवर, प्याज का दाम, दूध का दाम और हर सब्जी, आप जो सब्जियाँ उठा लो, यह सरकार लहसुन से लेकर किसी का दाम बताये। यह तो सब्जियाँ, अनाज और सब चीजें हो गईं। यह सरकार बताये जो नमक की कसम दिला रही थी, 2017 में नमक की कीमत क्या थी और आज दाम क्या है, ये सरकार बताये। स्वास्थ्य सेवायें तो चौपट हैं ही, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, शिक्षा का स्तर गिरा है, इन्वेस्टमेंट मीट का सपना दिखाया, बड़ा दिखाया। ऊर्जा के क्षेत्र में जिस स्तर पर काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। यह सरकार वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सपना दिखा रही है, बिना पी0डी0ए0 के हक और सम्मान के यह सपना पूरा नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी माननीय विपक्ष के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इनमें उनके भी सुझावों को शामिल कर लिया जायेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण में जो सरकार के सम्बन्धित विषय थे, वह आ गये हैं। स्वाभाविक रूप से नेता सदन का पूरा अधिकार है कि वह हर बात का जवाब दें। लेकिन इन्होंने इंगित करके उप मुख्य मंत्री जी के विषय में कुछ बातें कही थीं। मैं उप मुख्य मंत्री, श्री ब्रजेश पाठक जी से कहूँगा कि उसका जवाब दे दें।

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

उनका नाम लिया था, नाम लेकर बोला था। उन्होंने बोला कि कानपुर में उप मुख्य मंत्री जी ने फोन पर यह बात कही।

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

अध्यक्ष जी, धन्यवाद। हम बहुत देर से नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुन रहे थे। महामहिम राज्यपाल महोदया, संवैधानिक दृष्टि से हम सब की अभिभावक होती हैं। सदन में जब वह आईं, प्रतिपक्ष ने जो आचरण किया, वह पूरी दुनिया ने टेलीविजन के माध्यम से देखा और जिस ढंग से आचरण हुआ है, उसकी मैं निन्दा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन अपनी बात रखेंगे, लेकिन कुछ बातें मैं नेता प्रतिपक्ष के लिए कहना चाहता हूँ, 'सब उसके झूठ को समझते हैं, वह ऐसा ढोंग रचता है, शर्मसारी का'। मान्यवर, अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बने, इस बात की चर्चा पूरे देश, दुनिया में लम्बे समय से हो रही थी। 500 वर्षो के संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर का दुनिया के सामने 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोकार्पित करने का काम किया।

मान्यवर, 22 जनवरी को उस समय हम लोगों को अच्छी तरह याद है, जब हम लोगों ने वहाँ रह करके महसूस किया, पूरी दुनिया में ढोल-नगाड़े बज रहे थे, हर मंदिर में आरती उतारी जा रही थी। घर-घर में हमारी मातायें, बहनें दीपक जला करके हर्षोल्लास व्यक्त कर रही थीं और सामने कुछ हमारे भाई-साथी बैठे हैं। इनके घरों की पत्नियाँ भी आटे का दीपक बना करके प्रभु रामलला की आरती उतार रही थीं। आप जा करके इनके घर में भाभियों से पूछिये, चाचियों से पूछिये, लेकिन हमें दुःख है कि समाजवादी पार्टी के साथियों ने जिस ढंग से अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर बनने के उपरान्त असहयोग ही नहीं किया, उस पर दुःख प्रकट किया और केवल वोट के कारण किया है। यह पूरी सृष्टि जानती है कि जब अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन करके लोकार्पित हुआ, नर, नारी, गंधर्व और यहाँ तक देवता तक हर्षोल्लास के साथ फूलों की वर्षा कर रहे थे।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मा0 प्रधानमंत्री जी की केन्द्र की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर

प्रदेश में हर गरीब को पक्का मकान मिला है। पहले भी चर्चा होती थी, केन्द्र की प्रधानमंत्री आवास योजना थी लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस प्रकार का रुख अपनाया कि लोग पलायन करके चले गये, लेकिन एक गरीब को पक्का मकान तक नहीं दिया। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब को पक्का मकान हमारी सरकार ने देने का काम किया है। बिजली की चर्चा होती है। बिजली के बारे में सब लोग जानते हैं, वर्ष 2017 से पहले एक सप्ताह दिन में एक सप्ताह रात में बिजली आती थी, साप्ताहिक रोस्टर होता था। हमारी सरकार ने 75 के 75 जनपदों को बराबर बिजली देने का काम किया है। तहसील में 22 घण्टे, गाँवों को बराबर बिजली देने का काम किया है। आज हमारे सामने कोई वी0आई0पी0 जिला नहीं है। जब इनकी सरकार थी तो वी0आई0पी0 जिले होते थे, एक रामपुर वाले खान साहब का जिला होता था और एक इनका अपना जिला होता था, बाकी जिलों को बिजली बिल्कुल न के बराबर देने का काम होता था। पीने के पानी के लिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ट्रेन से पानी आयेगा, यह अखबारों की सुर्खियाँ वर्ष 2017 से पहले बनती थीं। आज कह सकते हैं कि मा0 प्रधानमंत्री जी की दुनिया की सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन हम घर-घर नल से जल देने जा रहे हैं और तेजी के साथ हमारी योजना प्रगति हो करके धरातल पर उतरने जा रही है। गाँव-गाँव में शुद्ध जल मिले, पीने लायक पानी मिले, हम गुणवत्ता की जाँच के लिए बहनों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम किया है। स्वयं सहायता समूह पानी की गुणवत्ता को चेक करेगा। जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किट प्रदान की है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर की ट्रेनिंग देने का काम किया है। जिससे गाँव में उनको रोजगार मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन वर्ष 2017 के बाद से हुआ है। बेसिक शिक्षा में छोटे-छोटे नवनिहाल बच्चे थे, वह मान्टेसरी प्राइवेट स्कूलों को देखते थे, हमने उनको निःशुल्क ड्रेस, जूता, मोजा, पाठ्य पुस्तकें प्रदान की हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्कूल खण्डहर बना करके रख दिये थे, उसमें भूसा भरने का काम होता था, उसको चारागाह बना दिया था।

(इसी मध्य 03 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए)

हमारी सरकार ने कायाकल्प योजना के माध्यम से 95 प्रतिशत से अधिक स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया है। आज ड्राप आउट हो करके बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1 करोड़ 12 लाख बच्चे बचे थे। आज बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 1 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चे क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज की चर्चा की है। वन डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वकांक्षी योजना है। हमारी सरकार उसको धरातल पर उतारने का काम कर रही है। मा0 योगी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है। हम हर मेडिकल कॉलेज के साथ, नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। अगर हमने वन

डिस्ट्रिक वन मेडिकल कॉलेज बनाया है तो इनकी सरकार में वन डिस्ट्रिक वन माफिया बनाने का काम किया था। पूरे प्रदेश के हर जिले में माफियाओं का बोल-बाला था। आज हम कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो स्थिति है, एम0बी0बी0एस0 के सीटों की हमने दुगुनी संख्या की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों में दुगुनी संख्या की है, इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज के लिए तय किया है कि गुणवत्तापरक् शिक्षा प्रदान करेंगे। हमने क्वालिटी कन्ट्रोल ऑफ इण्डिया से समझौता किया है। क्वालिटी कन्ट्रोल ऑफ इण्डिया ने ए0बी0सी0डी0 की ग्रेडिंग की है, ग्रेडिंग के बाद बच्चे जिस विद्यालय में चाहें पढ़ सकते हैं। हम लोगों को उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, इण्टर कॉलेज में जा करके उनसे बात करते हैं कि आपको नर्सिंग के क्षेत्र में आना है या पैरामेडिकल के क्षेत्र में आना है और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों को जोड़ने में कामयाब हैं। मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, स्वच्छता मिशन के तहत आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के हर नागरिक के पास अपना शौचालय है जिससे उसका दोपहर में यदि कहीं पेट खराब हो जाये, माता, बहन के सामने क्या दिक्कत होती थी, बुजुर्गों को क्या दिक्कत होती थी, हमारी माताओं, बहनों को सड़क के किनारे गाड़ी की हेडलाइट में शर्मसार होना पड़ता था, उसको बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हर गरीब को शौचालय देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसान सम्मान निधि के बारे में कौन सोचता था, किसान की पेंशन की कौन सोचता था, किसान की आय दोगुनी हो, उसके जीवन स्तर में बढ़ोत्तरी हम कर पायें इसके लिए किसान को किसान सम्मान निधि दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। बिजली के बारे में चर्चा मैं फिर करना चाहूंगा, ढेर सारे गांव थे, हर जिले में गांव थे जहां छोटे मजरों में बिजली नहीं पहुंच पायी थी। सौभाग्य योजना के तहत् हमने कनेक्शन दे करके हर गरीब के घर में बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं की तरह एलईडी के बल्ब से उनके घरों को रोशन करने का काम किया है।

सड़कों की चर्चा कर रहे थे, लेकिन चले गये, 75 के 75 जिलों को हमने फोर-वे लेन से जोड़ने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि 1 लाख 72 हजार से अधिक पक्की सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर्वाधिक एक्सप्रेस-वे वाला अगर कोई स्टेट है तो वह उत्तर प्रदेश है। 6 एक्सप्रेस-वे के साथ हमारा उत्तर प्रदेश देश में नम्बर-1 पर है। कानून-व्यवस्था की चर्चा करूंगा, कानून-व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं खुलेआम लूट, डकैती, हत्या, सरकारी संसाधनों की लूट होती थी। आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार में एक भी सक्रिय माफिया नहीं है, संगठित माफिया गिरोह को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं, उनमें भी हमने कड़ी कार्यवाही की है, किसी को बख्शा नहीं है, अपना पराया नहीं देखा है, छोटा-बड़ा नहीं देखा है, गरीब-अमीर नहीं देखा है, अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया है तो हमने कानून के तहत् कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को हमारी योगी जी की सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया है।

सरकारी नौकरी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमने निष्पक्षता के साथ, उनकी मेधा की बदौलत, उनकी मेहनत की बदौलत निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ मिशन रोजगार के तहत् लाखों नौकरियां देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में लोक सेवा आयोग का नाम बदल करके एक जाति विशेष के नाम पर रखने का काम वहां के नौजवानों ने किया था, यह समाजवादी पार्टी के साथी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सरकार ने निष्पक्षता के साथ एक-एक नौजवान को उनकी मेहनत के बल पर नौकरी देने का काम किया है।

(इसी मध्य 03 बजकर 44 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठीसीन हुए)

खिलाड़ियों को, जो हमारे खिलाड़ी ओलम्पिक, एशियन गेम्स में पदक प्राप्त किये हैं उनको हमारी सरकार ने डिप्टी एसपी और तहसीलदार, नायब तहसीलदार जैसे गजटेड पदों पर सीधी नौकरी देने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि केन्द्र सरकार से कौन सा एक्सप्रेस-वे बन रहा है, बहुत दूर नहीं जाना है, लखनऊ-कानपुर एलीवेटेड रोड एक्सप्रेस-वे के रूप में बन रही है पास में जाकर देखने का काम कीजिये, लाखों करोड़ की परियोजनाएं केन्द्र सरकार की उत्तर प्रदेश में चलने का काम कर रही हैं। डिफेंस कॉरिडोर तो आपके बंथरा में बन रहा है, आप जानते हैं कि यहां ऐसी मिसाइलें बनेंगी जो देश के दुश्मनों का सफाया करने का काम करेंगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 उप मुख्य मंत्री जी, कृपया समाप्त करें।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, 5 मिनट और चाहूंगा। अध्यक्ष जी, अखिलेश जी बार-बार पीडीए की चर्चा कर रहे थे, पीडीए के बारे में इनका जो फार्मूला है वह दिखाने के लिए कुछ और है, ये परिवार डेवलपमेंट एथॉरिटी चलाने का काम करते हैं, परिवार डेवलपमेंट एथॉरिटी में केवल परिवार के लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। यह सही है, पीडीए के साथ भेद-भाव तो इन्होंने किया है, 9 टिकट इन्होंने डिक्लियर किये हैं जिसमें से तीन टिकट इनके परिवार के हैं, लेकिन चाचा के साथ अन्याय करने का काम इन्होंने किया है, पीडीए के साथ अगर किसी ने अत्याचार किया है तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है। जब इनकी सरकार थी, जवानी कुर्बान गैंग नहीं दिखायी दे रहा है, नारा लगता था कि जवानी कुर्बान कर देंगे अखिलेश भैय्या तुम्हारे नाम जवानी। मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको पीडीए में हिस्सा दिलाना चाहते हैं लेकिन हमारी सरकार आपकी परिवार डेवलपमेंट एथॉरिटी को एक कदम नहीं चलने देगी, हम निष्पक्षता के साथ पूरे प्रदेश में एक-एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेंगे। मुझे कभी-कभी याद आ जाता है जब इनके शासनकाल का समय हम याद करते हैं, पढ़ते समय हम हिन्दी साहित्य पढ़ते थे, उसमें कभी-कभी अलंकार आते थे तो मैंने उसमें पढ़ा था। कनक-कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाये बौराय, या पाये बौराय।

दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ, कभी-कभी इनकी सरकार की हालत यह होती थी, आज कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया तीसरे दिन उसकी शपथ हो गयी। मैं खनन घोटाले की याद दिला रहा हूँ, उस समय के मंत्री गायत्री प्रजापति ने राज्य मंत्री से इस्तीफा दिया और तीसरे दिन ही उनकी शपथ कैबिनेट मंत्री की हुई। तो मुझे कभी-कभी सूरदास जी की बात याद आ जाती है,

'मैया मोरी चन्द्र खिलौना लैहों'

तो ऐसी सरकार चलाने का काम समाजवादी पार्टी के साथियों ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से धरातल पर एक-एक गरीब को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाब हुई है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर जो नीरज बोरा जी ने धन्यवाद प्रस्तुत किया है, हम सब आपसे आग्रह करते हैं कि उसको सर्वसम्मति से पास करके महामहिम राज्यपाल महोदया जी को भेजने का काम करें।

श्री आशीष पटेल-

मा0 अध्यक्ष जी पिछड़ों के पी0डी0ए0 की बार-बार बात हो रही थी, हम तीनों लोग पी0डी0ए0 की परिभाषा बताना चाहते हैं, मेरी तरफ से पी0 का मतलब है पिछड़ों को आपसे, आप बताएं अध्यक्ष जी ?

श्री संजय निषाद-

सबको बताने में डर लगता है इनको, आप पर विश्वास नहीं है।

(मुख्य मंत्री जी के खड़े होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जय श्री राम के नारे लगाए और मेज थपथपाई।)

***मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-**

मा0 अध्यक्ष जी मैं आभारी हूँ आपका कि महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा 2 फरवरी को समवेत् सदन में दिये गए भाषण पर इस सदन के सम्मानित सदस्य डॉ0 नीरज बोरा जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और जिसका अनुमोदन श्रीमती सरिता भदौरिया जी ने किया था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के 100 से अधिक मा0 सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लेने का कार्य किया है। मैं इस पूरी चर्चा में भाग लेने वाले सभी मा0 सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा प्रस्तुत इस अभिभाषण के प्रति, उनके प्रति सादर आभार भी व्यक्त करता हूँ। महोदय नेता प्रतिपक्ष के पूरे भाषण के दौरान मैं सदन में मौजूद था, लेकिन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे आश्चर्य हो रहा था कि अब बोलेंगे तब बोलेंगे वह इस सदी की सबसे बड़ी घटना की ओर भी ध्यान आकर्षित करेंगे। लेकिन वह केवल ध्यान ही भटकाते रहे और जैसा कि अब तक होता रहा है, अब तक की परिपाटी उनकी रही है, यह तथ्यों व तर्कों से नहीं बल्कि अपनी जबरन बातों को दूसरों के मुंह पर थोपने का जो प्रयास इनके द्वारा अतीत में किया जाता रहा है, उसी प्रकार की बातें उन्होंने भाषण के दौरान भी कही हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने एक बात कही थी बहुत पहले, आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ऐसे ऋषि हुए भारत के, जिन्होंने भारत की ज्ञान की पूरी परम्परा को, भारत की धरोहर को विस्तार दे करके सहिंतावद करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का कार्य किया है।

महोदय, इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी जयन्ती को हम गुरू पूर्णिमा के रूप में, सनातन हिन्दू धर्म के गुरू के रूप में उनको मान्यता देते हैं। हमारे यहाँ कथा परम्पराओं में जो पवित्र पीठ होता है, वह व्यास पीठ इन्हीं श्रद्धेय ऋषि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए होता है। उन्होंने एक बात कही थी। महाभारत काल के आठ पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा और उसका संरक्षण किया और उस समय के व्यवस्था को उभरते हुए उस राजवंश को भी देखा और महाभारत युद्ध के वे साक्षी भी बने। उन्होंने एक बात कही कि-'ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे। धर्म्मादर्थश्च कामश्च स धर्म्मः किन्न सेव्यते'।

महोदय, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में एक बात कही थी, उनकी व्यथा थी। उन्होंने कहा कि मैं बाहें उठाकर लोगों को समझा रहा हूँ कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

इसलिए क्यों नहीं धर्म के मार्ग पर चलते हो। पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। ये केवल महर्षि वेदव्यास की पीड़ा नहीं थी। वर्ष 2014 के पहले पूरे देश की और वर्ष 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश की भी यही पीड़ा थी...

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

महोदय, वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने चार-चार बार प्रदेश में शासन किया, एक लम्बे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वह उत्तर प्रदेश को कहां लेकर गये ? उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। एक पहचान का संकट आया था कि यहाँ का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था। पहचान छिपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था, तो हेय दृष्टि से देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, तो उसको नौकरी नहीं मिलती थी। यहाँ तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है, तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराये पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे.....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शेम-शेम बोले)

यह उत्तर प्रदेश की स्थिति वर्ष 2017 के पहले बना दी गयी थी।

महोदय, इस स्थिति के जिम्मेदार कौन हैं ? आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी, 2024 की घटना को भी देखा है। पूरा देश अभिभूत था। पूरी दुनिया के अन्दर हर वह व्यक्ति, जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित महसूस कर रहा था। हर सनातन धर्मावलम्बी की आँखों में हर्ष के, गौरव के आंसू थे और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बन करके अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जय श्री राम का उद्घोष किया)

यह मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं प्रत्यक्ष रूप से था। वहाँ के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था, नेतृत्व वर्ग था।

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति थी। पूज्य सन्तों की, आचार्यों की और समाज के हर तबके की वहां पर उपस्थिति थी। ऊर्जा से भरपूर अद्भुत वातावरण था। जिस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देखकर उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, जहां कोई आना नहीं चाहता था। आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उस उत्तर प्रदेश में आने के लिए तैयार बैठा है। यह घटनायें कैसे परिवर्तित करती हैं और इसीलिए जिस दिन दलीय नेताओं की बैठक थी, उस पहले दिन इस सदन में जब मैं मिला, तो हर सदस्य के चेहरे पर एक आत्मसंतोष का भाव था। पार्टियों के अपने भेद हो सकते हैं, लेकिन मन में एक संतोष था कि अयोध्या में जो हुआ है, अच्छा हुआ है। हर व्यक्ति के मन में एक भाव था कि हम सबको अयोध्या चलना चाहिए। यह अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण था। हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था। गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि लगभग 500 वर्षों के एक लम्बे अन्तराल तक चले लम्बे संघर्ष, लम्बी कवायद, लम्बा वाद-विवाद, सर्वानुमति के साथ समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जन-भावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मन्दिर के निर्माण का मार्ग न केवल प्रशस्त हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए हैं और सबकी उपस्थिति रही। दुनिया के अन्दर यह पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षो के एक लम्बे अन्तराल को सनातन हिन्दू धर्मावलम्बियों ने व्यतीत किया, यह धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, पूरी दुनिया के अन्दर देखा गया। हम जहां कहीं भी देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी, यह अद्भुत क्षण था। हमने अन्तःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी

कि प्रभु विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है, लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मन्दिर वहीं बनाया। हमने जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई है। हम केवल बोलते ही नहीं हैं, बल्कि करते भी हैं। आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देखकर हर व्यक्ति अभिभूत है। यह कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं कि मन्दिर का विवाद मा0 न्यायालय में था, लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था। अयोध्यावासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी। वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधायें दी जा सकती थीं। वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था।

माननीय अध्यक्ष जी, विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था। कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा, वृन्दावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो, यह तो मुद्दा नीयत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साथ थी और नीयत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोग अयोध्या भी गये, प्रदेश के हर जनपद में गये। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूँ तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूँ। अयोध्या को इसलिए अभिशप्त कर दिया गया था कि वोट बैक कट जाएगा। नोएडा और बिजनौर लोग इसलिए नहीं जाते थे कि वहां जाने पर कुर्सी से उतर जाएंगे। हमने कहा कि इन चारों जगह तो जरूर जाएंगे। अयोध्या इसलिए जाएंगे क्योंकि वह हमारे आस्था का स्थल है। लेकिन यह मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया। आज वह एक नित्य नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या को उसकी एक पहचान दिलाई गई। अयोध्या भी हम लोग गये कोई संकोच नहीं किया, लोग बोलते थे, विवाद एक स्थल विशेष का होगा। मा0 न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां के जनता को वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से। हम लोग गये, नोएडा और बिजनौर के बारे में मुझे बताया गया कि मुख्य मंत्री जी नहीं जाते हैं मैंने कहा क्यों, कहा कि मुख्य मंत्री उतर जाते हैं, तो मैंने कहा कि जो कल होना है वह आज हो जाए यह अच्छा है, लेकिन मैं जरूर जाऊँगा। मैं दोनों जगह गया। जब व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है, तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी। वह भले जाये लेकिन जाऊँगा जरूर क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है मैं जरूर जाऊँगा। लेकिन हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन अयोध्या नगरी को प्रतिबन्धों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर रखा गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मंशा के लिए अभिशप्त थी। एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक

आस्था और जन-भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ सम्भवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ और जब मैं अन्याय की बात करता हूँ तो हमें पांच हजार वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है कि उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गये थे कौरवों के पास उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था कि बस दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असि न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका आसीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्रीकृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बाँधने चला। जो था असाध्य, साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ और यही हुआ काशी के साथ और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय पाँच गाँव माँगे थे। हमने यही तो कहा कि भगवान कृष्ण जब समझौता कराने के लिये गये थे और महाभारत का युद्ध टालने के लिये गये थे तो उस समय उन्होंने पहले ही कहा कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल पाँच ग्राम, लेकिन यहाँ तो यह समाज, यहाँ की आस्था सैकड़ों वर्षों से केवल तीन के लिये बात कर रही है...

(सत्ता-पक्ष की ओर से जय श्रीराम का उद्घोष)

और तीन के लिये भी इसलिये, क्योंकि यह विशिष्ट स्थल हैं। वह सामान्य स्थल नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के अवतरण की धरती हैं। वह सामान्य नहीं हैं। वह असामान्य हैं यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है और उस जिद में जब राजनीतिक तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है तो फिर वहीं से विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है।

भारत के अन्दर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाये, यह पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है। स्वतंत्र भारत में यह काम पहले होना चाहिये था, 1947 में प्रारम्भ होना चाहिये था और उस आस्था के लिये बार-बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल तीन जगहें माँगी हैं। अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि हम काहे इन्तजार करें। उन्होंने भी इन्तजार किये बगैर रात्रि में बैरीकेड तुड़वा डाले और हमारे कृष्ण-कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। विदेशी आक्रान्ताओं ने इस देश के अन्दर केवल धन-दौलत ही नहीं लूटी थी, बल्कि इस देश की आस्था को रौंदने का भी काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने वोट बैंक के लिये आजादी के बाद उन विदेशी आक्रान्ताओं को महिमामण्डित करने के कुत्सित प्रयास हुये। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, सम्भवतः मैं उनका नाम जान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सम्भवतः कोई सुबुही खान हैं, मैं उनका एक वक्तव्य सुन रहा था। वह बहुत अच्छा वक्तव्य था। उन्होंने कहा कि देखिये, हम सब सनातन धर्मावलम्बी हैं। हाँ, मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है और मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं....

(सत्ता पक्ष की ओर से जय श्रीराम का उद्घोष)

तो बोलने में संकोच क्या है, लेकिन यहाँ तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। हम उन्हीं आक्रान्ताओं का महिमामण्डन कर रहे हैं जो भारत की लोक आस्था पर प्रहार करते थे, जन-विश्वास को रौंदने का काम करते थे। भारत के महापुरूषों, भारत के वीर सेनानियों, भारत के आराध्य देवों को अपमानित करते थे। जिनके खिलाफ हमारे वीर सेनानी लड़े थे, महापुरुष लड़े थे, आज उन महापुरुषों को सम्मानित करने के बजाय हम उन आक्रान्ताओं का महिमामण्डन करें, यह देश अब इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह कतई स्वीकार्य नहीं होगा और तब भी दुर्योधन ने कहा था। मान्यवर, तब भी दुर्योधन ने कहा था ''सूच्यग्रं नैव दास्यामि युद्धेन विना हे केशव'' यानी कि कृष्ण युद्ध के बगैर सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूँगा। महाभारत का युद्ध तो होना था, और क्या हुआ यह सबको पता है, कौरव वंश ही स्वाहा हो गया, समाप्त।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाक्षागृह भी आ गया बोलने पर)

हाँ, लाक्षागृह का तो अपना इतिहास है। पाण्डवों को संरक्षण देने वाला लाक्षागृह है। वहां के सारे प्रमाण इस बात को प्रदर्शित करते हैं और न्यायालय के इस फैसले का सम्मान होना चाहिए। आज सदियों की प्रतीक्षा अयोध्या में दूर हुई है। आज अयोध्या में इण्टरनेशनल एयरपोर्ट है। 14 से 15 फ्लाइट अयोध्या से देश के अन्दर अलग-अलग स्थानों पर जा रही हैं। यह अयोध्या में प्रारम्भ हुआ है। जिस अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे आज अयोध्या इण्टरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के 4 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और हम 10 को और क्रियाशील करने जा रहे हैं। अयोध्या में माता शबरी के नाम पर रसोईघर भी प्रारम्भ हो गया है। क्या माता शबरी के अनुयायी पी0डी0ए0 के हिस्से हैं या नहीं हैं ? रैनबसेरा भी अयोध्या में बन गया है और यह निषादराज के नाम पर बनाया गया है। क्या निषादराज के अनुयायी पी0डी0ए0 के पार्ट हैं या नहीं हैं ? प्राचीन कुण्डों का पुनरुद्धार हो रहा है। भरत कुण्ड राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है ? यहां पर डिप्टी सी0एम0 ने कहा कि पी0डी0ए0 का मतलब है परिवार डवलपमेंट अथॉरिटी। उनके पी0डी0ए0 में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं हैं। वह बेचारे ऐसे ही ठगे जाते हैं। कब तक यह अन्याय होगा ? एक बार महाभारत पढ़िए, परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, लेकिन चच्चू का नाम क्यों नहीं था ? उनका भी नाम लेते, वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने चच्चू को ही भुला दिया। यानि कि इस प्रकार से विस्मृत कर दिया।

श्री अखिलेश यादव-

साइड लाइन में थे, कैमरे के फोकस में ही नहीं थे, रेड कारपेट पर नहीं चल पाये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

इसीलिए हम कह रहे हैं न कि चच्चू को ही भूल गए और बेचारे बच्चू देखते रह जाते हैं कि एक बार फिर ठगे गये। अगर प्रभु राम को यह लोग मानते तो चच्चू के साथ अन्याय नहीं करते। रामायण से सीखते या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइये। आपके कभी-कभी बयान आते रहते हैं, और आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, कैमरे में क्यों नहीं थे कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे ? साइड लाइन क्यों थे ? उसको भी आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विपक्ष जब आप बोल रहे थे तब बीच में कोई नहीं बोल रहा था, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भी न बोलें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

महोदय, आज अयोध्या की पौराणिकता के साथ-साथ वैदिक रामायण सिटी के रूप में तो अयोध्या का विकास हो ही रहा है, लेकिन भौतिक विकास की एक भव्य और दिव्य अयोध्या हम सबको मिल रही है। 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट वर्तमान में अयोध्या में और अयोध्या से जुड़े हुए अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर या तो खर्च हो चुके हैं या हो रहे हैं। इसमें ध्रुव पथ, श्रीराम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ इन सबका निर्माण कार्य हो चुका है। आज आप जायें। सिंगल लेन की जो सड़कें थीं अब वो फोर लेन की हो गयीं हैं। वहां पर गुप्तार घाट, राम घाट, नया घाट एक नये स्वरूप में आ गया है। गुप्तार घाट आज कोई जाकर देखे कितना दिव्य स्थल बन चुका है। राम जी की पौड़ी 2017 के पहले वहां पानी सड़ता था। आज हरिद्वार की हरि जी की पौड़ी की तरह दर्शन देखना हो तो अयोध्या जी में राम जी की पौड़ी में है। जहां दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है। वहां उत्सव भी देखने को मिलता है। भरत कुण्ड, सूरज कुण्ड, ब्रह्म कुण्ड ये सभी कुछ आज अयोध्या में है। मल्टी लेवल पार्किंग एक नहीं 6-6 मल्टी लेवल पार्किंग वहां काम कर रही हैं। रैनबसेरे बन रहे हैं। नई अयोध्या को बसाने के लिए टाउनशिप की नई स्कीम वहां आ रही है। हर राज्य को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पन्थ और सम्प्रदाय को अपने-अपने सम्प्रदाय से सम्बन्धित धर्मशाला निर्माण के लिए भी जमीन आवंटन की कार्यवाही अयोध्या धाम में हो रही है। एक नई अयोध्या का दर्शन अयोध्या में। 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या ऐसी लग रही थी जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि 'पुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी' अवधपुरी ऐसी चमक रही थी। अवधपुरी पूरी तरह शोभायमान थी।

महोदय, अयोध्या में मात्र एक मन्दिर नहीं था। वहां भारत के राष्ट्र मन्दिर की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। भारत के गौरव की प्राण-प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सम्पन्न

हुआ है। भारत की लोक आस्था का सम्मान हुआ है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भारत की सनातन आस्था गौरवान्वित भारत का जन विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ है। लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। भारत की सनातन आस्था गौरवान्वित हुई है। सचमुच, उन सभी पूर्वजों के प्रति तर्पण अर्पण करने का भी एक अवसर था। जिन्होंने अपने आपको इस पूरे आन्दोलन के प्रति होम किया था। 3 लाख से अधिक हिन्दू अयोध्या के अन्दर शहीद हुआ था। यह लड़ाई सन्तों के स्तर पर, राजाओं के स्तर पर, वीरो-वीरांगनाओं के स्तर पर, निहंगों के स्तर पर हर स्तर पर यह लड़ाई लड़ी गयी। 1984 के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व में पूज्य संतों और विश्व हिन्दू परिषद् के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गयी। उसकी परिणति के अन्त में 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक सर्वांग फैसले के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया और आज भव्य मन्दिर का निर्माण वहां पर इस रूप में हम सबको देखने को मिला है। 500 वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद वर्तमान पीढ़ी सौभाग्यशाली है, जो अवधपुरी में प्रभु के भव्य, दिव्य, नव्य मन्दिर के निर्माण कार्य का साक्षी बनी है।

महोदय, 16 दिन में 36 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया है। व्यवस्था ऐसी कि कोई पूरब से कोई पश्चिम से आ रहा है। कल अरूणांचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, वहां का पूरा कैबिनेट, वहां की पूरी विधान सभा अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए आई थी। कल नेपाल के माननीय सांसदगण गये थे। आज फिजी और कल सुरीनाम के राष्ट्र प्रमुख वहां जा रहे हैं। अन्य तमाम बड़े-बड़े डेलिगेशन अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज जो भी अयोध्यापुरी में आ रहा है। बरबस उनके मुंह से तुलसी दास जी की पंक्तियां निकल पड़ी हैं कि-'अवधपुरी अति रुचिर बनाई' अब हर व्यक्ति इस बात को कहने के लिए मजबूर है। हमारे विपक्ष के मित्रों ने अयोध्या में क्या कर दिया था। उन्होंने अयोध्या को किस रूप में बना दिया था। अयोध्या की गलियों में गोली की तड़तड़ाहत होती थी। परिक्रमा प्रतिबन्धित होती थी और कर्फ्यू लगता था। अयोध्या आने के लिए देश में राम नामी गमछा अगर किसी ने पहन रखा है तो उसको गिरफ्तार करके बन्द कर दिया जाता था, यही देश ने देखा था। वर्ष 1990 से लेकर लगातार एक लम्बी लड़ाई उच्च स्तर पर लड़ी गयी और आज उसका परिणाम हम सभी के सामने है। हम आज इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि भव्य, दिव्य, नव्य अयोध्या जिस रूप में अब आयी है यह हर भारतवासी को तो अपनी और आकर्षित करेगी ही और सनातन धर्मावलम्बी को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगी। देश में टूरिस्ट डेस्टीनेशन का दुनिया का सबसे बड़ा केन्द्र और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर होगा और अयोध्यापुरी को उस रूप में विकसित करने की एक नयी तैयारी सरकार के द्वारा प्रारम्भ की गयी है। उस ओर महामहिम राज्यपाल जी ने ध्यान आकर्षित भी किया है। हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि अब अयोध्या में कोई परिक्रमा पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। क्योंकि पंचकोसी, चौदहकोसी और चौरासीकोसी परिक्रमा को हम बहुत भव्य रूप देने जा रहे हैं।

महोदय अब वहां पर कोई कर्फ्यू नहीं लगायेगा अब तो वहां पर मंगल भवन अमंगल हारी के कीर्तन की गूंज अयोध्या की गलियों में सुनाई देगी, अब अयोध्या जिसका नाम अयोध्या था वह सचमुच अयोध्या के रूप में जानी जायेगी। क्योंकि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको युद्ध की भूमि में बदल दिया था, लेकिन अब अयोध्या में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम आश्चर्यचकित थे जब यहां पर मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री जी ने अयोध्या से सम्बन्धित 500 वर्षों की इस प्रतीक्षा से सम्बन्धित संकल्प को इस सदन में रखा था तो संकल्प पर भी कुछ सदस्यों ने अपना विरोध व्यक्त करने का प्रयास किया था। महोदय, पूरा देश अहलादित हो तब कुछ सदस्यों द्वारा इस प्रकार का कृत्य जन-भावनाओं के विपरीत है, जन-भावनाओं के साथ खिलावाड़ है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि जन-भावनाएं तो यही कहती हैं कि 'जाके प्रिय न राम बैदेही। तजिये ताहि कोटी वैरी सम, जदपि प्रेम सनेही', तब कर्फ्यू का सन्नाटा था और आज अयोध्या मंगल भवन अमंगल हारी की ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। तबकी सरकार ने अयोध्या की उपेक्षा की थी और आज हम से पूरा भारत नयी अपेक्षा रखता है और उस नयी अपेक्षा के साथ आज अयोध्या में आप सभी को भी प्रभु के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करती है। सभी को पूरे सदन को माननीय सदन को प्रभु तो सबके हैं वह तो भक्त वत्सलय हैं, सबके हैं और हम सभी को वहां जाना चाहिए वहां पर तो देश पूरा आ रहा है, पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है।

राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण की शुरुआत यहां से की, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पर नहीं बोला। आज भी उनको वोट की चिंता है। यानि राज्य की चिंता नहीं है वोट की ही चिंता है। इनको प्रदेश और देश के गौरव की चिंता नहीं है, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। यह वोट बैंक की चिंता बहुत ही खतरनाक व्यथा है। उसके अनुसार रणनीति भी बना रहे हैं और सरकार सचमुच उसके अनुरूप कार्य योजना को लेकर आगे बढ़ी है। हमारे सामने उदाहरण है। यह हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2019 के प्रयागराज कुम्भ को आयोजित कराने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ था। दिनांक 15 जनवरी से 04 मार्च, 2019 तक प्रयागराज में जो कुम्भ आयोजित हुआ है। पहली बार 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज कुम्भ में आकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का क्या माडल हो सकता है यह प्रयागराज कुम्भ में देखने को मिला था। प्रयागराज कुम्भ दुनिया के सौ से अधिक देशों के अम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स वहां आये थे। इतने बड़े जमावड़े और श्रद्धालुओं के समूह को देखकर वह अभिभूत थे। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष आये थे।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहां व्यवस्था बनाई गई थी सबने वहां सराहना की। मौनी अमावस्या के दिन पांच करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया था। पहली बार आजादी के बाद प्रयागराज में अक्षय वट के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए खोले गये। सरस्वती कूप के दर्शन श्रद्धालुओं ने किये। प्रयागराज के अन्दर का दृश्य

देखकर हर व्यक्ति अभिभूत था। हमारी सरकार ने अभी से यह व्यवस्था प्रारम्भ की है कि हम लोग वर्ष 2025 के कुम्भ को भव्य और दिव्य रूप में स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था के माडल को उसी रूप में लेकर आगे जायेंगे जो वर्ष 2019 में दिया गया था। हमारा मानना है कि वर्ष 2019 में जब प्रयागराज कुम्भ था तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम इस रूप में नहीं था, माँ विन्ध्यवासिनी का धाम इस रूप में नहीं था, चित्रकूट इस रूप में नहीं था, अयोध्या धाम इस रूप में नहीं था, नैमिषारण्य इस रूप में नहीं था। डबल इंजन सरकार का सौभाग्य है कि आज हम एक नई काशी के दर्शन काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से करते हैं। आज काशी में बड़ी संख्या में लोग आये हैं। मैं इसके भी आँकड़े आपको दूँगा कि कितना लाभ यू0पी0 को हो रहा है। हम लोगों का अनुमान है कि वर्ष 2025 के प्रयागराज कुम्भ में वर्ष 2019 के कुम्भ की तुलना में डेढ़ से दो गुना श्रद्धालु प्रयागराज में आयेंगे और उसके अनुसार वहां पर अवस्थापना सुविधा और उसके विस्तार की सुविधायें वहां पर उपलब्ध करायेंगे। उसके लिए अभी से हमारी तैयारी चल रही है। 09 आर0ओ0बी0 बनाये गये हैं, नये सर्विस टर्मिनल का कार्य भी किया गया है, ढाई सौ से अधिक सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी सम्पन्न हुआ। 114500 से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इस वर्ष जो माघ मेला चल रहा है उसका पहला स्नान मकर संक्रान्ति के दिन हुआ और अब तक लगभग 40 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। महोदय, आज भारत ने जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नये दौर में प्रवेश किया है।

मान्यवर, इसमें अयोध्या का दीपोत्सव भी और ब्रज का रंगोत्सव भी, काशी की देव दीपावली भी पूरे देश के अन्दर अपनी पहचान बना रही है। अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद्, देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद्, ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, विंध्यधाम तीर्थ विकास परिषद्, शुक तीर्थ विकास परिषद्, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद्, नैमिष धाम तीर्थ विकास परिषद् इन सभी को गठित करके इनके धार्मिक और आध्यात्मिक केन्द्रों के सुनियोजित विकास को उनके भौतिक आध्यात्मिक उनके धार्मिक विकास को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा सौ वर्ष के पश्चात् फिर से काशी विश्वनाथ धाम में वहां पर पुनर्स्थापित हो चुकी है। सुकर क्षेत्र के विकास कार्य भी सरकार ने प्रारम्भ किये हैं। कहीं रामायण पथ का काम, कहीं बौद्ध परिपथ का कार्य, आध्यात्मिक परिपथ का कार्य, शक्ति परिपथ का कार्य, और बृज परिपथ का, बुन्देलखण्ड परिपथ और महाभारत परिपथ का कार्य जो उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है इन सब पर सरकार व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही है। इसका परिणाम क्या है कि पिछले वर्ष लगभग साढ़े छः करोड़ श्रद्धालुओं ने अकेले काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है। मथुरा वृंदावन में छः करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया है। नैमिषारण्य में दस लाख श्रद्धालु आए हैं और सरकार के जो अन्य फोकस सेक्टर रहे हैं बुन्देलखण्ड में दो करोड़ पचपन लाख श्रद्धालुओं ने, बुद्ध सर्किट में लगभग 30 लाख टूरिस्ट ने और शुक तीर्थ में भी

लगभग दस लाख श्रद्धालु अलग-अलग समय में आकर उन्होंने वहां के बदलते हुए स्वरूप में अपने आपको सुरक्षित तथा नये भारत के नये उत्तर प्रदेश में कुछ नया अनुभव किया है। हम बुन्देलखण्ड के जो किले हैं, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं। इन सभी के व्यवस्थित विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है और बहुत शीघ्र इनको भी हम लोग टूरिस्ट के हैरिटेज टूरिज्म के एक नये डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश टूरिज्म में देश के अन्दर कहीं नहीं था आज यह नम्बर एक पर है। यह केवल टूरिज्म का विकास नहीं है लाखों लोगों के लिए, लाखों नौजवानों के लिए एक नौकरी और रोजगार की सम्भावनाओं को विकसित करने वाला सर्विस सेक्टर है। इसमें अलग-अलग लोगों को तमाम प्रकार की नौकरियां और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इसके माध्यम से बढ़ोतरी हो रही और उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने स्वशासन के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया है अभिभाषण में उसका भी उल्लेख महामहिम राज्यपाल ने किया है।

मान्यवर, वर्तमान सरकार डबल इंजन का जो काम कर रही है स्वाभाविक रूप से उसकी स्पीड भी डबल होगी और परिणाम भी डबल से अधिक देखने को मिल रहे हैं और खासतौर पर हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि आज जब हम अमृतकाल में उसके परिणामों को देख रहे हैं तो वह सब हमको अभिभूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को सम्बोधित करते हुए देशवासियों के पंचप्रण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की बात कही है। इन पंचप्रण को किस रूप में हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आज चाहे वह डिजिटल इंडिया के माध्यम से स्वशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। उसे प्राप्त करने की दिशा में जो सुधार, टेक्नोलॉजी का उपयोग, शासन की कार्यपद्धति में ट्रांसपेरेंसी और जो सरकार के स्तर पर डायलॉग प्रारम्भ किया गया है। इसमें हमने प्रदेश में मुख्य मंत्री कमाण्ड सेंटर और सी0एम0 डेस्क बोर्ड की स्थापना के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जनपद को होने वाले हर कार्य की, हर गतिविधि की एक सतत् निगरानी करने के लिए उसकी मानीटरिंग के लिए हम लोगों ने इस कार्य को प्रारम्भ किया है और उसी का परिणाम है कि सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, सी0एम0 हेल्पलाइन और आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के जो हमारे प्लेटफार्म्स हैं, 04 करोड़ 77 लाख 90 हजार से अधिक मामले इसमें दर्ज होते हैं और इसमें मेरिट के आधार पर 04 करोड़ 74 लाख से अधिक मामलों का मेरिट के आधार पर निस्तारण का कार्य भी सम्पन्न हुआ है।

महोदय, उत्तर प्रदेश में सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून-व्यवस्था ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके लिए शासन को प्रदेश के अन्दर सुरक्षा का एक

बेहतर वातावरण बनाना पड़ा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिन लोगों की आदतें खराब थीं तो उनको कानून के रास्ते पर लाने में थोड़ा कठिनाई तो रही होगी, इसलिए उनकी चिड़चिड़ाहट कभी-कभी देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए हमने पुलिस में भी रिफार्म किये। भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उनकी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया। सात पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में इस व्यवस्था को लागू किया। 75 जनपदों में साइबर सेल के थाने स्थापित करने की कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फोरेंसिक लैब, 18 क्षेत्रीय थानों में बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब और 75 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने प्रारम्भ किया और उत्तर प्रदेश फोरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की है जिसमें सत्र भी प्रारम्भ हो चुका है। उनका फर्स्ट सेशन इसी वर्ष प्रारम्भ हुआ है। 01 लाख 55 हजार 600 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सम्पन्न की है जिनमें से 22 हजार 670 केवल महिला कार्मिक हैं। 68600 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी वर्तमान में प्रचलित है और इस दौरान हम लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण के केन्द्रों की क्षमता को भी लगभग तीन गुना किया है। प्रदेश में 124 नये थाने, 88 नई चौकियाँ, 07 नये महिला पुलिस थाने, 04 नये आर्थिक अपराध इकाई थाने और 16 नये साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किये हैं। एस0डी0आर0एफ0 का गठन किया है उसकी तीन कम्पनियों को क्रियाशील किया, तीन अतिरिक्त कम्पनियों को सृजन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। वीरांगना झलकारीबाई महिला पी0ए0सी0 बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतीबाई महिला पी0ए0सी0 बटालियन, बदायूं और वीरांगना ऊदादेवी महिला पी0ए0सी0 बटालियन लखनऊ की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और पहली बार महिला पुलिस कार्मिकों को भी फील्ड की ड्यूटी देने का कार्य प्रारम्भ किया गया है और महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10 हजार से अधिक महिला बीट में उनकी तैनाती की गयी है। एण्टीनारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अन्दर किया गया इसके साथ-साथ प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (एस0एस0एफ0) ही अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य और दिव्य मन्दिर की सुरक्षा में लगायी गयी है। उत्तर प्रदेश एस0एस0एफ0 की ट्रेनिंग आधुनिक पद्धति से करायी गयी है और उसके कमाण्डो ही वहाँ सुरक्षा में तैनात हैं। देवबन्द सहारनपुर में, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में ए0टी0एस0 की नई फील्ड यूनिट का गठन भी किया गया है।

मान्यवर, आज जब हम लोग प्रदेश की कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा के माहौल को देखते हैं तो देश के अन्दर स्वाभाविक रूप से इसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है। एन0सी0आर0बी0 के आँकड़े बताते हैं और अगर आप वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2023 में देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87 फीसदी कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग

76 फीसदी कमी आई है, हत्या के मामलों में लगभग 43 फीसदी कमी आई है, बलवा के मामलों में 64 फीसदी, फिरौती एवं अपरहण के मामलों में 72 फीसदी और दुष्कर्म के मामलों में 46 फीसदी कमी देखने को मिली है। यह एन0सी0आर0बी0 के आंकड़ें हैं जब किसी भी व्यवस्था को यहां पर या कहीं पर भी आप पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में देखेंगे। हमारे नेता प्रतिपक्ष एक बात को कह रहे थे और उन्होंने सदन में खासतौर से एक बात की चर्चा की है कि प्रदेश के अन्दर रिस्पॉन्स टाइम यानी यह कह रहे थे कि हमने डॉयल 100 बनाया, लेकिन आपने उसका नाम बदल दिया। पूरे देश के अन्दर डॉयल 100 को डॉयल 112 के रूप में बदला गया है और इन्टीग्रेटेड कमाण्ड सेण्टर के माध्यम से पूरे देश की इस व्यवस्था को संचालित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है। वर्ष 2017 के पहले डॉयल 100 का रिस्पॉन्स टाइम 25 मिनट 42 सेकेण्ड था, लेकिन आज यह 9 मिनट 50 सेकेण्ड का है। आज महिला पी0आर0वी0 में 446 वाहन स्पेशली कार्यरत हैं। आज 25 लाख कॉल लैण्डिंग की सुविधा को बढ़ाकर 60 लाख कॉल की गयी है। पूर्व में 60 हजार कॉल टेकिंग क्षमता को बढ़ाकर लगभग 1 लाख 25 हजार की जा रही है और हमारे पास 3200 पी0आर0वी0 के फोर व्हीलर थे उन्हें 4 हजार 278 किया जा रहा है और दो पहिया वाहन को 1600 से बढ़ाकर 2000 किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और अन्य कार्यवाही को भी प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया गया है। महिला सम्बन्धी अपराध के बारे में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सदन में टिप्पणी की गयी थी। महिलाओं के बारे में समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है यह तो हम महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान के दृश्य को ही देख लें। एक महिला राज्यपाल, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और वह भी इतनी वरिष्ठ अभिभाषण कर रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार की बातें कर रहे थे। लगभग एक घण्टे से अधिक के अभिभाषण में समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार था वह महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा बनाये गये संविधान का ही सम्मान करते कि संवैधानिक प्रमुख आ रहे हैं। आप सहमत नहीं होंगे, चुपचाप खड़े रहिए। सुनिए मत, कान में कुछ लगा लीजिए अगर आपको बहुत आपत्ति है तो। लेकिन वहां पर किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, मैं तो भौचक था, लेकिन जब आप महिला सम्बन्धी मुद्दे बोल रहे थे तब भी मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ हो। मैं कह सकता हूँ कि वर्ष 2017 के पहले प्रदेश के अन्दर केवल 14 फीसदी से कम महिला वर्क फोर्स थी आज महिला वर्क फोर्स संख्या 33 फीसदी से अधिक बढ़ी है। हमने प्रदेश के अन्दर मिशन शक्ति के नाम पर एक विशेष अभियान प्रारम्भ किया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान एवं स्वावलम्बन का कार्यक्रम चल रहा है। और जिसमें नेता कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा जो कह रही थीं मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 17 लाख 82 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है और उन बालिकाओं को एक निश्चित व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ दिया जा रहा है। बालिकाओं को कोई बोझ न माने बल्कि कन्या लक्ष्मी के रूप में

हर घर में पूजी जा सके, सम्मान प्राप्त कर सके इसलिए बेटी के जन्म लेते ही उसके एकाउण्ट में पैसा आ जाये। अब इस राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना इसमें 31 लाख 50 हजार निराश्रित महिलाओं को 01 हजार रुपये महीना पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। मातृ वंदना योजना से 55 लाख मातायें इससे लाभान्वित हुई हैं। प्रदेश में बी0सी0 सखी के रूप में 57 हजार ग्राम पंचायतों में इसका गठन किया गया है और एक बहुत मॉडल यूपी ने दिया है कि गांव-गांव में बैंकिंग सुविधा बी0सी0 सखी के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, कोरोना कालखण्ड में यूपी का यह मॉडल भी आज देश में एक मॉडल के रूप में माना जा रहा है।

पुलिस में भर्ती तो आपने देखा ही कि हमने महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत की व्यवस्था बनाई है और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से लगभग 01 करोड़ महिलाएं वर्तमान में जुड़कर स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हैं। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत तीन लाख से अधिक बेटियों की शादी अब तक सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें 51 हजार रुपये हर बेटी को शादी के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले 07 वर्ष के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है वह थल में भी हुई, नभ में भी हुई है और जल में भी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे ये क्रियाशील हो चुके हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे बहुत शीघ्र बनकर तैयार होने जा रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे पर काम तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की कार्यवाही को हम आगे बढ़ा रहे हैं और प्रयागराज कुम्भ से पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेस-वे को हम चालू कर सकें। महोदय, लखनऊ-कानपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे यह जो एलिवेटेड एक्सप्रेस-वे है। ये भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। इसके अलावा बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है। प्रदेश के अन्दर विभिन्न जनपदों में हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। लगभग 4 लेन के 1235 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिसको पिछले 07 वर्ष के अन्दर आगे बढ़ाया गया है जिससे बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदेश के अन्दर सम्पन्न हुई है। प्रदेश के अन्दर एयरपोर्ट 16 डोमेस्टिक और 05 इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। वर्ष 2017 के पहले केवल 02 एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी फुली क्रियाशील थे, शेष आंशिक थे, कभी-कभी एक फ्लाइट आ जाती थी, लेकिन आज 10 एयरपोर्ट पूरी तरह से क्रियाशील हो चुके हैं। 10-11 की स्वीकृति मिल चुकी है, किसी भी दिन हम उनको प्रारम्भ करने जा रहे हैं। प्रदेश में आज जो हमारे 10 एयरपोर्ट हैं इनमें 150 फ्लाइट्स 75 से अधिक डेस्टिनेशन तक हवाई सेवा उत्तर प्रदेश से प्रदान कर रही है और 16-17 की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या में लगभग 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश के अन्दर लैण्ड उपलब्ध है, लेकिन इनलैण्ड वॉटर-वे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ की नदियाँ, सदानीरा नदियाँ, वर्ष भर इनमें पानी रहता है,

उनको चैनलाइज करते हुए, डि- सिल्टिंग करते हुए, इनलैण्ड वॉटर-वे की कार्यवाही आगे बढ़ रही है और इसमें वाराणसी में मल्टीवोनल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और अन्य जगहों पर भी हम इस कार्य को कर रहे हैं और प्रदेश में इनलैण्ड वॉटर-वे अथॉरिटी का गठन प्रदेश सरकार पूर्ण कर चुकी है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ-हरदोई के बीच में 01 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में एक पी0एम0 टेक्सटाइल पार्क के गठन के निर्माण की कार्यवाही को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, डेडिकेटेड कॉरिडोर, देश के अन्दर सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहा है। इन सभी कार्यों में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब बिजनेश हब और निवेश का एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी बन चुका है।

महोदय, अगर कानून-व्यवस्था अच्छी हो, सरकार की नीयत साफ हो, ट्रांसपैरेंट पॉलिसी हो तो हर व्यक्ति आना चाहता है। देश और दुनिया आपकी ओर आना चाहेगी और आज उसी का परिणाम है कि जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 आयोजित किया था, लगभग 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और मैं नेता प्रतिपक्ष को और जितने भी हमारे नेता, विरोधी पक्ष में अलग-अलग हैं और सभी सहयोगी दलों से मैं कहूँगा, इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनमें से 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउण्डब्रेकिंग हम लोग कराने जा रहे हैं। इसी लखनऊ में आयोजन करने जा रहे हैं। इन 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों का उत्तर प्रदेश में पहली बार भूमि पूजन का कार्यक्रम सम्पन्न होगा और पिछली रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने हम पढ़ेंगे कि पिछले निवेश से कितनी नौकरियाँ लगी हैं, कितने नए रोजगार के सृजन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ा है। अगर आपने इकोनॉमिक टाइम्स की 03 फरवरी की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की एक बात लिखी थी। जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश के 02 लाख से अधिक लोग काम करते थे और पिछले 07 वर्ष के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर निवेश का जो माहौल बना, जो नए उद्योग आए, आज उनमें से 60 हजार से अधिक लोग वापस यू0पी0 में जा चुके हैं, जिनको यू0पी0 में ही काम मिल चुका है। यह नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए और आप यहाँ के सी0एम0 रहे हैं। यह ठीक है कि सभी लोगों ने आप पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पर आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पायेगा ? लेकिन कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्य मंत्री के रूप में कभी स्वीकार किया था, आज वह उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए, हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए।

(श्री लालजी वर्मा के कुछ कहने पर)

चाचा तो आज भी साथ में हैं। (हँसी) निवेश इसलिए हुआ कि हमने कानून-व्यवस्था का बेहतर माहौल दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विन्डो सिस्टम के साथ-साथ जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज थीं, उसका परिणाम है कि आज हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अन्दर आना चाहता है, जिसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही भी है और हमारी नीतियों में पारदर्शिता भी है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आना चाहता है। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अन्दर जो कार्य हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बार-बार इस पर उँगली उठाते हैं, लेकिन 16-17 में कुल विद्युत का उत्पादन जो था 5600 मेगावॉट था और वर्तमान में हम लोग 8688 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अन्दर कर रहे हैं और इस वर्ष के अन्त तक 12800 मेगावाट तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। विद्युतीकरण में सन् 1947 से लेकर वर्ष 2017 तक 1 लाख 28 हजार मजरों तक ही विद्युत पहुँच पाई थी और वर्ष 2017 से वर्ष 2023-24 तक इन लगभग 7 वर्षों में हम लोगों ने 249818 मजरों तक विद्युतीकरण के कार्यों को सम्पन्न किया है। 100 परसेन्ट सेचुरेशन के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। वर्ष 2012-2017 के बीच में केवल 8 लाख 44 हजार विद्युत कनेक्शन दिए गए। वर्ष 2017 से अब तक 1 करोड़ 65 लाख विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराये गये (मेजों की थपथपाहट) यानि 20 गुना है समाजवादी पार्टी के कालखण्ड से 20 गुना अधिक दिये। 2017 के पहले विद्युत का कोई अता-पता नहीं था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 और जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग अनवरत् कर रहे हैं। वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में 288 मेगावाट सोलर ऊर्जा का प्रोडक्शन होता था। वर्तमान में यह लगभग 2600 मेगावाट हो गई है यानि केवल सोलर इनर्जी के ही क्षेत्र में हमने 10 गुना से अधिक वृद्धि की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या और काशी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे को सोलर एक्सप्रेस-वे के रूप में विकसित करने की कार्यवाही हमारी चल रही है और अभी अयोध्या में 10 किलोमीटर लम्बे मार्ग को सोलर स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित करने का काम भी सरकार ने किया है।

महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में भी सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है और यह सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए ही समर्पित रही है। हमारी पिछली सरकार जब मार्च 2017 में आई तो पहली कैबिनेट में हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर 86 लाख लघु और सीमान्त किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये ऋण माफी के कार्यक्रम से ही शुरुआत की थी। किसानों के लिए पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 7 वर्ष में यू0पी0 के अन्दर हमारी सरकार ने जो कार्य किया लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैण्ड को तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता उपलब्ध करवायी। प्रदेश के अन्दर हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को लाभान्वित किया है। 2 करोड़ 62 लाख किसान इससे सीधे-सीधे

लाभान्वित हुए हैं और यदि कृषि विकास दर को अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2016-2017 में जो कृषि विकास की दर थी वह 6.6 प्रतिशत थी आज वर्ष 2022-23 में वह बढ़कर 18.2 फीसदी पहुँची है, जो कि लगभग 3 गुना बढ़ी है यह उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, जो सरकार के द्वारा थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया है यह उसके परिणाम सामने आए हैं और इस चालू पेराई सत्र में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए गन्ना मूल्य को भी बढ़ाया है 350 रुपये से 370 रुपये प्रति क्विंटल किया है। गन्ने की अगेती प्रजाति के नाम पर 20 रुपये प्रति क्विंटल उसको बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2016-2017 में जो गन्ने का क्षेत्रफल जो मात्र 20 लाख हेक्टेयर था आज वर्ष 2023-24 में वह बढ़कर लगभग 29.66 लाख हेक्टेयर बढ़ा है यानि सरकार ने अनुकूल माहौल दिया तो उसमें बढ़ोत्तरी हुई। गन्ने का उत्पादन आज 1486 लाख टन से बढ़कर 2492 लाख टन यहाँ पर हो चुका है और प्रदेश के अन्दर यदि आप देखेंगे तो गन्ना मूल्य के भुगतान को तो वर्ष 1995 से ले करके 2017 तक, 22 वर्ष में 2 लाख 13 हजार करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था और जनवरी, 2024 तक हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने अब तक 2 लाख 33 हजार 793 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है यानि 22 वर्ष में जितना, उससे ज्यादा मात्र 7 वर्ष में अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा दे चुके हैं। आज प्रदेश में 120 चीनी मिलें हमारी वर्तमान में क्रियाशील हैं और प्रदेश में लगातार इस क्षमता को बढ़ाया जा रहा है।

महोदय, 2017 के पहले बिचौलियों के भरोसे खेती-किसानी को छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रयास प्रारम्भ हो गये। सरकार आयी हम लोगों ने उन राज्यों में जहां पर प्रोक्यूरमेण्ट की पॉलिसी है, 2017 के पहले प्रोक्यूरमेण्ट की पॉलिसी यू0पी0 में नहीं थी, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जाता था। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के नेतृत्व में ही हमने टीम भेजी थी। यह लोग गये और फिर वहां की प्रेजेण्टेशन को लेकर आए। यहां पर कार्यवाही आगे बढ़ी और आज वर्ष 2018 से यह डबल इंजन की सरकार लागत का डेढ़ गुना एम0एस0पी0 अन्नदाता किसानों को दे रही है। गेहूँ में वर्ष 2017-18 से 2023 तक 47 लाख 90 हजार किसानों को 225 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पर 41 हजार 3 सौ करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में सरकार कर चुकी है, जो 2017 के पहले की सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसी प्रकार से धान में 2017-18 से 2023-24 तक 61 लाख 54 हजार किसानों के 397 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पर 74 हजार 751 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में सरकार के द्वारा किया जा चुका है।

महोदय, 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के साथ-साथ पी0एम0 कुसुम योजना में प्रदेश सरकार ने अब तक 50 हजार से अधिक किसानों को उनके ट्यूबवेल को सोलराइज्ड करने की कार्यवाही को सम्पन्न किया है। यह प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किये गये प्रयासों का परिणाम है। इसमें नयी मण्डियों का भी गठन हुआ है। नेचुरल फार्मिंग और

ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने का काम हुआ है। नयी सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए और अन्य प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने के लिए भी कार्य हुआ है। नगर निकाय के क्षेत्र में भी अनेक कार्य हुए हैं। 3 नगर निगम अयोध्या, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर का गठन हुआ। कुल 113 नये नगर निकायों का गठन किया गया। 17 स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी के रूप में बदलने की कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' में जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अन्दर भी और प्रदेश में इस योजना में स्ट्रीट वेण्डर चाहे वह ठेला, खुमचा, रेहड़ी लगाने वाले लोगों के व्यवस्थित पुनर्वास और ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 17 लाख 34 हजार से अधिक पटरी व्यवसायियों ने 2 हजार 3 सौ 17 करोड़ रुपये इसके माध्यम से प्राप्त किये हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ओ0डी0एफ0 प्लस के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य हुआ है। न केवल 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज' के कार्य को एक नयी गति प्राप्त हुई है बल्कि मलेरिया है, इन्सेफेलाइटिस है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इस प्रकार की बीमारियों पर प्रभावी नियन्त्रण करने में भी सरकार ने सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अन्दर जो 'मुख्य मंत्री आरोग्य मेला' लग रहे हैं, यह हर रविवार को लगते हैं और अब तक लगभग साढ़े 12 करोड़ से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं। हर जिले में आज डायलिसिस सेंटर स्थापित हुए हैं। वहां से उनको बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो रही है और उसी का परिणाम है कि 2012 से 2017 के बीच जो मातृ मृत्यु दर 285 थी आज वह घट करके लगभग 165 से 167 के बीच में है। शिशु मृत्यु दर जो 48 प्रति हजार थी आज वह घट करके 38 प्रति हजार हो गयी है। प्रदेश में अभी यूनियन बजट आया है और केन्द्र के इस बजट में आयुष्मान भारत योजना में आंगनबाड़ी और आशा बहनों को शामिल किये जाने का जो निर्णय हुआ है उससे प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी और आशा बहनें लाभान्वित होने जा रही हैं।

मॉडल स्कूली शिक्षा का भी कायाकल्प हुआ है आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, वैसे भी वह सरकार का शिक्षा से उनका कोसों तक सम्बन्ध नहीं था, लेकिन प्रदेश सरकार ने 2017 में स्कूल चलो अभियान प्रारम्भ किया। बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को यूनिफार्म, बैग, बुक्स, शूज, शाक्स, स्वेटर सभी उपलब्ध करवाये। आपरेशन कायाकल्प में मैंने इसी सदन में माननीय सदस्यों का भी आह्वान किया था। समाज के मानिन्दों ने भी इसमें सहभागी बन करके कार्य किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बेसिक शिक्षा परिषद् में आज 19200000 बच्चे इन स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम 2017 से पहले की तुलना करें तो 4000000 से अधिक बच्चों की वृद्धि हुई है। बीच में 3 वर्ष हम लोगों को कोरोना से जूझना पड़ा था। आपरेशन कायाकल्प में 132500 से अधिक विद्यालयों का आपरेशन कायाकल्प हुआ है और हर बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालय में 2-2 टैबलेट भी उपलब्ध कराये गये हैं और साथ-साथ वहां पर स्मार्ट क्लासेज लगाने की प्रक्रिया भी प्रचलित

है। 925 परिषदीय विद्यालयों को पी0एम0 श्री योजना में आच्छादित करने की कार्यवाही की गयी है, 57 मुख्य मंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं और बहुत शीघ्र हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से अटल आवासीय विद्यालय के तर्ज पर इन विद्यालयों को चलाने की कार्यवाही को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में वृहद् निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है। यानि ये वह विद्यालय हैं जो हमारे गवर्नमेंट इण्टर कालेजेज थे, गर्ल्स गवर्नमेंट इण्टर कालेजेज थे, बहुत पुराने थे, जर्जर इन्फ्रास्ट्रक्चर था, भवन बहुत जर्जर हो चुके थे। उन सबके लिए भी धनराशि दी गयी है। अब तक 1349 विद्यालयों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गयी है इसके अलावा जो एडेड विद्यालय थे, निजी प्रबन्धन से लेकिन गवर्नमेंट एडेड थे उनके पास भी कुछ सोर्स आफ इनकम न होने के नाते उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमजोर था। सरकार ने पॉलिसी बना करके उनको भी इस योजना के साथ जोड़ा जिसमें कुछ शेयर उनका होगा शेष सरकार देगी जिससे बच्चे तो राज्य के ही पढ़ रहे हैं वहां पर उनको हम बेहतरीन सुविधा दे सकें यह कार्य भी वहां पर प्रारम्भ हुआ है। हर कमिश्नरी मुख्यालय पर एक अटल आवासीय विद्यालय है।

पहली बार श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय अच्छे इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ होगा। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे एक बार अटल आवासीय विद्यालयों का विजिट जरूर करें। उसमें दो ही श्रेणी है एक रजिस्टर्ड श्रमिकों की है और एक कोरोना कालखण्ड में जो बच्चे निराश्रित हो गये थे उन बच्चों को वहां पर प्रवेश दिया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए इसी तर्ज पर हर जनपद में हम पहले चरण में मुख्य मंत्री कंपोजिट विद्यालय के रूप में शेष 57 जनपदों में हम स्थापित करना चाहते हैं और फिर इसे हम सभी 826 विकास खण्डों तक लेकर जायेंगे जिसमें हर विधान सभा क्षेत्र में कम-से-कम 2-2 विद्यालय आ जायेंगे। आने वाले समय में यह शिक्षा का एक मॉडल होगा, क्योंकि शिक्षा के बगैर किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता और इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अटल आवासीय विद्यालय को हमने मॉडल माना है और इसके रूप में लिया है और आज पूरा देश इस मॉडल को लागू कर रहा है। महोदय, उच्च शिक्षा में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह, राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ ये भी हम ही ने खोला, आपने नहीं खोला है। माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय है।

(सदस्य श्री लालजी वर्मा के कुछ बोलने पर)

अलीगढ़ में कौन वाइस चान्सलर है ? अलीगढ़ में जो वाइस चान्सलर हैं, वह अनुसूचित जाति के हैं। वर्मा जी, अनुसूचित जातियों के साथ इतना अन्याय मत करिये। यह गिनाने का समय नहीं है, जब गिनाना प्रारम्भ कर दूँगा, आप लोग फिर सामने से बात नहीं कर पायेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि शान्ति रहे।

महोदय, माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन और मुरादाबाद में भी 01 नए और साथ-साथ कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्यवाही हमारी वर्तमान में गतिमान है। प्रदेश के अन्दर गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य अपने अन्तिम चरणों में चल रहा है, यानी इन्होंने अपने रेगुलर कार्यक्रम को प्रारम्भ कर दिया है, लेकिन शेष अन्य कार्यक्रम भी हमारे तेज होंगे। साथ-साथ जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट को भी राज्य सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस कार्य को आगे बढ़ा दिया है। निजी क्षेत्र में भी 15 विश्वविद्यालयों को लेटर ऑफ परफार्मेंस, 15 को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किये गये हैं और लगभग एक दर्जन से अधिक अन्य आवेदन हमारे पास आये हैं, जो नये निजी विश्वविद्यालय के हैं, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए भी सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। उन्हीं सब मानकों के अनुरूप उन विश्वविद्यालयों के गठन के लिए भी अनुमति दी जा रही है। 26 नए पॉलीटेक्निक की स्थापना, जिनमें 15 क्रियाशील हो चुके हैं, 35 आई0टी0आई0, जिनमें 8 क्रियाशील हो चुके हैं। 150 आई0टी0आई0, जो टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिल करके उनके न्यू एज कोर्सेज को हम उनके साथ जोड़ सकें। इन सबके साथ उनके अपग्रेडेशन की कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत 17 लाख 61 हजार से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन से और 7 लाख 54 युवाओं को टैबलेट से हम लोग प्रदेश में आच्छादित कर चुके हैं और यह निरन्तर जारी है। प्रदेश सरकार के द्वारा किये गये प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले साढ़े छः, पौने सात वर्ष के अन्दर 6 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शी तरीके से इस सरकार में दी है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को प्रदेश में ही नौकरी और रोजगार की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। 1 करोड़ 10 लाख से अधिक युवाओं को और उद्यमियों को प्रदेश में स्वरोजगार के साथ जोड़ने का अवसर भी प्रदान किया है और लगातार प्रदेश में इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज प्रदेश के अन्दर शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा में जो प्रयास प्रारम्भ हुए हैं, उसके परिणाम सामने आये हैं। अभी हमारे श्रम एवं सेवायोजन विभाग और व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने मिल करके यू0पी0 के स्किल मैन-पॉवर की डिमाण्ड, न केवल उत्तर प्रदेश और देश में, बल्कि दुनिया में भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के 5,000 युवा अभी इजराइल के लिए चयन हुए हैं। इन 5,000 युवाओं को, जिन्होंने आई0टी0आई0 की है और इन सभी युवाओं की चयन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ, महोदय, जो वहाँ सुविधा मिलेगी, वहाँ की गवर्नमेण्ट स्वयं इसमें इनवाल्व हो रही है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लॉजिंग, फूडिंग फ्री और उसके बाद भी सवा लाख से लेकर डेढ़ लाख रुपये हर महीने उन

युवाओं को वहाँ प्राप्त होंगे। डे फर्स्ट से, कार्य प्रारम्भ करने के दिन से यह प्रारम्भ होने जा रहा है।

मान्यवर, यहाँ दोनों सरकारें इस सम्बन्ध में उनके साथ जुड़ रही हैं जिससे उनके हितों को संरक्षित भी किया जा सके और प्रदेश के युवाओं को बेहतरीन सुविधा भी उपलब्ध करायी जा सके। यह प्रदेश ने वहाँ पर उन युवाओं के लिए किया है और अभी अन्य तमाम देशों में इस प्रकार की माँग प्रदेश और दुनिया में हो रही है। यह एक नए उत्तर प्रदेश की बात हम सबके सामने है। प्रदेश में पिछले सात वर्ष में जो कार्य प्रारम्भ हुए हैं, हम लोग एक निश्चित, एक निश्चय, एक दृढ़संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। लोक मंगल की जिस अवधारणा को ले करके सरकार आगे बढ़ी वह संकल्प और दृढ़ता हर एक क्षेत्र में, हम सबके सामने देखने को मिला है उसका परिणाम हमारे सामने है। आज नीति आयोग के सर्वे कहते हैं कि 6 करोड़ लोग प्रदेश में बहुआयामी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, यह एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। देश के अन्दर 24 से 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठे हैं तो उसमें से 6 करोड़ उत्तर प्रदेश के हैं। प्रदेश के अन्दर वर्ष 2017 से अब तक 55 लाख 83 हजार से अधिक गरीबों को बिना भेद-भाव के आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसमें किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा गया। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धावस्था पेंशन 55 लाख वृद्धजनों को लाभ दिया जा रहा है। 11 लाख दिव्यांगजनों को 1000 रुपये पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा 1 करोड़ 75 लाख से अधिक परिवार उज्ज्वला योजना से अच्छादित हुये हैं। उनको दीपावली और होली में प्रदेश सरकार फ्री में रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही है। मान्यवर, इन सुविधाओं को पूरे देश के अन्दर जिस रूप में आगे बढ़ाया गया है, वह आज हम सबके सामने है। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने ओ0डी0एफ0 और ओ0डी0एफ0 प्लस के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करते हुये देश के अन्दर एक स्थान बनाया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में जहाँ पर जिसका आवास है उसी गाँव में उसे स्वामित्व का लाभ मिलेगा, इस कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अब तक प्रदेश के अन्दर 90 हजार 866 गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर चुके हैं। हम लोगों ने 75 लाख 78 हजार से अधिक घरौनी वितरित कर दी है, उन परिवारों को उपलब्ध करवा दिया है। प्रदेश के अन्दर आज टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुये, आवास, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा, राशन की सुविधा और अन्य बुनियादी सुविधायें उन गरीबों को उपलब्ध करवाने का जो कार्य किया वह ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए ईज ऑफ लिविंग, जो राज्यपाल जी ने अपने सम्बोधन में, उत्तर प्रदेश के इन लक्ष्यों की ओर ध्यान आर्षित किया है, यह प्रदेश सरकार की इन उपलब्धियों से बहुत स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। आज जब हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं, सरकार एक नए कार्यक्रम को बहुत शीघ्र लागू करने जा रही है

वह फैमिली आई0डी0 कार्ड है। हर परिवार का अपना एक फैमिली आई0डी0 कार्ड होगा। सेचुरेशन के 100 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, अभी प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा भी गाँव-गाँव गयी थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह नए भारत की यात्रा है, जो हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले 10 वर्ष के अन्दर देश के अन्दर हुये नए विकास, एक नई पहचान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य हुये हैं, वेलफेयर स्कीम के अन्तर्गत बिना भेद-भाव के हर भारतवासी को जोड़ने का जो कार्य हुआ है, उन सभी लक्ष्यों से अवगत कराने के साथ-साथ जो लोग अभी तक उन योजनाओं से वंचित रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोग योजना का हिस्सा बनायेंगे। इसके लिए एक व्यवस्थित रूप से कार्य हमने प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ किया है।

मान्यवर, मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि इन योजनाओं पर हमने फोकस किया है जिसमें 6 करोड़ 64 लाख लाभार्थियों की फैमिली आई0डी0 अब तक हम सीडिंग कर चुके हैं और बहुत शीघ्र प्रदेश के अन्दर जब हम इसको लागू करेंगे तो मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूँ कि कोई भी परिवार किसी योजना से वंचित नहीं रह पायेगा। हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के लक्ष्य को प्रदान करने की दिशा में सरकार इसके माध्यम से आगे बढ़ने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात हमने कही थी, उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 24 जनवरी, 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम आया, इससे पहले यह अलग-अलग नाम से था कभी युनाइटेड प्रोविन्स के नाम पर और कभी संयुक्त प्रान्त के नाम पर अलग-अलग नाम से था। यह राज्य इतने दिनों से था, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि तत्कालीन मा0 राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने मुझे पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि राज्य को अपने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भी आयोजित करना चाहिए। मैं उनके पास गया था, मैंने उनसे बात-चीत भी की और फिर उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी, 2018 को अपने पहले स्थापना दिवस का आयोजन किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने अपने पहले स्थापना दिवस में जो योजना लागू की थी वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना पर नेता प्रतिपक्ष तो हंस रहे थे कि आपने क्या किया। आप सोचिये कि आपने क्या किया, हमने तो उसे पहचान दिलायी है, हमने पहचान ही नहीं दिलायी है, बल्कि हमने उसको मार्केट के साथ जोड़ा, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा है, पैकेजिंग के साथ जोड़ा है, हमने उसको एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदेश के अन्दर दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहा है।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान, हमारे परम्परागत जो हस्तशिल्पी और कारीगर थे, आपने क्या किया पीडीए में आप चाचा को भी भूल गये और गांव के नाई को, धोबी को, मोची को, गांव के हलवाई को, क्या ये सब पीडीए के पार्ट नहीं थे। जब अवसर मिला तो किये कुछ नहीं, आज पी0एम0 विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और मुख्य मंत्री श्रम सम्मान के माध्यम से 16-17 ऐसी ग्राम स्वराज की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना को साकार करने वाले,

आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार करने वाले इन सभी हस्तशिल्पियों के लिए पी0एम0 विश्वकर्मा योजना-2019 से उत्तर प्रदेश चला रहा है। इसमें उनका प्रशिक्षण, उनको टूलकिट उपलब्ध कराना, बैंकों से सस्ते में लोन दिलाना और इस बजट में तो खन्ना जी ने एम0एस0एम0ई0 विभाग के माध्यम से एक नई घोषणा की है कि हम उनको ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करायेंगे, इसकी चर्चा हम बजट में करेंगे। 2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने प्रारम्भ किया जो देश के अन्दर एक मॉडल बन रहा है। 2021 में हमने प्रदेश के अन्दर आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था और 2022 में युवाओं के सशक्तिकरण, उन्हें तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारम्भ किया।

आज उत्तर प्रदेश जिस रूप में देखा जा रहा है, कई स्कीम उत्तर प्रदेश की ऐसी है जो आज देश के अन्दर मॉडल के रूप में मानी जा रही हैं। ओ0डी0ओ0पी0 भी, पी0एम0 विश्वकर्मा भी, मिशन शक्ति भी, अटल आवासीय विद्यालय भी, 75 हजार से अधिक हमारे पारम्परिक हस्तशिल्पी और कारीगर ऐसे हैं जिनको प्रशिक्षण और टूलकिट से जोड़ा गया है, टूलकिट शासन ने उपलब्ध कराया है। हर वर्ष इस दिवस के अवसर पर हम अपने दो से पाँच विभूतियों को सम्मानित करते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष हम लोगों ने चन्द्रयान मिशन के साथ जुड़ी हुई लखनऊ की बेटी, जो इसरो में वैज्ञानिक है श्रीमती ऋतु कारिधाल को और भारत का पहला यूनिकॉम देने वाले तकनीकी जगत से जो ख्यातिलब्ध नाम है कानपुर निवासी श्री नवीन तिवारी को हम लोगों ने लखनऊ में सम्मानित भी किया उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर।

महोदय राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है और उस क्रम में राज्यपाल जी ने अपने भाषण के अन्त में कुछ बातें भी कहीं। पता नहीं क्यों नेता प्रतिपक्ष को इस पर चिढ़ है कि उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर क्यों आ गया, आप नहीं कर पाए, चलिए उत्तर प्रदेश वासियों ने आपको मुख्य मंत्री के रूप में 5 साल तक बर्दाश्त किया और आज कम से कम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो आपको खुशी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के 11 करोड़ किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 62 लाख किसान इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अब तक 63 हजार करोड़ रुपये की राशि उत्तर प्रदेश के इन किसानों के खाते में सीधे-सीधे हस्तान्तरित हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अन्दर 4 करोड़ परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है तथा उत्तर प्रदेश के अन्दर 55 लाख 83 हजार गरीबों को इस योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना में महोदय देश के अन्दर 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, तो प्रदेश के अन्दर 1 करोड़ 75 लाख को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ शौचालय देश के अन्दर बने, तो प्रदेश में भी 2 करोड़ 63 लाख से अधिक शौचालय बने हैं। देश के अन्दर भारत सरकार के द्वारा ई-श्रम पोर्टल में

28 करोड़ 62 लाख श्रमिकों ने रजिस्टर्ड किया है अपने आप को, तो प्रदेश में 8 करोड़ 32 लाख है, जो देश में प्रथम है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम, यानि देश के अन्दर जितने अकाउण्ट खुले हैं उनमें से 8 करोड़ 56 लाख उत्तर प्रदेश में खुले हैं। सौभाग्य योजना में उत्तर प्रदेश नम्बर एक, 1 करोड़ 58 लाख निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उत्तर प्रदेश के अन्दर दिये गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम, 1 करोड़ 9 लाख गरीबों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। पी0एम0 स्व-निधि योजना देश के अन्दर प्रथम, इसमें भी उत्तर प्रदेश के अन्दर 17 लाख 33 हजार 132 स्ट्रीट वेण्डर को अब तक इस योजना से आच्छादित किया गया है। प्रदेश के अन्दर जो कुल पर्यटकों की संख्या है इसमें 43 करोड़ 42 लाख उत्तर प्रदेश में है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे नेटवर्क हो, नेशनल हाई-वेज हो इन सब में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। कैनाल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है।

प्रदेश के अन्दर डोमेस्टिक इण्टरनेशनल एयरपोर्ट में उत्तर प्रदेश देश में नम्बर एक, डिजिटल लेन-देन में उत्तर प्रदेश देश के अन्दर नम्बर एक, गन्ना, चीनी, खाद्यान, आलू, हरी मटर, आम, दुग्ध और तिलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में नम्बर एक पर है। डी0वी0टी0 के भुगतान में देश के अन्दर प्रदेश नम्बर एक, एम0एस0एम0ई0 उद्यम प्रोत्साहन और उनकी स्थापना में नम्बर एक, अटल पेंशन योजना नम्बर एक, ई-टेण्डरिंग प्रणाली में परफॉर्मेंस में उत्तर प्रदेश नम्बर एक, जैम पोर्टल से खरीददारी करने में भी उत्तर प्रदेश नम्बर एक, ई- संजीवनी पोर्टल में मरीजों के ईलाज में उत्तर प्रदेश नम्बर एक, अन्य प्रदेश की तमाम योजनाओं में भी उत्तर प्रदेश नम्बर एक, चाहे वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट के रूप में, सहकारिता विभाग की स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। ग्राम्य विकास विभाग की कन्वर्जेन्स में प्रथम पुरस्कार, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में, लॉजिस्टिक्स की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है। देश की पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के अन्दर चली है। उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य है, जहाँ सोलर चरखे से उत्पादित खादी को भी मान्यता दे करके सोलर चरखा बुनकरों को निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। नदियों के पुनरुद्धार और जल, यानी वाटर कन्जर्वेशन के लिए भी उत्तर प्रदेश देश के अन्दर नम्बर 1 पर है। हम लोगों ने कई नदियों का पुनरुद्धार प्रदेश के अन्दर किया है। वृक्षारोपण में भी पूरे देश के अन्दर उत्तर प्रदेश ही नम्बर-1 पर है।

महोदय, यह उत्तर प्रदेश नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इसकी पहचान आज देश के ग्रोथ इंजन के रूप में है। यानी देश के विकास को ब्रेक थ्रू देने की है। आपने देश के विकास में ब्रेकर बन करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पहचान के संकट में भेज दिया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश के विकास को ब्रेक थ्रू दे रहा है। महोदय, इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में इन सभी मुद्दों का उल्लेख करके वर्ष 2017 से 2023 के

बीच हुई उपलब्धियों के दस्तावेज को अपने अभिभाषण के माध्यम से और भावी योजनाओं को भी समवेत् सदन में प्रस्तुत किया है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है।

महोदय, मैं पहला धन्यवाद दूँगा अपने उन सभी मा0 सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ सभी दलीय नेताओं को और उन सभी मा0 सौ सदस्यों को, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में डा0 नीरज बोरा जी के द्वारा और श्रीमती सरिता भदौरिया जी के द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचारों को यहाँ पर रखा। उनके जो सुझाव होंगे, सरकार उसका संज्ञान भी लेगी और जो महत्वपूर्ण सुझाव प्रदेश के विकास के लिए होंगे, उन सबको हम सम्मान के साथ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में एक बात कही थी कि रामराज्य की अवधारणा को आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यह देश रामराज्य की अवधारणा को ही स्वीकार करेगा, समाजवाद को कभी स्वीकार नहीं करेगा (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जय श्री राम का उद्घोष किया)। रामराज्य आर्थिक सम्पन्नता, विकासोन्मुख समाज, राजनीतिक अखण्डता का निर्माण ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए और हमें अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति भी होनी चाहिए।

महोदय, हमें याद रखना होगा कि अतीत की नीव पर हम एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करके आगे बढ़ सकते हैं। अतीत का बिछड़ा वर्तमान का त्रिशंकु होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि समाजवाद, जो केवल एक मृग तृष्णा बन चुकी है। समाजवाद एक अस्वाभाविक, अप्राकृतिक और एक अमानवीय व्यवस्था बनाकर आप लोगों ने रख दी है। बहरुपिए की तरह इसके अनेक ब्रांड हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा है, लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में भी आपने इसको बोला है, चच्चू का प्रगतिशील समाजवाद भी सब लोग देख रहे हैं, आर्थिक समाजवाद भी सब लोगों ने देखा है और प्रदेश ने पारिवारिक समाजवाद को भी झेला है। हमारा रामराज्य एक सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक व्यवस्था, एक शाश्वत व्यवस्था है। बिना भेद-भाव के योजनाओं का लाभ देना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही रामराज्य की अवधारणा है और 22 जनवरी, 2024 का कार्यक्रम भी इसी बात की प्रेरणा हम सबको दे रहा था और मैं आह्वान करूँगा कि हम सबको इसके लिए कार्य करना होगा, निरन्तर प्रयास करना होगा। हम प्रदेश को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, यह एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी द्वारा समवेत् सदन में दिए गए मार्गदर्शन और अभिभाषण के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस सम्मानित सदन को वर्ष के प्रारम्भ में अभिभाषण के माध्यम से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उसको सर्वसम्मति से

पारित करते हुए महामहिम राज्यपाल के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और मा0 सदस्यों से एक बार फिर इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि 11 फरवरी की तिथि मा0 अध्यक्ष जी ने तय की है तो 11 फरवरी को हम सब अयोध्या जायें तो इससे बहुत अच्छा संदेश जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

डॉ0 नीरज बोरा-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज्यपाल महोदया का अभिभाषण जो 2 फरवरी को प्रस्तुत हुआ था, उस पर चर्चा हुई। मैं विपक्ष के महानुभाव सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो संशोधन उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, उसे वापस ले लें और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो, जिसे नेता सदन ने भी अभी सदन के समक्ष रखा है। मैं इस पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप लोग उसको वापस ले रहे है ?

(विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा नहीं कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि यह वापस नहीं ले रहे हैं। अब मैं श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में मा0 नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संशोधन के प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ दिया जाये :-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1-कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

2-प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बलात्कार/डकैती/चोरी/लूट/हत्या/ जातीय हिंसा आदि को रोकने हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

3-प्रदेश में बढ़ती महंगाई की रोकथाम करने के सम्बन्ध में,

4-किसानों को खाद और बीज क्रय में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में,

5-किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

6-किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त करने के सम्बन्ध में,

7-किसानों की कृषक उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

8-गन्ना किसानों के गन्ना की खरीद शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने तथा घटतौली, बिचौलिये व दलाली पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में,

9-गन्ना मूल्य का सम्पूर्ण भुगतान करने के सम्बन्ध में,

10-धान/गेहूं का अवशेष मूल्य भुगतान करने के सम्बन्ध में,

11-पशुधन विकास हेतु छोटे किसानों को उन्नत किस्म के दुधारू पशु क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

12-कुक्कुट नीति के सम्बन्ध में,

13-छुट्टा पशुओं से फसल की सुरक्षा-व्यवस्था करने के सम्बन्ध में,

14-सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

15-नहरों में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

16-निरन्तर बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम के सम्बन्ध में,

17-बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

18-प्रतिभावान, साहित्यकारों, कवियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, किसानों, कलाकारों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में,

19-प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुदृढ़ अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध में,

20-निरन्तर बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस नीति के सम्बन्ध में,

21-ग्रामीण क्षेत्रों में शत-प्रतिशत राशन कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में,

22-अस्पतालों में बढ़ते मरीजों के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए दवाएं एवं बेड की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

23-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हो रही नियुक्तियों में आरक्षण कोटा पूर्ण किए जाने के सम्बन्ध में,

24-आलू किसानों की बदहाल स्थिति के सुधार हेतु किसी ठोस नीति के सम्बन्ध में,

25-सरकारी नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने के सम्बन्ध में,

26-कोविड-19 में बन्द किये गये राज्य कर्मचारियों के नगर प्रतिकर भत्ता को बहाल करने के सम्बन्ध में, तथा

27-राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के सम्बन्ध में।''

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रस्ताव मा0 नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किये हैं, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके साथ-साथ जिन मा0 सदस्यों ने अन्य संशोधन प्रस्ताव भी दिये थे, वह उपस्थित किये हुए माने गए, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ सम्वेत् दोनों सदनों के समक्ष 2 फरवरी, 2024 को दिया था कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम किये जाने विषयक संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि-

सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। हिन्दुओं के प्राचीन और सात पवित्र स्थलों में श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या भी सम्मिलित है। हिन्दुओं के सात पवित्र एवं मोक्षदायी स्थान अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काँन्चीपुरम, उज्जैन और द्वारका है।

अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी सम्पन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है और मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्म हुआ था।

अयोध्या पुण्य नगरी है। अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का अटूट सम्बन्ध है। अयोध्या श्रीराम चन्द्र जी की जन्म भूमि होने के कारण भारत के प्राचीन साहित्य व इतिहास में सदा से प्रसिद्ध रही है। अयोध्या की महत्ता के बारे में जनसाधारण में कहावत प्रचलित है कि 'गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लियो अवतार'।

वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीतारसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य हैं। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने जिनमें कनकभवन, नागेश्वरनाथ तथा दर्शनसिंह मंदिर दर्शनीय है। कुछ जैन मंदिर भी हैं। यहाँ पर लगने वाले मेलों के अवसर पर वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री देश-विदेश से आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी/रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्रीराम ने अवतार लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अयोध्या पूर्ववर्ती तथा साकेत परवर्ती राजधानी थी।

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि एवं भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित आदि महाकाव्य ''रामायण'' के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामायण एक महाकाव्य

है, जो श्रीराम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। अपने महाकाव्य 'रामायण' में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चन्द्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकाण्ड ज्ञानी थे। वनवास काल के दौरान भगवान 'श्रीराम' महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। सीता जी ने अपने वनवास का अन्तिम काल इनके आश्रम पर व्यतीत किया तथा वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ।

अयोध्या में पूर्व से निर्मित हवाई पट्टी को बड़े वायुयानों हेतु एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर इसका लोकार्पण दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 को किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 फरवरी, 2021 के उपवेशन में इस आशय का संकल्प पारित किया गया था कि भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या' किया जाए।

जिलाधिकारी, अयोध्या को जनपद अयोध्या के साधु-सन्तगण, मा0 जनप्रतिनिधिगण एवं आम-जनमानस से विचार-विमर्श करने पर उनके द्वारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम 'महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या' किए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को पारित संकल्प के स्थान पर आज दिनांक 07 फरवरी, 2024 को इस आशय का संकल्प लेती है कि भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम 'महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम' कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। हिन्दुओं के प्राचीन और सात पवित्र स्थलों में श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या भी सम्मिलित है। हिन्दुओं के सात पवित्र एवं मोक्षदायी स्थान अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, काँन्चीपुरम, उज्जैन और द्वारका हैं।

अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी सम्पन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। कई शताब्दियों तक यह नगर सूर्यवंश की राजधानी रहा। अयोध्या एक तीर्थ स्थान है और मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े अवशेष देखे जा सकते है। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्म हुआ था।

अयोध्या पुण्य नगरी है। अयोध्या और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का अटूट सम्बन्ध है। अयोध्या श्रीरामचन्द्र जी की जन्म भूमि होने के कारण भारत के प्राचीन साहित्य व इतिहास में सदा से प्रसिद्ध रही है। अयोध्या की महत्ता के बारे में जनसाधारण में कहावत प्रचलित है कि 'गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ो प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहाँ राम लियो अवतार'।

वर्तमान अयोध्या के प्राचीन मंदिरों में सीता रसोई तथा हनुमानगढ़ी मुख्य है। कुछ मंदिर 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बने जिनमें कनकभवन, नागेश्वरनाथ तथा दर्शनसिंह मंदिर दर्शनीय है। कुछ जैन मंदिर भी हैं। यहाँ पर लगने वाले मेलों के अवसर पर वर्ष भर लाखों तीर्थयात्री देश-विदेश से आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी/रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्रीराम ने अवतार लिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अयोध्या पूर्ववर्ती तथा साकेत परवर्ती राजधानी थी।

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि एवं भगवान श्रीराम के जीवन पर आधारित आदि महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामायण एक महाकाव्य है, जो श्रीराम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। अपने महाकाव्य 'रामायण' में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चन्द्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकाण्ड ज्ञानी थे। वनवास काल के दौरान भगवान 'श्रीराम' महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे। सीता जी ने अपने वनवास का अन्तिम काल इनके आश्रम पर व्यतीत किया तथा वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ।

अयोध्या में पूर्व से निर्मित हवाई पट्टी को बड़े वायुयानों हेतु एयरपोर्ट के रूप में विकसित कर इसका लोकार्पण दिनांक 30 दिसम्बर, 2023 को किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 फरवरी, 2021 के उपवेशन में इस आशय का संकल्प पारित किया गया था कि भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम 'मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या' किया जाए।

जिलाधिकारी, अयोध्या को जनपद अयोध्या के साधु-सन्तगण, मा0 जनप्रतिनिधिगण एवं आम जनमानस से विचार-विमर्श करने पर उनके द्वारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम 'महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या' किए जाने का सुझाव प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 23 फरवरी, 2021 को पारित संकल्प के स्थान पर आज दिनांक 07 फरवरी, 2024 को इस आशय का संकल्प लेती है कि भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में स्थित एयरपोर्ट का नाम 'महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम' कर दिया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य शिवपाल सिंह यादव के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग एक सूचना सुन लें। मा0 शिवपाल जी, आप तो अयोध्या चलेंगे न ? मा0 शिवपाल जी ने कहा था कि 11 तारीख को वह मेरे साथ अयोध्या चलेंगे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने 22 तारीख के सम्बन्ध कहा था।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा था तभी मैं कह रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

इनके बुलाने से थोड़े ही जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैं उनके कहने पर बुला रहा हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रभु श्रीराम जब बुलायेंगे तब हम सब लोग जायेंगे। आपके बुलाने से थोड़े ही हम जायेंगे। हम लोग आपके निमंत्रण से नहीं जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, आपने सही कहा कि प्रभु श्रीराम के बुलाने पर ही हम लोग जायेंगे। मैं आपकी ही बात को कह रहा हूँ। मैं आपकी बात से अलग नहीं हट रहा हूँ। आपने यह कहा है कि प्रभु श्रीराम के बुलाने पर जायेंगे। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन मा0 शिवपाल जी ने कहा कि मा0 विधान सभा अध्यक्ष कहेंगे तो उनके साथ चलेंगे, यह भी कहा है।

श्री शिवपाल यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने प्राण प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में कहा था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आपने यह नहीं कहा था।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, वह कार्ड तो आप भी नहीं बाँट पाये। जो कार्ड बँटने थे वह आप भी नहीं बँटवा पाये।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, वह एक व्यवस्था थी। उससे ज्यादा बड़ा कार्यक्रम हम सब लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में किया है। आपने भी किया होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, किसी कार्ड की जरूरत नहीं है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ कहा गया था कि बिना कार्ड के कोई आ नहीं सकता है और कई लोगों के लिये यह कहा गया कि आपको निमंत्रण दिया गया है, लेकिन आप आना मत।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपके पास तो निमंत्रण था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज कोई कार्ड नहीं है। संडे को भी कोई कार्ड नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

आप कहेंगे और अगर आप चलेंगे तो संडे को आपको कार्ड भिजवा देंगे।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में आय-व्ययक पर चर्चा अगले दिन से आरम्भ कराये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

हम सबको मालूम है कि मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वर्ष 2024-25 का बजट श्री अध्यक्ष प्रस्तुत किया गया था। चूँकि आज हमारे पास समय है और बहुत सारे मा0 सदस्य उसके ऊपर बोलना चाहते हैं तो इसके बाद मैं वर्ष 2024-25 के बजट पर सामान्य चर्चा के लिये नाम आमंत्रित करता हूँ। इधर से बी0जे0पी0 की लिस्ट आ गयी है। समाजवादी पार्टी के हमारे अन्य मा0 सदस्यों की जो लिस्ट आयेगी तो वह बजट के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। बजट के ऊपर चर्चा प्रारम्भ करते हैं। श्री पंकज सिंह जी।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री लालजी वर्मा के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, पहले अगर आप बोलना चाहें तो बोल लें।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम नहीं बोलना चाहते। हमारी पार्टी से जो लिस्ट गयी हो उसी के अनुसार मा0 सदस्य बोलें। मेरा अनुरोध है कि आप पहले हमारी पार्टी की तरफ से बुलवा लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आपकी पार्टी की तरफ से जो बोलना चाहे एक मा0 सदस्य बोल ले, उसके बाद मा0 पंकज जी बोलेंगे। आपकी पार्टी की तरफ से पहले कौन बोलेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मा0 ओम प्रकाश जी पहले बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश जी, आप बोलना प्रारम्भ करें।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, 2024-25 का जो बजट मा0 खन्ना जी ने रखा है उसके विरोध में मैं अपनी बात रखने का काम कर रहा हूँ। मा0 अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज चर्चा करायेंगे तो बहुत लोग बोलेंगे और बहुत लोग चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो रोज होता है, कल रात को बहुत सारे लोग बोल रहे थे और बहुत सारे लोग चले गये थे। आप शुरू करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का अवसर मिल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको अवसर नहीं मिलेगा तब आप कहेंगे कि अवसर नहीं मिला।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, सदन अव्यवस्थित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अव्यवस्थित नहीं हो रहा है, सदन दो मिनट में व्यवस्थित हो जाएगा।

श्री ओम प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, चर्चा जारी रखिए, हम कल बोल लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि चर्चा प्रारम्भ मान ली जाए और कल शुरू करायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा तो प्रारम्भ हो गयी है, जो लोग बोलना चाहते हैं बोलें बाकी लोग जायें। मेरा उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में भागीदार बनें। अगर आप लोग सहमत नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। नेता प्रतिपक्ष आप क्या कह रहे हैं ?

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, बजट पर कल से चर्चा शुरू करायें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने निवेदन किया है कि बजट पर चर्चा कल से शुरू करायी जाए, इसलिए चर्चा कल से शुरू करायी जाएगी। आज जो याचिकायें प्रस्तुत हुई हैं उनको ले

लेते हैं, उसके बाद नियम-51 लेकर खत्म कर देंगे। मा0 सदस्य आप लोग आपस में बात न करें जिन्हें जाना है वह लोग शान्ति से जाएं, यहां पर बात न करें।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकायें स्वीकार की जाती है।

(उपस्थित सदस्यों की याचिकायें संलग्न हैं।)

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी से सम्बन्धित याचिका†

ईंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी में किशनी से रामनगर होकर विशुनगढ़ तक के मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री नौरतन सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत ग्राम भिटी स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र चाहर मास्टर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर से सम्बन्धित याचिका†

श्री शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर में देवरिया-गोरखपुर मार्ग पर स्थित ओवर ब्रिज का दोहरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नवीन सिंह सैथवार व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के पट्टी भरथराय से गोपालपुर घाट बसुही नदी पर पुल या रपटा का निर्माण कराये

---

† छापी नहीं गई।

जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश कुमार मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा-121, नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम चौखण्डी से ग्राम अल्हैया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवंश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के सिराथू तहसील से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कौशाम्बी की सिराथू तहसील में स्थित लेखपाल संघ के जर्जर भवन के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अनीता व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका व्यपगत हुयी।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम मोढा में अकलपुर रोड से वीरेन्द्र के मकान होते हुए राजीव दिवाकर के स्कूल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम चकनारायणपुर में राजेन्द्र यादव के घर के पीछे से मनरा देवी शिक्षण संस्थान के मोड़ तक पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप यादव निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा महमूदपुर-बलुआ पिच रोड से होते हुए संदीप यादव व रामजी

---

† छापी नहीं गई।

यादव के घर तक सी0सी0 मार्ग (300 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम सिमौरी से ग्राम बक्सापुर गुरुद्वारा तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कर्मवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुयी।

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र रोहनिया से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनिया के ग्राम मथुरापुर (भरथरा) में वंशनारायण पटेल के घर से पुनवासी पटेल के घर तक व अन्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसन्त लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय सेक्टर एल कानपुर रोड योजना, लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1999 में आवंटित भू-खण्ड संख्या ए-1/246 एवं ए-1/239 का कब्जा आवंटियों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0 डी0 द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के नगर क्षेत्र शिकोहाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्र जहानागंज के अन्तर्गत मोहल्ला बरहतिर जगदीशपुर में सड़क मार्ग से सालचन्द यादव के घर तक का सम्पर्क मार्ग (250 मी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गई।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत ग्राम हीरापुर कमियार में पंडितपुरवा से चौधरीपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के ग्राम ममूरी से सरसवा मार्ग तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र, निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी में गंग नहर के कैनाल से बसेड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिन्ट व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर के पनिहनपुर सम्पर्क मार्ग से पशु चिकित्सालय होते हुये रामनिहोर के पुरवा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्राम पंचायत अहेसा में स्कूल के नाम से संरक्षित भूमि पर राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

† छापी नहीं गई।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम क्योलीकला पोस्ट-आगरपुर में जयपाल सिंह के घर से शमशान स्थल तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल सोलंकी निवासी जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन से सम्बन्धित याचिका†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भैंसवाल रोड पर झण्डू चौक से ग्राम गोहरनी तक मार्ग का सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव बेनीवाल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां से सम्बन्धित याचिका†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम-मल्लावां के अन्तर्गत (लोक निर्माण विभाग) मेसर्स इंजीनियर्स क्रिएशन इण्डिया द्वारा बनवाये गये मार्ग शुक्लापुर भगत से गोकुलपुरवा सम्पर्क मार्ग व नानहूपुरवा मार्ग से मढिया सम्पर्क मार्ग की गुणवत्ता की जाँच कराकर मार्ग का सुधार करते हुये दोषी को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामजी शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट से सम्बन्धित याचिका†

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खुजनावर, ग्राम रायपुर व अन्य ग्रामों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राशिद अली व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत दिलदार नगर भक्सी से सम्बन्धित याचिका†

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत दिलदार नगर भक्सी से जमानियां सड़क का निर्माण लगभग 14 कि0मी0 कराये जाने के सम्बन्ध में

---

† छापी नहीं गई।

श्री चन्द्रशेखर यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री कमलाकान्त राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में जगदीशपुर सोहवली से लल्लूगंज चौराहा भट्टा होते हुए मार्टिनगंज आरा तक की जीर्ण-शीर्ण सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हरैया के शुक्लपुरा चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय से मसहा गांव तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड तुलसीपुर के अन्तर्गत महराजगंज तराई से महमूदनगर मार्ग पर ग्राम जहानडीह धनौढा होते हुए मैनहवा तक लम्बाई लगभग 305 मी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदम्बा प्रसाद मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र धनघटा से सम्बन्धित याचिका†

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा में ग्राम मुखलिसपुर के जर्जर बस स्टैण्ड का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवालखास से सम्बन्धित याचिका†

श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवालखास के अन्तर्गत कस्बा सिवालखास से ग्राम खानपुर को जाने वाले बम्बे की पटरी मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तसव्वर अली व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख में हैदरगढ़-बाराबंकी मार्ग पर नरौली से भगवानपुर पुरवा सम्पर्क क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरताज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम खेड़ा कला में सुदामादीन के मकान से अवनीश के खेत होते हुए तालाब तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश निरंजन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के वि0ख0 मोरना में मोरना भोपा लो0 नि0 मार्ग से किशनपुर तिस्सा मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जाहिद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम दुल्हारा से मठ तक की सड़क को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में घाघरा नदी की कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय मंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय मंगल, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के बासपार बैजौली मार्ग से पडरी के बीच बलिया नालापर अर्द्धनिर्मित लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री विजय पटेल व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ब्लाक बामौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ब्लाक बामौर के देवरी से धनौरा होते हुए ककरवई तक सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के भटपुरवा गाँव में जाने के लिये बकुलाही नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर से सम्बन्धित याचिका†

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम हिमर्दापुर में राममूरत यादव के घर से काली माता के मन्दिर तक डामर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज की विधान सभा क्षेत्र महाराजगंज की ग्राम सभा डोमरा के पास रोहिनी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड जहागीरगंज के ग्राम टिलकटण्डा में सिकन्दपुर नरियाव मुख्य मार्ग पर राम प्रसाद यादव के घर से अमर जीत यादव के चक तक पिच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर मनिहारन से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक रामपुर मनिहारन के ग्राम टपरी में हिंडन नदी पर रपटे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठा0 बृजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां से सम्बन्धित याचिका†

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर की तहसील बिसवां में रामपुर घेरवां पेंटेड मार्ग से कुटी होते हुए कमरिया पेंटेड मार्ग तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की पी0एन0बी0 मैटलाइफ से सम्बन्धित याचिका†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की पी0 एन0 बी0 मैटलाइफ इण्डिया के श्री रमाकान्त पाण्डेय द्वारा पी0 एन0बी0 में मैटलाइफ इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्धक बताकर फर्जी पालिसी के नाम पर ठगी करने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी

---

†छापी नहीं गई।

कराकर जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना से सम्बन्धित याचिका†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के पनासा के लकटहा मजरा में आवास प्रदान करने के सम्बन्ध में श्री भुअर निषाद निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पूरन प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के ब्लाक फरह से सम्बन्धित याचिका†

श्री पूरन प्रकाश सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के ब्लाक फरह के ग्राम पंचायत ओल को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम राजगढ़ी में सुरेन्द्र के घर से जगत सिंह के घर तक लगभग 120 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद के विकास खण्ड सादाबाद में जुगसना रजवाहा के ग्राम गुमानी गढ़ी से नगल फत्ता तक कच्चे मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलुआ चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ स्थित मेसर्स ओमेक्स लि0 इण्टीग्रेटेड टाउनशिप हेतु गाटा संख्या-436 ग्राम सभा सरसवा, तहसील सरोजनीनगर में श्री श्याम मनोहर को विस्थापन के उपरान्त प्राप्त भू-भाग 01122 को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम मनोहर व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड खजनी में नगवां से नन्दापार छताही होते हुए खजनी तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड छपिया के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज महराजगंज ग्रन्ट छपिया में नव निर्माण/वित्तीय स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामतीरथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के अन्तर्गत ग्राम कुड़ाना में जर्जर पशु चिकित्सालय का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर चौरासी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पेसारी में सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड लालगंज की ग्राम सभा अकबालपुर उर्फ नाउपुर में श्री सुवाष यादव के घर के सामने नहर शाखा पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

---

†छापी नहीं गई।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया के ग्राम डहरमउआ में सैदपुर बहरियाबाद मेन मार्ग से सुदर्शन राजभर के घर व अन्य ग्रामों में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित याचिका†

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के अन्तर्गत नगर पालिका कुलपहाड़ में स्थित 200 वर्ष पुराना किशोर तालाब मन्दिर का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में कमलापुर से सिधौली होते हुए जनपद लखनऊ तक जाने वाली खीरी ब्रान्च नहर में जमा सिल्ट की सफाई का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चित्रकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊँचाहार के अन्तर्गत ग्राम निगोहां में हुरैसा से पूरे चूर के पुरवा को जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के ब्लाक कोतवाली के ग्राम मनीरामपुर से ग्राम गनौरा तक त्वरित विकास निधि से बने मार्ग की मरम्मत कराने एवं मार्ग पर पड़ने वाली बान नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर के ग्राम हाजीपुरा तरारा में गाँव के चौराहा से सुमा ठेर की ओर सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मूल चन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत कुसमरा परावर मार्ग पर ग्राम अतरौली के पास पहूज नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री मेघश्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के ब्लाक मथुरा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मेघश्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मथुरा के ब्लाक मथुरा में अड़ीग से मुखराई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड ककवन की ग्राम पंचायत कसिगवां में पांडु नदी पर पैन्टून पुल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश राठौर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी से सम्बन्धित याचिका†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-509 को ग्राम मोहम्मद इब्राहीमपुर से जोड़ने वाले मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद उसमान व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद की ग्राम सभा जगदीशपुर उर्फ भटरिया में चकिया रोड से पंचायत भवन तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्दर बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी महानगर के वार्ड नं0 39 बाहर दतिया गेट में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोंटी साहू व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य से सम्बन्धित याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मध्य के अन्तर्गत रकाबगंज स्थित रकाबगंज से नक्खास की सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 जावेद खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर से अयोध्या धाम जाने वाले राम पथ के किनारे कूरेभार बाजार में स्थित सिंचाई विभाग (नलकूप) के अतिथि गृह के साथ उसकी बाउन्ड्रीवाल का निर्माण एवं अतिथि गृह का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के अन्तर्गत ग्राम बुढ़ाना और कांधला मार्ग तक जर्जर मार्ग (14 किमी0) की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका व्यपगत हुई।

---

†छापी नहीं गई।

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज में स्टेडियम का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सागर व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रुधौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के दाउदपटटी से तेलियाडीह मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिद्वार चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा-चण्डिका से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सण्डवा- चण्डिका के गोडे फाटक 87सी व रेलवे लाइन के किनारे से पण्डितपुर वाया संग्रामपुर वर्मा बस्ती तक सड़क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबरन मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लाक देवमई से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लाक देवमई के अन्तर्गत जोगा महमूद से रामपुर हाई-वे वकेवर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष पटेल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत स्थित ग्राम सभा करमुल्हा छितूनी पिच मार्ग से जगन्नाथ वर्मा के घर से हाशिमगढ़ होते हुए बेलहा गाँव तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम आशीष राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र श्रावस्ती के विवेश्वरगंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राना व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर नगर में पानी की टंकी से गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नालाल जैन व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ग्राम बौड़ा से ग्राम प्रानगढ़ तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड कटेहरी से सम्बन्धित याचिका†

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर विकास खण्ड कटेहरी के अन्तर्गत महरूआ से हीड़ीपकड़िया मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् से सम्बन्धित याचिका†

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् फतेहपुर के अन्तर्गत भिखारीपुर में अशोक नगर बस स्टाप के पास श्रीमती रामा अग्रहरि जी के नाम से स्मृति द्वार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री विजयपाल (आढ़ती) सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हापुड़ के ग्राम जरौठी में त्रिलोक के खेत से लेकर मेरठ बाईपास तक कच्चा मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवीर चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कुठौद के कुठौन्द में उरई, औरैया मार्ग से बम्बी के बगल होते हुए सुरावली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विपुल दुबे, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर के डीघ ब्लाक जिला पंचायत मार्ग जी0 टी0 रोड से दरवासी मार्ग तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड विलसण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड विलसण्डा के ग्राम भदेगकंजा, मजरा लाखनगर से सिताराबाबा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की बछरावां विधान सभा क्षेत्र में रजबहा, राजामऊ, मेहरबान खेरा, समहोदा के पास पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयचन्द कुशवाहा, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के ऊटी में नाले की पुलिया से चन्द्रिका प्रसाद (एडवोकेट) के घर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंद्रिका प्रसाद, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के ग्राम बलालपुर में मदन के खेत से गुरूदयाल के मकान तक मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल योजना के अन्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन के पश्चात् क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर की विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर की विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर में रविदासपुरम मलिन बस्ती एवं गुजैनी गांव व कतिपय बस्तियों में पेयजल की गम्भीर समस्या के निस्तारण हेतु नई वाटर लाईन बिछवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत भोलागंज सम्पर्क मार्ग से रैचा पंचायत भवन तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत बारौत बाजार से बिठौली तक जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरजा शंकर बिन्द व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड हुजूरपुर करनैलगंज के किलोमीटर 5 से दाहिने नहर पटरी होते पिपरिया महिपाल सिंह सम्पर्क मार्ग तक नाली व खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभाराम गौतम, निवासी जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुयी।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के अन्तर्गत मोहम्मदपुर गौती पुल से कौशाम्बी बार्डर टांडा भैरवा तक सम्पर्क मार्ग एवं हुसैनगंज चौराहे से असनी रोड तक सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुमताज हसन व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ग्राम कहली सत्तू से तेजपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अल्पना देवी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम सभा फिनीहिनी के पास मगई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मैथा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात में विकास खण्ड मैथा के अन्तर्गत नया पुरवा जू0 हाई स्कूल से रामगंगा नहर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पी0एस0 वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के ब्लाक रजापुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 मंजू शिवाच, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के ब्लाक रजापुर के ग्राम काजमपुर के गेट से दोसा ग्राम तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-257, प्रतापपुर के ग्राम जंघई मार्ग नेदुला बाजार से बजती होते हुए नेवादा सरजू पट्टी तिराहा तक मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा सदर के ग्राम बेला से प्राचीन बाल्मीकि जी के मंदिर तक कच्चे मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतू भदौरिया, निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-133, तिलहर के नगर पंचायत निगोही में 11000 के0वी0 विद्युत लाइन का विस्थापन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर में भड़रिया-डुमरियागंज मार्ग से बिथरिया घाट को जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मोहम्मद असजल व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 07-02-2024 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 94 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। जिन मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गयी हैं वह निम्नवत् हैं :-

पहली सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद के बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में आधुनिक बस स्टैण्ड स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अभय सिंह की पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कॉलेज अयोध्या में हुई अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम खेड़ाजाट से नगला देबिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जामों के ग्राम पंचायत सूखी बाजगढ़ के वित्तीय वर्ष 2010 से वर्तमान तक के कार्यों में हुई अनियमितताओं हेतु विशेष जाँच दल गठित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तथा छठी सूचना डॉ0 रागिनी की राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डॉक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की विधान सभा क्षेत्र-221, उरई, जनपद जालौन के ग्राम रिनिया बड़ा गांव एवं मडौरा होते हुये उरई-जालौन मार्ग तक एक बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री राजेश्वर सिंह की विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड सरोजनीनगर के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं कम्पोजिट विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की ग्राम पंचायत मंगापुर, विकास खण्ड सांगीपुर, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन के कतिपय प्लाटिंग की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नव निर्मित पानी के टंकियों के निर्माण की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

---

†छापी नहीं गई।

पहली सूचना श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की विधान सभा क्षेत्र शहर पश्चिमी, जनपद प्रयागराज अन्तर्गत बेगम बाजार पुल का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अखिलेश की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्र सठियांव के नवीनीकरण व सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री ज्ञानेन्द्र सिंह की विधान सभा क्षेत्र पनियरा, जनपद महराजगंज अन्तर्गत लाला बड़हरा जर्दी बांकी माँ के स्थान होते हुए डोमरा बांध तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना हाजी नासिर कुरैशी की विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद के नगर पंचायत भोजपुर में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के कतिपय रजवाहों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा में सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री प्रकाश द्विवेदी की विधान सभा क्षेत्र बांदा में अण्डरग्राउण्ड केबिल बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर में पॉपुलर इण्डस्ट्री स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की विधान सभा क्षेत्र धनघटा के अन्तर्गत ग्राम मुखलिसपुर के जर्जर बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी के बामौर ब्लॉक के खड़ैनी, बामौर, गड़वई, ककरवई से गरौठा की सड़क मार्ग एवं देवरी से धनौरा होते हुये ककरवई तक की जर्जर/खराब सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्त/गड्ढामुक्त कराने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत कायमगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षों की अवैध कटाई एवं चोरी के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा में धनौरा रामलीला ग्राउण्ड का विकास कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में पार्श्वनाथ सिटी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री गुलाम मोहम्मद की विधान सभा क्षेत्र सिवालखास, जनपद मेरठ के मेरठ-बड़ौत रोड पर ग्राम सिधावली/लखवाया के राजस्व क्षेत्र में कालोनियों में मिट्टी भराव हेतु अवैध खनन की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद खीरी के मोहम्मदीनगर स्थित रोडवेज बस अड्डे का नाम स्व0 मन्ना लाल जी के नाम करने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड-सरसवां एवं कौशाम्बी में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री संजय कुमार शर्मा की अनूपशहर विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री चन्द्र प्रकाश लोधी की जनपद फतेहपुर में शादीपुर रेलवे क्रासिंग में उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

बीसवीं सूचना श्री जय कुमार सिंह 'जैकी' की जनपद फतेहपुर के कतिपय गांवों के किसानों की समस्या के दृष्टिगत वन विभाग की भूमि का सीमांकन करने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री राम सिंह पटेल की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत ग्राम रेडीगारा प्राथमिक विद्यालय रेडीगारा से पाल बस्ती तक इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में अन्ना पशुओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री प्रभु नरायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत मुगलसराय-भूपौली-चहनियां सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री मो0 हसन 'रूमी' की नगर निगम कानपुर को जनहित के कार्यों के लिये भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में बिचनौर-नूरपुर मार्ग से शरीफपुर होते हुये ताहरपुर तक मार्ग को गड्ढामुक्त तथा मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री आशु मलिक की जनपद सहारनपुर के ब्लॉक बलियाखेड़ी के ग्राम भलस्वा ईसापुर होते हुये हसनपुर तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती ऊषा मौर्या की विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज फतेहपुर में थाना सुल्तानपुर घोष के अन्तर्गत बनी सड़क स्टेट हाई-वे हथगाम-कड़ मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर, ब्लॉक अकबरपुर से हसनपुर-जलालपुर खास होते हुए सिसवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री तूफानी सरोज की जनपद जौनपुर के थाना मीरगंज के ग्राम सभा अदारी में अवैध पाइप लाइन डाले जाने एवं मार-पीट से मृत्यु के सम्बन्ध में जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की विधान सभा क्षेत्र किशनी के इटावा-वेवर मार्ग का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना श्री नन्द किशोर की नगर पालिका परिषद् लोनी में हो रहे घोटाले की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना डॉ0 वीरेन्द्र यादव की विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर में हाई वोल्टेज तार को हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के ग्राम अकबराबाद, पखनपुर, हिन्दपुर में ग्राम समाज की भूमि पर मनरेगा के माध्यम से मिनी स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रयागराज के तहसील सोराँव के ग्राम दनियापुर में खाता सं0-00167, गाटा सं-70 रकबा 0.188 हे0 बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की नगर पंचायत सरीला की दीपालिका यादव, अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा की गयी अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा छत्तीसवीं सूचना श्री मो0 ताहिर खान की महराजगंज से दुल्लापुर तथा नेशनल हाई-वे सुल्तानपुर-वाराणसी मार्ग

से थाना बन्धुआ व सगरा होते हुए ऊघड़पुर रोड का विशेष मरम्मत एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री योगेश वर्मा, श्री संग्राम सिंह, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री सर्वेश सिंह, श्री विजयपाल (आढ़ती), श्री बम्बा लाल, श्री मनीष रावत, श्री अनिल सिंह, श्री प्रसन्न कुमार, श्री चन्दन चौहान, डॉ0 आर0 के0 पटेल, श्रीमती सरोज कुरील, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री अनिल कुमार, श्री प्रदीप कुमार सिंह, डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री जाहीद, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री अरमान खान, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री नफीस अहमद, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्री सुहेब उर्फ मन्नू अन्सारी, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री हरिओम वर्मा, श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री अशोक कुमार कोरी, श्री लक्ष्मी राज सिंह, श्री राम चन्द्र यादव, डॉ0 अमित सिंह चौहान, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री ब्रजभूषण राजपूत, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, ठा0 रवेन्द्र पाल सिंह, श्री प्रदीप शुक्ला, श्री राज प्रसाद उपाध्याय, श्री बेचई सरोज, श्री मदन भईया, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री अजय सिंह, श्री असीम कुमार तथा ई0 सरवन निषाद।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-159, बिलग्राम-मल्लांवा के अन्तर्गत गनीपुर के निकट लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर टूटे पुल के सम्बन्ध में श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पुल का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 में ....

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[एन0आर0ई0पी0 योजनान्तर्गत कराया गया था। पुल हल्के वाहनों के सुगम यातायात हेतु उपयुक्त था। दिनांक 05-01-2024 को बिलग्राम की ओर से मौरंग का डम्पर पुल से गुजर रहा था, जिसके कारण पुल के एबटमेंट के बाद सातवें पियर के बीच वेड ब्लाक क्रश हो गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त कारणवश सातवां पियर टूट जाने एवं डम्पर का पिछला भाग सातवें पियर के अन्दर फंस जाने के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त लघु सेतु के दाहिनी ओर वैकल्पिक मार्ग के रूप में अस्थायी डायवर्जन बनाकर हल्के वाहन एवं पैदल यात्रियों के लिये मार्ग आवागमन हेतु चालू कर दिया गया है।

उक्त लघु क्षेत्र के अचानक क्षतिग्रस्त होने से अवरुद्ध यातायात एवं जनसामान्य को हुई असुविधा के लिये प्रकरण में उत्तरदायी अभियन्ताओं के विरुद्ध निम्नवत् कार्यवाही संस्थित की गई है :-

श्री अनुराग मौर्य, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, हरदोई (मु0-बिलग्राम) के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17-01-2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए उक्त नियमावली के नियम-4(1) के अन्तर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17-01-2024 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा श्री बृजेश कुमार दीपक, अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, हरदोई (मु0-बिलग्राम) एवं श्री सुभाष चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, उन्नाव वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उन्नाव के विरुद्ध नियम-7 के अन्तर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17-01-2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है।

लघु सेतु के नव निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर 6x8 मीटर स्पॉन आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट (48 मी0) के पुल की अनुमानित लागत रु0 294.20 लाख है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद रायबरेली के ग्राम परवनपुर, थाना महाराजगंज, रायबरेली में महिला चिकित्सालय की डा0 रेनू चौधरी द्वारा प्रसूता की डिलीवरी के ऑपरेशन में लापरवाही बरते जाने की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य द्वारा मा0 सदन में दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 05-02-2024 के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-02-2024 द्वारा .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[निदेशक (नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को प्रकरण की जांच कर तथ्यात्मक जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस प्रकार डॉ0 रेनू चौधरी, महिला चिकित्सक, रायबरेली के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच निदेशक (नर्सिंग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की जा रही हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर डॉ0 रेनू चौधरी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से मा0 सदन एवं मा0 सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।]

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान/के0जी0एम0यू0 के विभिन्न भर्तियों में आरक्षण नियमों की अवहेलना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि इस वक्तव्य को आज के लिए स्थगित कर दीजिये और इसे बाद में ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

बाद में कब के लिए लगा दें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, परसों 09-02-2024 अथवा 10-02-2024 को लगा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे दिनांक 09-02-2024 को ले लेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मद संख्या-22 पर मेरे द्वारा दी गई नियम-51 की सूचना पर वक्तव्य लगा हुआ था, जिस पर मुझे अनुपूरक प्रश्न करना है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

पहले आप मेरी बात सुन लीजिये और उसके बाद अगर अनुपूरक बनता हो तो पूछ लीजियेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

ठीक है, आप जवाब दे दीजिये।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मान्यवर, यह सूचना दिनांक 05 फरवरी की है, जिसमें जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। कल सुबह जाँच कमेटी जाँच करने के लिए रायबरेली जा रही है। इसमें जाँच हो जाने दीजिये और जो रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर कठोर से कठोर कार्यवाही कर दी जायेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

इसमें मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी इस प्रकरण को बड़ी गम्भीरता से लीजिये। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जाँच कमेटी कल सुबह जाँच करने जायेगी और उसकी जाँच के आधार पर कार्यवाही कर देंगे। उन्होंने जवाब तो दे दिया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिये। यह बहुत गम्भीर प्रकरण है। जिस सी0एम0एस0 की शिकायत आई है उसमें तीन महिलाओं की मृत्यु हुई है। इन्होंने पन्द्रह हजार रुपये मांगे हैं और न देने पर इलाज नहीं किया, जिसके कारण वह महिलायें तड़प-तड़प कर मर गईं। आपने जो जाँच कमेटी भेजी है उसके क्रम में उन्हीं सी0एम0एस0 रायबरेली ने उन लोगों को पत्र लिखा है कि आप आइये और हमको बयान दीजिये। जिसके ऊपर कम्प्लेन्ट है और जो स्वयं दोषी है उससे आप जाँच करायेंगे। जिस पर आरोप है क्या वह जाँच कमेटी की तरफ से पीड़ितों को पत्र भेजेगा। मैं सम्बन्धित पत्र अपने साथ लाया हूँ। यह इतना गम्भीर मामला है कि जिसके खिलाफ कम्प्लेन्ट है वही लोगों को पत्र भेज रहा है। मैं इसमें फोटो दिखाना चाहता हूँ। यह महिला मर गई है और कितनी ब्लीडिंग है। यह मंजू सिंह उम्र 22 वर्ष है। माननीय मंत्री जी आप यह फोटो देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप यह दिखाइये नहीं। इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

इसमें सी0एम0एस0 की तरफ से शिकायतकर्ताओं को नोटिस गई है तो कम से कम तब तक आप उसे वहां से हटा दीजिये, फिर जाँच कराइये। अगर वह वहां पर सी0एम0एस0 रहेंगी तो क्या जाँच होगी। इनके यहां रहते हुए जाँच निष्पक्षता से होनी सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी, आप हमारी बात सुन लीजिये फिर उसके बाद बोल लीजियेगा। मैं कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कल सुबह एक जाँच कमेटी जायेगी, तो मेरा आपसे निवेदन है और मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूँगा कि आप अभी माननीय मंत्री जी के कक्ष में चले जाईये और आप क्या-क्या

जाँच करवाना चाहते हैं वह आप लिखवा दीजिये, जिससे सभी चीजें जाँच में सम्मिलित हो जायें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप जाँच से पहले वहां की सी0एम0एस0 को हटा दीजिये, क्योंकि उनके वहां पर रहने से निष्पक्षतापूर्वक जाँच सम्भव नहीं हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यहां पर तत्काल इसका वायदा कर दें यह सम्भव नहीं है। आप उनके पास जाइये और उनसे बात कर लीजिये। मैं इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं दे सकता हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा कहना है कि जाँच प्रभावित न हो और निष्पक्ष से जाँच हो, क्योंकि अगर वह उसी पद पर रहेंगी तो जाँच कैसे सम्भव हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष-

जिन बिन्दुओं को आप कह रहे हैं आप उन पर माननीय मंत्री जी से बात कर लीजियेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

सी0एम0एस0 ने ही पत्र भेजा है कि आप लोग आकर अपना बयान दीजिये। यह पत्र इनके हस्ताक्षर से गया है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

निदेशक, प्रशासन ने इसमें जाँच अधिकारी नियुक्त किया और जो जाँच अधिकारी है वह महानिदेशक, नर्सिंग हैं। इन्होंने सी0एम0एस0 को पत्र नहीं भेजा है, बल्कि इन्होंने सी0एम0ओ0 को पत्र भेजा है और कहा है कि मैं कल आ रही हूँ। मैं पत्र पढ़ देता हूँ।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मैं भी पत्र पढ़ देता हूँ। सी0एम0एस0 की तरफ से शिकायतकर्ता को गया है।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मैं पत्र पढ़ देता हूँ।

मान्यवर, इस पत्र में लिखा है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि जाँच समिति में सभी पीड़ितों के परिजनों को भी अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें कि वह जाँच के समय अपना बयान देने हेतु उपस्थित रहें। यह पीड़ितों से बयान लेना है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मेरा केवल यह आग्रह था कम्पलेनर को जो नोटिस गया है वह सी0एम0एस0 रायबरेली ने भेजा है कि आप अपना बयान दर्ज करा दीजिए। सी0एम0एस0 रायबरेली के खिलाफ ही तीन लोगों को मार डालने का आरोप है। मेरा नियम-51 भी इसी में स्वीकार्य है। अगर वह वहां पर रहेंगे और वह पत्र भेजकर बयान लेंगे तो यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। मैं पत्र लाया हूँ आपको दे रहा हूँ। अगर वही उसे भेजेंगे और वही बयान नोट करेंगे तो यह उचित नहीं होगा।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मान्यवर, मैं इसे देख लूंगा और इसे तुरन्त सी0एम0ओ0 ऑफिस में कन्वर्ट करा दूंगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, वह जाँच में भी न रहें।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

इसे पहले ही 9 तारीख के लिए कर दिया गया है।

जनपद मुजफ्फनगर के बघरा के तिरपडी-बुडीना खुर्द मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, प्रश्नगत मार्ग बघरा से तिरपड़ी...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[बुडीना खुर्द की लम्बाई 2.30 कि0मी0 है, जिसमें से 1.00 कि0मी0 मार्ग की दशा सन्तोषजनक है, शेष 1.30 कि0मी0 मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, सदन में मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां पानीपत-खटीमा मार्ग व मुजफ्फरनगर-थानाभवन मार्ग को रास्ता जोड़ता है। यह ढाई किलोमीटर का रास्ता है, इन्होंने कहा है कि सर्वे करा दिया, इसकी दूरी भी घटा दी गयी है। उसके बाद भी नहीं बना रहे हैं। मान्यवर, यह बनना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह चलने लायक बिल्कुल नहीं है, किसान वहां बुग्गी लेकर जाते हैं। बच्चे स्कूल भी जाते हैं। इसे जल्द से जल्द करा दिया जाए।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

ठीक है, इसे करा दिया जाएगा।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम झपारा में अधिग्रहीत भूमि पर अग्निशमन केन्द्र का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद में 04 अग्निशमन केन्द्र ....

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु भूमि अधिग्रहण का कार्य काफी समय पूर्व सम्पन्न हो चुका था किन्तु अभी तक भवन का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। अभी विगत कुछ दिन पूर्व तहसील जसराना के कस्बा पाढम में आग लग जाने के कारण एक ही परिवार के 06 लोगों की जलकर मृत्यु हो गयी थी एवं अप्रैल, 2023 में ग्राम टीकामई, दिनौली गोरवा के मध्य किसानों की पकी फसलों में आग लगने से सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गयी थी। इतनी बड़ी वीभत्स घटनाएं होने की प्रमुख वजह यह थी कि तहसील जसराना में अग्निशमन भवन न होने के कारण दमकलों को अन्य जगहों से आने में इतना समय लग गया था कि लोगों की जान व गेहूँ की पकी किसानों की फसलों को नहीं बचाया जा सका था। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत तहसील जसराना में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की माँग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद फिरोजाबाद में 04 अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत है, जो संचालित एवं क्रियाशील हैं। जनपद फिरोजाबाद में कुल 103 अग्निशमन कर्मी तैनात है एवं कुल 16 अग्निशमन वाहन उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा का कार्य निरन्तर किया जाता है। जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के अन्तर्गत थाना जसराना में 01 वाटर टेण्डर मय यूनिट (लीडिंग फायरमैन-01, फायर सर्विस चालक-02, फायरमैन-03) उपस्थित रहकर अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा का कार्य वर्ष भर लगातार करती है। ग्रीष्मकाल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को शत-प्रतिशत बनाये रखने हेतु अग्निशमन कर्मियों को 24x7 कमरबन्दी के लिये समस्त प्रकार के अवकाशों को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया जाता है।

वर्तमान में प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराया जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय द्वारा जनपद फिरोजाबाद के तहसील जसराना के ग्राम झपारा में 0.418 हेक्टेयर (4180 वर्गमीटर) भूमि उपलब्ध होने के दृष्टिगत अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है, जो कि सम्प्रति परीक्षणाधीन है।]

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मैंने इसमें पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा था और याचिका समिति में भी मुद्दा उठाया गया था।

श्री अध्यक्ष-

उसमें जो लिखित जवाब मिला है नियम-51 में आप एक-आधा स्पष्टीकरण माँग सकते हैं उस पर डिबेट नहीं कर सकते हैं।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, यह डिबेट नहीं है। इसमें छः लोग कस्बा पाड़ में खतम हो गये। तीन लोग गांव खड़ीद में खतम हो गये। सिकन्दरपुर में आग लगने की घटना हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

जो स्पेसिफिक उत्तर आया है, आप उस पर स्पेसिफिक जवाब पूछिए।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मैं आश्वसन चाहता हूँ कि इसे टाइम लिमिट में कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय समिति में भी आया था और याचिका समिति द्वारा निर्देश दिया गया था कि अधिकारियों की सहमति पर, मैं उनकी सहमति शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हो जाएगा और उन्होंने नहीं किया, यह बहुत गम्भीर बात है। उसकी जानकारी करके जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उनसे बात-चीत करके मेरे पास भी रिपोर्ट भेज दी जाए।

जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा, महाविद्यालय....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[फिरोजाबाद में विभिन्न सुविधाओं से सम्बन्धित बहुत से बिन्दु उठाये गये हैं, जिनमें से डेडीकेटेड बर्न यूनिट, एम0आर0आई0, क्रिटिकल केयर ब्लाक, ऑडिटोरियम की साज-सज्जा, गेस्ट हाउस, सीनियर रेजीडेन्ट के बहुमंजिला भवन, चिकित्सा शिक्षकों के आवास के बारे में माँग उठायी गई है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद को एन0एम0सी0 के मानकों के अनुसार अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शासन प्रतिबद्ध है।

ई0सी0आर0पी0-2 के तहत एम0आर0आई0 मशीन की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी गई है एवं मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, लखनऊ द्वारा क्रय की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 100 शैय्या का क्रिटिकल केयर ब्लाक हास्पिटल एन0एच0एम0 द्वारा स्वीकृत है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा नामित कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा निविदा की प्रक्रिया की जा रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इमरजेन्सी मेडिसिन विभाग एवं ट्रामा सेन्टर के प्रथम तल पर विस्तारीकरण हेतु उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया जा चुका है। एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप माड्यूलर आपरेशन थियेटर के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

एल0एम0ओ0 स्थापित होकर पी0 ई0 एस0 ओ0 लाइंसेस प्राप्त हो चुका है। ई0सी0आर0पी0-2 के तहत 200 शैय्या भवन में प्रस्तावित 42 बेडेड पीडिया आई0सी0यू0 एवं एल0एम0ओ0 मैनीफोल्ड कनेक्शन (200 शैय्या भवन तक) का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन के उपरान्त प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि कार्यदायी संस्था यू0पी0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में निर्मित किये जाने वाले नर्सिंग कालेज में नर्सिंग छात्रावास बनाये जाने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है तथा अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वर्तमान में नवस्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों में बेसिक स्पेशियलिटी विधाओं की सेवायें उपलब्ध हैं। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद को एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप अनुमन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु शासन की प्रतिबद्धता है।]

विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा मूलभूत संरचनात्मक कार्य के साथ घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल के समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र सदर...

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[के अन्तर्गत बिजली के जर्जर तारों एवं परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु आर0डी0एस0एस0, बिजनेस प्लान-2023-24 एवं सिस्टम इम्प्रूवमेंट (नगर निगम/नगर निकाय) योजना अन्तर्गत व्यवस्था है। साथ ही जनपद आजमगढ़ में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना एवं अतिरिक्त बिजनेस प्लान-2023-24 के अन्तर्गत जर्जर तारों एवं वितरण परिवर्तकों की क्षमता

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वृद्धि हेतु चयनित कार्यदायी संस्था को एल0ओ0आई0 निर्गत की जा चुकी है। आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत चयनित मजरों का विद्युतीकरण किये जाने की व्यवस्था है। स्वीकृत कार्यो का विवरण निम्नवत् है :-

जनपद आजमगढ़-

एल0टी0 जर्जर तार	सर्किट किमी0	263.136
11 के0वी0 जर्जर तार	सर्किट किमी0	29.893
ए0बी0सी0 बदलना	सर्किट किमी0	2.820
वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि	संख्या	310
नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना	संख्या	65

सदर विधान सभा क्षेत्र-आजमगढ़

एल0टी0 जर्जर तार	सर्किट किमी0	53.72
11 के0वी0 जर्जर तार	सर्किट किमी0	2.55
ए0बी0सी0 बदलना	सर्किट किमी0	2.82
वितरण परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि	संख्या	10
नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना	संख्या	07

विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर रीडिंग आधारित बिल उपलब्ध कराये जाने हेतु मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये जाते हैं। समय पर सही विद्युत बिल उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है, बिल जारी होने पर उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर बिल सम्बन्धी सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, बिल जमा होने तक यह एस0एम0एस0 भेजा जाता है, उपभोक्ताओं को त्रुटि रहित बिल निर्गत कराये जाने हेतु वर्तमान में विद्युत वितरण निगमों के अन्तर्गत विद्युत विभाग आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत मीटर रीडरों के साथ विभागीय कार्मिक उपभोक्ताओं के परिसर पर जा कर मीटर रीडिंग का कार्य करा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को वास्तविक रीडिंग आधारित बिल निर्गत किया जाता है, कतिपय प्रकरणों में गलत/अधिक बिल सृजित होने की स्थिति में उपभोक्ताओं द्वारा बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत पंजीकृत करने की निम्नवत् व्यवस्था लागू है :-

1-उपभोक्ताओं द्वारा बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत के निराकरण हेतु निकटतम विभागीय कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराये जाने की व्यवस्था है।

2-उपभोक्ता द्वारा स्वयं उ0प्र0 पा0का0लि0 की अधिकृत वेबसाइट (www.uppcl.org) पर त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था उपलब्ध है।

3-उपभोक्ता स्वयं उ0प्र0 पा0का0लि0 के अधिकृत मोबाइल ऐप (यू0पी0पी0सी0एल0 कन्ज्यूमर ऐप) के माध्यम से त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं।

4-उपभोक्ताओं द्वारा टोल फ्री हेल्प लाइन नं0-1912 पर भी बिल सम्बन्धी शिकायतें दर्ज की जा सकती है।

5-बिल न मिलने एवं त्रुटिपूर्ण बिल की समस्या के निवारण हेतु उपभोक्ता पर विश्वास रखते हुए ट्रस्ट बिलिंग की व्यवस्था है। इसके तहत यह व्यवस्था है कि घरेलू एवं वाणिज्यिक विधा के 9 कि0वा0 भार तक के उपभोक्ता उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की अधिकृत वेबसाइट (www.uppcl.org) पर लॉगिन कर अपने मीटर की रीडिंग अंकित कर अपना बिल स्वयं बना सकते हैं।

6-उपभोक्ता स्वयं उ0प्र0 पा0का0लि0 के अधिकृत मोबाइल ऐप (यू0पी0पी0सी0एल0 कन्ज्यूमर ऐप) के माध्यम से भी मीटर की रीडिंग अंकित कर अपना बिल स्वयं बना सकते हैं।]

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, मैंने नियम-51 में वक्तव्य के लिए सूचना दी थी, लेकिन जो जवाब आया है वह गोल-मोल करके आया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि शहर के अन्दर कौन सा मोहल्ला है जहां इन्होंने जर्जर तार बदले हैं, इसे बता दें। जो आंकड़ा दिया गया है इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

इन्होंने जो आँकड़े दिये हैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुयी। बिजनेस प्लान से पैसा गया था, वह पैसा किन-किन जगहों पर खर्च किया है, इसका विवरण नहीं है। हमारे यहाँ कई गाँव ऐसे हैं कटोला, थनवारा, पटिया भदरका, जहाँ पर लाइनें जर्जर और खराब हैं। जो पैसा गया था, उसको सदर विधान सभा क्षेत्र में आपने कहाँ-कहाँ खर्च किया। हम यह जानना चाहते हैं। गरीबों के मनमाने तरीके से बिल भेजे जा रहे हैं, गरीब लोग परेशान हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य का जो प्रश्न है इसमें इन्होंने स्वयं कहा है कि बिजनेस प्लान का पैसा गया है, इनकी जानकारी के लिए आर0डी0एस0एस0 का भी पैसा गया है। मैं पूरे जिले की और आपके विधान सभा क्षेत्र की स्थिति आपको बताता हूँ। आपके पूरे जिले में 310 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गयी है और उसमें से आपकी विधान सभा क्षेत्र में 10 की क्षमता वृद्धि की गयी है, पूरे जिले में 65 नये ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं उसमें 07 आपकी विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये हैं। आपके जिले में कुल 263 कि0मी0 के तार मंजूर किये गये है उसमें से आपकी विधान सभा क्षेत्र में 53 कि0मी0 के तार मंजूर किये गये हैं। जिसमें से जिले में 26 और आपके क्षेत्र में 05 कि0मी0 का काम हो भी चुका है। किसी गाँव या मोहल्ले

में आपको रुचि है कि यहाँ विशेष रूप से हो जाना चाहिए, अगर आप बतायेंगे तो करवा दिया जायेगा।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जो तार टूटा है वह जर्जर है उसको पूरा बदलना पड़ेगा और जो मनमाने तरीके से बिल आते हैं उससे लोग परेशान हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मैंने यही कहा कि पूरे जिले में 263 कि0मी0 और आपके क्षेत्र में 53 कि0मी0 तार बदलने के कार्य को मंजूरी दे दी गयी है। कार्य शुरू भी हो गया है। कहीं स्पेसिफिक हो जहाँ आवश्यक हो तो अवगत करा दें उसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र सलोन में ब्लॉक सलोन के अन्तर्गत धरई-कमालपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम सभा कोटीला तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पत्र संख्या-8478/ए-35/यूपीआरआरडीए/2024, दिनांक 06-02-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग धरई-कमालापुर सम्पर्क मार्ग से कि0मी0 8 से कोटीला तक सम्पर्क मार्ग निकलता है, जो काफी जर्जर स्थिति में है। उक्त सम्पर्क मार्ग का स्वामित्व जिला पंचायत, रायबरेली का है। इस मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आच्छादित नहीं है। प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत हेतु पंचायती राज विभाग से अनुरोध किया जा रहा है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र मिश्र द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र, 2024 के दौरान .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[श्री रमेश चन्द्र मिश्र, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 05-02-2024 पर निर्धारित केवल वक्तव्य दिनांक 07-02-2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में डेल्हूपुर मोड़ से रसिकापुर चौराहे तक, मेन सड़क डा0 भीमराव अम्बेडकर डिग्री कॉलेज गेट से डेल्हूपुर चौराहे तक, निषादपुर-हिम्मतपुर सम्पर्क मार्ग बलुआ ब्राह्मण बस्ती, दिलशादपुर से अटरा शंकरगढ़ बार्डर तक तथा नगर पंचायत बदलापुर भलुवाही में ग्राम न्यायालय से बिठुआकला सम्पर्क मार्गों का स्थलीय निरीक्षण क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा किया गया। उक्त सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जो मरम्मत/लेपन किए जाने योग्य है। उक्त मार्गों के मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत, जौनपुर की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा एवं बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।]

बजट पर चर्चा के दौरान अगले दिन भोजन एवं चाय की कैफेटेरिया में व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब कल से बजट पर चर्चा प्रारम्भ होगी तो मेरा निवेदन है कि कल रात देर तक हम हाउस को चलायेंगे, कल दिन का भी भोजन होगा और रात का भोजन होगा। कल दिन और रात का भोजन भी होगा और शाम को चाय भी होगी। इसलिए कोई खाने-पीने के चक्कर में जाने का प्रयास न करे, ऐसा मेरा निवेदन है। बाकी कोई चला जायेगा तो मैं उसको रोकूंगा नहीं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 07 फरवरी, 2024 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(तारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-46-47 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री तुफानी सरोज, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या- 19 के संलग्नक

वर्तमान में प्रदेश में घोषित विद्युत आपूर्ति शिड्यूल के अनुसार समस्त क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति निम्नवत् है:-

क्र.सं.	क्षेत्र का विवरण	निर्धारित विद्युत आपूर्ति शिड्यूल
1	ग्रामीण स्तरीय क्षेत्र	18:00 घण्टे
2	नगर पंचायत/नगर पालिका	21:30 घण्टे
3	तहसील मुख्यालय	21:30 घण्टे
4	जनपद मुख्यालय	24:00 घण्टे
5	मण्डल स्तरीय नगर/मुख्यालय	24:00 घण्टे
6	महानगर	24:00 घण्टे
7	बुन्देलखण्ड क्षेत्र (ग्रामीण)	20:00 घण्टे
8	औद्योगिक क्षेत्र	24:00 घण्टे
9	ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र	24:00 घण्टे

नोटः- राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के मानकों के दृष्टिगत कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।

(अरूण कुमार मिश्र)
निदेशक (एस0एल0डी0सी0)

नत्थी (ख)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-70 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-85 पर)

आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़

मण्डल बलिया के अन्तर्गत श्री जयप्रकाश अंचल मा0 सदस्य विधान सभा उ0प्र0 द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 70 में वर्णित 33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के अन्तर्गत गांवों में क्षमतावृद्धि का कार्यो का विवरण

क्र0सं0	खण्ड का नाम	उपकेन्द्र का नाम	प्रस्तावित कार्य का विवरण	क्षमता वृद्धि	क्षमता वृद्धि	मद का विवरण
1	EDD I BALLIA	PASHUHARI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पशुहारी के 11 क0वी0 फीडर चरोया ग्राम बिगह में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
2	EDD I BALLIA	PASHUHARI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पशुहारी के 11 क0वी0 फीडर पुरा ग्राम पचदौरा में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
3	EDD I BALLIA	PASHUHARI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पशुहारी के 11 क0वी0 फीडर पुरा ग्राम नगही में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
4	EDD I BALLIA	PASHUHARI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पशुहारी के 11 क0वी0 फीडर पशुहारी ग्राम पशुहारी में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
5	EDD I BALLIA	PASHUHARI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र पशुहारी के 11 क0वी0 फीडर शमसुदीनपुर ग्राम सिसैण्डकला में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
6	EDD I BALLIA	PASHUHARI	खन्दया बेल्थरा रोड (100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0)	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
7	EDD I BALLIA	PASHUHARI	चेरूआं पशुहारी बेल्थरारोड (25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0)	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
8	EDD I BALLIA	PASHUHARI	डफलपुरा बेल्थरा रोड (25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0)	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
9	EDD I BALLIA	PASHUHARI	जीउतपुर बेल्थरा रोड (63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0)	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
10	EDD I BALLIA	PASHUHARI	कलवारी (10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0)	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
11	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	खजुआं (25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0)	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
12	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	गोखा (63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0)	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
13	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	इब्राहिम पटटी रजईपुर (63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0)	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
14	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	तुर्तीपार बेल्थरारोड (100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0)	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
15	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	खैराखास बेल्थरा रोड (100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0)	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
16	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	जमुआंव बेल्थरा रोड (100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0)	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
17	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	ईक्सार चमटोल बेल्थरा रोड (10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0)	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
18	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	अखोप बेल्थरा रोड (10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0)	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
19	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	लिलही गोदाम बेल्थरा रोड (25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0)	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
20	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	बीबीपुर बेल्थरा रोड (25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0)	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

21	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	बनकरा बेल्थरा रोड (100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0)	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
22	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	बासापार बेल्थरा रोड (100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0)	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
23	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	फरसाटार बेल्थरा रोड (63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0)	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
24	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	रोसडा बेल्थरा रोड (25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0)	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
25	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	सदोपुर बेल्थरा रोड (63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0)	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
26	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	बिहरा हरपुर बेल्थरा रोड (63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0)	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
27	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	उमरगंज बेल्थरा रोड (250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0)	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
28	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	इमलिया चौराहा बेल्थरा रोड (250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0)	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
29	EDD I BALLIA	B RAOD RURAL	पूर्वांचल बैंक के पास बेल्थरा रोड (250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0)	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
30	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-इन्दासो में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 250 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
31	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-नरही बजार में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 250 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
32	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-ताड़ीबड़ागाँव डीहपुर में स्थापित 100 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 250 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
33	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-खनवर में पानी टंकी के पास लगे 100 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 250 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
34	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-नगरा कालोनी में स्थापित 250 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 400 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
35	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-नगरा टीबी हॉस्पीटल में स्थापित 250 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 400 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
36	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-नगरा नहर पर में स्थापित 250 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 400 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
37	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-नगरा घोसी मार्ग में स्थापित 250 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 400 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
38	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-पथफेडवा नगरा में स्थापित 250 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 400 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
39	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-नवाबगंज में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
40	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-अब्दुलपुर मदारी में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
41	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द नगरा के ग्राम-ताड़ीबड़ागाँव में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

42	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-सिहोरीडीह मे स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
43	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-कोथीया हरिजन बस्ती में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
44	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-बेलत्तडी में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
45	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-निकासी पुरा पर में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
46	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-निकासी में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
47	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-विश्वरूप में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
48	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-बछईपुर में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
49	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-पडरी में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
50	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-परसिया रूपपुर में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
51	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-मलपहरसेनपुर में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
52	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-मलफ गांधी इण्टर कॉलेज में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
53	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-भिटकुना मोड़ मे स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
54	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-गोठवाँ में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
55	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-मालीपुर गौवापार में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
56	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-छीतौना में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
57	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-कोदई में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
58	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-तियरा हैदरपूर में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
59	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-पडरी में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्यक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

60	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-इनामीपुर में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
61	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-खारी में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
62	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-निकासी स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
63	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-भगमलपुर में स्थापित 10 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 25 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
64	EDD III BALLIA	NAGRA	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-सुजानपुर में स्थापित 10 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 25 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
65	EDD III BALLIA	NAGRA	33:11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम- करसी में श्रीकिशुन वर्मा के खेत के पास लगे 10 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 25 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
66	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-भण्डारी में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
67	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-सुपापाली में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
68	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-बलुआ गौठाई में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
69	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-पाठक टोला में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
70	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-देवाड़िया में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
71	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-डाबटही शिव मन्दिर में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
72	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-घोघरा मलप में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
73	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-इन्दौली मलकौली में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
74	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र जाम के ग्राम-पचहुवा में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
75	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र जाम के ग्राम-नरला अनहर पट्टी में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
76	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र जाम के ग्राम-कंधी कला में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़) .
77	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-गौठाई मठिया नगरा में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
78	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-इन्दौली नगरा में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
79	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम-जंजयार यादुवपट्टी में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परितर्वक लगाने का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)

80	EDD III BALLIA	NAGRA	33 /11 के0वी0 उपकेन्द्र नगरा के ग्राम–ककरी याकुबपुर में स्थापित 63 के0वी0ए0 परिवर्तक अतिभारित होने पर क्षमतावृद्धि कर 100 के0वी0ए0 के परिवर्तक लगाने का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
81						
82	EDD IV BALLIA	LOKDHAM THEKAHA	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर मझौवा ग्राम–पचरूखिया डालामें 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
83	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम–नियर नन्दू सिंह के घर के पास में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
84	EDD IV BALLIA	DUBHAD	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दुबहड़ के 11 के0वी0 फीडर सहरसपाली ग्राम– ढाला में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
85	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर मझौवा ग्राम–मालिकपुर में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
86	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर डोकटी ग्राम– भुवाल छपरा (मोहनपुर घर के पास) में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
87	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर चकिया ग्राम– मान सिंह छपरा (सियाल छपरा) में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
88	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर रामगढ ग्राम–बलिहार नदी के पास में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	अतिरिक्त बिजनेस प्लान (16 करोड़)
89	EDD IV BALLIA	LOKDHAM THEKAHA	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लोकधाम ठेकहा के 11 के0वी0 फीडर मठिया ग्राम– मुरली छपरा ब्लाक में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
90	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर डोकटी ग्राम– बहुअरा में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
91	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम– टेनगराई में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
92	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर चकिया ग्राम– शिवचक में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
93	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम– पाण्डेयपुर में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
94	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम–चाँदपुर में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
95	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम– शुभ नथिया में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
96	EDD IV BALLIA	LOKDHAM THEKAHA	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र लोकधाम ठेकहा के 11 के0वी0 फीडर चाँद दियर ग्राम– टोला बाज राय में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
97	EDD IV BALLIA	LOKDHAM THEKAHA	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर डोकटी ग्राम– चिरानजी छपरा में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
98	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर तहसील ग्राम– बैरिया बैंक ऑफ बड़ौदा में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

99	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर तहसील ग्राम- बैरिया हरिजन बस्ती में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
100	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम- टेगराही वर्मा टोला में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
101	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर डोटकी ग्राम- लुटाहीपुर में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
102	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- गायघाट मैराखन बाबा में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
103	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- गायघाट में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
104	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- बाबुआपुर में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
105	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- हल्दीडाला में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
106	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- हल्दी बाछा टोला में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
107	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- नन्दपुर में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
108	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- गायघाट कुआ नं0-1 में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
109	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- रहुआ में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
110	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर आर0एल0सी0 ग्राम- नवकागाँव में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
111	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- शेर में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
112	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर आर0एल0सी0 ग्राम- बलीपुर में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
113	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- छितौनी में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
114	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- कृपालपुर में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

115	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर सोनवानी ग्राम- हसनगर में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
116	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बिगही ग्राम- बघवरीया टोला में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
117	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर रामगढ़ ग्राम- गंगापुर ढाला में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
118	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर पिरौटा ग्राम- रामपुर बजार (मिन्टू पाण्डेय के घर के पास) में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
119	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर पिरौटा ग्राम- बागेश्वरी माता मन्दिर के पास में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
120	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर पिरौटा ग्राम- सुगर छपरा में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
121	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर रामगढ़ ग्राम- रामगढ बजार में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
122	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- रेवती हास्पिटल के पास में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
123	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर हड़िया ग्राम- हड़िया कला में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
124	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- रतिछपरा के पास में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
125	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बिगही ग्राम- गायघाट मलहोरीया बागी में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
126	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर त्रिकालपुर ग्राम- अतददिया रेवती में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
127	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- रेवती स्टेशन रोड मे 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
128	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- यादव बस्ती वार्ड नं0 3 रेवती में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
129	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- दवपुर मठिया में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
130	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- परमनन्द केदेरा में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

131	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- जगदीशपुर में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
132	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- दतौली में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
133	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर हड़िया ग्राम- हड़िया कला पुल के पास में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
134	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर हड़िया ग्राम- हड़िया कला राजजानकी मन्दिर के पास में 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	25	63	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
135	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- दुधैला कला में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
136	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- दुधैला खुर्द में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
137	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- अधैला में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
138	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- पचरूखा में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
139	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- मुराडिह रेवती में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
140	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर रानीगंज ग्राम- भरत छपरा में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
141	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर रानीगंज ग्राम- कोटवा जल निगम के पास में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	63	100	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
142	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर रानीगंज ग्राम- पमपस्ति में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
143	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर रानीगंज ग्राम- चन्दा गोदाम कोटवा में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
144	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम- दया छपरा में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
145	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर तहसील ग्राम- बैरिया बाजार गोडिया टोला में 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
146	EDD IV BALLIA	LOKDHAM THEKAHA	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ठेकहा के 11 के0वी0 फीडर मठिया ग्राम- डोकटी में 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

147	EDD IV BALLIA	BAIRIYA RURAL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया ग्रामीण के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम- मिश्रा का हाता में 16 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	16	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
148	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बीगही ग्राम- हल्दी हंस नगर में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
149	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- डुमरिया में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
150	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- शेर में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
151	EDD IV BALLIA	SONWANI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सोनवानी के 11 के0वी0 फीडर बिगही ग्राम- बिगही में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
152	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर पिदरौटा ग्राम- रामपुर दिघार में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
153	EDD IV BALLIA	DIGHAR	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दिघार के 11 के0वी0 फीडर रामगढ ग्राम- रामगढ में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
154	EDD IV BALLIA	BAIRIYA TAHSIL	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बैरिया तहसील के 11 के0वी0 फीडर तहसील ग्राम- हरिजन बस्ती के पास में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
155	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- रेवती बैरिया रोड वार्ड नं0-3 में 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
156	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- गायघाट रेवती में 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
157	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर त्रिकालपुर ग्राम- त्रिकालपुर में 250 के0वी0ए0 से 400 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	250	400	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
158	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- रेवती गायघाट में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
159	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर सहतवार ग्राम- मुराडीह रेवती में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
160	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- रेवती वार्ड न0-4 में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
161	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- रेवती बस स्टैंड में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
162	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर बैरिया ग्राम-चौबे छपरा में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

163	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- रेवती डुमडेरवा में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
164	EDD IV BALLIA	DUBHAD	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र दुबहड़ के 11 के0वी0 फीडर सहरसपाली ग्राम- सहरसपाली भोला ठाकुर के द्वार के पास में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
165	EDD IV BALLIA	REWATI	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रेवती के 11 के0वी0 फीडर टाउन ग्राम- भाइशाहा रेवती पासवान बस्ती के पास में 10 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	10	25	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)
166	EDD IV BALLIA	LOKDHAM THEKAHA	33 /11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ठेकहा के 11 के0वी0 फीडर मठिया ग्राम- धतुरी टोला बैरिया में 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 की क्षमतावृद्धि का कार्य।	100	250	प्रणाली सुधार/सुदृढ़ीकरण योजना (20 करोड़)

01/04/24

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
आजमगढ़ क्षेत्र

नत्थी (ग)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-80 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-90 पर)

वि0वर्ष 2023–24 में मार्गो के गढ्ढामुक्त/पैच मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि का जनपदवार सारांश

धनराशि रू. लाख में

क्रम सं0	जनपद का नाम	वर्ष 23–24 में अब तक आवंटन (दि. 29.1.23)
1	2	4
1	आगरा	445.03
2	मैनपुरी	567.67
3	फिरोजाबाद	459.11
4	मथुरा	530.76
5	अलीगढ़	637.27
6	एटा	383.37
7	हाथरस	254.97
8	कासगंज	332.06
9	इलाहाबाद	1861.85
10	कौशाम्बी	275.03
11	प्रतापगढ़	946.77
12	फतेहपुर	555.06
13	आजमगढ़	1206.95
14	मऊ	296.57
15	बलिया	527.08
16	बरेली	718.02
17	शाहजहांपुर	734.71
18	बदायूं	363.14
19	पीलीभीत	398.25
20	अयोध्या	471.60
21	अम्बेडकरनगर	521.94
22	सुल्तानपुर	553.11
23	बाराबंकी	973.97
24	अमेठी	487.35
25	बहराइच	682.12
26	श्रावस्ती	227.38
27	गोण्डा	872.50
28	बलरामपुर	419.36
29	गोरखपुर	1282.69

वि0वर्ष 2023–24 में मार्गो के गढ्ढामुक्त/पैच मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि का जनपदवार सारांश

धनराशि रू. लाख में

क्रम सं0	जनपद का नाम	वर्ष 23–24 में अब तक आवंटन (दि. 29.1.23)
1	2	4
30	महराजगंज	655.12
31	देवरिया	867.34
32	कुशीनगर	504.54
33	बस्ती	1005.18
34	संतकबीरनगर	291.14
35	सिद्धार्थनगर	1064.09
36	झांसी	416.41
37	ललितपुर	582.07
38	जालौन	542.91
39	बांदा	726.78
40	महोबा	263.77
41	हमीरपुर	315.42
42	चित्रकूट	482.77
43	कानपुरनगर	821.34
44	कानपुरदेहात	683.30
45	इटावा	721.15
46	औरैया	1019.50
47	फर्रूखाबाद	381.77
48	कन्नौज	519.16
49	उन्नाव	1369.42
50	सीतापुर	851.84
51	खीरी	439.73
52	हरदोई	916.17
53	रायबरेली	1100.80
54	लखनऊ	897.29
55	सहारनपुर	563.34
56	मुजफ्फरनगर	476.29
57	शामली	418.95
58	मेरठ	506.78

वि0वर्ष 2023–24 में मार्गो के गढ्ढामुक्त/पैच मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि का जनपदवार सारांश

धनराशि रू. लाख में

क्रम सं0	जनपद का नाम	वर्ष 23–24 में अब तक आवंटन (दि. 29.1.23)
1	2	4
59	बागपत	187.81
60	गाजियाबाद	145.80
61	हापुड़	241.39
62	गौतमबुद्धनगर	483.41
63	बुलन्दशहर	937.00
64	मुरादाबाद	472.93
65	अमरोहा	603.82
66	रामपुर	679.59
67	बिजनौर	1008.08
68	सम्भल	564.79
69	वाराणसी	586.68
70	चन्दौली	766.99
71	गाजीपुर	572.30
72	जौनपुर	1106.08
73	मिर्जापुर	596.92
74	भदोही	291.05
75	सोनभद्र	914.89
	योग	**47549.59**

वर्ष 23-24 में मार्गो के गड्ढामुक्ति का जनपदवार सारांश

लम्बाई किमी में

क्रम सं0	जनपद का नाम	गड्ढामुक्ति हेतु लक्ष्य	गड्ढामुक्ति हेतु प्रगति
1	2	5	9
1	मथुरा	395.46	395.46
2	आगरा	709.26	709.26
3	फिरोजाबाद	475.29	475.29
4	मैनपुरी	758.18	758.18
5	अलीगढ़	808.53	808.53
6	हाथरस	216.23	216.23
7	एटा	406.23	406.23
8	कासगंज	335.74	335.74
9	फतेहपुर	677.54	677.54
10	प्रतापगढ़	878.59	878.59
11	कौशाम्बी	301.89	301.89
12	प्रयागराज	1735.40	1735.40
13	आजमगढ़	905.95	905.95
14	मऊ	345.18	345.18
15	बलिया	230.85	230.85
16	बदायूं	444.55	444.55
17	बरेली	529.81	529.81
18	पीलीभीत	315.79	315.79
19	शाहजहांपुर	932.72	932.72
20	बाराबंकी	1107.98	1107.98
21	अयोध्या	474.32	474.32
22	अम्बेडकरनगर	591.34	591.34
23	सुल्तानपुर	741.61	741.61
24	अमेठी	555.53	555.53
25	बहराइच	674.40	674.40
26	श्रावस्ती	222.98	222.98
27	बलरामपुर	387.78	387.78
28	गोण्डा	797.59	797.59
29	सिद्धार्थनगर	550.34	550.34
30	बस्ती	739.56	739.56
31	संतकबीरनगर	287.37	287.37
32	महराजगंज	508.63	508.63
33	गोरखपुर	853.21	853.21

वर्ष 23-24 में मार्गो के गड्ढामुक्ति का जनपदवार सारांश

लम्बाई किमी में

कम सं0	जनपद का नाम	गड्ढामुक्ति हेतु लक्ष्य	गड्ढामुक्ति हेतु प्रगति
1	2	5	9
34	कुशीनगर	584.81	584.81
35	देवरिया	417.36	417.36
36	जालौन	658.89	658.89
37	झांसी	350.09	350 09
38	ललितपुर	556.52	556.52
39	हमीरपुर	346.67	346.67
40	महोबा	297.88	297.88
41	बांदा	657.25	657.25
42	चित्रकूट	518.30	518.30
43	फर्रूखाबाद	291.73	291.73
44	कन्नौज	462.40	462.40
45	इटावा	765.73	765.73
46	औरैया	864.54	864 54
47	कानपुरदेहात	637.24	637.24
48	कानपुरनगर	989.60	989.60
49	खीरी	587.86	587.86
50	सीतापुर	1031.6	1031.60
51	हरदोई	786.33	786.33
52	उन्नाव	1025.06	1025.06
53	लखनऊ	729.23	729.23
54	रायबरेली	1080.14	1080.14
55	मेरठ	362.71	362.71
56	बागपत	199.58	199.58
57	गाजियाबाद	149.52	149.52
58	गौतमबुद्धनगर	212.05	212.05
59	बुलन्दशहर	959.34	959 34
60	हापुड़	197.39	197.39
61	सहारनपुर	567.65	567.65
62	मुजफ्फरनगर	315.11	315.11
63	शामली	259.29	259.29
64	बिजनौर	739.36	739.36

वर्ष 23-24 में मार्गो के गढ्ढामुक्ति का जनपदवार सारांश

लम्बाई किमी में

क्रम सं0	जनपद का नाम	गड्ढामुक्ति हेतु लक्ष्य	गड्ढामुक्ति हेतु प्रगति
1	2	5	6
65	मुरादाबाद	382.65	382.65
66	रामपुर	570.14	570.14
67	अमरोहा	373.45	373.45
68	सम्भल	440.60	440.60
69	जौनपुर	1275.63	1275.63
70	गाजीपुर	577.54	577.54
71	चंदौली	725.45	725.45
72	वाराणसी	472.93	472.93
73	भदोही	246.58	246 58
74	मिर्जापुर	925.47	925.47
75	सोनभद्र	894.44	894.44
	G-Total	**44381.94**	**44381.94**

नत्थी (घ)

(अतारांकित प्रश्न संख्या-114 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-107 पर)

खसरा खतौनी (संलग्न) के अनुसार विवरण निम्नवत है:-

1. नगर निगम के स्वामित्व मे ऊसर की भूमि खसरा संख्या/क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)

2174	12	— 0.0510
2174	12	— 0.0250
2174	13	— 0.3290

2. नगर निगम के स्वामित्व में बंजर की भूमि खसरा संख्या/क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

2174/13/2	— 0.0890
कुल क्षेत्रफल	— 0.4940

नायब तहसीलदार
नगर निगम, लखनऊ

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
नगर निगम लखनऊ

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : कनौसी परगना : (लखनऊ) तहसील : लखनऊ जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 02091

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 6-4 / जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।				
ऊसर / /	14	0.0690		
	15स	0.0630		
	62	0.0690		
	76	0.0690		
	403	0.0280		
	467स	0.0820		
	470	0.9610		
	471	0.0310		
	472/2	0.7050		
	492	0.3470		
	550/1	0.2530		
	765/1	0.0330		
	773/4/2	0.3030		
	814	0.0950		
	834	0.1390		
	918/6/7स	0.0290		
	918/7/3	0.0440		
	970/1	0.5750		
	972/1	0.5200		
	974/1/2	1.4960		
	1045	0.0100		

	1066/2	0.0490		
	1443	0.0630		
	1494/1	0.6050		
	1612/2	0.3540		
	1709/6	0.0760		
	1859	0.0980		
	1917/9	0.6450		
	2139/1	0.3730		
	2188/2/2स्	0.3080		
	2193/3स	0.0690		
	1606/2	0.0510		
	1979/9स	2.0700		
	2174/12.	0.0510		
	2174/12	0.0250		
	2174/13	0.3290		
योग	**36**	**11.0870**		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : कनौसी परगना : (लखनऊ) तहसील : लखनऊ जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) भाग : 1 खाता संख्या : 02082

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी 5-3-ङ / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि।				
बंजर / /	693	0.4610	आदेश बहवाला खातासं.1416पर दर्ज है। ह.र.का.28.3.12 न्यायालय अपर उपजिलाधिकारी सदर लखनऊ वाद सं. 63/168/228/268/10-11 धारा 229बी. उ.प्र.जमी.वि.अ. आगा हसन खाँ ऊर्फ दानिश आदि बनाम उ.प्र. सरकार आदि उपरोक्तानुसार में वाद में अपर आयुक्त (न्यायिक) लखनऊ मण्डल लखनऊ अन्तर्गत धारा 331 उ.प्र. ज.वि.एवं भू.व्य.अधि. अपील सं. सी. 2015100000312/सी. 2015 10003001 ता.फै. 30.12.16 व संशोधित आदेश दिनांक 30.12.16 के प्रस्तर 4 में अंकित भूमि 1943/0.0820, 1962/0.0540, 1973/0.01140, 1990/2/0-3-12, 1990/4/15-14-13, 1990/5/3-1-1, 1992/1/0.6700, 2035/0.3100, 2038/1/1.3100, 2866/0.0130, 2321/1/0-7-0, 2241/20/6-13-0, 2274/0-9-0, 2321/2/0-17-8, 2241/2/0.9160, 2540/0.1070, 2005/9-9-10 खाता सं. 2002 पर अंकित है पर फजल फातिमा पत्नी स्व. अकबर अली का नाम सं.भू. के रूप में दर्ज हो। द्वारा आदेश प्रति। ह.र.का. 7.3.17	
	469	0.1520		
	546	0.0190		
	548/3	0.0130		
	559	0.0690		
	573	0.0440		
	584स	0.1140		
	678	0.0250		
	732	0.2780		
	735	0.0280		
	738	0.0380		
	737/2स	0.0250		
	751	0.0090		
	773	0.0230		
	994/2	0.0030		
	795	0.0790		
	796	0.0380		
	797	0.0950		
	798	0.1010		
	804/1	0.1450		
	821स	0.0130		

	827/2/2स	0.0080	
	844	0.0160	
	845	0.1010	
	851	0.1730	
	867	0.0190	
	875स	0.0190	
	909स	0.0310	
	917	0.0130	
	963	0.0440	
	983	0.0250	
	1059	0.0440	
	1064/5स	0.0600	
	1064/17/2	0.0130	
	1161	0.0250	
	1199	0.0250	
	1201/2	0.0130	
	1206	0.0250	
	1218/1	0.1900	
	1221/4	0.0130	
	1238	0.0510	
	1253	0.0310	
	1348	0.1350	
	1439/3	0.0760	
	1494/1	0.0090	
	1537/2	0.0030	
	1566/6/3	0.2150	
	1826	0.0130	
	1849	0.0090	
	1867	0.0410	
	1917/4	0.1160	
	1917/8	0.2530	
	2044	0.0600	

	2046 2048 2066 2137/4 2137/6 2137/9 2139/2 2163 2186 2188/2/3स् 2219/12/4 2224 2226स 2558/6स 799स 2174/13/2 2300 1064/25 1566मि.	0.0570 0.0470 0.0130 0.2490 0.0530 0.0220 0.0870 0.0950 0.0280 0.0680 0.3200 0.1100 0.0340 0.3430 0.0010 0.0890 0.1770 0.0820 0.1640		
योग	**72**	**5.6800**		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

Digital India NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE

नत्थी (ङ)
(मा0 सदस्य का मा0 राज्यपाल जी के अभिभाषण पर लिखित भाषण)

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विचार व्यक्त करने हेतु दिये गये अवसर के लिए मैं आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी 69,000 शिक्षक भर्ती में ओ0बी0सी0, एस0सी0 के आवेदकों के साथ अन्याय हुआ है।

29 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया ओ0बी0सी0 एवं एस0सी0 समाज के हजारों छात्रों की जगह सवर्ण समाज के छात्रों का चयन कर दिया है। साथ ही साथ आयोग ने कहा कि सरकार पीड़ित छात्रों को शीघ्र न्याय दे एवं दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोटाले की जाँच करने हेतु तत्कालीन राजस्व परिषद् के अध्यक्ष श्री मुकुल सहगल जी की अध्यक्षता में जाँच कराई। जांचों उपरान्त समिति ने पाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में घोटाला हुआ है।

23 दिसम्बर, 2021 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीड़ितों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल को अपने आवास पर बुलाया और कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आप धरने को समाप्त कीजिए हम आपको शीघ्र न्याय देने जा रहे हैं, परन्तु माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ।

13 मार्च, 2023 को माननीय हाई कोर्ट ने माना की भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है सरकार 3 महीने में पूरी चयन सूची को दोबारा बनाए। माननीय अध्यक्ष जी माननीय हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना गया। पीड़ित छात्र लखनऊ के इको गार्डन के बाहर पिछले लगभग 600 दिनों से निरन्तर धरने पर बैठे हैं।

इस कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में छात्र-छात्राएं खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं इनमें से पांच छात्र पिछले लगभग 40 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

पीड़ित छात्र लगातार पिछले 3 महीने से माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं मगर हमारे मुख्य मंत्री जी इन पीड़ित छात्रों से नहीं मिल रहे हैं। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि पीड़ितों के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल से शीघ्र मुलाकात करके पीड़ित छात्र-छात्राओं को न्याय दिलाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष जी हमारे विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के नगर पंचायत मक्खनपुर में अधिशासी अधिकारी द्वारा सरकारी अभिलेखों में दर्ज चकरोड के दोनों तरफ के सैकड़ों मकान को ध्वस्त कर दिया गया। मकान के स्वामी एवं परिवार के लोग बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग अब खुले

मैदान में रह रहे हैं। सरकारी अभिलेखों में इस चक रोड की चौड़ाई जितनी थी, उतनी मौके पर थी। परन्तु ऐसी क्या स्थिति बनी कि बिना कोई नोटिस के सैकड़ों लोगों के मकान ध्वस्त कर दिए गए। क्या इस सरकार में एस0सी0, ओ0बी0सी0 के लोग अपने मकान में नहीं रह सकते ?

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ की एस0सी0, ओ0बी0सी0 के लोगों के ध्वस्त किए गए मकान को सरकार बनवाएगी एवं इन लोगों के रोजगार चले गए सरकार उनको मुआवजा दिलाएगी एवं इस कृत्य को करने वाले अधिशासी अधिकारी पर कोई कार्यवाही की जाएगी ?

माननीय अध्यक्ष जी, नगर पंचायत मक्खनपुर के अधिशासी अधिकारी अपनी खुली मनमानी पर हैं। उनके द्वारा नगर पंचायत में उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीद पर बड़े स्तर पर गोलमाल किया जा रहा है, जिसकी जाँच होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि बिना कोई खर्च किए जिससे सरकारी राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ऐसे कार्य धनगर जाति के प्रमाण-पत्र एवं मझवार जाति के प्रमाण-पत्र जारी करने में सरकार को कहां परेशानी हो रही है या सरकार की मंशा नहीं है कि एस0सी0, ओ0बी0सी0 के लोगों को लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातीय के कल्याण बोर्ड का गठन अभी तक नहीं किया गया, जबकि एक अन्य समुदाय के कल्याण बोर्ड का गठन देखते ही देखते कर दिया गया तो विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों के कल्याण बोर्ड के गठन में सरकार को क्यों परेशानी हो रही है।

माननीय अध्यक्ष जी जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के गांव फरोल नगरिया में यमुना नदी पर एक बैराज बन जाए, जिससे पूरे जनपद के वाटर लेवल में सुधार होगा।

वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे।
इन्सान वही जो अपनी तकदीर बदल दे।
कल क्या होगा मत सोचो।
क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे।

पी0एस0यू0पी0-एल0 54 विधान सभा (75)-03-07-2024-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।